लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ८, १९६२/१८८४ (शक)

[३ से ७ सितम्बर १९६२/१२ से १६ भाद्र, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/73

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-97
Fumigated
08.12.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ८ में अंक २१ से २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

[तृतीय खण्ड माला, खण्ड ८—अंक २१ से २५–३स ७ सितम्बर, १९६२ १२ से १६ भाद्र १८८८४ (शक)]

अंक २१—सोमवार, ३ सितम्बर, १९६२।१२ भाद्र, १८८४ (शक)— पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४६ से ७६० और ७६२ . २५८५—१६११

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १० . . २६११–१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४५, ७६१, ७६३, ७६४ से ७६६ . २६१२—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४४ से २१५४, २१५६ से २१९० और २१९२ से २२०९ . . . . २६१४—४३

अल्प सूचना प्रश्न सख्या ९ २६४३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना २६४३—४६

(१) पश्चिम बंगाल में वियासवाड़ी सीमा चौकी के निकट सशस्त्र पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा दो भारतीयों के मारे जाने का कथित समाचार . . .

(२) श्री जी० डी० सोंधी द्वारा जकार्ता में दिये गये कथित वक्तव्यों और उन पर इण्डोनेशिया सरकार की प्रतिक्रिया । . .

लद्दाख में चीनी सैनिक के चौकियों के बारे में वक्तव्य . २६४६–४७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६४७–४८

राज्य सभा से सन्देश २६४८

विधेयक पुरस्थापित— . .

(१) बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक . . . २६४८

(२) भाण्डागार निगम विधेयक . . ९

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक— २६४९

विचार करने का प्रस्ताव . . २६४९—५१

खंड १ से ७ . . . २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

बैंकिंग समवाय (सशोधन) विधेयक २६५२

विचार करने का प्रस्ताव .

खंड २ से ८ तथा १ २६६०

पारित करने का प्रस्ताव . २६६०–६१

गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक— २६६१—८६

विचार करने का प्रस्ताव . . . .

कार्यमंत्रणा समिति — २६८६

छठा प्रतिवेदन . . . .

दैनिक संक्षेपिका . . २६८७—९२

अंक २२—मंगलवार, ४ सितम्बर, १९६२/१३ भाद्र, १८८४ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७, ६७८, ७७०, से ७७३ ७७६, ७७७, ७७९ से ७८१, ७८४ और ८८५ . . . २६९३—२७१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ . . . २७२०—२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तरांकित प्रश्न संख्या ७६९, ७७४, ७७५, ७७८, ७८२ और ७८६ से ७९० . . . . . २७२२—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या २२१० से २२५१, २२५३ से २२५४ और २२५६ से २२६१ . . . २७२६—५७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना— २७५७—६२

(१) नागा लैंड में पैंटिंग फोम को गोली से मार दिया जाना।

(२) मोजाम्बिक से भारतीयों का निकाला जाना . .

(३) जकार्ता के भारतीय दूतावास पर आक्रमण . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २७६२—६३

राज्य सभा से संदेश २७६३

अनुपस्थिति की अनुमति . . २७६३

धर्मपरिवर्तन करने वालों का विवाह विच्छेद विधेयक—पुरस्थापित . . २७६४—६५

कार्य मंत्रणा समिति— २७६५

छटा प्रतिवेदन . . . . .

गन्ना नयंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक . . . २७६५—६६

विचार किरने का प्रस्ताव .

खंड २ तथा १ . .

पारित करने का प्रस्ताव . .

ईरान के भूकम्प के बारे में २७६

विषय	पृष्ठ
नियम ६६ के परन्तुक के निलम्बन के बारे में	२७६७–६८
संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, १९६२	२७६८—८८
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ से ७ और १	२७८८—९५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२७९५—२८०१
खाद्य उत्पादन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	
दैनिक संक्षेपिका	२८०२—०८
अंक २३—बुधवार, ५ सितम्बर, १९६२।१४ भाद्र, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, से ७९३, ७९३—क, ७९४ और ७९७ से ८०४	२८१९—४०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७९५, ७९६, ८०४—क, और ८०५ से ८१९	२८४१—४८
अतारांकित प्रश्न संख्या २२६२ से २३६६, २३६८ से २३७१ और २३७१—क से २३७१—ञ	२८४८—२९११
राज्य सभा में सन्देश	२९११
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	२९१२
सदस्य का निलम्बन	२९१२—१४
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	२९१५—१९
खंड २ से ५ तथा १	२९१९–२०
पारित करने का प्रस्ताव	
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक	२९२०—३५
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ तथा १	२९ ३५
पारित करने का प्रस्ताव	२९३५–३६
परिसीमन विधेयक—	
सहमति प्रकट करने का प्रस्ताव	२९३६—३८
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा	२९३८—७१
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२९७१

विषय	पृष्ठ
आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२९७१—७८
दैनिक संक्षेपिका	२९७९—८६

अंक २४—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६२/ १५ भाद्र, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८२२ से ८२८ और ८३० से ८३७	२९७७—९१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२१, ८२९ और ८३८ से ८४७	२९९९—३००५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७२ से २४३६, २४३८ से २४६३ और २४६३—क	३००५—४६
दिनांक ३—९—६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६४ के उत्तर में शुद्धि .	३०४६
निधन संबंधी उल्लेख . . .	३०४७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३०४७—४८
जुनारदेव के निकट मोटर ट्रक और हल्के इंजिन के बीच टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३०४८—५१
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंन्धी समिति .	३०५१
कार्यवाही सारांश	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति . .	३०५१
कार्यवाही का सारांश	
याचिका संबंधी समिति	३०५१
कार्यवाही सारांश	
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा . . .	३०५२—९१
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३०९२—३११३
औद्योगिक लायसेंस के दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३११३—१६
दैनिक संक्षेपिका	३११७—२४

अंक २५—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२/१६ भाद्र १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८४८, ८५१ से ८५६ और ८५८ से ८६२ .	३१२५—४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . .	३१४६—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५०, ८५७ और ८६३ से ८७४	३१५०–५७
अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४ से २४६८, २४७० से २५१६, २५२१ से २५२४, २५२६ से २५३७ और २५३६ से २५४८	३१५७–६५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३१६५–६७
(१) नकली रेशम के धागे के आयात पर कथित प्रतिबंध तथा उसके फलस्वरूप बेकारी	
(२) उत्तर प्रदेश में भूमि का लगान बढ़ाने के बारे में स्थिति	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३१६७
कार्यवाही से निकालने के बारे में	३१६७–६६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२००
औचित्य प्रश्न के बारे में	३२००–०३
संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश—	३२०४
(१) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
(२) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
राज्य सभा से संदेश	३२०४–०५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३२०५
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	३२०५
पहला प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति—	३२०५–०६
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	
तारांकित प्रश्न संख्या १४११ और १६२६ के उत्तरों में शुद्धि	३२०६
डुमराव दुर्घटना के संबंध में जांच आयोग के बारे में वक्तव्य	३२०६–०७
कच्चा लोहा और इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों के बारे में वक्तव्य	३२०७–०६
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	३२०६–१२
श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	३२१३–१४
अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३२१४–३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति आठवां प्रतिवेदन	३२३१
अनुसधान कर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों के काम की दशाओं के बारे में संकल्प	३२३२–३८

विषय	पृष्ठ
साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	३२३९–४४
'जिंक' के भवन के लिये दिये गये अग्रिम धन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२४४–५०
दैनिक संक्षेपिका	३२५१–५९
दूसरे सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	३२६०–६२

GMGIPND—LS III—815 (Ai) LSD—4-1-63—140.

विषय	पृष्ठ
आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२९७१—७८
दैनिक संक्षेपिका	२९७९—८६
अंक २४—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६२/ १५ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८२२ से ८२८ और ८३० से ८३७	२९७७—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२१, ८२९ और ८३८ से ८४७	२९९९—३००५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७२ से २४३६, २४३८ से २४६३ और २४६३-क ३००५—४६	
दिनांक ३-९-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६४ के उत्तर में शुद्धि .	३०४६
निधन संबंधी उल्लेख	३०४७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३०४७-४८
जुनारदेव के निकट मोटर ट्रक और हल्के इंजिन के बीच टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३०४८—५१
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंन्धी समिति .	३०५१
कार्यवाही सारांश	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति . .	३०५१
कार्यवाही का सारांश	
याचिका संबंधी समिति	३०५१
कार्यवाही सारांश	
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा . . .	३०५२—९२
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवदन के बारे में प्रस्ताव	३०९२—३११३
औद्योगिक लायसेंस के दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३११३—१६
दैनिक संक्षेपिका	३११७—२४
अंक २५—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२/१६ भाद्र १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८४८, ८५१ से ८५६ और ८५८ से ८६२ .	३१२५—४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . .	३१४६—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५०, ८५७ और ८६३ से ८७४	३१५०–५७
अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४ से २४६८, २४७० से २५१६, २५२१ से २५२४, २५२६ से २५३७ और २५३६ से २५४८	३१५७–६५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३१६५–६७
(१) नकली रेशम के धागे के आयात पर कथित प्रतिबंध तथा उसके फलस्वरूप बेकारी	
(२) उत्तर प्रदेश में भूमि का लगान बढ़ाने के बारे में स्थिति	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३१६७
कार्यवाही से निकालने के बारे में	३१६७–६६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२००
औचित्य प्रश्न के बारे में	३२००–०३
संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश—	३२०४
(१) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
(२) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
राज्य सभा से संदेश	३२०४–०५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३२०५
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	३२०५
पहला प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति—	३२०५–०६
पहिला और दूसरा प्रतिवेदन	
तारांकित प्रश्न संख्या १४११ और १६२६ के उत्तरों में शुद्धि	३२०६
डुमराव दुर्घटना के संबंध में जांच आयोग के बारे में वक्तव्य	३२०६–०७
कच्चा लोहा और इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों के बारे में वक्तव्य	३२०७–०६
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	३२०६–१२
श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	३२१३–१४
अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३२१४–३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति आठवां प्रतिवेदन	३२३१
अनुसंधान कर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों के काम की दशाओं के बारे में संकल्प	३२३२–३८

विषय	पृष्ठ
साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	३२३९–४४
'लिंक' के भवन के लिये दिये गये अग्रिम धन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२४४–५०
दैनिक संक्षेपिका	३२५१–५९
दूसरे सत्र का कार्यवाही संक्षेप	३२६०–६२

GMGIPND—LS III—815 (Ai) LSD—4-1-63—140.

लोक-सभा

गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६२ ।

१५ भाद्र, १८८४ (शक) ।

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इस्पात उत्पादकों पर बकाया रकम

†*८२०. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिभार (सरचार्ज) और माल भाड़े की मद में देश में इस्पात के मुख्य उत्पादकों पर बकाया सभी रकम वसूल की जा चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन पर अभी कितनी रकम बकाया है और कब से; और

(ग) उसे अब तक वसूल न करने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). मुख्य उत्पादकों के साथ नियमित रूप से अतिकर और भाड़े के सम्बन्ध में समायोजन किया जाता है । ३१-७-६२ तक मुख्य उत्पादकों से १४.५१ करोड़ रुपये की राशि ली जानी है जो अधिकांशत: मई, १९६२ से ले कर आज तक ली जाने वाली राशि है । उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिये कहा गया है और ऐसी प्रक्रिया बनाने के बारे में उत्पादकों और नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ चर्चा की जा रही है जिस से उन द्वारा बकाया देय रकमों का स्वत: भुगतान होता रहे ।

†**श्री मुरारका** : पहले एक अवसर पर ऐसा ही प्रश्न पूछने पर सभा को यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में इस राशि को काफी कम कर दिया जायगा किन्तु आज हम देखते हैं कि यह राशि अब भी १४ करोड़ रुपये के करीब है । सरकार इसे न्यूनतम बनाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मैं ने उत्तर में बताया है कि हम ऐसी प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं जिस से यह समायोजन स्वत: हो जाया करेगा और संभवत: यह पहले दिये आश्वासन का ही भाग है । किन्तु मैं इस की जांच कर रहा हूं । और आशा है कि ऐसी प्रक्रिया शीघ्र तैयार हो जायगी ।

†**श्री मुरारका** : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इस्पात उत्पादकों से कहा जाय कि वे यह राशि जनता से वसूल होते ही सीधे सरकारी कोष में जमा करा दें ?

†मूल अंग्रेजी में

1813 (Ai) LSD—1

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : चर्चाधीन विषयों में एक यह भी है और मुझे आशा है कि ऐसी प्रक्रिया तैयार कर ली जायगी ।

†**श्री त्यागी** : इस राशि में से कितनी कितनी किस किस फर्म से ली जानी है ? क्या इस के अतिरिक्त कोई और राशि उन्हें पेशगी दी गई है और यदि हां, तो वह राशि कितनी है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जहां तक इस का सम्बन्ध है ये आंकड़ हैं टिस्को ११.९८ या ११.९९ करोड़ रुपये, इस्को ५.२३ करोड़ रुपये, मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स १.१९ करोड़ रुपये, भिलाई १.५८ करोड़ रुपये, रूरकेला २५ लाख रुपये और दुर्गापुर ३९ लाख रुपये । इस के अतिरिक्त इनमें से कुछ कम्पनियों को हम ने पेशगियां भी दी हैं जैसे कि विशेष पेशगियां और वह राशि टिस्को को लगभग १० करोड़ रुपये, जहां तक मुझे स्मरण है इस्को को १०.१८ करोड़ रुपया और एक और राशि है जो मुझे इस समय स्मरण नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह पेशगी बिना ब्याज के है अथवा ब्याज सहित ?

†**श्री हेडा** : क्या रुपया वसूल करन की प्रक्रिया बनाने में कोई जटिलता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इसमें कठिनाइयां हैं, क्योंकि कारखाने प्रत्युत्तर में सरकार से दावे कर रहे हैं । अतः इस का हल निकालना समस्याजनक है जिस पर चर्चा की जा रही है ।

†**श्री मुरारका** : चूंकि सरकार इस राशि पर कोई ब्याज वसूल नहीं करती और प्रतिवर्ष इसे इस कारण लगभग १ करोड़ रुपये की हानि हो रही है अतः क्या माननीय मंत्री अब इसे अन्तिम रूप दे देंगे अथवा इस बकाया राशि पर ब्याज लेना शुरू करेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : पता नहीं कि ब्याज का १ करोड़ रुपया बनता है या नहीं किन्तु जैसा मैं ने बताया उन के भी दावे हैं और मैं जांच कर रहा हूं ताकि इतनी अधिक बकाया राशि न रहे ।

दिल्ली के लिए वृहद् योजना

*८२२. **श्री बागड़ी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन किसानों को मुआवजा दिलवाने के लिये कोई प्रयत्न किया है जिन की जमीनों का वृहद् योजना के अधीन अर्जन कर लिया गया है;

(ख) मुआवजे की कितनी रकम का भुगतान करना बाकी है ; और

(ग) इन किसानों को मुआवजा कब तक मिल जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) उन भूमि के मालिकों को, जिन की भूमि दिल्ली में भूमि के अर्जन, विकास और निपटान की योजना के अधीन, दिल्लीके नियोजित विकास के लिये अर्जित की जाती है, मुआवजा दिया जाता है, जो कानून के अधीन कब्जा लेने से पूर्व ही अदा करना होता है ।

(ख) दिये जाने वाले मुआवजे की राशि भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक मामले में निश्चित की जाती है ।

(ग) दावेदारों को भमि का कब्जा लेने से पूर्व ही मुआवजा दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री खागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्लान के तहत बहुत से किसानों की जमीन तीन तीन साल से गवनमेंट ने एक्वायर कर रखी है और उन को एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया गया है, और वे अपनी जमीन को बेच भी नहीं सकते ?

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या क्षत्तिपूर्ति बाजार भाव से दी जाती है अथवा पुराने भाव हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : भूमि अर्जन अधिनियम में इस के सम्बन्ध में उपबन्ध किये गये हैं ।

†**श्री दातार** : यह बाजार भाव में १५ प्रतिशत मिला कर दिया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अधिनियम में यह सब है ।

श्री यशपाल सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि जिन किसानों को बेदखल किया जा रहा है उन को बसाने के लिये कोई नई जमीन दी जायगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शान्ति, प्रश्न पूछने का यह ढंग नहीं है । हमें शिष्टता का ध्यान रखना चाहिये

श्री यशपाल सिंह : जिन लोगों से जमीनें ली जा रही हैं और जिन को इन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, क्या उन को बसाने के लिये और जमीनें दी जायेंगी ?

श्री दातार : उन को प्रायरिटी मिलती है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन किसानों की यह धरतियां ली गई हैं उन को जिस भाव से मुआवजा दिया है, उस में और जिस मूल पर उन लोगों को ये जमीनें दी जायेंगी जिन को इस पर बसाया जायगा क्या अन्तर है ?

श्री दातार : यह तो अलग अलग बात है, मुआवजा देना और जमीन की कीमत लेना ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब बातें हम डिसकस कर चुके हैं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूतकाल में ऐसी जमीनों का भुगतान करने में दीर्घकाल तक कार्यवाही होती रही है । ऐसे विवादों को शीघ्रातिशीघ्र निबटाने के लिए सरकार क्या शीघ्र कार्यवाही करना चाहती है ?

†**श्री दातार** : सरकार जमीन पर अधिकार पाने से पूर्व ही भुगतान कर देना चाहती है और जो ५३०० एकड़ भूमि ली गई है उसकी क्षतिपूर्ति की ७ करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि कुछ सहकारी आवास समितियों और औद्योगिक सहकारी समितियों की फ्री होल्ड भूमि योजना के अन्तर्गत ले ली गई है और फिर वह उन्हें अधिक दर पर लौटाई जा रही हैं ?

†**श्री दातार** : सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार भूमि पट्टे पर देने का निश्चय किया गया है, यही आधार सब जगह अपनाया जायेगा ।

†**श्री त्यागी** : यह तो स्पष्ट नहीं है । क्या यह सच है नहीं कि जो राशि उस पट्टे के लिए वसूल की जा रही है वह दी गई क्षतिपूर्ति से कहीं अधिक है ?

†**श्री दातार** : मुझे ऐसे किसी मामले का पता नहीं है किन्तु यदि मुझे ऐसे मामले दिखाये गये तो मैं उनकी जांच करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : हम कृषि भूमि को दिल्ली के विकास अर्थात् गैर-कृषि कार्यों के लिए ले रहे हैं । क्या इस प्रयोजन के लिए कृषि भूमि लेने और कृषि भूमि को कृषि कार्य के लिए रखने के सम्बन्ध में कोई अनुपात रखा गया है ?

†**श्री दातार** : यह तो प्राय: काल्पनिक प्रश्न है जहां तक अर्जित की जाने वाली भूमि का सम्बन्ध है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : खाद्य तथा कृषि मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि जब तक ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा तब तक कृषि भूमि का अर्जन नहीं किया जायेगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मंत्री महोदय को विदित है कि जब मौलाना आजाद स्मारक बनाया गया था उसके लिए ८० किसानों को भूमि देने के लिए विवश किया गया था और उन्हें अब तक न बसाया गया है और न भूमि दी गई है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझे लिखें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह दिल्ली मास्टर प्लान के लिए था ? अगला प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री बागड़ी : मेरा एक प्रश्न रह गया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के पहले सवाल के बाद मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन वह खड़े नहीं हुए, इसलिए मजबूरन मुझे दूसरे माननीय सदस्य को बुलाना पड़ा । इसके बाद माननीय सदस्य ने दूसरा सवाल करने का इरादा किया, लेकिन फिर मौका नहीं मिला ।

ऋषिकेश-बद्रीनाथ सड़क

*८२३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि ऋषिकेश से *बद्रीनाथ* तक सड़क को हाल की अति वृष्टि से बहुत क्षति हुई है और कई पुल बह गये हैं तथा कई जर्जर हो गये हैं, जिसके फलस्वरूप बद्रीनाथ-केदारनाथ का यातायात अवरुद्ध हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उस सड़क की दशा सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार किस प्रकार की तात्कालिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को दे रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चावन): (क) हाल की वर्षा से, ऋषिकेश से जोशीमठ जाने वाली सड़क को पहुंची क्षति सम्बन्धित सरकार के सामने कुछ रिपोर्टें आई हैं । इससे ऋषिकेश-जोशीमठ सड़क पर यातायात में रुकावट पैदा हो गई थी ।

(ख) इस सड़क की देखभाल का भार राज्य सरकार पर है, और वही उसका खर्च जुटाता है । इसलिये इस सम्बन्ध में, सरकार पटल पर कोई विवरण रखने में असमर्थ है ।

(ग) राज्य की पी० डब्ल्यू० डी० की प्रार्थना पर, कुछ ट्रैक्टर, कम्प्रेसर्ज और सीमा सड़क संगठन के लगभग १०० आदमी, उनकी सहायता के लिये भेजे गये थे । इस सड़क पर यातायात २९ अगस्त को खोल दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : मैंने पहले यह प्रश्न परिवहन तथा संचार मंत्रालय के नाम लिखा था बाद में इसे प्रतिरक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया क्योंकि यह सीमा सड़क विकास संगठन के अधीन है। अब भाग (ख) में कहा गया है कि इसका संधारण राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है ? तो फिर केन्द्रीय सरकार ने इस प्रश्न को स्वीकार ही क्यों किया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सड़क का संधारण राज्य सरकार का काम है । शेष बातों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर दे दिया है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : भाग (ख) में मैंने विस्तृत विवरण पूछा है । क्या वह विवरण राज्य सरकार से प्राप्त कर के सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वे अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

†**श्री भक्त दर्शन** : अब यातायात की स्थिति कैसी है ? क्या ऋषिकेष और जोशीमठ के बीच यातायात पुनः आरम्भ हो गया है ?

†**श्री दा० रा० चावन** : यातायात पुनः आरम्भ हो गया है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : कितने दिन यातायात में बाधा रही ?

†**श्री दा० रा० चावन** : यातायात २९ अगस्त को आरम्भ किया गया था .....

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अधिकारी रूस में

+

†*८२४. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग रूस में एक पदाधिकारी नियुक्त करने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये ; और

(ग) इस सम्बन्ध में संभवतः कितना खर्च किया जायेगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) नहीं अभी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या हम अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेश से विशेषज्ञ नहीं बुला सकते ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : हम इन सब प्रश्नों को ले रहे हैं । उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है और वे हमारे लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं । आवश्यकता पड़ने पर विदेशी भी यहां आते हैं और हम उनके अनुभव का लाभ उठा रहे हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या प्रश्न के नकारात्मक उत्तर से यह समझा जाये कि किसी को प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा जायेगा अथवा नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न किसी अधिकारी को रूस भेजने के बारे में विशेष प्रश्न है और हमने कहा है कि इस समय ऐसी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि हम व्यक्तियों के आदान प्रदान से अपनी समस्याओं को हल कर रहे हैं । जब किसी अधिकारी को वहां भेजना आवश्यक समझा जायेगा हम आनाकानी नहीं करेंगे ।

कोयले की ढुलाई

†*८२५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की ढुलाई की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिये हाल में दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी ;

(ख) राज्य सरकारों के अभिकरण की मार्फत कोयला वितरण की संभावना का पता लगाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ;

(ग) कोयले की पूरी मात्रा स्वीकार करने के लिये उपभोक्ताओं को किस प्रकार के प्रोत्साहन दिये जायेंगे ; और

(घ) समन्वयकारी अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिये हाल में बनाये गये कार्यकारी दल का किस प्रकार कोयला खान स्तर पर अपने कार्य का विस्तार करने का विचार है और इस प्रयोजन के लिये क्या व्यवस्था होगी ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) तथा (ख). कोयले के उत्पादन और वितरण से सम्बन्धित विभिन्न समवायों के साथ प्राय: बैठकें की जाती हैं । कोयले के यातायात को तेज करने के लिए अपनाये गये विभिन्न उपायों में से एक राज्यों में विभिन्न स्थानों पर भंडार स्थापित करना है जहां ब्लाक रेक डिब्बों द्वारा कोयला भेजा जायेगा । ये भंडार स्थापित करने और इनसे कोयले का वितरण करने में राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार को संयोग दे रही हैं ।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन भंडारों से कोयले के यातायात में सुधार होगा, संभरणकर्ताओं को पूरे डिब्बे स्वीकार करने में प्रोत्साहन मिला है ।

(घ) कार्यकारी दल का कार्य उत्पादन और उपलब्ध रेल यातायात में समन्वय करना है । कोयला खानों तक इस के कार्यों का प्रसार नहीं है । सम्बन्धित मंत्रालय अब इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में उपयुक्त कदम उठा रहे हैं ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच नहीं है कि कोयला ढोने के लिए रेलवे माल डिब्बों का नियतन रेलवे के कोयला लादने के लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है और यदि हां, तो रेलवे का कार्य जो आंकड़े तैयार किये गये हैं उनके अनुरूप कहां तक है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : कभी कभी माल डिब्बों के मिलने में कठिनाई होती है और इसलिए, वास्तव में माल डिब्बों के नियतन में कुछ असंतुलन हो सकता है लेकिन अब हम स्थिति में सुधार कर रहे हैं और आशा है कि कुछ महीनों में यह विलम्ब नहीं होगा ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच नहीं है कि बिहार के लिए ५,६२० माल डिब्बों की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले में २,९९७ माल डिब्बे इस आधार पर दिये गये हैं कि १९६१ में वास्तव में कितना कोयला लाया ले जाया गया, गोकि सरकार ने बता दिया था कि यह साल बहुत तंगी का साल था, और इसलिए बिहार सरकार के विरोध के बावजूद क्या यह सच नहीं है कि वह नियतन १९६१ के वर्ष के आधार पर निर्धारित किया गया था ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : बिहार को मालडिब्बे नियत करने के बारे में मुख्य प्रश्न महत्वपूर्ण है । मैं यह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि ५,००० माल डिब्बों की यह संख्या १९६१ में माल डिब्बों की वास्तविक संख्या पर आधारित है लेकिन जहां तक मुझे याद है वे आंकड़े वास्तविक नहीं थे और इसलिए उन्हें अधिक वास्तविक बनाने के लिए हमें माल डिब्बों की संख्या कम कर देनी पड़ी ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार कोयला क्षेत्रों में सहायक सड़कें (फीडर रोड्स) बनाने के बारे में सोच रही है और यदि हां, तो कार्यक्रम क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कोयला क्षेत्रों में सहायक सड़कें बनाने का कार्यक्रम है और सरकार उस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मुख्य प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में यह बताय गया है कि यह एक प्रोत्साहन है कि राज्य सरकार ने भंडार स्थापित करना मंजूर कर लिया है । क्या यह सच नहीं है कि भंडारों से यह कोयला सड़क परिवहन से ले जाया जायेगा जिसमेंअधिक मालभाड़ा पड़ेगा और तब वह उपभोक्ताओं के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जायगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : दुर्भाग्यवश, जब कोयला भंडारों से हटाया जाता है तब परिवहन की लागत अधिक पड़ जाती है । वर्तमान परिस्थितियों के अधीन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिखायी पड़ती और उपभोक्ता थोड़ी सी अधिक कीमत देने में नहीं हिचकिचाते ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने यह बताया था कि तीसरी योजना के अन्त तक देश के लिए आवश्यक सारा कोयला किसी न किसी प्रकार पहुंचाया जायगा और यदि हां तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह "किसी प्रकार" क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम अभी तीसरी योजना के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम सोचेंगे कि हमारे प्रयत्न सफल हुए हैं या नहीं ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह सच है कि उत्तर बिहार, इलाहाबाद और बनारस के लिए कोयला गंगा के किनारे उत्तर बिहार में किसी जगह इकट्ठा रखा जायगा और यदि हां, तो क्या सरकार ने यह निश्चित कर लिया है कि इलाहाबाद तक नदी में जहाज चलाये जा सकते हैं और यदि नहीं, तो नदी को जहाज चलने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार ने अभी तक योजना की मंजूरी नहीं दी यद्यपि काफी आरम्भिक तैयारियां कर ली गयी हैं । जहां तक जानकारी प्राप्त है, नदी में इलाहबाद तक जहाज चलाये जा सकते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : अन्तिम अनुमान के आधार पर सरकार कोयले के यातायात के लिए माल डिब्बों की कमी दूर करने के लिए क्या विचार कर रही है जब कि ६,००० माल डिब्बों की आवश्यकता के मुकाबले में केवल ४,५०० माल डिब्बे उपलब्ध होते हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : रेलवे नियतन बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अभी हाल उसे कुछ बढ़ा दिया गया है । आशा है कि जो कार्यक्रम तैयार हो रहा है हम उसे कार्यान्वित कर लेंगे ।

श्री विश्राम प्रसाद : जब ट्रकें उत्तर प्रदेश से बिहार में कोयला लेने जाती हैं तो कलैक्टर की परमिशन लेने के बाद भी उन्हें सौ रुपये से ज्यादा देना पड़ता है । अगर ट्रकों को इस कोयले को ढोने में लगाया जाये तो आपको क्या कोई एतराज है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री के० दे० मालवीय : जरूर लगाया जाये ढोने में । हम तो चाहते है कि ट्रकों का इस्तेमाल हो, रेलों के अलावा और साथ ही साथ नदी का भी इस्तेमाल हो । ख्वाहिश हमारी जरूर है ।

जीविका-साधन जांच[1]

†*८२६. **श्री सोनावने** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों को शिक्षा की सुविधायें देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 'जीविका साधन जांच' लागू करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या 'जीविका साधन जांच' आरम्भ करने के लिये राज्यों को कोई आदेश दिये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े संगठनों ने 'जीविका साधन जांच' आरम्भ करने के खिलाफ नाराजी जाहिर की है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा बनाई गई अधिकांश समितियों ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि 'जीविका साधन जांच' अनुसूचित जातियों के हितों के लिये बहुत अहितकर है और सुझाव दिया है कि यह लागू न की जाय ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) एक मुख्य संगठन और कुछ स्थानीय संगठनों से अभ्यावेदन आये थे ।

(घ) ग्रामीण समुदाय के निशक्त वर्ग के कल्याण सम्बन्धी अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि 'जीविका साधन जांच' अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों पर लागू नहीं करनी चाहिये ।

†**श्री सोनावने** : किन राज्यों ने जीविका साधन लागू किया है और इसे लागू करने और अनुसूचित जातियों को ऐसे प्रमाण पत्र पेश करने की कठिनाई में डालने के क्या लाभ हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हम ने सब राज्य सरकारों से 'जीविका साधन जांच' लागू करने के लिये कहा है । लाभ स्पष्ट हैं । जो गुज़ारा कर सकते है उन्हें छात्रवृत्तियां नहीं लेनी चाहिये । छात्रवृत्तियां वास्तव में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिये हैं ।

†**श्री सोनावने** : क्या यह समझा जाय कि सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अनुसूचित जातियां इस 'जीविका साधन जांच' के आरम्भ करने से अन्य लोगों के आर्थिक स्तर पर पहुंच गई हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : में सारी अनुसूचित जाति के बारे में नहीं कहता किन्तु उनमें कुछ लोग होंगे जिनकी आय काफी है और जिन्हें छात्रवृत्तियां नहीं लेनी चाहियें ।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : अनुसूचित जातियों के कितने लोगों पर इस जांच का प्रभाव पड़ेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : लगभग १ प्रतिशत पर प्रभाव पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Means Test.

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : क्य छात्रवृत्तियां देते समय योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : योग्यता सम्बन्धी छात्रवृत्तियां भी हैं।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि मींज़ टैस्ट के लिए तहसील तहसील में, कलैक्टरेट कलैक्टरेट में आठ आठ बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और इतने चक्कर लगाने पर भी मींज़ टैस्ट मिलता नहीं है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस में कहीं पर भी कोई कठिनाई हो तो वहां की राज्य सरकार को आप इत्तिला दीजिये। अगर आप मुझे भी इत्तिला देंगे तो मैं भी जो कुछ हो सकेगा करूंगा।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : समिति ने किन मुख्य कारणों से अनुसूचित जातियों के लिए जीविक साधन जांच लागू करने की सिफारिश नहीं की ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझ पता नहीं कि किस समिति ने ऐसी सिफारिश की है।

†**श्री बसुमतारी** : अनुसूसूित जातियों के जीविका साधन जांच की क्या कसौटी निर्धारित की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अनुसूचित जातियों के ऐसे छात्रों को, जिनके माता-पिता की आय ६,००० रुपये वार्षिक से अधिक हो छात्रवृत्तियां नहीं दी जातीं।

मोटरों के पुर्जों का निर्माण

†*८२७. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटरों के पुर्जों का निर्माण करने के लिये कच्चे माल की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो कमी दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मोटरों के पुर्जों के लिए अधिकतर औजारों तथा मिश्रित इस्पात तथा अलोह-धातुओं की आवश्यकता होती है, जो आयात करने पड़ते हैं। सीमित उपलब्ध विदेशी मुद्रा से आवश्यकता पूर्ति करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस अभाव का कारण आयात कम करना है या कोई और कारण है?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : अभाव का कारण है समूचे रूप में विदेशी मुद्रा का अभाव।

†**श्री सुबोध हंसदा** : हमारे देश में मोटरों के इन पुर्जों के निर्माण के लिए कितनी फर्में इन स्वदेशीय कच्चे माल का प्रयोग कर रही हैं ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : आज कल लगभग १०० कारखाने हैं जिनमें साधारणतया सभी पुर्जे बनते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त**: क्या आयात होने वाले इस कच्चे सामान के स्थान पर किसी अन्य स्वदेशीय वस्तु के प्रयोग की परीक्षा की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : कच्चे सामान की आवश्यकता में औजार तथा मिश्रित इस्पात और अलोह धातु शामिल हैं । मेरा ख्याल है कि इनका स्थानापन्न नहीं पाया जा सकता । हां, देश में औजार तथा मिश्रित धातु और अलोह धातु का उत्पादन करने का प्रयास किया जा रहा है ।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या कच्चे सामान के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध है या कोई धातु आयात की जाती है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : कच्चे सामान या किसी धातु के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है । वास्तव में, अक्टूबर, १९६१ से मार्च, १९६२ तक के लिए १४६ लाख रु० का आवंटन किया गया है । अतः पूर्ण प्रतिबंध का प्रश्न ही नहीं है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि यह अभाव मोटरों के पुर्जों के लिए कच्चे सामान तक ही सीमित नहीं है परन्तु यह मोटरों और ट्रकों के लिए भी सामान का प्रश्न है ; यदि हां, तो क्या कुछ उत्पादकों ने उत्पादन कम करने के लिए यह तर्क अपनाया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देना नहीं चाहता क्योंकि वह सर्वथा भिन्न बात है । परन्तु में इस बात से सहमत हूं कि औजार और मिश्रित इस्पात तथा अलोह धातुयें केवल इसी कार्य के लिए नहीं अपितु अन्य कार्यों के लिए भी अपेक्षित है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या हम इस अवस्था में आ गये हैं कि अलोह धातुओं के अतिरिक्त कच्चे सामान से बने मोटरों के पुर्जों का निर्यात होता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

रूई की गांठ बांधने की पत्ती

†*८२८. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रूई की गांठें बांधने की पत्ती की कितनी आवश्यकता है ;

(ख) क्या सरकार रूई की गांठें बांधने की पत्ती का आयात करने के लिय अभी तक लाइसेंसों की मंजूरी देती है ; और

(ग) अपने देश की निर्यात फर्मों द्वारा रूई की गांठें बांधने की पत्ती बनाने के लिये सरकार क्या सहायता देती है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) वर्ष १९६५-६६ तक लगभग १२,००० टन की आवश्यकता निर्धारित की गई है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) स्वदेशीय साधनों से कच्चे सामान की उपलब्धि की व्यवस्था करके तथा संयंत्र, सामग्री, आदि के आयात का लाइसेन्स देकर सहायता दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में रूई की गांठ बांधने की पत्ती बनाने वाले कारखाने ने यह वस्तु बनाने की अनुमति मांगी थी और उन्हें इसका निर्माण करने को अपेक्षित अनुमति नहीं दी गई ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : निर्माण क्षमता पहिले ही पर्याप्त है । नये लाइसेन्स देते समय उसका ध्यान रखना होगा ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या सरकार को विदित है कि मैसर्स जे० के० स्टील कम्पनी को रूई की गांठें बांधने की पत्ती का निर्माण करने के लिए लाइसेन्स न देने से उनके कर्मचारी बड़ी संख्या में छंटनी कर दिये गये हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं यह नहीं कह सकता । रूई की गांठें बांधने की अधिकतर आवश्यकता बम्बई में होती है । अतः, वास्तव में इस वस्तु का निर्माण देश के किसी अन्य भाग की अपेक्षा उस क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी अनुपूरक प्रश्न इस रूप में नहीं पूछा जाना चाहिये जिससे यह प्रतीत हो कि किसी कम्पनी विशेष की ओर से सिफारिश की जा रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या हमारे देश में कपड़ा उद्योग की अन्य शाखाओं जैसे पटसन उद्योग के लिए गांठें बान्धने की पत्ती का निर्माण करने की विद्यमान क्षमता भी हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है या इसे बढ़ाने की आवश्यकता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इस प्रश्न का संबंध केवल रूई की गांठें बान्धने की पत्ती से है और उसके लिए काफी क्षमता है ।

घड़ियों का निर्माण

\+

*८३०. **श्री राम सेवक** :
श्री बै० ना० कुरील :
श्री तुला राम :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा अब तक कुल कितनी घड़ियां बेची गईं, और उससे कितना लाभ हुआ ;

(ख) इन घड़ियों में कितने प्रतिशत पुर्जे विदेशी हैं और कितने प्रतिशत देश के बने हुये हैं ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में फैक्टरी में घड़ियों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) अब तक लगभग १८,३०० घड़ियां बिक चुकी हैं । आयात किये गये पुर्जों से घड़ी बनाने का काम हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड भारतीय टेक्निसियनों और कारीगरों को प्रशिक्षण देने के अभ्यास के रूप

†मूल अंग्रेजी में

में करता है । अभी वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है । प्रशिक्षण काल में कोई लाभ नहीं किया जाता । उपलब्धि प्रशिक्षण कार्य की लागत में जमा हो जाती है ताकि प्रशिक्षण का व्यय कम हो जाये ।

(ख) आजकल सभी पुर्जों का आयात होता है । ५४ प्रतिशत स्वदेशीय पुर्जों से जनवरी, १९६३ में उत्पादन आरम्भ होगा ।

(ग) वर्ष १९६५–६६ में २,४०,००० घड़ियां प्रति वर्ष बनेंगी जिनमें लगभग ८४ प्रतिशत पुर्जे स्वदेशीय होंगे ।

श्री राम सेवक : मैं जानना चाहता हूं कि घड़ी बनाने में इस्तैमाल किये जाने वाले सभी पुर्जे देश में कब तक बनने लगेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया गया है ८४ परसेन्ट पुर्जे १९६५–६६ तक देश में बनने लगेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : सभी कब बनने लगेंगे, यह सवाल था ।

†**श्री प्र० चं० सेठी** : सभी के बारे में कहना बहुत कठिन है, परन्तु ८४ प्रतिशत संभव है ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : संभव है कि कुछ पुर्जों का यहां बनाना लाभदायक न हो । ऐसी स्थिति में हम उनका आयात कुछ समय तक जारी रख सकते हैं ।

श्री राम सेवक : मैं जानना चाहता हूं कि देश में प्रतिवर्ष कुल कितनी घड़ियों की खपत होती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा सवाल हो गया है ।

श्री प्र० चं० सेठी : बाहर से जो घड़ियां इम्पोर्ट की गयी हैं ....

अध्यक्ष महोदय : यह तो हमारी खपत के बारे में पूछते हैं ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री तुलशी दास जाधव : देश में बनने वाली घड़ियों की कीमत बाहर से आने वाली घड़ियों से ज्यादा है या कम, और अगर ज्यादा है तो क्या कम नहीं की जा सकती ?

श्री प्र० चं० सेठी : हिन्दुस्तान मैशीन टूल फैक्टरी में जो घड़ियां बनती हैं उनकी कीमत बाहर की घड़ियों से कम है, सिटीजन की कीमत ९४ रुपये, जनता की कीमत ९५ रुपए और सुजाता की कीमत १०५ रुपए है ।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : तीसरी योजना के अन्त में देश की अनुमानित मांग का कितना भाग इस कारखाने से पूरा होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हमारे पास वास्तविक आवश्यकता के आंकड़े नहीं हैं । यह इतनी आवश्यक वस्तु नहीं है कि हम इसके वास्तविक आंकड़ों का पता लगायें । दूसरी ओर, उपलब्ध सीमा तक और जहां तक मूल्य कम हो सके वहां तक मांग बढ़ेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े : मैं जानना चाहता हूं कि वाचेज के बारे में मध्य प्रदेश में स्माल स्केल इंडस्ट्री कहां कहां चल रही है । कस्तूरी ने इन्दौर में मास्टर इंडस्ट्री निर्माण की थी, उस मास्टर इंडस्ट्री की घड़ियां हिन्तुस्तान में किस तरह चल रहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल उन घड़ियों के ही बारे में है जो कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी में.बनती हैं ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : कुनूर में एक घड़ी कारखाना बनाने का प्रस्ताव था । उस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अलग प्रश्न होगा ।

श्री कछवाय: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि तस्करी से कितनी घड़ियां हर साल देश में आती हैं और गत ८ महीनों में ऐसे कितने मामले पकड़े गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल आप अगले सेशन में पूछियेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में बनी घड़ियां जन साधारण को उस समय तक उपलब्ध नहीं होतीं जब तक कि वे किसी संसत्सदस्य का पत्र प्राप्त न कर लें ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं नहीं जानता कि संसत्सदस्यों के पत्रों को स्वीकार किया जाता है या नहीं, परन्तु में यह तो जानता हूं कि संसत्सदस्यों के लिए घड़ियां निश्चित कर दी जाती हैं और उन्हें प्राप्त कर लेते हैं ।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय** : अभी ये घड़ियां आफिसर्स और पार्लियामेन्ट के मेम्बरों को मिलती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि साधारण जनता को ये घड़ियां कब तक मिलने लगेंगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: हमने अब तक पुर्जे जोड़ कर केवल १९,००० से कुछ अधिक घड़ियां बनाई हैं और अधिकारियों तथा संसत्सदस्यों को १८,००० घड़ियां बेची जा चुकी हैं ।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : क्या मांग में कोई वृद्धि हुई है और क्या खरीदारों ने घड़ियों के बारे में कोई भारी शिकायत की है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: दूसरी ओर मांग बढ़ रही है जिससे घड़ियों की लोकप्रियता का पता लगता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : घड़ियों की किस्म सर्वोच्च रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हमारी यही इच्छा है और हम उस किस्म को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे ।

†**श्री बसुमतारी** : एच० एम० टी० पुर्जे जोड़कर घड़ी बनाने की बजाये अपनी घड़ियां कब बनाने लगेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह बता चुके हैं । माननीय सदस्यों को अधिक सावधान रहना चाहिये ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या आवश्यकता की पूर्ति की कोई निश्चित उत्पादन योजना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : आंकड़े दिये गये हैं । अगले वर्ष जनवरी, १९६३ से दिसम्बर, १९६३ तक हम ५५,००० घड़ियां बनायेंगे । दूसरे वर्ष हम २,००,००० घड़ियां बनायेंगे । तीसरे वर्ष हम २,४०,००० बनायेंगे जिनमें ७२ प्रतिशत स्वदेशी पुर्जे होंगे । अगले वर्ष हम ३,६०,००० घड़ियां बनायेंगे ।

मोटर साइकिलों और स्कूटरों के मूल्य में कमी

+

†*८३१. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के मोटरगाड़ी निर्माताओं से मोटर साइकिलों और स्कूटरों के मूल्यों में कमी करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माता इससे सहमत हो गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) से (ग). १९ अगस्त, १९६२ को नई दिल्ली में मोटर उद्योग के साथ हुई बैठक में उद्योग को सुझाव दिया गया था कि वे स्कूटरों का मूल्य कम करें । सरकार चाहती है कि उद्योग संख्या और मूल्य की दृष्टि से अपना पूर्ण आधुनिकीकरण करे ताकि जनसाधारण को उचित मूल्य पर स्कूटर उपलब्ध हो सकें । सरकार इस बात पर और अन्य समस्याओं पर उद्योग से परामर्श कर रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सरकार के इस सुझाव की उद्योग में क्या प्रतिक्रिया हुई है कि मूल्य कम कर दिया जाये और क्या वे किसी सीमा तक सहमत हो गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : नहीं, श्रीमान् । कोई समझौता नहीं हुआ है । जैसा कि मैं कह चुका हूं इस मामले पर उद्योग से बातचीत आरम्भ की गई है और आशा है कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: क्या माननीय मन्त्री को विदित है कि स्वयं दिल्ली में स्कूटर चोरी से ३००० रु० के मूल्य पर बेचे जाते हैं ? यदि हां, तो स्कूटरों को जनसाधारण को ठीक मूल्य पर उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: स्कूटरों के बेचने के बारे में भी नियन्त्रण आदेश है । कोई भी व्यक्ति खरीदने के एक वर्ष बाद तक उस बेच नहीं सकता । परन्तु मुझे विश्वास है कि कुछ लोग उस आदेश का उल्लंघन कर सकते हैं और वह सर्वथा भिन्न बात है । अन्त में, समस्या केवल उस समय हल हो सकती है जबकि हम अधिक उत्पादन करें । दुर्भाग्यवश, हमें विदेशी पुर्जों की और कच्चे सामान की आवश्यकता है इनका निर्माण करने के लिये । अतः वर्तमान विदेशी मुद्रा स्थिति के प्रसंग में हम उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ हैं । वह तो सभी पुर्जे देश में बनाने पर बढ़ सकता है ।

†**श्री दाजी** : क्या सरकार को विदित है कि स्कूटरों के अधिक मूल्य के कारण उत्पादन जान बूझ रख कर कम किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: नहीं । उन्हें उत्पादन का कोई लक्ष्य दिया गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि वे लक्ष्य, बशर्ते कि उनके लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो, पूरे हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्राम प्रसाद:** जैसा कि माननीय मन्त्री ने कहा है मूल्य कम होगा और स्कूटर जनसाधारण को उपलब्ध होंगे, क्या मैं जान सकता हूं कि कमी के बाद मोटर साइकिलों और स्कूटरों का क्या मल्य होगा ?

†**श्री वि० सुब्रह्मण्यम:** मुझे खेद है कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता । केवल निश्चित कार्यवाही के होने पर ही हम निश्चित रूप से कह सकेंगे कि मूल्य क्या होगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या माननीय मन्त्री, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के इस कथन का ध्यान रख कर कि मूल्य में काफी कमी हो सकती है, सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि स्कूटर विक्रेताओं को आजकल कितना लाभ होता है ?

†**श्री वि० सुब्रह्मण्यम:** हमने इसकी जांच की है । वास्तव में, लागत लेखापाल निर्माण लागत की जांच करते हैं । इसमें अधिक गुंजाइश नहीं है । फिर भी, मैं इससे सहमत हूं कि कारखाने से स्कूटर के बाहर होने पर, वह अधिक मूल्य पर बिकता है । परन्तु यह सर्वथा भिन्न बात है । इस रूप में जहां तक निर्माता का सम्बन्ध है, निर्माता के विक्रय-मूल्य और उत्पादन लागत में अधिक अन्तर नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय मन्त्री कहते हैं कि निर्माता को अधिक लाभ नहीं होता और वह नहीं कह सकते कि मूल्य कितना होना चाहिये, जबकि बिना विभाग के मन्त्री ने निश्चित रूप से कहा था कि मूल्य निश्चित ही घटा कर १५०० रु० कर देना चाहिये और यदि यह नहीं किया जाता है तो वितरण या निर्माण सरकार स्वयं करेगी । क्या दोनों कथनों में कोई तालमेल है । १५०० रु० का अनुमान लगाने का क्या आधार है ? माननीय मन्त्री भिन्न बात कहते हैं ।

†**श्री वि० सुब्रह्मण्यम :** पूर्ण समन्वय है क्योंकि यदि आपको मूल्य कम करके १५०० रु० करना है तो उत्पादन बढ़ाना होगा । इसकी जांच करनी होगी । इसी आधार पर मूल्य कम किया जा सकता है । आजकल अनेक कारखाने थोड़ी संख्या में निर्माण कर रहे हैं और इसी कारण अब उन्हें मिलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि एक यूनिट में बने स्कूटरों की संख्या बढ़ जाये और मूल्य कम हो जाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय विभागतिरिक्त मन्त्री वर्तमान निर्माताओं को वर्तमान मूल्य के लिये दोषी बताते हैं । वह कहते हैं कि यदि इसे कम नहीं किया जाता तो, उनका निर्माण सरकारी क्षेत्र में होगा । यदि इसका निर्माण सरकारी क्षेत्र में होता है, तो निश्चय ही इसका अर्थ है कि वर्तमान निर्माता यह कार्य उचित ढंग से नहीं कर रहे हैं । वह दोनों कथनों को कैसे मिलाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह आकस्मिक कथन था..... **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि आप इसका उत्तर देने के लिये बिना विभाग के मन्त्री से कहें..... **(अन्तर्बाधा)** ? वह पीछे छिपे बैठे हैं ..... **(अन्तर्बाधा)** । आप उनसे उत्तर देने को कह सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । मैं किसी से उत्तर देने के लिये नहीं कह सकता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** बिना विभाग के मन्त्री यहां हैं ।

†**श्री वि० सुब्रह्मण्यम :** यहां अब मैं उत्तर दे रहा हूं । **(अन्तर्बाधा)** ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । यह तर्क इस प्रकार नहीं होना चाहिये । उन्होंने प्रश्न किया है । मन्त्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने उसका क्षमतानुसार उत्तर दे दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** बिना विभाग के मन्त्री यही हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं मन्त्री महोदय से अन्य मन्त्री के उत्तर देने के बाद नहीं कह सकता । यदि वह स्वेच्छा प्रकट करें तो मैं समय दे सकता हूं । यदि वह चुप रहें, तो मैं उनसे कैसे कह सकता हूं जबकि दूसरे मन्त्री उत्तर देना चाहते हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** इसका ध्यान रख कर कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र में मोटरकार का निर्माण करना अभी छोड़ दिया है, मोटरकारों तथा मोटर साइकिलों का मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि ये उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में तो अनेक वर्षों से हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें स्कूटरों से मोटर साइकिल पर नहीं जाना चाहिये ।

†**श्री कृ० चं० पन्त :** क्या मैं समझूं कि सरकार मूल्य में कमी करने के बारे में पैमाने की अर्थ-व्यवस्था को जान बूझ कर प्रोत्साहन दे रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हां । यही इच्छा है । ऐसे अनेक उपक्रम हैं जो ३००० और ४००० बनाते हैं । यह लाभप्रद नहीं है । 'कम्बाइन्स' बनने होंगे ? यदि वह सम्भव नहीं है, तो 'कम्बाइन्स' कैसे बनाये जायें, यह बात बिना विभाग के मन्त्री ने बताई थी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** स्कूटरों के निर्माण के लिये पूंजीगत सामान के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा देने और इस प्रकार मूल्य कम करने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** उपलब्ध विदेशी मुद्रा में से इस उद्योग को भी दी जाती है ।

काश्मीर की स्थिति

\+

*८३२. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर के सम्बन्ध में भारतीय संविधान की धारा ३७० के निराकरण के बारे में एक शिष्टमण्डल उनसे तथा प्रधान मन्त्री से मिला था ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस शिष्टमण्डल ने राष्ट्रपति को भी एक ज्ञापन दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो शिष्ट-मंडल यहां आया था और प्रधान मंत्री जी, राष्ट्रपति जी और गृह मंत्री जी से मिला था, उस ने जो ज्ञापन दिया था, उस की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): मुख्य बातें ब्योरे में तो उन्हों ने बताई नहीं । उन्हों ने एक मेमोरेंडम सा लिख कर दिया है, लेकिन उन का ख़ास कहना यही था कि आर्टिकल ३७० नहीं रहना चाहिये और काश्मीर और भारत का पूरा मेल या इन्टेग्रेशन होना चाहिये ।

श्र प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि काश्मीर राज्य में विधान सभा बनने के पश्चात् जब काश्मीर राज्य के मुख्य मंत्री और भारत के प्रधान मंत्री ने भी कई बार इस प्रकार के

---

†मूल अंग्रेजी में

वक्तव्य दिये हैं कि वहां की जनता का मत लिया जा चुका है और काश्मीर भारत का अंग हो चुका है तो ऐसी स्थिति में काश्मीर राज्य की विशेष स्थिति फिर रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : प्रश्न साफ़ तो नहीं हुआ, लेकिन अगर माननीय सदस्य की मंशा यह जानने की है कि क्यों काश्मीर की विशेष स्थिति रखी जाती है या मानी जाती है, तो उस का कारण तो माननीय सदस्य को भी स्पष्ट होना चाहिये, जोकि यह है कि अभी काश्मीर की स्थिति में और दूसरे राज्यों की स्थिति में काफ़ी अन्तर है। इस समय भी काश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है और साथ ही अभी बार्डर्ज़ पर, सरहद पर, झगड़े और विस्फोट होते रहते हैं। मैं समझता हूं कि इस सारी स्थिति में काश्मीर को एक स्पेशल, एक विशेष, अवस्था में मानना ठीक ही है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दूसरा था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का सवाल तो यह था कि बहुत से बयानात दिये जाते हैं कि काश्मीर में जो लोकमत लेना था वह लिया जा चुका है और वहां के लोगों ने यह फ़ैसला कर दिया है कि वे हिन्दुस्तान का हिस्सा है, तो फिर अब काश्मीर को अलैहदा क्यों रखा जा रहा है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह सही है कि यह जो बयान दिया जाता है, वह बिल्कुल ठीक है कि काश्मीर और भारत एक हैं और उन में कोई अन्तर नहीं है ।

जब कांस्टीट्यूशन (संविधान) बना था, तब भी उस में यह बात कही गई, लेकिन संविधान ने ही इस बात का अख्तियार दिया है कि काश्मीर की कुछ स्पेशल पोज़ीशन, कुछ विशेषता, मानी जाये । उस संविधान के अनुसार हम को आगे चलना है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** यदि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाने में कोई संवैधानिक या वैधानिक कठिनाई है, तो क्या उसे दूर करने के लिये और उसे भी भारत संघ के अन्य राज्यों के समान बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार कहती है कि अभी इसे कुछ मामलों में पृथक इकाई रहना चाहिये। अतः वे कार्यवाही क्यों करें जबकि वे अभी ऐसा चाहते ही नहीं हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** कठिनाई दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** संवैधानिक कठिनाई कोई नहीं है। संविधान है और हमें उस के उपबन्धों के अनुसार कार्य करना चाहिये। आशा है कि माननीय सदस्य जानते हैं कि समन्वय का यह कार्य पिछले अनेक वर्षों से हो रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** हम इस की भरसक प्रशंसा करते हैं कि उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और अखिल भारतीय सेवाओं का क्षेत्राधिकार बढ़ा कर काफी आधार प्राप्त कर लिया गया है लेकिन हम अनिश्चित मामलों की स्थिति जानना चाहते हैं, जैसे संसत्सदस्यों के सीधे निर्वाचन का मामला और सदर-ए-रियासत की नियुक्ति का मामला । इन महत्वपूर्ण समस्याओं पर काश्मीर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर भारत सरकार के क्या विचार हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जहां तक लोक-सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का संबंध है, सभा को विदित है कि बहुत हाल में ही बख्शी गुलाम मुहम्मद ने घोषणा की थी या कहा था कि अब से लोक-सभा के लिए सीधे निर्वाचन होंगे ; और मैं ने भी इस बारे में उन्हें लिखा था। फिर, हाल में जब वह यहां आये थे, इस का पूर्ण समर्थन किया और कहा कि ऐसा हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य बातों के बारे में, अर्थात् सदर-ए रियासत के निर्वाचन के बारे में हमें जम्मू तथा काश्मीर सरकार से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री त्यागी** : क्या कठिनाई नीति संबंधी है या संवैधानिक? यदि वह संवैधानिक कठिनाई है, तो हम उसे दूर कर सकते हैं क्योंकि हाल में हम ने भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या जम्मू तथा काश्मीर की यह स्थिति स्थायी है या केवल अस्थायी हैं जैसाकि माननीय मंत्री समझते हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : संवैधानिक कठिनाई कोई नहीं है । परन्तु कहा जाता है कि हम समन्वय के लिये जम्मू तथा काश्मीर सरकार के परामर्श तथा अनुमति से विभिन्न कार्यवाही करेंगे । यह स्थिति विद्यमान है और हम यह कार्य धीरे धीरे कर रहे हैं । अन्त में, और स्वाभाविक है कि हम से प्रत्येक चाहता है कि काश्मीर तथा भारत का पूर्ण समन्वय हो ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : ८ जून को मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय गृह-कार्य मंत्री ने इसी बारे में कहा था कि :

"....मैं ने स्वयं बख्शी गुलाम मुहम्मद को लिखा है और सुझाव दिया है कि उन के कथन के अनुसार में आशा करता हूं ....." ।

...उन्हों ने आशा प्रदर्शित की·

"....वह हमें सरकारी रूप में लिखेंगे ताकि हम संविधान में संशोधन कर सकेंगे ।" तीन मास बीत गये । क्या बख्शी गुलाम मुहम्मद ने उस पत्र का उत्तर दे दिया है और क्या माननीय मंत्री का ध्यान बख्शी गुलाम मुहम्मद के हाल के कथित इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि 'अनुच्छेद ३७० को हटा दो ; मैं चिन्ता नहीं करता ; हम परवाह नहीं करते ? या इसी प्रकार की कोई बात कही गई है, और यदि हां, तो क्या यह दस वर्ष पहिले के शेख अब्दुल्ला के रवैये की याद नहीं दिलाती ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री प्रश्न के जिस भाग का उत्तर देना चाहें दे दें, आक्षेपों, आदि को छोड़ दें ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आक्षेप कोई नहीं है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे खेद है कि श्री कामत ने कुछ व्यक्तियों के नाम लिये हैं.

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वे सुविख्यात व्यक्ति हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** :....या किसी प्रकार का लांछन लगाया है । जहां तक मुझे विदित है, बख्शी गुलाम मुहम्मद साहेब इस प्रस्ताव से पहिले ही सहमत हो गये हैं, अर्थात् लोक सभा के लिये सीधे निर्वाचन के प्रस्ताव से । आशा है कि शीघ्र ही हमें उन से कोई सूचना मिलेगी । मैं सभा से निवेदन करता हूं कि यदि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर कोई मतभेद उठायें तो यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि उन्हों ने ऐसा कहा था, जिस का समाचार प्रेस में छपा और क्या उन का ध्यान उस ओर आकर्षित किया गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वह कथन प्रतिनिधित्व के बारे में था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा खयाल है कि उन्हों ने हाल में जोश में कहा था : अनुच्छेद ३७० को हटा दो, मैं परवाह नहीं करता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : इस प्रश्न में उल्लिखित प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य कौन थे ? वे किस के प्रतिनिधि थे और वे राज्य के किस भाग के थे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : श्री सर्राफ अधिक जानते हैं । जो सज्जन मेरे पास आये वह काफी वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, श्री डोगरा । मेरा विचार है कि मैं नहीं जानता कि उन की अवस्था ७४ या ७६ या ८० वर्ष आदि है । अतः मैं ने उन से कहा था--और वह मेरे पास कुछ युवकों के साथ आये थे, मैं नहीं जानता कि वे किस पार्टी के थे--कि उन का स्थान हम जैसे वयोवृद्ध व्यक्तियों के साथ है, उन युवकों के साथ नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

विद्यार्थियों से अप्राधिकृत फीस की वसूली

+

†*८३३. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री वाडीवा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान २१ अगस्त, १९६२ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "स्टूडेंट्स चार्ज्ड अन-आथाराइज्ड फीस" (विद्यार्थियों से अप्राधिकृत फीस वसूल की गई) शीर्षक के अन्तर्गत छपे एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस खबर पर विचार किया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) जहां तक कालिजों का सम्बन्ध है, यह मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के क्षमता में है ।

कुछ स्कूलों के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं और इन की दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है । यदि आरोप सही पाये गये तो मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या यह सच नहीं है कि अनधिकृत रूप से फीस वसूल करने की यह कुप्रथा इस कारण है कि राजधानी में स्कूलों और कालिजों की बहुत कमी है और विद्यार्थीगण प्रवेश के समय दबाव में आ कर यह फीस देना स्वीकार कर लेते हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : चाहे कारण जो भी हों, स्कूलों और कालिजों को सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों को मनना पड़ता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : विभिन्न राज्यों से प्राप्त शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कथित संस्थाओं के नाम सहाय्य-अनुदान की सूची में से निकालने योग्य हैं ।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्योंकि अनधिकृत रूप से फीस लेना अवैध है और सरकारी आदेशों के विरुद्ध है, क्या मैं जान सकता हुं कि क्या इस प्रकार एकत्र किया गया धन संस्था की निधि में जमा करा दिया जाता है अथवा वह अध्यापकों तथा प्रबंध कारिणी समिति के सदस्यों की जेब में जाता है?

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय के लिये इस का उत्तर देना कठिन है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** फीस उन अधिकारियों के पास जाती है जो वह एकत्र करते हैं ।

गोहाटी में तेल शोधक कारखाना

†*८३४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी तेल शोधक कारखाने में काम कर रहे रूमानिया के विशषज्ञों को हटाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर एसे कितने विशेषज्ञ हैं ; और

(ग) उन को कब हटाया जायगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस समय ४१ विशेषज्ञ ।

(ग) धीरे धीरे वर्ष १९६३ के मध्य तक ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** रूमानिया के विशेषज्ञों ने अब तक कितने भारतीयों को प्रशिक्षित किया है और क्या यह समझा जाता है कि वे इनकी सहायता के बिना संतोषजनक रूप में संयंत्र चला सकेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** प्रशिक्षित किये गये भारतीयों की ठीक संख्या यहां पर नहीं है परन्तु हम ने यह सब उपाय कर लिय हैं कि वर्ष १९६३ के मध्य अथवा अन्त तक, जबकि केवल आधा दर्जन रूमानिया विशेषज्ञ रह जायेंग, बाकी काम भारतीय संतोषजनक रूप से संभाल लेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रूमानिया के विशेषज्ञों के अतिरिक्त गोहाटी के तेल शोधक कारखाने में अन्य राष्ट्रजन भी काम कर रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जहां तक तेल शोधक कारखाने के चलाने का सम्बन्ध है, मुझे इस का पता नहीं है, हमारी सहायता के लिये वहां रूमानिया के विशेषज्ञ हैं ।

'बैंक आफ गोआ'

†*८३५. **डा० कोलाको :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक को "बैंक आफ गोआ' स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि अभी तक भारतीय बैंकिंग नियम गोआ, दमन और दीव में लागू नहीं किये गये हैं, रक्षित बैंक इस क्षेत्र में किसी नये बैंक को लाइसेंस नहीं दे सकता । प्रस्तावित नये बैंक के प्रस्तावकों को यह स्थिति बता दी गई है ।

†**डा० कोलाको** : क्या सरकार शीघ्र ही इन क्षेत्रों में बैंकिंग नियम लागू करने के बारे में विचार करेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सामान्य रूप से इन को और अन्य केन्द्रीय अधिनियमों को लागू करने का प्रस्ताव है । यह नियम संविधान की धारा २४० के अन्तर्गत विनियम के जरिये वहां लागू होता है ।

प्रश्न संख्या ८३६ के बारे में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमन्, यदि श्री याज्ञिक सहमत हों, तो लोक-हित में प्रश्न संख्या ८३६ को लिया जाये ।

†**श्री याज्ञिक** : मुझ कोई आपत्ति नहीं है ।

आटो रिक्शा

†*८३६. **श्री याज्ञिक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटरों के पुनः विक्रय पर लगाये गये प्रतिबन्ध की आति ऑटो रिक्शाओं की एक वर्ष अथवा इस से अधिक समय के भीतर पुनः बिक्री पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या सरकार जानती है कि आटो रिक्शा के क्रय और विक्रय में बहुत चोर बाजारी चल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आटो रिक्शा की बिक्री में चोर बाज़ारी रोकने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार को आटो-रिक्शा की बिक्री की चोर-बाजारी के किसी मामले का पता नहीं चला है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री याज्ञिक** : क्या मैं जान सकता हूं कि स्कूटरों की तरह आटो-रिक्शा की बिक्री पर भी एक वर्ष वाला प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : सामान्यतः इस प्रतिबन्ध में वाणिज्यिक मोटरगाड़ियां शामिल नहीं हैं । परन्तु अब यह अभ्यावदन किया गया है कि वाणिज्यिक मोटरगाड़ियां भी इस में शामिल की जायें । मामला विचाराधीन है।

†**श्री याज्ञिक** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद में और अन्य स्थानों पर आटो-रिक्शा बहुत थोड़ समय के भीतर ड्योढ़े और दुगुने दामों पर बेच दिये जाते

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं और वहां निरन्तर हस्तान्तरण होता है जिसके परिणामस्वरूप आटो-रिक्शा डीलर और कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि उन्हें अधिक किराया देना पड़ता है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस सूचना के लिये मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद करता हूं । मैं इस पर विचार करूंगा ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कई सहकारी समितियों को अपने अंशधारियों को बेचने के लिये पर्याप्त संख्या में आटो-रिक्शा नहीं दिये जा रहे हैं और क्या उन के लिये कोई कोटा निर्धारित किया गया है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं ने बताया कि इन पहियों वाली गाड़ियों की बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं है । हम नियंत्रण करने के बारे में विचार कर रहे हैं । अतः कोटे का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

भारत-चीनी मैत्री संस्था[1]

†*८३७. श्री हरि विष्णु कामत : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन मैत्री संस्था अब भी नई-दिल्ली, दिल्ली अथवा देश के किसी अन्य भाग में विद्यमान है ;

(ख) क्या इस को किसी रूप में सरकार की सहायता अथवा संरक्षण मिलता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) संस्था पिछले कुछ वर्षों से चालू है परन्तु बाद में इस की गतिविधियां निष्क्रिय हो गई हैं ।

(ख) और (ग). वर्ष १९६० से इस संस्था को सरकार से वित्तीय सहायता देना बन्द कर दिया गया है ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इसकी स्थापना के कुछ वर्ष बाद भारत-चीन मैत्री संस्था को नियमित रूप से सरकारी अनुदान मिलता रहा । और यदि हां, तो इसको कितने वर्षों तक यह अनुदान मिला और प्रति वर्ष अनुदान की क्या राशि है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : वर्ष १९५५-५६ और १९५६-५७ में सरकार ने ५००० रुपये की धनराशि मंजूर की । वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में ४,००० रुपये की धनराशि मंजूर की गई ।

†श्री हरि विष्णु कामत : जब हमारे सैनिक हिमालयाई सीमान्त में चीनी गोलियों का मुकाबला कर रहे थे, तो क्या उस समय संघ के किसी मंत्री अथवा शासनाधीन दल के किसी प्रमुख सदस्य का भारत-चीन मैत्री संस्था से सम्बन्ध था ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक कार्यकर्ताओं का सम्बन्ध है, उन में एक या दो कांग्रसी सदस्य हैं ।

†श्री हरि विष्णु कामत : उन के नाम क्या हैं ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : श्रीमती उमा नेहरू, चौधरी ब्रह्म प्रकाश । अन्य सदस्य डा० ताराचन्द, श्री बी० नन्दी आदि हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]India China Friendship Association

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मंत्री कोई नहीं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** कार्यकर्ताओं के रूप में ? कोई मंत्री नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** सदस्य ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मेरे पास सूची नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । कुछ प्रश्न पूछने के लिये वह अनुमति मांगते हैं और फुछ के लिये नहीं ।

†**एक माननीय सदस्य :** वह उन की आदत है ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस संस्था का मुख्य नारा 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' है और अब वह नारा नहीं है क्योंकि हिन्दीचीनी भाई-भाई हड़प जाना चाहते हैं, अब यह संस्था किस आधार पर चल रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अब यह नहीं चल रही है ।—

†**श्री हेम बरुआ :** यह चल रही है गृह-कार्य मंत्री जी ने बताया कि यह निष्क्रिय रूप से चल रही हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैंने केवल यह कहा है कि बाद में इस की गतिविधि निष्क्रिय हो गई । मैंने यह नहीं कहा कि यह निष्क्रिय रूप से चल रही है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह निष्क्रिय है या म्रियमाण ?

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार का घोषित उद्देश्य चीन के साथ मैत्री द्वारा सीमा विवाद तय किया जाये, क्या यह उपयुक्त समय नहीं है कि इस संस्था की गतिविधियां बढाई जायें ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** वह यह परामर्श संस्था को दें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खनिज संसाधनों संबंधी जानकार लोग

†*८२१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की खनिज सम्पत्ति के विकास और उपयोग के लिये खनिज संसाधनों और जानकार लोगों के आदान प्रदान के लिये विदेशों के साथ दीर्घकालीन व्यवस्था की कोई योजना है;

(ख) किन किन देशों के साथ ऐसी बातचीत चल रही है और वह योजना किस प्रकार की है; और

(ग) क्या इस योजना में विदेशों को खनिज पदार्थों के निर्यात की भी कोई व्यवस्था है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० डे० मालवीय)** : (क) ऐसी किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाना

†*८२९. **श्री अ० प्र० जैन :**
श्री धवन :
श्री बेरवा कोटा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों को दिल्ली के घने क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों में ले जाने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है; और

(ग) कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम की इस समय क्या स्थिति है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां

(ख) और (ग). इस बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

†*८३८. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में मकान मालिकों तथा किरायेदारों की यह मांग बढ़ रही है कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९४८ का पुनरीक्षण किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हाल ही में किरायेदारों और मकान मालिकों की ओर से दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ में कुछ संशोधनों की प्रस्तावना के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ अधिनियमित किये जाने से पूर्व दिल्ली में मकानमालिकों और किरायेदारों के बीच सम्बन्धों पर दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५२ के अनुसार कार्यवाही की जाती थी । सरकार को इस अधिनियम के विरुद्ध किरायेदारों और मकानमालिकों दोनों से कई शिकायतें और याचिकायें प्राप्त हुयीं । दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ बनाने से पूर्व सारे मामले की अच्छी तरह जांच करनी थी । इस अधिनियम की योजना इसलिये तैयार की गयी कि किरायेदारों को निष्कासन और मकान-मालिकों द्वारा तंग किये जाने से उचित संरक्षण मिले और मकानमालिक भी अपने वर्तमान मकानों को उचित ढंग से रख सकें और भविष्य में नये मकान बना सकें । इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नूनमती तेल शोधक कारखाना

†*८३९. **श्री रा० बरुआ :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमती शोधक कारखाने के पाइपों से तेल रिसने के कारण दबाव कम हो गया है;

(ख) काम के शुरू होने के इतने शीघ्र बाद ही पाइपों से तेल रिसने के बारे में सरकार का क्या कहना है;

(ग) तेल के रिसने को रोकने, खराब पाइपों के स्थान पर नये पाइप लगाने तथा दबाव को निर्धारित स्तर तक लाने में कितना समय लगेगा; और

(घ) खराबी तथा अशोधित तेल के कम संभरण के कारण अनुमानतः कितना नुकसान हुआ है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रुपये तथा नये पैसे के सिक्कों का गलाया जाना

†*८४०. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती गायित्री देवी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त देश में रुपये तथा एक नये पैसे के सिक्के बड़ी मात्रा में गलाये जा रहे हैं और इसके परिणामस्वरुप रुपये और छोटी रेजगारी की देहाती इलाकों में बहुत कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). जो कुछ स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में छपा है, सरकार को इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है । चल रहे सिक्के उन लोगों की, जिनके पास ये हैं, निजी सम्पत्ति हैं और सिक्कों को गलाना और उनसे धातु निकालना अपराध नहीं है । अतः सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करेगी ।

पत्रों का हिन्दी में भेजा जाना

†*८४१. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर :**
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री मनमोहन :
श्री राजाराम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने एक आदेश संख्या १२।५०।६०--ओ० एल, दिनांक ३० जुलाई, १९६२ जारी किया है जिसमें निदेश दिये गये हैं कि दिल्ली और

†मूल अंग्रेजी में

अन्य हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र केवल हिन्दी में ही हों;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश के किस किस तिथि से लागू होने की आशा है; और

(ग) क्या यह आदेश गैर सरकारी पत्रों पर भी लागू होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं कि दिल्ली और अन्य हिन्दी-भाषी क्षेत्रों को आने वाले पत्र केवल हिन्दी में ही लिखे जायें। दिल्ली और अन्य हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के स्थानीय कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पता लिखने के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक ३० जुलाई, १९६२ के कार्यालय ज्ञापन संख्या १२/५०/६२—ओ० एल० की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

कार्यालय ज्ञापन

संख्या १२।५०।६२—ओ० एल०

भारत सरकार

गृह-कार्य मंत्रालय

३० जुलाई, १९६२

नई दिल्ली–११

८ श्रावण, १८८४ (शक)

विषय : भारत सरकार के कार्य में हिन्दी का प्रयोग—स्थानीय कार्यालयों और व्यक्तियों और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पता लिखने में हिन्दी का प्रयोग।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निदेश मिला है कि इस मंत्रालय में एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि दिल्ली और अन्य हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे जायें क्योंकि इससे उन क्षेत्रों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को शीघ्र पत्र पहुंचाने में सहायता मिलेगी और इससे कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिये पर्याप्त अवसर मिलेगा। भारत सरकार के अधिकांश मंत्रालय आदि, जिनके विचार २४ मई, १९६२ को इसी पत्र संख्या के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा मांगे गये थे, को इस सुझाव को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार यह प्रार्थना की जाती है कि वित्त मंत्रालय आदि यथासंभव इस सुझाव को क्रियान्वित करें।

ह० बी० एस० राघवन

भारत सरकार के उप-सचिव

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय आदि।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

लद्दाख को संसद्-सदस्यों का शिष्ट मंडल

***८४२. श्री बागड़ी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लद्दाख की परिस्थिति को देखने के लिये लोक-सभा के सदस्यों को कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

शिष्टमंडल लद्दाख भेजने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). अवकाशकाल में, सरकार ने कुछ संसद्-सदस्यों के लेह जाने के प्रति पग उठाये हैं। श्रीनगर से लेह की यात्रा के लिए, इस दल को विमान सेना का एक विमान ले जायेगा।

एवरो-७४८

†*८४३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एवरो–७४८ परिवहन विमानों के निर्माण के लिये भारत सरकार और ब्रिटिश एयर फ्लाइ डिजाइनर, 'दि हाकर सिडले एविएशन ग्रुप' के बीच ठेका हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो ठेके की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). भारत में एवरो–७४८ विमान के निर्माण के लिये जुलाई, १९५९ में मेसर्ज होकर सिडली एवियेशन लिमिटेड, ब्रिटेन के साथ एक लाइसेंस करार किया गया है। हाल ही में होकर सिडली एवियेशन लिमिडेटेड के साथ कोई नया करार नहीं किया गया है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

*८४४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारे में संसद् द्वारा हाल में पारित किये गये अधिनियम के फलस्वरुप उक्त सम्मेलन की दशा सुधारने और व्यवस्था ठीक करने में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : हिन्दी साहित्य सम्मेलन कानून पास करने के बाद से भारत सरकार ने ये कार्रवाई की हैं :—

(१) तारीख २८ जून, १९६२ से कानून को लागू करने के लिए एक गजट-अधिसूचना जारी की गई है।

(२) एक और गजट अधिसूचना के जरिये पहला प्रबंध-मण्डल भी बना दिया गया है।

(३) पहले प्रबन्ध-मण्डल की बैठकें २८-६-६२ और ३०-८-६२ को हुईं।

इस कानून की वैधता के बारे में कुछ लोगों ने इलाहबाद उच्च न्यायालय में उजर पेश किया है।

तिहाड़ सैंट्रल जेल, दिल्ली में मृत्यु

†*८४५. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ जुलाई, १९६२ को तिहाड़ सैंट्रल जेल, दिल्ली में अमर नाथ

†मूल अंग्रेजी में

नाम के एक २६ वर्षीय व्यक्ति की, जो भारतीय दंड संहिता की धारा ३०७ के अधीन गिरफ्तार किया गया था, मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या इसको आत्महत्या का मामला बताया गया था ;

(ग) क्या उसके माता पिता को सूचित किये बिना ही उसका दाहकर्म कर दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी माता ने गृह-कार्य मंत्री को अभ्यावेदन भेजा है ;

(ङ) यदि हां, तो कोई जांच की गई है ; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख) : जी, हां । मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिये मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायी गयी और यह पता लगा कि श्री अमर नाथ ने अपनी धोती से गले में फन्दा डाल कर आत्महत्या कर ली ।

(ग) मृतक के दो पते थे एक दिल्ली में और एक अमृतसर में । ये दो पते उस पते से भिन्न थे, जो बाद में मृतक की माता ने अभ्यावेदन में दिया था । मृतक द्वारा दिये गये दिल्ली के पते पर मृतक के सम्बन्धियों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया गया परन्तु कोई सफलता नहीं मिली । अतः सेवा समिति नामक सामाजिक संगठन के जरिये लाश का दाह-संस्कार कराना आवश्यक समझा गया ।

(घ) जी, हां । मृतक की माता से ४ अगस्त, १९६२ को एक अभ्यावदन प्राप्त हुआ था ।

(ङ) और (च) मजिस्ट्रेट द्वारा जांच से यह निश्चित हो गया कि मृतक की आत्महत्या से मृत्यु हुई । अतः अग्रेतर जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

पुंच में पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना

†*८४६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री राम रतन गुप्त :
श्री अबदुल गनी गोनी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १८ अगस्त, १९६२ के समाचार पत्रों में प्रकशित इन समाचारों की ओर गया है कि पुंच क्षेत्र में भारतीय सीमा पुलिस चौकी पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा पिछले सात दिनों से लगातार हमले किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका विस्तृत विवरण जानने का यत्न किया है :

(ग) क्या इस संबंध में पाकिस्तान को भारत की ओर से कोई विरोध पत्र भी भेजे गये हैं ; और

(घ) उपरोक्त हमलों के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है तथा उसकी भी कोई जानकारी सरकार को मिली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख) : सरकार के सामने यह रिपोर्टें आई हैं। कुछ समय से, पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाएं, पोलिस और सशस्त्र असैनिक, इस क्षेत्र में युद्ध विराम सीमा के उस पार से हस्तक्षेप करते रहे हैं, उससे अधिक पिछले दो वर्षों में, और उस से भी अधिक पिछले कुछ महीनों में, और इस तरह वह अशासन और अशान्ति पैदा करते रहे हैं। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए, जम्मू-काश्मीर सरकार को बालकोट और तारकुण्डी स्थानों पर, जून १९६१ में पोलिस चौकियां स्थापित करनी पड़ी थीं। यह चौकियां इसलिये स्थापित की गई थीं, कि असैनिक पोलिस उस क्षेत्र में, अपने शासन और शांति स्थापित किए रखने के साधारण कर्त्तव्य पालन कर सके। तदपि जब से ये चौकियां स्थापित हुई हैं, उन पर पाकिस्तान के हस्तगत काश्मीर से लगातार गोली चलाई जाती है। कई अवसरों पर जम्मू काश्मीर की इन चौकियों को भी आत्मरक्षा में, उत्तर में गोली चलानी पड़ी है।

(ग) जी नहीं। पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम समझौते के उल्लंघन की शिकायत, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक प्रेक्षकों को कार्य प्रणाली के अनुसार कर दी गई है।

(घ) जी नहीं।

'स्वाधीनता' में छापा गया आपत्तिजनक कार्टून

†*८५७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५ अगस्त, १९६२ को एक बंगाली दैनिक 'स्वाधीनता' में छपे एक आपत्तिजनक कार्टून के मामले की अग्रेतर जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को परामर्श दिया गया है कि इस कार्टून पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अप्रतिबन्धित लाइसेंस

२३७२. **श्री रणंजय सिंह : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शस्त्रों के अप्रतिबंधित आजीवन लाइसेन्स किसे-किसे दिये जाते हैं और उनका आधार क्या है ;

(ख) अधिक से अधिक कितने शस्त्रों के लिए ; और

(ग) क्या ये लाइसेंस किसी राज्य विशेष में दिये जाते हैं या सारे भारत में ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) उन व्यक्तियों को, जो १९२४ के भारतीय शस्त्र नियमों की अनुसूची १ में मूलत: अनुबद्ध सारणी के अधीन अपने निजी शस्त्र बिना लाइसेन्स रखने के अधिकृत थे, अब उन्हें ऐसे शस्त्रों को बिना लाइसेन्स शुल्क के आजीवन रखने का अधिकार है, या उस समय तक, जब तक कि मूल छूट के अनुबन्धों के अधीन बिना लाइसेन्स के शस्त्र रखने के अधिकारी हों।

(ख) शस्त्रों की अधिकतम संख्या उतनी है, जितनी के लिए वे बिना लाइसेन्स के मूलत: रखने को अधिकृत थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऐसे लाइसेंस अधिकृत व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं चाहे वे भारत में कहीं रहते हों ।

शस्त्रों के लिए लाइसेंस

२३७३. **श्री रणंजय सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राइफ़लों, बन्दूकों तथा तमंचों के कौन-कौन से बोर ऐसे हैं जिनके लाइसेन्स सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को नहीं दिये जाते हैं ; और

(ख) क्या ४१० बोर अथवा किसी भी बोर की स्टिक गन के लाइसेन्स पर भारत के विभिन्न राज्यों में प्रतिबन्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) निषिद्ध श्रेणियां १९५१ के भारतीय शस्त्र नियमों के नियम में वर्णित हैं । यह निषेध भारतीय शस्त्र अधिनियम, १८७८ की धारा १ के अनुबंधों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) समस्त भारत में ।

सेना के अफसरों और कर्मचारियों में ऋण-ग्रस्तता

†२३७४. **श्री मानवेन्द्र शाह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्गवार ऋण ग्रस्तता के आरोप के कारण सेना के कितने अफसरों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है ;

(ख) कितने अफसरों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग चलाये गये थे ;

(ग) क्या सेना के अफसरों और कर्मचारियों की ऋण-ग्रस्तता के कारणों का कोई गहन अध्ययन किया गया है ; और

(घ) क्या इस आदत को रोकने के लिये कोई सक्रिय कार्रवाई की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) अपेक्षा सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं क्योंकि उन के ऋण के दाताओं द्वारा अपनी राशि वापिस लेने के मुकद्दमों का निपटारा असैनिक न्यायालयों द्वारा किया जाता है और सैनिक प्राधिकारियों को कुछ मामलों का तभी पता चलता है जब ऋणदाताओं को न्यायालय की डिग्री प्राप्त हो जाती है और वे डिग्रियों को लागू करने के लिये सरकार की सहायता चाहते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस मामले में समय समय पर हिदायतें दी गई हैं । सेना के कर्मचारियों को सेना के किसी व्यक्ति से धन उधार लेना या उधार देना मना है और इस नियम का कोई उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है । अफसरों को भी साहूकारों से धन उधार लेने के संबंध में चेतावनी दी जाती है । कमांड अफसरों को यह देखने के लिये उत्तरदायी बनाया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया है कि उनके अधीनस्थ अफसर अपनी कमाई के अन्तर्गत खर्च करें। जब कोई भारी भारी ऋण में फंसा होता है, तो कमांडिग अफसर उसके ऋण को धीरे धीरे चुकाने के लिये उस की अनुमति से इसके वित्तीय आय और व्यय पर नियंत्रण करता है। यदि अफसर उस नियंत्रण के लिए अपनी अनुमति नहीं देता या अपनी अनुमति देने के पश्चात् अग्रेतर ऋण लेता है, तो कमांडिग अफसर उस अफसर को नौकरी से निकालने के लिये कार्रवाई आरंभ करता है।

अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़ी श्रेणियां

†२३७५. **श्री राजा राम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के कितने अभ्यर्थी पिछले पांच वर्षों (१९५७ से १९६१ तक) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विविधि परीक्षाओं में बैठे थे ;

(ख) उक्त अवधि में मद्रास राज्य में विविध पदों पर नियुक्ति के लिये कितन अभ्यर्थी चुने गये ; और

(ग) उपरोक्त श्रेणियों के लिये कितने व्यक्ति इस समय आई० ए० एस० अफसर हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा।

कृष्णगिरी के भूतपूर्व सैनिक

†२३७६. **श्री राजा राम** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्य यह सत्य है कि मद्रास राज्य के सलेम जिला में कृष्णगिरि में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने भूतपूर्व सैनिकों को वहां भूमि दी गई है ;

(ग) उनको कितनी भूमि दी गई है ; और

(घ) क्या कृष्णगिरि में भूमि आवंटन की कोई अर्जी लम्बित है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) से (घ) भारत सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को कृष्णगिरि में बसाने के लिये कोई बस्ती बसाने की योजना नहीं बनाई है। तथापि इस मामले में यह जानने के लिये क्या उनकी इस क्षेत्र में कोई एसी योजना है, राज्य सरकारसे पूछा गया है और सूचना मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तामिल नाटक

†२३७७. **श्री राजा राम** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने १९६१–६२ में तामिल नाटक की उन्नति के लिय कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां तो इस अवधि में विविध संस्थाओं को इस काम के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) जी हां। इतने निम्न अनुदान दिये हैं :—

१. तमिल इसैपल्ली कोलाईफाजगम, देवकोट्टई . . . १,००० रुपये

२. मद्रास नाटक संघ, मद्रास . . . . . २०,००० रुपये

खेलों के लिये अनुदान

†२३७८. **श्री राजा राम** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसकी योजना अवधि में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने मद्रास सरकार को कितनी राशि का अनुदान दिया है ;

(ख) विविध योजनाओं पर वर्षवार खर्च की गई राशि का ब्योरा क्या है ; और

(ग) १९६२–६३ के लिये कितनी राशि का अनुदान मंजूर किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) २६८२५० रुपये।

(ख) राज्य सरकार ने २५४७५० रुपये का निम्न रूप से उपयोग किया :

वर्ष	योजना	राशि
१९५९–६०	खेल के मैदानों का अधिग्रहण . . .	७२,५०० रुपय
	खेलों के सामान की खरीद . . .	७,००० ,,
१९६०–६१	शटिंग रेंजों का निर्माण	१०,००० ,,
,,	खेल के मैदानों का अधिग्रहण . .	१,३७,००० ,,
,,	खेल के सामान की खरीद	८,००० ,,
,,	ग्रामीण क्षत्रों में खेलों को लोकप्रिय बनाना .	२०,२५० ,,

(ग) कुछ नहीं। खेलों के मैदानों के अधिग्रहण, खेलों के सामान की खरीद और ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को लोकप्रिय बनाने की योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्यों को दे दी गई है।

मद्रास में बच्चों के लिये दोपहर का भोजन

†२३७९. **श्री राजा राम** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में स्कूल के बच्चों को दोपहर के भोजन के लिये कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ; और

(ख) कितने स्कूलों में यह योजना लागू की गई है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने बच्चों को भोजन दिया जाता है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) मद्रास को, स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन देने के लिये १९६०–६१ और १९६१–६२ में दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि बताना सम्भव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सहायता योजनावार नहीं दी जाती अपितु शिक्षा के समूचे कार्यक्रम के लिये इकट्ठी दी जाती है।

(ख) १९६१–६२ में २७,२५६ प्रारम्भिक स्कूल।

(ग) १२६५०००।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में औषधि वाली जड़ी बूटियां

†२३८०. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वैज्ञानिक अणुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में तथा इर्द गिर्द के क्षत्र ; औषधि वाली जड़ी बूटियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसा सर्वेक्षण करने का विचार करती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) से (ग) जी नहीं किन्तु केन्द्रीय औषधियुक्त पौधों संगठन ने औषधि वाले और सुगन्धित पौधों की खेती के लिये उपयुक्त भूमि ढूंढने के लिये क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है । मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने तदनुसार उन पौधों की प्रयोगात्मक खेती का योजना पेश की है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहकारी मकान निर्माण संस्थाएं

†२३८१. **श्री उलाका :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ से १९६२ तक की अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये उड़ीसा में सहकारी मकान निर्माण संस्थाओं के लिये सरकार द्वारा कोई ऋण या अनुदान दिय गये है ;

(ख) यदि हां तो कितनी राशि वर्षवार दी गई है और यदि कोई शर्तें या निबन्धन लगाये गये है तो क्या ;

(ग) १९६२–६३ में कितनी राशि देने का विचार है ; और

(घ) पिछड़ी जातियों के लोगों को अपने निजी मकान या कुटीर बनाने में सहायता देने के लिये सरकार और किन उपायों का विचार करती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जाऐगा ।

अन्दमान द्वीपों को भेजे गये लेखापरीक्षण कर्मचारी

†२३८२. **श्री उलाका :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में कितने अराजपत्रित और राजपत्रित लेखापरीक्षण कर्मचारी अन्दमान द्वीपों को भजे गये थे ;

(ख) उनम से कितने कर्मचारी महालेखा परीक्षक उड़ीसा के दफ्तर के थे; और

(ग) उनको अतिरिक्त भत्ता किस दर पर दिया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भारत वर्ष से अन्दमान और निकोबार द्वीपों को भेजे गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष वेतन और अतिरिक्त भत्ते की मानक दरें ये है :

(१) **मकान किराया भत्ता** : यदि बिना किराया स्थान नहीं दिया जाता तो 'ख' श्रणी के नगरों में मिलने वाली दर पर ।

(२) **विशेष वेतन :**

(१) दक्षिण अन्दमान : मूल वेतन का ३३$^{1}/_{3}$ प्रतिशत वेतन, किन्तु ३०० रुपये मासिक से अधिक नहीं ।

(२) उत्तर और मध्य अन्दमान : मूल वेतन का ४० प्रतिशत किन्तु ३५० रुपये मासिक से अधिक नहीं ।

(३) **भारतीय लेखा परीक्षण और लेखापाल विभाग के डिवीजनल अकाउन्टेंटों को प्रतिकरात्मक भत्ता**—१०० रुपये मासिक ।

उड़ीसा में ग्राम्य संस्थाएं

†२३८३. **श्री उलाका** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ से १९६२ तक की अवधि में उड़ीसा में ग्राम्य संस्थाओं को कोई अनुदान दिय गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनमें प्रत्येक के लिये कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ग) १९६२–६३ में कितनी राशि देने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं । उड़ीसा में कोई ग्रामीण इंस्टीट्यूट नहीं है ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते ।

बिड़ला इंजीनियरिंग कालेज को सहायता

†२३८४. **श्री उलाका** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में उड़ीसा में बिड़ला इंजीनियरिंग कालेज को केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि का अनुदान मंजूर किया है ; और

(ख) १९६२–६३ के लिये कितना अनुदान मंजूर किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) उड़ीसा में बिड़ला इंजीनियरी कालेज नाम का कोई कालेज नहीं है ।

(ख) इंजीनियरी कालेज बुरला, उड़ीसा के लिये १९६१–६२ और १९६२–६३ में मंजूर अनुदान इस प्रकार हैं :—

	अनावर्तक	आवर्तक
१९६१–६२	१,५४,००० रुपये	१,८१,४०९ रु०
१९६२–६३	९१,००० रुपये	—

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में निर्वाचन परिणाम

†२३८५. श्री उलाका : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लोकसभा के हाल में करवाये गये निर्वाचनों में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मत डाले ; और

(ख) विभिन्न राजनीतिक दलों ने पृथक् पृथक् कितने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किये ?

†विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) : (क) लोक सभा के लिये तीसरे आम चुनावों में उड़ीसा से २५.८८ प्रतिशत मतदाताओं ने मत डाले ।

(ख) उड़ीसा में विविध राजनीतिक दलों को इस प्रकार मत मिले :—

कांग्रेस . .	५५.५२ प्रतिशत
गणतन्त्र परिषद् .	१७.४२ प्रतिशत
प्रजा समाजवादी दल .	१५.५० प्रतिशत
साम्यवादी दल .	५.११ प्रतिशत
समाजवादी दल .	२.६७ प्रतिशत
स्वतन्त्र पार्टी . . .	१.१६ प्रतिशत

निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†२३८६. श्री उलाका : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चालू वर्ष में राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्र की प्रतिक्रिया क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों का कल्याण

†२३८७. श्री उलाका : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के कल्याण के लिये राज्य और केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत १९५९–६० और १९६०–६१ में उड़ीसा सरकार को कोई राशि जो खर्च नहीं की गई थी, वापिस लौटा दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कुल राशि वर्षवार कितनी थी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय सहायता जिस का उपयोग किया गया, इस प्रकार है :

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	राज्य की योजनाएं		केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें	
	अनुसूचित जातियों का कल्याण	अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	अनुसूचित जातियों का कल्याण	अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण
१९५९–६० .	३.९६	..	१५.९५	०.४८
१९६०–६१ .	३.५९	०.८७	२९.०७	..
योग .	७.५५	०.८७	४५.०२	०.४८

विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा

२३८८. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध कालेजों में सामान्य शिक्षा प्रारम्भ करने पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह योजना किस रूप में तथा किस सीमा तक कार्यान्वित होने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

निम्नांकित विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं :—

अलीगढ़, आन्ध्र, बनारस, बड़ोदा, गुजरात, यादवपुर, कर्नाटक, केरल, मद्रास, मैसूर, उस्मानिया, पूना, राजस्थान रुड़की, महिलाओं का एस० एन० डी० टी०, श्री वेंकटेश्वर और विश्वभारती ।

इन विश्वविद्यालयों के अलावा, आगरा, भागलपुर, बम्बई, मराठवाड़ा, नागपुर, पंजाब, पटना, सागर, उत्कल और संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, विश्वविद्यालययों में भी इस योजना को आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

२. जिन विश्वविद्यालयों ने सामान्य शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिये हैं अथवा जो विश्व-विद्यालय निकट भविष्य में यह कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाले हैं, उन्हें निम्नांकित क्षेत्रों और क्रिया-कलापों के लिये तीसरी पंचवर्षीय वर्षीय आयोजना के दौरान सीमित वित्तीय सहायता दी जायगी :

१. वे विश्वविद्यालय जिन्होंने सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिए हैं :—

(क) पठन सामग्री एकत्रित, संपादित और साइक्लोस्टाइल करवाना अथवा छपवाना ;

(ख) अनुभवों के आदान-प्रदान, अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञों से मिलने, और परीक्षा तथा शिक्षण पद्धति (निर्धारण और परीक्षण) पर विचार-विमर्श करने के लिए सामान्य-शिक्षा शिक्षण में भाग लेने वाले संकाय सदस्यों के लिए एक सुयोग्य व्यक्ति की अध्यक्षता में सम्मेलन, सभाएं अथवा वाद-विवाद ;

(ग) छुट्टियों के दिनों में रचनालय-सत्र ;

(घ) पुस्तकालय में बढ़ोतरी, विशेषतया सामान्य रुचि की पुस्तकों द्वारा ;

(ङ) सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रयोग के लिये श्रव्य-दृश्य उपकरण (साधन) ;

(च) उत्कृष्ट विशेषज्ञों द्वारा अपने-अपने विषयों पर सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंग के रूप में भ्रमण करने वाले प्राध्यापकों द्वारा व्याख्यान ।

२. जहां सामान्य शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना विचाराधीन है :—

(क) जिन विश्वविद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं, वहां अभ्यास और क्रियाविधि के अध्ययन और सूचनार्थ सामान्य शिक्षा में रुचि रखने वाले संकाय सदस्यों द्वारा कम-अवधि के भ्रमण ;

(ख) दूसरे ऐसे विश्वविद्यालयों से, जहां अग्रिम स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये हैं, सामान्य शिक्षा के विशेषज्ञों द्वारा भ्रमण ;

(ग) (सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के लिए) एक ऐसी समिति का गठन, जिस की नियुक्ति उपयुक्त सामान्य शिक्षा का कार्यक्रम तैयार करने के लिये की जा सकती है । इस में पाठ्यक्रमों का मसौदा तैयार करना और पठन-सामग्री को चुनना भी शामिल है ;

(घ) उपर्युक्त (ग) के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा तैयार की गई योजनाओं पर वादविवाद करने, समीक्षा करने तथा सिफारिश करने के लिए प्रिंसिपलों और संकाय सदस्यों की बैठकें ।

३. तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक योजना किस सीमा तक कार्यान्वित की जा सकेगी, यह विश्वविद्यालयों के सहयोग पर निर्भर है ।

प्रादेशिक परिषदें

†२३८९. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में प्रादेशिक परिषदों के लिये तीसरे आम चुनावों में कितने मत दिये गये और कितने मत अवैध माने गये ;

(ख) मान्यता प्राप्त तथा अमान्यता-संचित राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक राजनीतिक दलों के तथा स्वतंत्र अभ्यर्थियों ने हाल के आम चुनावों में विविध प्रादेशिक परिषदों में पृथक् पृथक् कितने मत प्राप्त किये ;

(ग) कुल कितने स्वतंत्र प्रत्याशी थे तथा उन में से कितने सफल हुए और कितने अभ्यर्थियों की जमानतें जब्त हुईं ; और

(घ) विविध मान्यता-प्राप्त और मान्यता-वंचित राजनीतिक दलों ने प्रादेशिक परिषदों के लिये कितने कितने प्रत्याशी खड़े किये थे और उन में से कितने प्रत्याशी सफल रहे तथा कितने अभ्यर्थियों की जमानतें जब्त हुईं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शारीरिक शिक्षा

२३९०. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि देश के किन विश्वविद्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किन कालेजों में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था है ;

(ख) क्या इस दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो वह किस सीमा तक लागू हुई है तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक कितनी प्रगति इस दिशा में हो सकेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अधिकतर विश्वविद्यालयों और कालेजों में किसी न किसी रूप में शारीरिक शिक्षा की सुविधाय उपलब्ध हैं । मालूम हुआ है कि निम्नांकित विश्वविद्यालय और उन से सम्बद्ध कालेज शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा और/या डिग्री के लिये प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करते हैं :—

१. मद्रास विश्वविद्यालय :

(१) शारीरिक शिक्षा का वाई० एम० सी० ए० कालेज, मद्रास ।

(२) शारीरिक शिक्षा का अलागप्पा कालेज, करई कुडी ।

२. लखनऊ विश्वविद्यालय :

(१) लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ ।

३. उस्मानिया विश्वविद्यालय :

(१) शारीरिक शिक्षा का राजकीय कालेज, हैदराबाद ।

४. पंजाबी विश्वविद्यालय :

(१) शारीरिक शिक्षा का राजकीय कालेज, पटियाला ।

५. विक्रम विश्वविद्यालय :

(१) शारीरिक शिक्षा का लक्ष्मीबाई कालेज. ग्वालियर ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय नागरिकों से विवाहित विदेशी स्त्रियां

†२३९१. { **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नागरिकों से विवाहित सभी विदेशी स्त्रियां पूर्णतः पंजीबद्ध हैं ;

†मूल अंग्रेजी में.

(ख) ऐसे विवाह बढ़ रहे हैं अथवा घट रहे हैं ;

(ग) १९६१-६२ में इन की कितनी संख्या थी ;

(घ) क्या उन में से सभी ने भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन में से कितनों को भारतीय नागरिकता दे दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) भारतीय नागरिकों की सभी विदेशी पत्नियों ने १९६१-६२ में भारतीय नागरिकता के पंजीयन के लिए आवेदन कर दिया है ।

(ङ) ३२१ ।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

२३९२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवाकाल और वेतन आदि संबंधी पुराने नियमों में और रूपभेद करने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या महिला कर्मचारियों को कुछ और विशेष सुविधायें देने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि काम के घंटे बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) पारिश्रमिक के मामले में कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया है । "सेवा काल" से सदस्य का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है ।

(ख) गृह मंत्रालय में इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) जी नहीं ।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

†२३९३. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय-वार ऐसे कितने मामले हैं जिनमें विभिन्न मंत्रालयों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं, असावधानी, दुर्विनियोजन अथवा सरकारी धन के ग़बन के मामल न्यायालय अथवा विभागी तौर पर चल रहे हों तथा इस कारण १९६०–६१ की अवधि में सरकार को नुकसान हुआ हो; और

(ख) कितने मामलों में अपराधी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को मंत्रालयवार (१) पदच्युत किया गया, (२) सेवामुक्त किया गया अथवा पदावनत किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानक री इकट्ठा की जा रही है । पूरी जानकारी मिलने के बाद एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टीटागढ़ महिला शिविर, २४ परगना

†२३९४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोनों टीटागढ़ महिला शिविरों, टीटागढ़, २४ परगना में अब तक कुछ महिलायें तम्बुओं में क्यों रह रही हैं;

(ख) उनके लिए स्थायी मकान अब तक क्यों नहीं बनाये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि चरखा कातने के अतिरिक्त उनके लिए वहां पर और कोई रोजगार नहीं है;

(घ) टीटागढ़ महिला शिविर २ के निकट उत्पादन केन्द्र को इन महिलाओं को रोजगार दिलाने के विनियमित केन्द्र क्यों नहीं बनाया गया है; और

(ङ) इन महिला शिविरों के संचालन में सुधार करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं जिससे इनको काम तथा उत्तम चिकित्सा सहायता मिल सके ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) पक्के मकानों के स्थान पर्याप्त न होने के कारण वह तम्बुओं में रह रही हैं।

(ख) अन्य स्थान पर पक्का मकान बनाया जा रहा है तथा पूरा हो जाने पर उनको वहां पर स्थान दे दिया जायेगा।

(ग) महिलाओं पर सरकार द्वारा धन व्यय किया जा रहा है। निजी सहायता तथा बेकारी को हतोत्साह करने के लिए हल्के फुल्के काम सिखाये जाते हैं।

(घ) टीटागढ़ उत्पादन केन्द्र में पुरुष काम करते हैं। इन केन्द्रों में होने वाले काम स्त्रियां नहीं कर सकती हैं।

(ङ) इन शिविरों का विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्गठन किया जा रहा है जिससे इन शिविरों में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार किया जा सके और निवासियों का शीघ्रता से पुनर्वास किया जा सके। इन शिविरों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा अब भी उपलब्ध है।

दिल्ली के स्कूलों के विकास के लिये अनुसंधान

†२३९५. **श्री वाडीवा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने उच्च माध्यमिक स्कूल तम्बुओं में लग रहे हैं; और

(ख) दिल्ली में १९६२ में उच्च माध्यमिक परिक्षाओं में तीसरी डिवीजन में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २८ सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल।

(ख) ५६ प्रतिशत।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी, लिमिटेड

†२३९६. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या वित्त मंत्री ८ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीमा नियंत्रक, शिमला को नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी, लिमिटेड के दस्तावेज १७ नवम्बर, १९६१ को मिल गये थे; और

(ख) क्या यह सच है कि नियंत्रक ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) शिकायत करने वाले के विरुद्ध दिल्ली पुलिस में दाण्डिक शिकायत दर्ज है इसलिए बीमा नियंत्रक ने यह उचित समझा कि जब तक उसका फैसला न हो जाये तब तक प्रतीक्षा करें ।

मेहरोत्रा आयोग का प्रतिवेदन

†२३९७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ में सिल्चर में पुलिस गोलीकांड के सम्बन्ध में मेहरोत्रा आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशित न करने के कारण वहां पर नया आन्दोलन आरम्भ हो गया है; और

(ख) आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार)** : (क) और (ख). कचार जिल के कुछ विद्यार्थी वर्ग मेहरोत्रा जांच आ ोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन की मांग कर रहे हैं । आयोग का प्रतिवेदन आसाम सरकार को १० अप्रैल, १९६२ को मिल गया था तथा अब विचाराधीन है । राज्य सरकार ने कहा है कि प्रतिवेदन में कुछ उलझन वाले मामले हैं इसलिए इसकी सावधानी से जांच होगी । तदनुसार प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा ।

मनीपुर और त्रिपुरा में कर्मचारियों के वेतन क्रम

†२३९८. **श्री स० टो० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन और त्रिपुरा में विशेष भत्ता होने पर भी त्रिपुरा के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में बड़ा अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो असमानता दूर करने के लिए यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वह क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार)** : (क) और (ख). अन्तिम वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार मनीपुर और त्रिपुरा प्रशासनों के अधीन विभिन्न पदों के वेतन-क्रम आसाम और पश्चिम बंगाल के समान ही रखे गये हैं । क्योंकि दोनों प्रदेशों में विभिन्न व्यवस्था है इसलिए उनके वेतन-क्रमों में असमानता दूर करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†मूल अंग्रेजी में

रूपकुंड में पाये गये मानव अस्थिपंजर

२३९९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के चमौली जिले में हिमालय की ऊंची चोटी पर स्थित रूपकुण्ड झील में पाये गये मानव अस्थि पंजरों के बारे में भारत के नृतत्वीय सवक्षण विभाग ने जो पड़ताल की थी उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वामी प्राणवानन्द और कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी उसके बाद उपरोक्त झील के बारे में कुछ पड़ताल करके कुछ नये पहलुओं पर प्रकाश डाला है; और

(ग) यदि हां, तो नई पड़ताल के फलस्वरूप उपरोक्त मानव अस्थिपंजरों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में क्या नई बातें मालूम हुई हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) अस्थायी निष्कर्ष निकाले गये थे ।

(ख) भारत सरकार को स्वामी प्रणवानन्द या दूसरे लोगों द्वारा की गई खोजों की कोई प्रामाणिक रिपोर्टें नहीं मिली हैं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

ट्रकों के उत्पादन के लिये संयंत्र की स्थापना

†२४००. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि उड़ीसा सरकार किसी विदेश से २५ टन ट्रकों का निर्माण करने के लिए संयंत्र की स्थापना के लिए कोई बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन से विदेशों से यह बातचीत हो रही है; और

(ग) क्या ऐसा संयंत्र तीसरी योजनावधि में चालू होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) उड़ीसा सरकार ने किसी विदेश से बातचीत नहीं की है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्वतंत्र विमान सेवा संचालक

†२४०१. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय स्वतंत्र विमान सेवा संचालक द्वारा किया गया काम प्रतिरक्षा समस्याओं के लिये मूल्यवान समझा गया है;

(ख) यदि हां, तो हवाई बेड़ा तथा जन-शक्ति बनाने में स्वतंत्र विमान सेवा संचालकों को क्या सहायता देने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय विमान बल ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के फालतू अथवा बेकार डकोटा विमानों का स्वतंत्र विमान सेवा चालकों को हस्तांतरण रोक दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) आसाम राइफलों को नेफा में तथा नागालैंड में असैनिक प्रशासन द्वारा अपेक्षित विमान द्वारा सामान डालने के लिए स्वतंत्र विमान सेवा संचालकों की सेवायें ली जा रही हैं । यह कार्य वैदेशिक कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन हो रहा है । क्योंकि इस क्षेत्र का प्रशासन सरकार का यही विभाग करता है ।

(ख) स्वतत्र संचालक सरकारी संस्था नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रतिरक्षा मंत्रालय भारतीय विमान बल की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय हित के आधार पर विमानों की बिक्री की अनुमति देती है । संभव होने पर डकोटा विमानों का अन्य कामों में इस्तेमाल करने की अनुमति दी हुई है ।

मद्रास की जनसंख्या

†२४०२. **श्री गो० महन्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास राज्य में, जहां अन्य राज्यों की अपेक्षा वृद्धि की दर बहुत कम है, जनसंख्या में वृद्धि के बारे में कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). जनगणना द्वारा पता लगे जनसंख्या में वृद्धि के कारणों का जनगणना कार्यों के प्रत्येक सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा वर्ष १९६१ की जनगणना की सभी तालिकाओं के तैयार हो जाने पर विस्तार से अध्ययन किया जायेगा और जनगणना कार्यों के सुपरिंटेंडेंटों को उपत्तियों में उन के प्रतिवेदन में लिखा जायेगा । इन छानबीन, अध्ययन और प्रतिवेदन तैयार करने में कुछ समय लगेगा ।

मैसूर के लिये सीमेन्ट और इस्पात

†२४०३. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिये सीमेंट, इस्पात और जस्ता चढ़ी नालीदार लोहे की चादरों की मैसूर राज्य की कितनी आवश्यकता है और कितना आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या यह आवंटन पूरा कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मैसूर सरकार से आवंटन में वृद्धि करने के लिये कोई अभ्यावेदन अथवा प्रस्ताव आये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन का क्या ब्यौरा है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्): (क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१-६२ में सीमेंट, इस्पात और जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों की मांग, आवंटन और संभरण निम्न प्रकार है :

(मीट्रिक टनों में)

	मांग	आवंटन	संभरण
१९६०–६१			
सीमेन्ट	३,४४,७०९	२,५८,३३२	२,८६,९०९
इस्पात	९९,०५०	८२,२१७	४२,८२९
जस्ता चढ़ी नालीदार चादरें	१३,००५	८,७९१	१,६२७
१९६१–६२			
सीमेन्ट	४,६९,०२८	२,५६,०००	२,८३,१७८
इस्पात	३६,९०३	११,४५२	६६,०९५
जस्ता चढ़ी नालीदार चादरें	१७,०३९	६,८३९	२,३७८

(ख) जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है, दोनों वर्षों के लिये आवंटन पूरा कर दिया गया है। जहां तक इस्पात और जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों का सम्बन्ध है, आवंटन की मात्रा तक संभरण बकाया की मात्रा और आर्डरों की अवधि के आधार पर यथा समय किया जायेगा ।

(ग) सीमेंट के बारे में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस्पात और जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों के बारे में कम उत्पादन ही मुख्य कारण है। तथापि उपलब्ध मात्रा का बराबर बराबर वितरण किया जाता है ।

(घ) जी, नहीं। राज्य सरकारों को इस्पात की कुछ किस्मों के कम संभरण की स्थिति का पता है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कर्मचारी

†२४०४. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा संघ अथवा हिमाचल प्रदेश प्रशासन के अन्य तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से उन की कठिनाइयां दूर करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) उन की विशिष्ट मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९८]

†मूल अंग्रेजी में

चीड़ की पत्तियों से ऊन का उत्पादन

२४०५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले गढ़वाल के एक निवासी स्वर्गीय श्री अमर सिंह रावत ने बड़े परीश्रम के बाद चीड़ की पत्तियों से ऊन तैयार करने का एक अजीब तरीका कई वर्ष पहले निकाला था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय की विभिन्न अनुसन्धानशालाओं में चीड़ की पत्तियों से ऊन तैयार करने की उपयोगिता और व्यावहारिकता की जांच पड़ताल की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो इन प्रयोगों और जांच पड़ताल से क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(घ) इस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में काफी मात्रा में उपलब्ध इस कच्ची सामग्री का वाणिज्यिक आधार पर उपयोग करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है अथवा भविष्य के लिये क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). जम्मू में क्षेत्रीय अनुसन्धानशाला में कुछ प्रयोग बतौर खोज के किये गये । पत्तियों से आवश्यक तेल निकाला जा सकता है और उसके बाद ऊन की किस्म के रेशे मिल सकते हैं ।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधान

†२४०६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या गृह-कार्य मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधान के बारे में देखभाल करने के लिये स्थापित किये गये 'सेल' ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) वह किस प्रकार का कार्य कर रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) जी, हां ।

(ख) 'सेल' यह सुनिश्चित करता है कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षण के बारे में आदेशों को उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाये । यह केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में इन जातियों के प्रतिनिधान में वृद्धि करने के बारे में भी विचार करता है और अपने सुझाव देता हैं ।

एवरो–७४८

†२४०७. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एवरो–७४८ का मूल्यांकन करने के लिये हाल ही में ब्रिटेन गये भारतीय वायु बल के प्रतिनिधिमण्डल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). प्रतिनिधिमंडल एवरो के क्रमशः निर्माण के लिये सामान्य व्यवस्था के रूप में भेजा गया था। उन्होंने आवश्यक पूछताछ और व्यवस्था की जो सब उत्पादन के तरीकों और प्रक्रियाओं से सम्बन्धित हैं।

उड़ीसा में तेल

२४०८. **श्री किशन पटनायक** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उड़ीसा के ढेंकानल जिले में तेल मिलने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या तेल की खोज के लिये कोई योजना है ?

खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वयस्क बहरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

२४०९. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वयस्क बहरों और गूंगों के लिये स्थापित किये गये आदर्श केन्द्र पर कितना व्यय किया गया है और उस में कितने छात्रों को प्रशिक्षित करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): अभी तक कुछ खर्च नहीं किया गया है। वर्तमान वर्ष में केन्द्र में, ३० प्रशिक्षार्थियों के लिये व्यवस्था होगी। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक, १२० प्रशिक्षार्थियों के लिये व्यवस्था कर दी जायेगी ।

विदेशों में विदेशी भाषायें सीखने के लिये छात्रवृत्तियां

२४१०. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में विदेशी भाषायें सीखने के लिये अन्य देशों को जाने वाले कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गयीं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : दस ।

अंगहीन व्यक्तियों के लिये काम-दिलाऊ दफ्तर

२४११. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंगहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये १९६१–६२ में कितने काम-दिलाऊ दफ्तर खोले गये ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : एक ।

विकलांग बालकों के लिये संस्थायें

२४१२. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग बालकों की शिक्षा और उन का उपचार करने वाली संस्थाओं को १९६१–६२ में अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : ३,५८,११७ रुपये ४० नये पैसे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोल्जर्स बोर्ड अनुरक्षण अनुदान

२४१३. **श्री रणंजय सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को किस समय तक सोल्जर्स बोर्ड अनुरक्षण अनुदान दिये गये हैं ; और

(ख) अन्तिम भुगतान किस तिथि को किया गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) उत्तर प्रदेश में सैनिक, नाविक, वायु सैनिक बोर्डों पर आने वाले खर्च के केंद्रीय सरकार के भाग की अदायगी १९६१–६२ वर्ष समेत तक कर दी गई है। तदपि उसका कुछ अंश, १९६१–६२ के वास्तविक खर्च का जांच किये हुए, विवरण की प्राप्ति पर समंजन के लिए रोक लिया गया है। १९६२–६३ वर्ष के संबंध में भी केंद्रीय सरकार के भाग का ७५ प्रतिशत विमुक्त कर दिया गया है।

(ख) २० जुलाई, १९६२।

चीनियों द्वारा रोके गये भारतीय सीमांत पुलिस के सदस्य

†२४१४. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सीमान्त पुलिस का कोई सदस्य इस समय चीनियों की हिरासत में है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) उनको छुड़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हमारी सीमान्त पुलिस बल का कोई सदस्य चीनियों की हिरासत में नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राजस्थान के बैंकों को स्टेट बैंक आफ राजस्थान में मिलाना

२४१५. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के वर्तमान बैंकों को स्टेट बैंक आफ राजस्थान में मिलाने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि भारतीय राज्य बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, १९५९ की धारा ३८ के अधीन बीकानेर राज्य बैंक को जयपुर राज्य बैंक के कार्य, परिसम्पत्ति और देनदारियों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अभी कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया, क्योंकि इन दोनों बैंकों के निदेशक-मण्डलों (बोर्डस आफ डाइरेक्टर्स) ने इस विषय पर विचार नहीं किया है।

चमौली में एस्बेस्टस के पत्थर

†२४१६. **श्री राम सेवक** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्बेस्टस बनाने वाला पत्थर उत्तर प्रदेश के चमौली जिले में भारी मात्रा में उपलब्ध हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमित मात्रा और उसे निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना लगाने की कोई प्रस्तावना है और यदि हां, तो कब लगाया जायेगा ?

खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) उत्तर प्रदेश के चमौली जिले में एस्बेस्टस के पाये जाने का पता लगा है ।

(ख) तथा (ग). १९५९–६० में उत्तर प्रदेश सरकार के भूगर्भीय और खनन विभाग द्वारा इन विद्यमानताओं से सम्बन्धित अन्वेषणों को शुरू करने का पता लगा है । अभी तक अन्वेषणों के लगभग पूरे होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और इस लिए सम्भाव्य संचयों के कोई प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं । इस को इस्तेमाल के कार्यक्रम से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

†२४१७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गयी है ;

(ग) क्या उनको उत्पादन बोनस भी दिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कितना बोनस दिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) वृद्धि की मात्रा निम्न प्रकार है :

वेतन दर प्रतिमास	वर्तमान दर प्रतिमास	संशोधित दर प्रतिमास
१५० रुपये से कम	१० रुपये	१५ रुपये
१५० रुपये से ज्यादा परन्तु ३०० रुपये से कम	२० रुपये	३० रुपये
३०० रुपये और ३२० रुपये तक	वह धनराशि जिससे वेतन ३२० रुपये से कम होता हो	वह धनराशि जिससे वेतन ३३० रुपये से कम होता हो
३२१ रुपये और ३९० रुपये तक	शून्य	१० रुपय
३९१ रुपये और इससे अधिक	शून्य	वह धनराशि जिससे वेतन ४०० रुपये से कम होता हो ।

पुनरीक्षित दरें १-११-१९६१ से लागू हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). जी, हां । उत्पादन बोनस योजना चालू है परन्तु बोनस की मात्रा का महंगाई भत्ते से सम्बन्ध नहीं है । वर्ष १९६१–६२ के लिये, ५०० रुपये अथवा इससे कम मूल वेतन पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को उत्पादन बोनस के रूप में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में ८५ रुपये और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में ६० रुपये दिये गये । भुगतान चालू वर्ष में किया गया ।

भारत कर्मशियल कम्पनी लिमिटेड

†२४१८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क विभाग ने न्यायनिर्णयन के मामले में कलकत्ते की भारत कर्मशियल कपनी पर २५ लाख रुपये का जुर्माना किया था ;

(ख) क्या जुलाई, १९६२ में उसकी अपील भी नामंजूर कर दी गयी थी ; और

(ग) क्या न्यायनिर्णयन कार्यवाही में ये तथ्य बताये गये हैं कि कुछ भारतीय और विदेशी फर्में किस तरह सरकार को धोखा दे रही हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). १९६१ में मेसर्स भारत कर्मशियल कंपनी द्वारा अमरीका को भेजे जाने वाले पटसन माल की लगभग ५८०० गांठों के संबंध में कलकत्ता प्रशुल्क विभाग के अधिकारियों ने समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन दांडिक कार्यवाही की । पटसन माल को जब्त कर लिया गया और उस जब्ती के बजाय मालिकों को २५ लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा गया । उस फर्म द्वारा दायर की गयी अर्जी (रिविजन ऐप्लीकेशन) भारत सरकार ने जुलाई, १९६२ में नामंजूर कर दी । बताया जाता है कि फर्म ने इस बीच यह मामला अदालत में पेश कर दिया है । अतिरिक्त प्रशुल्क कलक्टर, कलकत्ता ने यह निर्णय दिया है कि शिपिंग बिलों में बनाया गया एफ० ओ० बी० या इनवायस मूल्य और "जी० आर० १ फोर्म" गलत थे और इस प्रकार बताये गये मूल्य के बावजूद, मेसर्स भारतय कर्मशियल कंपनी को माल की पूरी पूरी कीमत मिलने वाली थी ।

मगनीज अयस्क के निर्यात में बीजक में कम मूल्य दिखाना[1]

†२४१९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में बंबई की एक फर्म पर इस बात के लिए छापा मारा गया था कि मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिए इन्वायस में कम मूल्य दिखाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है ; और

(ग) इस फर्म के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) यह बताया गया है कि वह फर्म दो नामों से काम कर रही थी अर्थात् मेसर्स आर० लण्डौर एण्ड कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मेसर्स फ्राइडलेण्डर ओर्स एण्ड मेटल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई ।

(ग) इस मामले में जांच पड़ताल जारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Under invoicing

कैम्पस परियोजनायें

†२४२०. **श्री मानसिंह पु० पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गुजरात राज्य में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कैम्पस परियोजनाओं को जारी रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो १९६२–६३ में उसके लिए कितनी रकम रखी गयी है ;

(ग) क्या उस प्रयोजन के लिए नये आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). इस योजना के अधीन, खेलकूद और मनोरंजन की सुविधाओं से संबंधित निर्माण के लिए जिसमें छात्रों से श्रमदान भी प्राप्त होगा, हाई स्कूलों/हायर सेकेन्डरी स्कूलों और कालेजों/विश्वविद्यालयों को तीन या चार किस्तों में अनुदान दिये जाते हैं । १९५७–५८ से १९६१–६२ तक के दौरान जो परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं उनके लिए इस साल भी अनुदान दिया जायेगा । किसी राज्य/विश्वविद्यालय को खास तौर से कोई रकम नहीं दी गयी है । १९६२–६३ में इस योजना के लिए कुल २५ लाख रुपये की रकम रखी गयी है ।

(ग) और (घ). जी नहीं । यह उस समय किया जायेगा जब कि १९६२–६३ के लिए नियम और शर्तें अंतिम रूप से निर्धारित कर ली जायेंगी ।

बुनियादी शिक्षा

†२४२१. **श्रीमती जमुनादेवी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी कामकाज का अन्दाज़ लगाने और यह मालूम करने के लिए कि उसके उद्देश्य कहां तक पूरे हुए है, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या बुनियादी शिक्षा का एक ढांचा अपनाने के लिए कोई प्रयत्न किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ; और

(घ) अभी मध्य प्रदेश में बुनियादी-शिक्षा के कितने स्कूल हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड कायम किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १९५९–६० में जो सब से हाल का वर्ष है जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार के पास आंकड़े मौजद हैं, मध्य प्रदेश में बुनियादी स्कूलों की संख्या इस प्रकार रही :—

जूनियर बेसिक स्कूल	२३६९
सीनियर बेसिक स्कूल	२९७
पोस्ट बेसिक स्कूल	कोई नहीं
कुल	२६६६

अनुसंधान कर्त्ताओं को छात्रवृत्तियां

२४२२. **श्री युवराज दत्त सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९६२ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां बांटने का काम अपने हाथ में ले लिया है, जबकि इससे पहले यह काम शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता था ; और

(ख) क्या जून, १९६२ तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन छात्रवृत्तियों को नहीं बांट पाया था ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) अनुसंधानकर्ताओं को छात्रवत्तियां प्रदान करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, नवम्बर १९६१ में, शिक्षा मंत्रालय से ले लिया था ।

(ख) आयोग ने, छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में फरवरी, १९६२ में अपने निर्णय घोषित किये और जून, १९६२ से पहले बहुत से अनुसंधान कर्ताओं को उनकी छात्रवृत्ति राशियां भी दे दीं ।

दिल्ली में अवैध शराब

२४२३. **श्री युवराज दत्त सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले ६ महीनों में दिल्ली में नाजायज़ शराब बेचने वालों की संख्या बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने अपराधी पकड़े गये ; और

(ग) उनको क्या दण्ड दिया गया ?

गृह-कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख) १६–२–६२ से १५–८–६२ तक की अवधि में नाजायज़ शराब का व्यापार करने के सम्बन्ध में पकड़े गये अपराधियों की संख्या बढ़ने का निश्चित कारण बताना सम्भव नहीं है । इस अवधि में यह संख्या ८०२ थी जब कि सन १९६१ की तत्सम अवधि में यह संख्या ६८१ थी । नाजायज़ शराब के व्यापार में बढ़ोतरी और अधिकारियों की अधिक सतर्कता आदि इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं ।

(ग) पकड़े गये ८०२ व्यक्तियों में से ४४७ का चालान किया गया है तथा १९१ दोष सिद्ध हुए हैं। दोषी ठहराये गय व्यक्तियों को दी गई सजायें निम्न प्रकार हैं :—

व्यक्तियों की संख्या	दी गई सजा
१४	१० रुपये से ३०० रुपये तक विभिन्न जुर्माने।
१४३	५ रुपये से २०० रुपये तक जुर्माने के साथ न्यायालय उठने से नौ मास तक विभिन्न अवधि की जल
१४	एक मास तक की कड़ी जेल
११	एक मास से छः मास तक की कड़ी जेल
१	प्रबोधन
८	अच्छे व्यव्हार के लिये प्रमाण पत्र लिये गये

खनिज उत्पादन

२४२४. **श्री युवराज दत्त सिंह :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार देश के खनिज उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक देशों से टेकनिकल सहायता लेने का प्रयत्न कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों ने इस योजना में सहयोग देने का वचन दिया है ; और

(ग) इस योजना का पूरा ब्यौरा क्या है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) इंगलिस्तान, फ्रांस, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, रूस और पोलेण्ड।

(ग) इन स्कीमों में तकनीकी सहायता अर्थात् निम्नलिखित क्षेत्रों में परामर्श सम्बन्धी सेवाएं, तकनीकी व्यक्तियों की सेवाएं, भारतीय व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं, परियोजना रिपोर्ट और कार्यकारी आलेखों को तैयार करना और प्लांट एवं उपकरणों आदि की सप्लाई की व्यवस्था की गई है :—

(१) नई कोयला खानों, वर्कशाप और धावनशालाओं की स्थापना।

(२) कोयला खानों के गहरे कूपकों का विकास।

(३) प्रपाती झुके हुए कोयला-स्तरों का विकास।

(४) प्रपाती झुके हुए मोटे-स्तरों को गिराने की प्रविधि का प्रशिक्षण।

(५) मद्रास राज्य में नयवैली में लिगनाइट निक्षेपों का विकास एवं समुपयोजन।

गुजरात तेल कर्मचारी संघ

†२४२५. **श्री याज्ञिक :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में तेल और गैस क्षेत्रों के कर्मचारियों का संघ बनाया गया है और सरकार ने उसे मान्यता प्रदान की है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस संघ ने सरकार के सामने कौन कौन सी मांगें पेश की हैं और उन में से कौन कौन सी मांगें थोड़ी बहुत या पूरी तौर से पूरी की गयी हैं ;

(ग) क्या सरकार ने संघ के किसी प्रतिनिधि की सिफारिश पेट्रो-रासायनिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अमरीका का दौरा करने के लिए किसी विदेशी एजेन्सी से की है ; और

(घ) सरकार इस अध्ययन यात्रा के लिए विदेशी मद्रा तथा अन्य सुविधाओं के रूप में कितनी सहायता दे रही है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों ने दो संघ बनाये हैं । उन्हें मान्यता देने के प्रश्न पर आयोग विचार कर रहा है ।

(ख) उनकी मुख्य शिकायतें इन बातों के सम्बन्ध में हैं :–आकस्मिक कर्मचारियों को नियमित घोषित करना, बढ़ाये गये वेतन क्रमों की बकाया रकमों की अदायगी, कर्मचारी भविष्य निधि को कार्यान्वित करना और अन्य व्यक्तिगत शिकायतें । इन शिकायतों के सम्बन्ध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा कर्मचारी संघ के बीच एक समझौता हुआ है और समझौते को कार्यान्वित करने का काम जारी है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अम्बाला शहर में स्टेट बैंक की शाखा

†२४२६. { **श्री प० कुन्हन :**
श्री उमानाथ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के स्टेट बैंक की अम्बाला शहर की शाखा में गबन के कारण नकदी कम होने का समाचार मिला है ;

(ख) यदि हां, तो कमी की ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) अम्बाला शाखा में नियुक्त नये लेखापाल द्वारा रोकड़ बाकी की जांच करते समय करन्सी चेस्ट बैलेन्स में जिसके लिए भारत का स्टेट बैंक जिम्मेदार है, कुछ कमी का समाचार मिला था । अम्बाला में करन्सी चेस्ट बैलेन्स में कमी का यह पहला उदाहरण है ।

(ख) कार्रवाई करने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब कि मौजूदा जांच-पड़ताल पूरी हो जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेंट कम्पनियां

†२४२७. श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुहन :
श्री उमानाथ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितनी कम्पनियां सीमेंट तैयार करती हैं, उनके पास कितने कारखाने हैं और उनके विस्तार के लिए प्रत्येक की कितनी कितनी क्षमता स्वीकार की गयी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: इस समय २० कम्पनियां सीमेंट तैयार कर रही हैं । मेसर्स असोशियेटेड सीमेंट कम्पनीज़ लिमिटेड, बम्बई, को छोड़ कर जिसके पास सीमेंट के १४ कारखाने है, दूसरी सभी कम्पनियों के पास एक-एक कारखाना है । सीमेंट तैयार करने वाली कम्पनियों की वर्तमान क्षमता और विस्तार के लिए स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९९]** ।

कोयले का वितरण

†२४२८. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों ने कोयले की बी आर के 'जैड' और 'एस एस आई' श्रेणियों की वितरण की नवीन योजना के विरुद्ध शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस शिकायत का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख) वैगनों को शीघ्र वापिस मंगाने और निश्चित स्थानों को ब्लाक रेकों में कोयला भेजने के उद्देश्य से, सौफ्ट कोक तथा ईंटों को पकाने एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये अपेक्षित कोयले के वितरण का वैज्ञानिकन सितम्बर, १९६१ से जिला क्षेत्राधीशों या राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये लोगों के द्वारा संभरण देने के द्वारा किया गया था । भारतीय कोयला व्यापारी संघ ने इस योजना के विरुद्ध यह शिकायत की है कि इस योजना से सामान्य व्यापार पद्धति खराब हो जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले कोयले की किस्म गिर जायेगी । संस्था ने जो कुछ कहा है उसके बावजूद यह योजना गत एक वर्ष से सन्तोषजनक रूप से चल रही है ।

हिमाचल प्रदेश के नाहन जिला में डिग्री कालेज

†२४२९. **श्री प्रताप सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नाहन, जिला सिरमूर, हिमाचल प्रदेश के निवासियों की इस मांग की ओर दिलाया गया है कि वहां पर विज्ञान का एक डिग्री कालेज होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख) जी, हां । हिमाचल प्रदेश प्रशासन सिरमूर में एक सरकारी कालेज खोलने के प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश की सलाहकार समिति ने ३१ अगस्त, १९६२ को अपनी बैठक में विचार किया था । उसके विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय विमान बल के लिये स्वीडन के विमान

†२४३०. **श्री मोहन नायक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि अतिरिक्त प्रतिरक्षा सचिव भारतीय विमान बल के लिये स्वीडन से विमान खरीदने के लिये हाल ही में स्वीडन गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी यात्रा और बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

दिल्ली छावनी कर्मचारियों के लिये निवास स्थान

†२४३१. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को, निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालयाधीन सम्पत्ति निदेशालय द्वारा नियंत्रित सामान्य पुंज से सरकारी निवास स्थान प्राप्त करने का हक क्यों नहीं दिया जाता, जबकि दिल्ली छावनी को नगर प्रतिकर भत्ता, अंशदायी स्वास्थ्य योजना आदि के मामले में नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के समतुल्य माना जाता है ;

(ख) उन को सरकारी निवास स्थान और किस साधन से मिलता है ; और

(ग) यदि कोई और साधन है, तो अब तक कितने कर्मचारियों को सरकारी निवास स्थान दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) राजधानी में सामान्य पुंज दिल्ली तथा नई दिल्ली क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये है, बाहर के क्षेत्र वालों के लिये नहीं । जब तक दिल्ली और नई दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये निवास स्थान की कमी है, उप-नगरों में काम करने वाले कर्मचारियों को सामान्य पुंज से निवास स्थान प्राप्त करने का हकदार बनाना वांछनीय नहीं होगा । किसी विशिष्ट स्थान पर स्थित दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभ आदि की सुविधायें प्राप्त होती हैं, यह बात सामान्य पुंज से उस दफ्तर के कर्मचारियों की निवास स्थान के लिये अर्हता निर्धारित करने की कसौटी नहीं है ।

(ख) एम० ई० एस० के महत्वपूर्ण कर्मचारियों तथा गैर-दर्जे न लड़ने वाले कर्मचारियों, जिन्हें अपने कर्तव्य स्थान के पास रहना पड़ता है, को छोड़ कर, प्रतिरक्षा सेनाओं के बजट से वेतन पाने वाले असैनिकों को, सरकारी निवास स्थान पाने का हक नहीं है । तथापि इन श्रेणियों के प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों को निवास स्थान दिया जाता है जब कभी प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकता से फालतू स्थान उपलब्ध होता है ।

(ग) दिल्ली छावनी में २९५ असैनिक कर्मचारियों को सरकारी निवास स्थान दिया गया है । इस के अतिरिक्त, २८८ असैनिक कर्मचारियों को भी सरकारी निवास स्थान दिया गया है, जो एयर फोर्स स्टेशन पालम में काम करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†२४३२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में (१) राजपत्रित, (२) अराजपत्रित तथा अनुसाचिविक कर्मचारियों में तीसरी योजना के आरम्भ होने से कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) इन में से कितने कर्मचारी नवीन परियोजनाओं के लिये हैं और कितने पुराने कामों की देखभाल के लिये ; और

(ग) कार्यकुशलता को कायम रखते हुए कर्मचारियों की संख्या कम से कम रखने के लिये क्या निगरानी की जाती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). सूचना उपलब्ध नहीं है । इसे प्राप्त करने पर पर्याप्त समय और परिश्रम खर्च होगा, और उस से प्राप्त होने वाले परिणाम अधिक नहीं होंगे ।

(ग) पदों की रचना, कार्य भार का अनुमान लगाने के पश्चात्, समय समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती है । मंत्रालय से कहा गया है कि वे समुचित ढंग से प्रशिक्षित कार्य अध्ययन एकांश स्थापित करें । वित्त मंत्रालय के विशेष पुनर्गठन एकांश के द्वारा समय समय पर इस बात का अध्ययन किया जाता है ।

हवाई अड्डे

२४३३. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से अब तक देश में छोटे और बड़े कुल कितने हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है ;

(ख) उन्हें कब और कहां बनाया गया तथा उन में से प्रत्येक पर अलग-अलग कितना धन खर्च हुआ ; और

(ग) इन के निर्माण का उद्देश्य क्या था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). युद्ध काल में बनाये गये हवाई अड्डे, जैसे आवश्यकता पड़े, प्रयोग में लाये जाते हैं । जहां संक्रिया कारणों से हवाई अड्डों की आवश्यकता होती है, अथवा उन्हें नवीकरण करना आवश्यक होता है, ऐसा कर दिया जाता है ।

मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र

२४३४. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में मध्य प्रदेश में कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) कितने सरकारी क्षेत्र में होंगे और कितने गैर-सरकारी क्षेत्र में ; और

(ग) वे किन किन स्थानों पर होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) नाइट्रोजन युक्त उर्वरक फैक्टरियां—१ ।

एकल सुपरफौस्फेट उर्वरक फैक्टरियां—३ (जिन में से एक पूर्ण हो चुकी है) ।

(ख) सरकारी क्षेत्र . १
गैर-सरकारी क्षेत्र . . ३

(ग) नाइट्रोजन युक्त उर्वरक फैक्टरी की स्थापना के स्थान का अभी फैसला नहीं किया गया । एक सुपरफौस्फेट फैक्टरी दुर्ग में स्थापित हो चुकी है । अन्य दो फैक्टरियां इन्दौर तथा नागदा में होंगी ।

इस्पात वेलन मिल, मद्रास

†२४३५. **श्री कजरोलकर** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार मद्रास राज्य में सरकारी क्षेत्र में एक इस्पात वेलन मिल खोलने का विचार करती है ;

(ख) क्या राज्य सरकार को लाइसेंस दे दिया गया था ;

(ग) इस की अनुमानित लागत क्या होगी ;

(घ) यह कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ङ) इस का निर्माण कब आरम्भ होने की अपेक्षा की जाती है ; और

(च) इस मिल के लिये कच्चा माल कहां से आयेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) एक पुनर्वेल्लन मिल स्थापित करने की मद्रास सरकार की एक प्रस्थापना राज्य की तीसरी योजना में, सम्मिलित की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ५५ लाख रुपये (निश्चित आस्तियां)

(घ) मद्रास के समीप या टूटीकोरिन ।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि मिल के लिये अभी लाइसेंस नहीं दिया गया ।

(च) जब मिल की मंजूरी दी जायेगी, तो इसे मुख्य उत्पादकों से पत्तियां प्राप्त करने का हक होगा ।

दिल्ली नगर निगम

†२४३६. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता अनुदान में विलम्ब के कारण दिल्ली नगर निगम में वित्तीय कठिनाई अनुभव हो रही है ; और

(ख) यदि हां तो इस भुगतान में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) केन्द्रीय सरकार दिल्ली नगर निगम को बिना विलम्ब के सहायता अनुदान दे रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नूनमती और बरौनी में तेल की पाइपलाइन

†२४३८. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाहर कटिया तेल क्षेत्र को नूनमती और बरौनी के साथ मिलाने के लिये पाइपलाइन लगाने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह काम कब पूरा होने की संभावना है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) नाहर कटिया से नूनमती तक पाइपलाइन का पहला दौर मार्च, १९६२ में चालू किया गया था । नूनमती बरौनी के दूसरे दौर की प्रगति इस प्रकार है :

(१) पाइप लगाने का सारा काम हो गया है सिवाय इस के कि बीच के जोड़ जोड़ने हैं ।

(२) तीन पम्प स्टेशन तैयार हो गये हैं ;

(३) सड़क और रेल के सब फाटक बन गये हैं ।

(४) नदियों के ६६ पुलों में से ५९ तैयार हो गये हैं ।

(५) लगाये गये पाइप के सब सैक्शनों की जल विद्युत् जांच की जा रही है ।

(ख) फरवरी १९६३ तक ।

कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में चोरी

†२४३९. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ अगस्त, १९६२ को अथवा उसके निकट किसी दिन कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में चोरी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अपराधी पकड़े गये हैं ; और

(ग) संग्रहालय से कौन सी वस्तुएं चोरी हुई हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) हां श्रीमान ।

(ख) पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ।

(ग) कला वीथिका से चांदी के कुछ आभूषण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्नेहन-तेल संयंत्र[1]

†२४४०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के तेल साफ करने के प्रस्तावित कारखाने के साथ मशीनी तेल का एक कारखाना लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है किन्तु अभी कोई ब्योरा तैयार नहीं किया गया ।

उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल

२४४१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १७ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल खोलने के जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है उसके बारे में किन-किन स्थानों के सुझाव दिये गये हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने किस प्रकार के सहयोग देने का आश्वासन दिया है; और

(ग) इस बारे में कब तक अन्तिम निश्चय हो जाने की आशा की जाती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

सीमावर्ती जिलों में संचार साधन

२४४२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ जन, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती जिलों के यातायात, सड़कों व पुलों सम्बन्धी सब तथ्य इस बीच एकत्र हो गय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जम्मू व काश्मीर के अतिरिक्त सारे राज्यों से सूचना प्राप्त हो चुकी है ।

(ख) और (ग). योजना के पिछड़े वर्ग खण्ड तथा तृतीय योजना (जो कि पंजाब, जम्मू व काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश पर लागू होती है) में "संचार" के लिए सीमा विकास कार्यक्रम के लिए

---

[1]Lubricating oil Plant.

†मूल अंग्रेजी में

की गई व्यवस्था, और सन् १९६१–६२ की अवधि में किये गये व्यय का एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	तृतीय योजना की व्यवस्था		१९६१-६२ में किया गया व्यय	
		पिछड़े वर्ग खण्ड	सीमा विकास कार्यमक्र	पिछड़े वर्ग खण्ड	सीमा विकास कार्यक्रम
१.	आंध्र प्रदेश	९६.६१		१७.६३ (प्रत्याशित)	
२.	असम	३८१.००	..	६४.५०	..
३.	बिहार	५.००	..	१.००	..
४.	गुजरात	१०.००	..	०.५५	..
५.	जम्मु व काश्मीर	..	११३.९३		२.३० (प्रत्याशित)
६.	मध्य प्रदेश	२५.००		२.५१	..
७.	महाराष्ट्र	१०.००	..	०.२९	
८.	उड़ीसा	१०.००	..	१.१३	..
९.	पंजाब	..	४४.००		१२.६१
१०.	राजस्थान	७.००	..	०.५०	..
११.	उत्तर प्रदेश		१२४८.४७	..	७९.५४
	योग	५४४.६१	१४०६.४०	८८.११	९४.४५

दिल्ली में विष द्वारा हत्या

†२४४३. **श्री बड़े** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में दिल्ली में विष द्वारा हत्याओं के कितने मामले हुए हैं;

(ख) उन में से कितने पुलिस चौकियों में दर्ज किये गये थे; और

(ग) ऐसे मामलों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये अथवा उठाने हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). ऐसे दो मामलों का पुलिस को पता लगा था और दोनों दर्ज किये गये थे ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रसायन परीक्षण के प्रतिवेदन से पता लगा कि एक मामला विष प्रयोग का नहीं था। अतः उसे रद्द कर दिया गया। दूसरे मामले की जांच की जा रही है।

(घ) विष का रखना और उसकी बिक्री विष अधिनियम, १९१९ द्वारा नियंत्रित है। पुलिस इस सम्बन्ध में सतर्क है।

विदेशों में पोलो खेलने वाले भारतीय सेना के अफसर

२४४४. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को विदेशों में पोलो खेलने की अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या उसके लिए कुछ विशेष शर्तें और रियायतें भी तय की गई हैं;

(ग) पोलो से जो आय उनको होती है क्या यह उनकी अपनी रहती है; और

(घ) यदि हां, तो यह सेनाओं के नियमों के कहां तक अनुकूल है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां, सैनिक नियमों के अधीन, सेना सेविवर्ग, किसी संस्था अथवा संगठन के, मनोरंजन कार्यों में, अपने उच्च अफसरों की पूर्व अनुमति से भाग ले सकते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जहां तक सरकार को पता है, ऐसे खेलों में भाग लेने वाले, सेना सेविवर्ग को, इन से कोई आय नहीं होती।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रांची हवाई अड्डा

†२४४५. **श्री प्र० कु० घोष** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची में हवाई अड्डे के अर्जित ६४३.४७ एकड़ भूमि के टुकड़े फालतू घोषित कर दिये गये हैं और यह निश्चय किया गया है कि मूल स्वामियों से क्षतिपूर्ति की रकम वसूल कर के उस जमीन को वापस लौटा दिया जाय;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मालिकों द्वारा बहुत पहले से क्षतिपूर्ति लौटाने पर भी उन्हें भूमि नहीं लौटाई गयी यद्यपि उन्होंने सम्बन्धित प्राधिकारियों को कई अभ्यावेदन दिये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्। एक समय पर।

(ख) किन्तु कोई भूमि नहीं लौटाई गई और केवल एक ने पैसे लौटाये थे और वे भी निर्धारित अवधि के बाद। इस बीच सरकार को अपनी आवश्यकताओं का पुनर्विलोकन करना पड़ा। मालिकों को भूमि लौटाने का प्रश्न अब प्रासंगिक नहीं रहा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मदुराई में विश्वविद्यालय

†२४४६. **श्री मुथिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में मद्रास राज्य के मदुरई नगर में विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां तो यह कब से चालू होगा;

(ग) क्या यह संघ प्रकार का होगा या सम्बद्ध संस्थाओं के प्रकार का ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) मदुरई में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मद्रास राज्य सरकार के पास एक प्रस्ताव है ।

(ख) तथा (ग). इन मामलों में निर्णय करना मद्रास राज्य का काम है ।

दिल्ली पुलिस कर्मचारी

२४४७. **श्री बागड़ी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के बारे में एक योजना सरकार को भेजी थी; और

(ख) यदि हां, तो वह किस स्तर पर है और कब तक पूरी हो जायगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पलाई सेन्ट्रल बैंक के खातेदारों को भुगतान

†२४४८. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री रवीन्द्र बर्मा :

क्या वित्त मंत्री १७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निक्षेपकों को ४० नये पैसे प्रति रुपया के हिसाब से लाभांश देने के पश्चात् केन्द्रीय पलाई बैंक के संचालक के पास कितनी धन राशि है;

(ख) निक्षेपकों को और लाभांश का भुगतान कब आरम्भ किया जायगा; और

(ग) बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली के लिए क्या प्रयत्न किये गये और कितनी राशि वसूल की गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३० जून, १९६१ को सरकारी समापक की बकाया राशि ५६,१७,४६४ रुपये है ।

(ख) जिन लोगों ने अपने निक्षेपों के बदले ऋण लिये थे उन्हें बकाया का लाभ देने के लिये न्यायालय के निर्णय के बाद लाभांश दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अधिकृत समापन उस बकाया रकम को वसूल करने का प्रयत्न कर रहा है जो न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार बकाया राशि प्राप्त करने के लिये ऋणदाताओं के विरुद्ध डिग्री होने के फलस्वरूप बाकी है। उक्त सहायक न्यायालय के निदेशों के अन्तर्गत इन दावों को निबटाने के लिये कदम उठा रहा है।

कारों का तस्कर व्यापार

†२४४९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की पुलिस ने एक दल का पता लगाया है जो कलकत्ता से कारें चुरा कर पड़ौस के देश में ले जाता है ;

(ख) यदि हां तो चालू वर्ष में अब तक अनुमानत: कितनी कारें इस प्रकार चोरी छिपे ले जायी गई हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मिर्जापुर जिला (उत्तर प्रदेश) में अग्नि-मिट्टी (फायर-क्ले)

†२४५०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बंसी और माकरीखोट स्थानों पर ३५ लाख टन माध्यमिक अग्नि-मिट्टी (फायर क्ले) का पता लगा है; और

(घ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश सरकार के भूतत्व तथा खनन निदेशालय द्वारा किये गये कार्य के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ३० लाख टन माध्यमिक अग्नि-मिट्टी (फायर क्ले) के निक्षेप का पता लगा है।

कलकत्ता नेशनल बैंक

†२४५१. **श्री प० कुन्हन** :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता नेशनल बैंक (जिसका दीवाला हो गया है) के निक्षेपकों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिये प्राय: एक दशाब्दी पूर्व स्थापित किये गये न्यायालय समापक कार्यालय ने अभी तक स्थायी निक्षेपों का केवल २० प्रतिशत भुगतान किया है ;

(ख) यदि हां तो इस धीमी प्रगति का क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार इस धीमी प्रगति के कारणों की जांच करेगी ; और

(घ) इस भुगतान को पूरा करने के लिये कितना समय लगने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) न्यायालय ने जिन बकों के समापन का निदेश दिया था उन सब के सम्बन्ध में समापन कार्य करने वाले न्यायालय समापक ने जो कलकत्ता उच्च न्यायालय से सम्बद्ध है, समवाय अधिनियम की धारा २३० और बैंकिंग कम्पनी अधिनियम की धारा ४३-क के अधीन सब अधिमान्य भुगतान करने के बाद कलकत्ता नेशनल बैंक के साधारण निक्षेपकों को जिनमें स्थायी निक्षेपक भी शामिल हैं १०, १० प्रतिशत के लाभांश दिये हैं। तीसरा १० प्रतिशत का लाभांश घोषित किया गया है और १ फरवरी, १९६३ को दिया जाना है।

(ख) तथा (ग). समापन कार्यवाही उच्च न्यायालय के अधीक्षण में किया जती है। आस्तियों की वसूली में काफी समय लग जाता है।

(घ) और भुगतान भविष्य में प्राप्त होने वाली वसूलियों पर निर्भर करते हैं और इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि भुगतान कब तक पूरा होगा।

हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड द्वारा ट्रांसफार्मरों का निर्माण

†२४५२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इलैक्ट्रीकल्स, भोपाल में कितने ट्रांसफार्मरों का निर्माण किया गया और प्रत्येक ट्रांसफार्मर की वाल्टेज कितनी है ; और

(ख) इन ट्रांसफार्मरों का कैसे उपयोग किया गया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) अब तक ५० ट्रांसफार्मरों का निर्माण पूरा हुआ है। उनमें से ४५ ट्रांसफार्मर ३३ किलोवाट और ६६ किलोवाट के हैं।

(ख) पैंतालीस ट्रांसफार्मर राज्य बिजली बोर्डों को उनकी वितरण प्रणाली में प्रयोग के लिये अब तक भेजे गये हैं।

स्कूटर

†२४५३. **श्री साधु राम** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ब्रांडवार कितने स्कटर प्रतिवर्ष बनाये जाते हैं और प्रतिवर्ष प्रत्येक ब्रांड की मांग कितनी होती है ;

(ख) प्रत्येक ब्रांड की बिक्री और वितरण की प्रणाली क्या है ;

(ग) क्या चिकित्सा अधिकारियों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कटरों की बिक्री में अधिमान दिया जाता है ; और

(घ) क्या यह सम्भावना है कि स्कटर निर्माता स्कूटरों के मूल्य कम करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) स्कूटर का ब्रांड अनुसार उत्पादन इस प्रकार है :

स्कटरों का ब्रांड	१९६१	१९६२ (जनवरी-जन)
लम्ब्रेटा १५० सीसी	८०७१	५४४९
बेस्पा १५० सीसी	४७४६	१९२०
एनफील्ड १७३ सीसी	—	५७

प्रत्येक ब्रांड की अलग अलग मांग का पता नहीं लगाया गया है।

(ख) स्कूटरों की बिक्री और विवरण स्कूटर (विवरण और बिक्री) नियन्त्रण, आदेश, १९६० द्वारा नियन्त्रित है। इस नियन्त्रण आदेश के अनुसार स्कूटरों के व्यादेश प्राधिकृत अधिकारियों के पास दर्ज करवाने पड़ते हैं और उन प्रवृत्तियों के क्रम के अनुसार सम्भरण करना होता है। स्कटर की खरीद के एक वर्ष के भीतर उसे बेचा नहीं जा सकता। केवल राज्य स्कूटर नियन्त्रण की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है। कोई व्यक्ति एक वर्ष में एक से अधिक स्कूटर नहीं खरीद सकता।

(ग) साथ ही केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारियों को अधिमान दिया जाता है और अन्य चिकित्सा अधिकारियों और सामाजिक कर्मचारियों को अधिमान दिया जाता।

(घ) सरकार समय समय पर उद्योग की प्रगति का पुनर्विलोकन करती है और यह ध्यान रखती है कि किन उपायों से यथा समय मूल्य कम किय जा सकते हैं ये उपाय विज्ञानीकन और उत्पादन वृद्धि के हो सकते हैं।

केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड

†२४५४. **श्री सिद्धय्या :**
श्री प० ना० कयाल :
श्री सोनावाने :

क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड का निर्माण कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड व सदस्यों के काम क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड

†२४५५. **श्री सिद्धया :**
श्री प० ना० कयाल :
श्री सोनावाने :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड की बैठकें १ जनवरी, १९६१ से आज तक हुई हैं;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में बोर्ड ने कोई संकल्प पारित किये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वे कहां तक कार्यान्वित किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) हां, श्रीमान् । इस अवधि के दौरान हरिजन कल्याण के लिये केन्द्रीय मन्त्रणा बोर्ड की दो बैठकें हुई थीं ;

(ख) बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों आदि की प्रतिां सभा पटल पर रख दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ए ा टी० ४२८/६२]**

(ग) इन सिफारिशों की ओर राज्य सरकारों और संघ राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है ताकि वे इन पर विचार और कार्य करें ।

संघ राज्य क्षेत्रों में अस्पृश्यता सम्बन्धी समितियां

†२४५६. **श्री सिद्धय्या :**
श्री प० ना० कयाल :
श्री सोनावाने :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता अपराध अधिनियम १९५५ की कार्यान्विति की जांच के लिये प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में समितियां नियुक्त की गई हैं ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) तथा (ख). ऐसी समितिया संभी संघ राज्य क्षेत्रों में सिवाय अंदमान, निकोबार द्वीप समूह., लक्कद्वीप, मिनिकाय और अमीन-दिविप समूह और मनीपुर के जहां छूतछात नहीं है स्थापित की गई हैं ।

सहायक वायु सेना के अधिकारियों के लिये स्थायी कमीशन

†२४५७. **श्री अ० ब० राघवन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक वायु बल के अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो क्या पदोन्नति के लिये सहायक वायु बल में सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

सहायक वायु सेवा के विकास चालक

†२४५८. **श्री अ० ब० राघवन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायक वायुबल सेना के विमान चालकों को उड़ान उपहार देने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या उनको सेवा में आने के समय उड़ान उपहार देने की बात तय हुई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसको अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है ; और

(घ) क्या उसका भूतलक्षी प्रभाव से भुगतान किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) से (घ). सहायक वायु सेना के पदाधिकारियों की सेवा की शर्तों सम्बन्धी आदेशों में इन पदाधिकारियों को उड़ान उपहार देने का उपबन्ध है । कुछ विशेष कारणों से जो सहायक वायु बलमें सेवा से सम्बन्धित हैं इस उपबन्ध को क्रियान्वित करना संभव नहीं हो सका है । इस सम्बन्ध में उत्पन्न विभिन्न प्रश्नों पर सरकार विचार कर रही है ताकि उचित आदेश जारी किये जा सके ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल के कुछ कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान न किया जाना

†२४५९. **डा० सारादीश राय :**
डा० उ० मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सुरक्षा बलों से भरती किये गये राष्ट्रीय सेना छात्र दल के लगभग एक सौ प्रशिक्षण देने वाले कर्मचारियों को फरवरी, १९६२ से वेतन तथा भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको कुछ लेखा-परीक्षा आपत्तियों के कारण रोक दिया गया है ;

(ग) क्या इन लोगों को भूखों मरने से रोकने के लिये कोई तदर्थ भुगतान किया गया है ; और

(घ) लेखा-परीक्षा आपत्तियों को दूर करने और शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग ३० है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार के अन्तिम आदेश होने तक उनको वेतन तथा भत्तों की निम्नतम दर पर अस्थायी भुगतान करने के आदेश जारी किये गये हैं ।

(घ) लेखा-परीक्षा अधिकारियों ने इस कारण इन शक्तियों का वेतन रोका था कि उनकी पुनर्नियुक्ति सम्बन्धित नियमों के अनुसार नहीं थी । सम्बन्धित निम्न प्राधिकारियों से इन मामलों का पूरा ब्योरा मांगा गया है और ब्योरा प्राप्त होने पर इन व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति को नियमित करने के लिये उचित सरकारी आदेश जारी किये जायेंगे ।

टैक्निकल संस्थान

२४६०. **श्री राम सेवक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर में एक टैक्निकल संस्थान खोलने की योजना है ;

(ख) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में १७ लाख रुपये की लागत से जो संस्थान खोला जा रहा है उसमें केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह संस्थान कब तक कार्य करने लगेगी ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है लेकिन तृतीय पंचवर्षीय आयोजन के अधीन देश के विभिन्न हिस्सों में ८० पोलिटेक्निक स्थापित किए जा रहे हैं। इन इंस्टीट्यूशनों की जगह निश्चित करते समय उन ज़िलों को प्राथमिकता दी जाती है जहां उनके अपने कोई पोलिटेक्निक नहीं हैं ।

(ख) और (ग). जालौन में पोलिटेक्निक की स्थापना के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

श्रम कल्याण निधि

†२४६१. **श्री गो० महन्ती** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला में "हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड" औद्योगिक उपक्रम के अन्तर्गत एक श्रम कल्याण निधि बनाई गयी है ; और

(ख) क्या योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, नहीं। परन्तु इस प्रश्न को हाल ही में बनाई गयी कार्य समिति को सौंपा जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अपंग व्यक्तियों के लिये काम-दिलाऊदफ्तर

२४६२. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपंग व्यक्तियों के लिये खोले गये दिल्ली के काम-दिलाऊदफ्तर द्वारा गत छः मास में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : दिल्ली में स्थित विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोज़गार-दफ्तर ने १ फरवरी से ३१ जुलाई, १९६२ तक, ८६ विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार दिलाया ।

छपाई की मशीनों का निर्माण

†२४६३. **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५ से १९६१ तक की अवधि में कुल कितने मूल्य की छपाई की मशीनों का आयात किया गया ;

(ख) उन फर्मों के क्या नाम हैं जिनको इस समय छपाई की मशीनों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये हुए हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इनमें से कौन कौन सी फर्मों में विदेशी सहयोग है ;

(घ) वर्ष १९६१ में प्रत्येक में उत्पादन-लक्ष्य क्या था और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ;

(ङ) भारत में छपाई की मशीनों की वर्तमान प्राक्कलित मांग कितनी है ; और

(च) क्या सरकार लाइसेंस प्राप्त उन यूनिटों के विरुद्ध, जिनमें अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है अथवा वे लक्ष्य से बहुत पीछे हैं, उचित कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** :(क) वर्ष १९५५ से १९६१ तक की अवधि में आयात की गयी छपाई की मशीनों का मूल्य निम्न प्रकार है :

वर्ष	रुपये (लाखों में)
१९५५	१८९
१९५६	२४६
१९५७	२४८
१९५८	१९२
१९५९	१३४
१९६०	२६८
१९६१	३३५

(ख) से (घ). "छपाई मशीन उद्योग" उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता । तथापि, सरकार ने छपाई की मशीनों के विभिन्न मदों के निर्माण के लिये पांच योजनायें स्वीकार की हैं । इनमें से तीन विदेशी सहयोग से क्रियान्वित की जायेंगी । स्वीकृत योजनाओं का ब्योरा निम्न प्रकार है :

फर्म का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	निर्माण की मद और क्षमता (वार्षिक)
१. मेसर्ज़ ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, टीटागढ़, पश्चिम बंगाल	मेसर्ज़ डोसन पेयन एण्ड एलियट लिमिटेड, ब्रिटेन	फ्लैट बेड मशीनें स्टोप सिलन्डर टाइप २४० नग
२. मेसर्ज़ प्रिन्टर्ज़ हाउस (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली	मेसर्ज़ नीदरलैण्डस्य शेलपरसू फैबरिक बरसीड्स, होलैण्ड	१. स्टोप सिलंडर मशीन २४ नग २. कागज काटने की मशीनें ६० नग ३. प्रूफ प्रेस . ४८ नग
३. मेसर्ज़ ओरियन्टल इलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	. . .	१. विक्टोरिया टाइप प्रिंटिंग प्रेस १०० नग २. सिलन्डर प्रिंटिंग प्रेस १२० नग
४. मेसर्ज़ राम कृष्ण मशीनरी कारपोरेशन लि० कोयम्बटूर		१. ट्रेडिल मशीनें . २४० नग २. सिलन्डर मशीनें . ९६ नग ३. कटिंग मशीनें . ३०० नग

†मूल अंग्रेजी में

फर्म का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	निर्माण की मद और क्षमता (वार्षिक)	
५. मेसर्ज़ साहू जैन लिमिटेड (बिहार में स्थापित की जाने वाली)	मेसर्ज़ हमादा प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, जापान	१. प्रिंटिंग प्रेस २. स्टीरोटाइप उपकरण ३. नालीदार बोर्ड बनाने वाली मशीनें, प्रिंटर और स्लोटिड	क्षमता अभी निर्धारित नहीं की गयी है

इन पांच फर्मों में से अभी तक केवल मेसर्ज़ ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड में उत्पादन हुआ है। वर्ष १९६१ में वहां ६.७४ लाख रुपये का उत्पादन हुआ।

(ङ) लगभग ४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष।

(च) उन मामलों में जहां फर्में उचित समय में कोई प्रगति नहीं करतीं, योजना से सरकारी अनुमति वापस लेने के लिये कदम उठाये जाते हैं।

विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामलों की जांच

†२४६३-क. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय अथवा एन्फोर्समेंट निदेशालय के पदाधिकारियों को अप्रैल, १९५७ के बाद से भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करने के लिये योरोप भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी जांच की गयीं और कितने पदाधिकारी भेजे गये ; और

(ग) क्या इस जांच में उन विदेशों की सरकारों ने सहयोग दिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १ सितम्बर, १९६२ तक कोई व्यक्ति नहीं भेजा गया।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अतारांकित प्रश्न संख्या २१६४ के उत्तर में शुद्धि

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं दिनांक ३ सितम्बर, १९६२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१६४ के भाग (क) के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

विवरण

भाग (क) के उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(क) नागालण्ड में सरकारी कर्मचारियों को उन के वेतन के ३३ १।३ प्रतिशत की दर पर दिया जा रहा भत्ता, जिस में कुछ न्यनतम और अधिकतम सीमा है, "विशेष वेतन" कहलाता है न कि "उपद्रव-क्षेत्र भत्ता"।

---

†मूल अंग्रेजी में

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि श्री वी० के० कोरटकर की जो दूसरी लोक सभा के सदस्य थे, मृत्य ३ सितम्बर १९६२ को, ६६ वर्ष की अवस्था में हैदराबाद में हो गई है।

सभा उन के संतप्त परिवार से समवेदना प्रगट करती है ।

सभा अपनी समवेदना प्रगट करने के लिये कुछ देर खड़ी होगी ।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिन्ट के लिये खड़े रहे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जुनारदेव के निकट मोटर ट्रक और हल्के इंजन के बीच टक्कर

श्री बागड़ी (हिसार) : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत रेल मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

"१ सितम्बर, १९६२, को सेंट्रल रेलव के जुन्नरदेव स्टेशन के पास हुई रेल दुर्घटना जिस के फलस्वरुप ४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अन्य घायल हुए ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : १ सितम्बर १९६२ को रात में लगभग ९ बज कर ३० मिनट पर मध्य रेलवे के परासिया-आमला सेक्शन में जुन्नारदेव से इकलहरा की ओर जाता हुआ एक खाली इंजन मील ५८५, १।२ पर स्थित समपार फाटक नं० १५ पर (जुन्नारदेव स्टेशन की सीमा के अन्दर) एक ट्रक से टकरा गया । बिना अन्तर्पाश वाले इस समपार फाटक पर चौकीदार तैनात है ।

इस दुर्घटना की वजह से ट्रक में बैठे हुए ३ व्यक्ति वहीं मर गये । ट्रक के ड्राइवर और कन्डक्टर समेत ७ व्यक्तियों को चोटें आईं । इन को जुन्नारदेव के स्थानीय अस्पताल में भेजा दिया गया । बाद में उन में से कुछ नागपुर के मडिकल कालेज अस्पताल में भेज दिये गये ।

जो ज़ख्मी अस्पतालों में भेजे गये थे, उन में से दो बाद में मर गये । दूसरे दो ज़ख्मियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है । बाकी तीन अभी अस्पताल में हैं, दो नागपुर के अस्पताल में और एक जुन्नारदेव के अस्पताल में ।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही आमला से मेडिकल वान तुरन्त घटनास्थल पर भेज दिया गया और उसी वान में सहायक सर्जन भी वहां गये ।

सीनियर स्केल अफसरों की एक कमेटी दुर्घटना के कारण की जांच कर रही है ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे मंत्री महोदय से एक तो यह पूछना चाहूंगा कि उन के वक्तव्य में इस बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है कि यह ट्रक कैसे फाटक के अन्दर आ गयी, किस कमी की वजह से ऐसा हुआ, आया यह रेल कर्मचारियों की .

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिये, जो उन्हों ने नहीं दिया उस पर तकरीर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती ।

श्री बागड़ी : मैं सवाल तो कर दूंगा लेकिन उन की समझ में नहीं आयेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । आप सवाल इस तरह से करें कि सब की समझ में आ सके । आप सवाल कीजिये । इतने लम्बे चौड़े बयान के बाद सवाल नहीं आयेगा ।

श्री बागड़ी : मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह दुर्घटना हुई तो चौकीदार उस समय वहां मौके पर था या नहीं, और अगर था तो ट्रक कैसे अन्दर आ गयी । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इंजिन में बैठे थे उन को या इंजन को क्या नुक्सान हुआ ?

श्री शाहनवाज खां : जिस वक्त यह हादसा हुआ फाटक खुला था । इंजिन में जो आदमी थे उन में से किसी को नुकसान नहीं हुआ ।

श्री बागड़ी : मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : उन का सवाल था कि कुसूर किस का था, फाटक वाले चौकीदार का या किसी और का, और उस बारे में क्या कदम उठाया गया । अगर चौकीदार वहां था तो उसे ट्रक को रोकना चाहिये था । अगर यह फाटक लाजिमी तौर से बन्द होना चाहिये था, तो क्या इस में गेटमेन की गलती थी ।

श्री शाहनवाज खां : फाटक को बन्द होना चाहिये था । इस में गेटमन की गलती थी या स्टेशन मास्टर की गलती थी यह अभी तय नहीं हो सका है ।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है । मैं ने भी कालिंग अटेंशन का नोटिस दिया था . . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह मुझ से बाद में आ कर पूछ सकते हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लोक ऋण अधिनियम के अधीन वित्तीय लेखे और अधिसुचनायें

†**वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से (१) वर्ष १९६०-६१ के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४०६/६२]** ।

(२) लोक ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्न-लिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

(क) दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९५ में प्रकाशित लोक ऋण (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिनांक २५ अगस्त १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९६ में प्रकाशित लोक ऋण (प्रतिकर बाण्ड) दूसरा संशोधन, नियम, १९६२ ।

(ग) दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९७ में प्रकाशित लोक ऋण (वार्षिकी प्रमाण-पत्र) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४०३/६२]

हिन्दुस्तान मशीन औजार लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा समीक्षा

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मैं (३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर की वर्ष १९६१-६२ की वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षा की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४०२/६२]

तेल तथा प्राकृतिक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा २३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, वर्ष १९६१-६२ के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४०१/६२]**

भाषाई अल्प संख्यकों आयुक्त का चौथा प्रतिवेदन तथा अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) संशोधन नियम

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं (५) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) संविधान के अनुच्छेद ३५०ख (२) के अन्तर्गत भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त की चौथी प्रतिवेदन ।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २५ अगस्त, २ १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९४ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) संशोधन नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ४०४/६२ एल० टी० ४०४/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम १९६२ तथा यूनिटी बैंक लिमिटेड-मद्रास के पुनर्निमाण की योजना

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से (६) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० ११०१ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४०५/६२]

(दो) बैंकिंग कम्पनीज़, अधिनियम १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २६१४ में प्रकाशित यूनिटी बैंक लिमिटेड, मद्रास के पुनर्गठन और इसे स्टेट बैंक आफ इण्डिया में मिलाने की योजना ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४०८।६२]

आगरा अधिनियक १९२२ का धारा ५६क के अधीन वित उपक्रमों को रियायत दी गयी उनकी सूची

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं, उन उपक्रमों की एक सूची जिन्हें आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा ५६-क के अधीन रियायत दी गई है, सभा पटल पर रखती हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४०९।६२]**

प्राक्कलन समिति के चौदहवें कार्यवाही की गई प्रतिवेदन के ५वें अध्याय में की गई सिफारिशों पर दिये गये उत्तरों को बताने वाला विवरण

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं, प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के उत्तर बताने वाले निम्नलिखित विवरण, जो सम्बन्धित प्रतिवदनों में सम्मिलित किय जाने के लिय सरकार द्वारा समय पर प्रस्तूत नहीं किय गये

(एक) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की चौंतीसवां प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(दो) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की बावनवां प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बनाने वाला विवरण ।

(तीन) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की तिरेपनवां प्रतिवदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(चार) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की छप्पनवां प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(पांच) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की इकसठवां प्रतिवदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(छ) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की बासठवां प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(सात) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की पैंसठवां प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(आठ) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की सड़सठवां प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(नौ) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की अड़सठवां प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाल विवरण ।

(दस) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की सत्तरवां प्रतिबेदन के अध्याय ५ में दर्ज सफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(ग्यारह) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की बयास्सीवां प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(बारह) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की एकसौनौवां प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(तेरह) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की एकसौसत्तरहवां प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(चौदह) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की एकसौइक्यानवे प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर को बताने वाला विवरण ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही का सारांश

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दूसरे सत्र में हुई बैठकों (चौथी से आठवीं) के कार्यवाही सारांश पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्य की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही का सारांश

†**श्री मूल चंद दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की दूसरे सत्र में हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

याचिका समिति

कार्यवाही का सारांश

†**श्री तिरुमल राव** (काकीनाडा) : मैं याचिका समिति की दूसरे सत्र में हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखत हूं ।

---

†*मूल अंग्रेजी में*

बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बागड़ी द्वारा ५ सितम्बर, १९६२ को असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में, जो २७ अगस्त, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में बताई गई थी, उठाई गई चर्चा आगे जारी रहेगी।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री लोग कितना समय लेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले है, इसलिए कुछ समय बढ़ाया जाय।

श्री बागड़ी (हिसार) : समय बढाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री बागड़ी, तो अपना वक्त ले चुके है। अब उन को क्या दिलचस्पी है ?

जहां तक समय बढ़ाने का सवाल है, समय पहले ही काफ़ी लिया जा चुका है। अब तो हम आख़िर पर है। डिस्कशन शुरू होने के बाद हम देखेंगे। लेकिन चूंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलन चाहते हैं, इसलिए व कुछ कम समय लें। बहुत सी बातें पहले ही कह दी गई हैं। वे अपनी अपनी कांस्टीट्युएन्सी की नुमायंदगी करना चाहते हैं, लेकन अगर सब माननीय सदस्य पांच सात मिनट लें, तो मैं ज्यादा मेम्बरों को वक्त दे सकूंगा।

†**श्री क० ल० राव** (विजयवाड़ा) : भारत जैसे विशाल देश में जहां कहीं वर्षा विश्व में सब से अधिक होती है देश के एक या दूसरे भाग में बाढ़ का आना नितांत स्वाभाविक है।

बाढ़ के आने के तीन कारण हैं। पहिला कारण नदियों के बेसिन में भारी वर्षा का होना। दूसरा कारण यह है कि कहीं कहीं नदियों का जलमार्ग बहुत सीमित है जैसे कि काश्मीर में झेलम का। इसी कारण वहां ८ करोड़ रुपये की एक योजना को लागू करने का विचार किया है। तीसरा कारण है कि बाढ़ के मैदान में मनुष्य द्वारा अतिक्रमण जैसा कि यमुना के मामले में किया गया है।

यह तीनों समस्यायें ऐसी हैं कि उन पर कार्य करना काफी कठिन है। पहिले तत्व पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरा महंगा है तीसरे से लोगों के पुनर्वास की समस्या पदा हो जाती है।

देश में बाढ़ की समस्या बहुत पहिले से ही चली आ रही है। आगामी अनेक वर्षों में भी बाढ़ों की समस्या बनी रहेगी। परन्तु मंत्रालय को इस बात का श्रेय अवश्य दिया जाना चाहिये कि उसने १९५४ में राष्ट्र के समक्ष यह समस्या पेश करके राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा की। उस समय से डिब्रूगढ़, कोसी क्षेत्र, जलपाईगुड़ी तथा तलाईधाई जैसी विभिन्न योजनायें आरम्भ की गयीं।

बाढ़ की समस्या के हल के लिये देश को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिये अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल और आसाम को मिला कर पूर्वोत्तर क्षेत्र, उड़ीसा क्षेत्र, पंजाब और काश्मीर क्षेत्र तथा दक्षिणी पठार क्षेत्र।

इनमें से पहिले क्षेत्र में इस समस्या का रूप अत्यन्त गम्भीर है। इन नदियों में पानी और रेत बहुत है। उन में ढाल और प्रवाह बहुत है। वे नदियां अपने बहने का मार्ग भी बदलती रहती हैं। इस क्षेत्र के लिये दो पृथक् पृथक् आयोग बनाये जाये। उन में से एक का मख्य कार्यालय पटना

†मूल अंग्रेजी में

में हो और दूसरा गौहाटी में । इन आयोगों को अपने अपने क्षेत्र की नदियों का पूरी तरह निरीक्षण करना चाहिये तथा तदुपरांत कोई व्यापक योजना प्रस्तुत करनी चाहिये ।

उड़ीसा क्षेत्र की नदियां अधिक स्थिर हैं। परन्तु अधिकांश नदियां पहाड़ी भाग पर बहती हैं । वहां की मुख्य समस्या तटबंधों की मरम्मत या उन्हें बनाये रखना है ।

तीसरे और चौथे क्षेत्रों की समस्यायें अपेक्षाकृत सरल हैं। वे सम्बन्धित राज्यों पर छोड़ी जा सकती हैं। केन्द्र को उन पर अपनी शक्ति नहीं लगानी चाहिये । केन्द्र को अपना समस्त ध्यान पहिले और दूसरे क्षेत्रों की समस्यायें हल करने में लगाना चाहिय ।

साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि हम बाढ़ सहायता समितियों की स्थापना करें जिससे कि विपत्ति आने पर लोग घबरायें नहीं । तथा उन्हें संगठित रूप से सहायता मिलती रहे ।

समस्त भारत में हम ने तटबंधों तथा नियंत्रण साधनों का निर्माण किया हुआ है । हमें उनका संधारण करना चाहिये ।

मेरे विचार से बाढ़ नियंत्रण सेवा की स्थापना की जानी चाहिये जो बाढ़ के समय तत्काल सहायता कार्य कर सके ।

यह स्मरण रखना चाहिये कि अनियंत्रित नदियां बर्बादी का बहुत बड़ा कारण सिद्ध हो सकती हैं जब कि नियंत्रण के पश्चात् उन से मानवता का परम हित हो सकता है ।

श्री विश्व नाथ पाण्डेय (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के कारण देश में काफी दुर्घटनायें होती हैं और उस के सम्बन्ध में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है, परन्तु तीन प्रदेशों में काफी नुकसान हुआ है अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में यह क्षति अपार है, परन्तु इस में सिर्फ सरकार का ही दोष नहीं है बल्कि प्रकृति का भी है, और प्रकृति के कारण यह देश सर्वदा तबाह होता आया है । बाढ़ सिर्फ इसी वर्ष नहीं आई है, पहले से भी बाढ़ें आती रही हैं, लेकिन इस वर्ष की बाढ बड़ी भयंकर है । इस बाढ़ ने इन तीन प्रदेशों को अपार क्षति पहुंचाई है ।

सिंचाई मंत्री महोदय ने इन प्रदेशों का हवाई जहाज से दौरा किया । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने और वित्तमंत्री महोदय ने भी उत्तर प्रदेश का दौरा किया है । इसी प्रकार अन्य प्रदेशों के मंत्रियों ने अपने अपने प्रदेशों का दौरा किया है । लेकिन हवाई जहाज से चल कर या रेलों से चल कर बाढ़ की गम्भीरता और भयंकरता का ज्ञान नहीं हो सकता । उस का ज्ञान तो तभी हो सकता है जब आदमी पैदल जाये, गांवों में जाय, बाढ़ के क्षेत्रों में जाय और उन में रहे । वह बाढ़ के द्वारा हुई तबाही को देखे, तभी उस को उस का ज्ञान हो सकता है । लेकिन जो भी सरकार की तरफ से किया गया वह सराहनीय है और आपत्तिकाल में जो भी सहायता प्रदान की जाती है उस के लिये हम आभारी हैं ।

उत्तर प्रदेश की आबादी साढ़े सात करोड़ है, उस में से पूर्वी अंचल में, जिस को पूर्वी उत्तर प्रदेश कहते हैं, करीब दो करोड़ आदमी निवास करते हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उस की ओर सरकार की तरफ से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये, प्रदेश सरकार की ओर से भी और केन्द्रीय सरकार की ओर से भी । इस प्रदेश में अक्सर दैवी प्रकोप भी हुआ करता है, कभी बाढ़ों के कारण और कभी सूखा के कारण । इस वर्ष बाढ़ से इस पूर्वी अंचल में तबाही हुई है । इस पूर्वी अचल में जो जिले हैं, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा आदि, यह जिले काफी तबाह हुए हैं । उन में करोड़ों रुपयों की फसलों की बरबादी ई है, उस से करोड़ों आदमी ग्रसित हुए हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ सरकारी आंकड़ों से काम नहीं चल सकता है। सरकारी आंकड़े तो पटवारियों और तहसीलदारों के द्वारा प्रस्तुत किय जाते हैं। सिंचाई मंत्री महोदय ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वे उन्हीं पर आधारित हैं। लेकिन यदि हम उन्हीं आंकड़ों को देखें तो उनकी तुलना में जो सहायता प्रदान की गई वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सिर्फ नमक, चना और दिया-सलाई से काम नहीं चल सकता है। उन लोगों की और भी समस्यायें हैं जो कि बहुत गम्भीर हैं। उन समस्याओं की ओर मैं सदन का और सदन के द्वारा प्रादेशिक सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पूर्वी क्षेत्र में एक देवरिया जिला है जिसकी आबादी २४ लाख है और वहां खेती की जमीन इतनी कम है कि वह एक आदमी के पीछे आधा एकड़ से भी कम पड़ती है। मैं अर्ज करूंगा कि वहां की जनसंख्या के अनुसार वहां पर अन्न उपजाया जा सकता है लेकिन दुर्भाग्य उस इलाके का है कि उसमें बहुत सी खतरनाक और खौफनाक नदियां बहती हैं जैसे बड़ी गंडक, छोटी गंडक सरयू, घाघरा, राप्ती, मंझना, बथुआ, गोरां आदि। यह सब नदियां ऐसी हैं जो कि उस जनपद के दो तिहाई हिस्से से अधिक जमीन को खत्म कर देती हैं। इस वर्ष उनमें भयंकर बाढ़ आई जिससे कि लाखों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई, करोड़ों रुपयों की फसल बरबाद हो गई, जिले का आवागमन ठप्प हो गया, और बहुत से घर धराशायी हो गये। यदि हम हिसाब लगायें तो स्वतन्त्रता के बाद बाढ़ के द्वारा इस जनपद में ५८ करोड़ रुपये की हानि हुई है। इस जनपद में बाढ़ें आती जाती रहती हैं, हर वर्ष उसमें बाढ़ आती है, कभी बड़ी गंडक में, लेकिन अब की यह दुर्भाग्य हुआ कि सारी नदियां बह चलीं, सारी नदियों में बाढ़ आ गई और जनपद का दो तिहाई हिस्से से अधिक तबाह हो गया। इसके लिये सरकार कुछ प्रबन्ध करती है, कुछ बान्ध बनवाती है, कुछ स्कीमें चलवाती है, लेकिन उसमें कमी यह होती है कि उन कामों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध नहीं होता। नतीजा यह होता है कि कामों में देरीहोती है और संकट बढ़ता ही चलता है। अब की लाखों लहलहाते हुए खेत पानी के अन्दर आ गये, बहुत से आदमी शरण लेने के लिये घरों से छतों पर चले गये। उनके रहने का ठिकाना नहीं है, उनके भोजन का ठिकान नहीं है। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि एक लाख आदमी ऐसे होंगे जिनके लिये एक दिन के लिये भी खाने का ठिकाना नहीं है।

मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ इलाकों में जैसे रुद्रपुर का इलाका है, भाटपार का इलाका है और भटनी का इलाका है, इनमें बाढ़ के समय आवागमन बन्द हो जाता है। अगर भटनी में और नदावर घाट पर पुल बना दिया जाए तो यह कठिनाई दूर हो सकती है। और बाढ़ के समय जो एक स्थान से दूसरे स्थान का जाना कठिन हो जाता है वह कठिनाई दूर हो जाएगी। रुद्रपुर का एरिया कछार का इलाका है। इसमें ५० हजार आदमी रहते हैं और यह सदा जलमग्न रहता है। सरकार ने इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय हो गया।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : दो मिनट और दे दिये जाये।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो वादा किया था कि जल्द खत्म कर देंगे, एक मिनट और ले लीजिए।

श्री विश्वनाथ पांडेय : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जिनमें कुछ तो तात्कालिक हैं और दूसरे दीर्घकालीन। तात्कालिक सुझाव तो यह है कि जिन लोगों के घर गिर गए हैं उनके भोजन

की व्यवस्था की जाए और जो पढ़ने वाले बच्चे ह उनकी फीस माफ की जाए। बाढ़ के कारण ६०० या ७०० स्कूल बन्द कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त तकाबी दी जाए और जो सरकार वसूली कर रही है उसको बन्द किया जाए।

दीर्घकालीन सुझाव यह है कि वहां छोटे उद्योग धन्धों का विकास हो और सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं ताकि हम अपनी फसल को पका कर अन्न अपने यहां रख सकें। इसके अतिरिक्त एक आयोग नियुक्त किया जाए जो बाढ़ की रोकथाम के उपाय बताए।

†**श्री लीलाधर कटकी** (नौगांव) : इस वर्ष आसाम में बाढ़ की समस्या ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है कि उसके हल की कार्यवाही राज्य सरकार के बस की नहीं रही है। उस राज्य को संकट से निकाल ले ने के लिए केन्द्र को सहायत करनी चाहिए।

बाढों का राज्य की अर्थ व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। लगभग ५ करोड़ रुपयों की वार्षिकहानि राज्य सरकार को होती है।

बाढ़ की समस्या की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह सही बात है कि बाढ़ों को रोकने का काम आसान नहीं है, परन्तु वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय युक्तियों द्वारा उनकी भयंकरता को कम किया जा सकता है।

सरकार को इस बार इस सम्बन्ध में ठोस कार्य करना चाहिए ताकि लाखों लोगों की तकलीफ और फसलों की हानि को कम किया जा सके।

आसाम में 'अहू' और पटसन की फसल को १३ करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है। शाली फसल की हानि का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : मैसूर राज्य के बंगलौर, चितलदुर्ग और कोलार के तीन जिलों में बाढ़ों से भयंकर हानि हुई है।

उत्तर के समाचार पत्रों ने बिहार, आसाम और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो सहानुभूति दिखलाई है वही सहानुभूति दक्षिण के लोगों के प्रति भी दिखानी चाहिए। इसी प्रकार से राष्ट्रीय एकता बढ़ सकती है। माननीय मंत्री को मैसूर राज्य का भी सर्वेक्षण करना चाहिए।

अरकावती नदी की बाढ़ से शहतूत का बाग नष्ट हो गया है जो वहां के रेशम कीट पालन उद्योग का आधार था। सारी नदी में रेत भर गई है। अतः जो सहायता बिहार, उत्तर प्रदेश और आसाम के लोगों को दी गई है, वही सहायता इस क्षेत्र में मैसूर के लोगों को दी जानी चाहिए।

तृतीय योजना में बाढ़ नियन्त्रण तथा अन्य उपायों पर ६२ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। उसका उचित अंश दक्षिण क्षेत्र को भी मिलना चाहिए।

सरकार को तटीय क्षेत्रों में अपना समुद्र कटाव निरोधक कार्य बढ़ाना चाहिए। पश्चिमी तट की खार भूमि को, जो खती के अयोग्य हो गई है, पहले जैसा ही उपयोगी बनाया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री मसूर राज्य का दौरा करें और जो लोगों के लिए करना चाहिए वह करें।

श्री इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : जनाव स्पीकर साहब, फ्लड-कंट्रोल के बारे में बहुत से भाइयों ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में तब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है, जब तक कि इस काम के लिए हमारे पास रिसोर्सिज़ न हों, हमारे पास पैसा न हो। इंजीनियर्ज़ चाहे अच्छी से अच्छी स्कीम्ज़ बनायें, लेकिन वे स्कीम्ज़ पैसे के बग़ैर कामयाब नहीं हो सकती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्लड कंट्रोल के लिये तीसरे प्लान में ६१ करोड़ रुपया दिया गया है, जिस में फ्लड कंट्रोल भी है, वाटर-लॉगिंग के मुताल्लिक काम भी है, एन्टी-सी-इरोज़न मेज़र्ज़ भी हैं और साथ ही शहरों को बचाने के लिए फ्लड-प्रोटैक्शन एम्बैंकमेंट्स भी शामिल हैं ।

इस सिलसिले में अगर हम यू० पी० को लें, तो हम देखते हैं कि यू० पी० को इस काम के लिए ५.७५ लाख के करीब रुपये दिये गये । यू० पी ० ने ८० लाख के करीब तो दूसरे प्लान में खर्च किया, लेकिन उसकी पेमेंट तीसरे प्लान में की जायगी । लखनऊ शहर को बचाने के लिए ढाई करोड़ के करीब रकम खर्च की जायेगी । इस तरह जो बाकी ढाई करोड़ रुपया बच जाता है, वह यू० पी० की सात करोड़ की आबादी के लिये पांच साल में ख़र्च किया जायेगा । इसका मतलब यह है कि वहां पर एक आदमी पर पांच साल में ३३ नये पैसे ख़र्च किये जायेंगे और इस तरह एक आदमी पर एक साल में सिर्फ पांच छः नये पैसे ख़र्च होंगे । इंसलिय मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम चाहे कितनी बहस करें, कतनी पायस विशिज़ करें, अगर हमने एक आना फ़ी-आदमी फ़ी-साल के हिसाब से फ्लड कंट्रोल पर ख़र्च करना है, तो इफ़क्टिव काम नहीं हो सकता है ।

जहां तक बिहार का ताल्लुक है, उसकी आबादी पांच करोड़ है और वहां पर हमने तीन करोड़ रुपया खर्च करना है, जिस में से एक करोड़ रुपया कोसी पर ख़र्च किया जायगा । सारे बिहार में पांच साल में सिर्फ़ दो करोड़ रुपया खर्च किया जायगा और इसका मतलब यह है कि वहां एक आदमी पर पांच साल में चालीस नये पैसे और एक साल में .सर्फ़ आठ नये पसे ख़र्च किये जायगे । मैं यह पूछना चाहता हूं .क जब एक साल में एक आदमी पर सिर्फ़ आठ नये पैसे ख़र्च किये जायें, तो आख़िर कितना काम हो सकता है । अगर फ्लड कंट्रोल के सिलसिले में इफ़ेक्टिव काम करना है, तो प्लानिंग कमिशन को इसके लिए और पैसा देना चाहिए और उसके बग़ैर यह कोई काम नहीं हो सकता है ।

जहां तक डा० राव का ताल्लुक है, मैं उनकी बहुत कद्र करता हूं । वह बड़े काबिल आदमी हैं । लेकिन एपरोच में फ़र्क होता है---एक नैरो एपरोच होती है और दूसरी ब्राड एपरोच । पहली एपरोच में सारे मुल्क और अवाम का ख़याल रखा जाता है और दूसरी एपरोच में सिर्फ़ तबके का, जैसे शहरों का । डा० राव ने कहा कि ताजेवाला से ज्यादा पानी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे दिल्ली डूब जायेगी । इसका मतलब तो यह है कि दिल्ली नहीं डूबनी चाहिए, चाहे रास्ते की सारी आबादी---चाहे वह बीस लाख की आबादी हो---डूब जाये । डा० राव ने यह भी कहा कि जमुना पर एम्बैंकमेंट्स नहीं बनाए जाने चाहिएं, हालांकि यू० पी० गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि जमुना पर डैम और एम्बैंकमेंट्स बनाए जाने चाहिएं, ताकि वहां के इलाके को फ्लड्ज़ से बचाया जा सके । मैं समझता हूं कि उस बात पर भी गौर करना चाहिए ।

जहां तक असम का ताल्लुक है, उसके लिए आपने पांच करोड़ की व्यवस्था की है जिस में दो करोड़ रुपया सिर्फ डिब्रुगढ़ पर खर्च होगा और बाकी तीन करोड़ रुपया सारे असम में खर्च किया जाएगा। इतने पैसे से कोई खास काम नहीं हो सकता है। आप कितना अच्छा काम भी इससे करना चाहें, कोई अच्छा नतीजे निकलने की आप उम्मीद नहीं कर सकते। यह करोड़ों आदमियों का सवाल है। एक करोड़ आदमी हर साल इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं और जब बाढ़ ज्यादा आती है तो पता नहीं कितने प्रभावित होते हैं। आप क्या आशा करते हैं कि इस रुपये से कुछ हो सकेगा? इस वास्ते पैसा ज्यादा से ज्यादा आपको इन योजनाओं के लिए देना होगा। मैं समझता हूं कि इस हाउस को कहना चाहिये, इस मंत्रालय को प्लानिंग कमिशन को कहना चाहिये कि जो स्कीम्ज़

हैं, उनके लिए कम से कम ११७ करोड़ रुपये के करीब जो शुरू शुरू में ड्राफ्ट प्लान में रखा गया है, उतना रुपया तो वह दे और जब तक वह इतने रुपये की व्यवस्था नहीं करता है तब तक कुछ भी काम नहीं हो सकता है। हम चाहे कितनी लम्बी चौड़ी बहस कर लें, चाहे जितनी तकरीरें कर लें, कुछ भी बिना पैसे के नहीं हो सकता है और न कोई लाभ पहुंच सकता है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि जो जो भी फ्लड एफेक्टिड एरियाज़ हैं, जहां जहां पर ज्यादा बाढ़ का असर होता है, जैसे पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, असम है, उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रांट्स दी जाएं। इस के साथ साथ उन सूबों को भी सोचना चाहिये कि केवल वे शहरों की रक्षा ही न करें, कैपिटल की रक्षा ही न हो बल्कि देहातों में जो भाई रहते हैं, उनकी भी रक्षा हो। उनको भी बचाना बहुत जरूरी है। वहां पर भी अव्वाम रहते हैं। हिन्दुस्तान में रहने वाले हर आदनी का यह राइट है कि वह सरकार से यह मांग करे कि वह उसकी प्रोटैक्शन के लिए कदम उठाये, उसको इन बातों से बचाये, उसकी बेहतरी करे।

अब मैं एम्बैंकमेंट्स के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। यह सब से सस्ता काम है। इसको अगर आप बहुत तेज़ी से करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा आपको इससे होगा। मैं मानता हूं कि जो लोग एम्बैंकमेंट्स के अन्दर आ जाते हैं उनको नुक्सान होता है लेकिन उसके बावजूद भी इससे सस्ता काम और दूसरा नहीं हो सकता है। इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिये और यदि आपने ऐसा किया तो ज्यादा से ज्यादा इलाके की रक्षा आप कर सकेंगे।

एक और चीज़ की तरफ आप ध्यान दें। ये जो इलाके हैं खास करके ईस्टर्न यू० पी० के जो इलाके हैं उन में सीपेज नहीं है, ज़मीन की एवज़ार्विंग कैपेसिटी नहीं है। जब तक ज़मीन एक्ज़ार्विंग कैपेसिटी अपनी कायम नहीं करेगी, तब तक थोड़ा फ्लड भी आए तो उससे भी काफी नुक्सान हो जाता है। इस के लिए सब से जरूरी बात यह है कि शैलो ट्यूब वैल्ज़ उन एरियाज़ में जहां फ्लड आते हैं, लगाये जायें।

कुछ ऐसे प्राब्लैम्ज़ भी हैं जिन को बहुत कम पैसे से हल किया जा सकता है। कप एरियाज़ जिन को कहा जाता है, उनके भी कुछ प्रावलैम्ज़ हैं। हमने देखा है कि दो साल हुए रोहतक में बाढ़ आई थी। अब रोहतक के पास कोई दरिया नहीं है कोई नदी नहीं है, कुछ नहीं है लेकिन वह कप की शक्ल का इलाका है और थोड़ा सा पानी आता है वहां पर तो वह इकट्ठा हो जाता है। इस ढंग के जो बहुत से इलाके हैं और जिन को कप एरियाज़ कहा जाता है वहां पर मामूली सा रुपया खर्च अगर किया जाए, ड्रेनेज़ का इंतजाम किया जाए तो उनको बहुत आसानी से बचाया जा सकता है।

कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जहां पर कोई दरिया आता है तो उसमें बहुत सी शाखायें आ कर मिल जातो हैं। गंगा को ही आप ले लीजिये। गंगा की बहुत सी शाखायें उस में आ कर जब शामिल होने लगती हैं तो उनका जो बैड है, वह ऊंचा हो जाता है और इस वजह से वह फैल जाता है और ज्यादा नुक्सान करता है। इससे वाटलनैक्स भी पैदा होते हैं। उनको दूर किया जाना चाहिये। इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में इस किस्म का प्रावलैम है और इस तरफ आपका ध्याना जाना चाहिये।

जहां तक डैम्ज़ का सम्बन्ध है, वे तो बनने ही चाहियें। जितना ज्यादा से ज्यादा उन पर खर्च किया जा सकेगा उतना ही अच्छा होगा और उन से आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

अब मैं टेमिंग आफ चोज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हर एक दरिया का एक ढंग होता है। तीन मील तक वह इकट्ठा चलता है, उसके बाद वह फैलता है उसके बाद फिर वह इकट्ठा चलता है और फिर फैलता है। पंजाब के इंजीनियर्ज़ ने इस समस्या को समझ करके अपने दरियाओं को टेम करना शुरू किया है। यह ठीक है कि एक स्टेट ने यह तजुर्बा किया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो छोटा आदमी है वह जो तजुर्बा करता है, जिस चीज़ को वह निकालता है, बड़ों के दिमाग में न आ सकती हो। लेकिन अगर वह अच्छी चीज़ हो तो उसको अमल में लाया जाना चाहिये। जिस ढंग से पंजाब में चोज़ को टेम किया जा रहा है, उसी ढंग से हिन्दुस्तान के दरियाओं को अगर आप टेम करें तो बहुत सस्ते में, बहुत कम रुपये में आपको ज्यादा लाभ हो सकता है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से पंजाब में इस फ्लड प्राबलैम को साल्व किया गया है, अगर उसी चीज़ को आप उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लागू करेंगे तो आपको बहुत फायदा हो सकता है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : बाढ़ समस्या को अखिल भारतीय समस्या समझना चाहिए। क्षेत्रीय समस्या नहीं। माननीय मित्रों ने इस समस्या का पूर्णतया समाधान करने के लिए तरीके बताए हैं, परन्तु जो लोग दुःखी हैं उन्हें शीघ्र सहायता देने के प्रश्न की ओर ध्यान देना चाहिए।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में मीलों तक न मकान रहे हैं, न खाने के लिए अन्न और न खाना बनाने के लिए आग। ऐसी परिस्थिति में वहां लोग रह रहे हैं। जो लोग इस प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं उन्हें तुरन्त सहायता दी जानी चाहिए। सरकार को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को राजकोष से करोड़ों रुपये भेजे जाएं।

ग्रामों के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। वे हमारे स्वामी हैं। हम उन के नौकर हैं। अधिक देर तक उन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस से लोकतन्त्र को खतरा होगा। ग्राम के लोगों की हालत खराब होने पर उन पर कर लगाए जाने की धमकी है। वे पहले ही दुःख उठा रहे हैं। उन को और दुःख देना उचित नहीं।

हमें दुःखी लोगों की शीघ्र सहायता करनी चाहिए चाहें हमें अपने विकास कार्य को भी बन्द करना पड़े।

यह बात मैं पुनः कहना चाहता हूं कि लोग खुश नहीं हैं। राज्य सरकारों को इन भूखे लोगों पर अधिक कर लगाने की सलाह न दी जाए।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, परसों अभी एक सेमिनार सेंट्रल हाल में चल रहा था। उस में एक बहुत बड़े विशेषज्ञ ने बतलाया कि बाढ़ के इलाके में किस तरह से पैडी उगाया जाय जिस से कि वहां की गरीबी में सुधार हो सके। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें बाढ़ का कोई एहसास नहीं है। मैं आप से बतलाता हूं कि मैं उस इलाके से आया हूं जो गंगा और गोमती का है। जहां बाढ़ अक्सर आया करती है वहां पर मेरा घर है। बाढ़ कभी किसी को नहीं बतलाती कि मैं कब आ रही हूं। अपनी अपनी जगह लोग सोये हुए होते हैं, रातों रात पानी भर जाता है, लोग अपने बच्चों को पकड़ें

†मूल अंग्रेजी में

या सामान को पकड़ें, गल्ले को देखें, क्या करें। नतीजा यह होता है कि पूरा का पूरा घर बह जाता है और गिर जाता है। जब इस तरह से सडेन राइज वाटर का होता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसमें क्राप कैसे उगाई जा सकती है। जब पानी भर जायेगा तो फ़सल को कोई रेस्पिरेशन नहीं मिल सकता, जिससे कि फसल खत्म हो जाती है।

दूसरी बात मैंने यह सुनी है कि मकानों के नीचे नांवें बंधी रहनी चाहियें। अवश्य नावें बंधी रहनी चाहियें, लेकिन नावें तो बंधी रहेंगी घर के पास, जानवर क्या करेंगे? सब से बड़ा मसला यह है। बाढ़ जिस वक्त आती है न खाना रह जाता है, न कपड़ा रह जाता है, न घर का सामान रह जाता है सारा सामान बह कर एक हो जाता है। उस के बाद का प्रभाव आप को बतलाउं। बाढ़ के पानी भर जाने के बाद फसलें चली जाती है, घर गिर जाता है और जहां पर गड्ढे होते हैं वह भर जाते हैं। जहां पर मिट्टी होती है वहां बालू हो जाती है और जहां बालू होती है वहां मिट्टी हो जाती है। फसल तो चाहे एक बार खड़ी भी रहे लेकिन चारे की जड़ें सूख जाती हैं। उसको जानवर खा नहीं सकते, उसमें बदबू आने लगती है। उस के बाद किसान के पास गल्ला नहीं होता। बाढ़ के बाद से अप्रैल तक उस के पास खाने का ठिकाना नहीं होगा। जो जमीन पानी के अन्दर आ जाती है कभी कभी उसमें इतनी नमी आ जाती है कि सारी पैदावार मारी जाती है। कहीं कहीं फसलें अच्छी भी हो जाती है। यह बाढ़ का नक्शा है।

मैं अर्ज कर रहा था कि अभी आप ने देख होगा अखबारों में उत्तर प्रदेश के फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपना बयान दिया कि किसानों को दियासलाई से ले कर खाने तक का सामान इकट्ठा करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला चारे का होता है। आदमी तो किसी कीमत पर गल्ला पा सकता है, लेकिन जानवर क्या खायेंगे। सब से बड़ा प्रश्न यह होता है। दूसरी तरफ ज्यादा खेत जोतना पड़ता है, बीच का इन्तजाम करना होता है।

दूसरी चीज यह है कि बाढ़ के समय में घरों में सांप और बिच्छु बहुत से घुस जाते हैं, पेड़ों पर सांप बहुत से चढ़ जाते हैं। मैंने देखा है कि नावें जो चलती हैं उनमें सांप घुस जाते हैं, बीमारियां फैल जाती हैं और आदमी मरते हैं। यहां पर स्टेटमेंट निकलते हैं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो फिगर्स देती हैं उनको सही नहीं मानता हूं क्योंकि उनमें बहुत फर्क होता है। उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा कि ६,००० गांवों ने सफर किया जब कि हमारे सेंटर के मिनिस्टर कहते हैं ५७५२, लैंड अफेक्टेड—यू०पी० के मिनिस्टर कहते हैं २० लाख एकड़ लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर कहते हैं १४.१८ लाख एकड़, पीपल अफेक्टेड—यहां पर कहा जाता है कि २१ लाख और यू०पी० में बतलाया गया ३६.९७ लाख। यह फिगर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिये हैं। दोनों गवर्नमेंटों के फिगर्स में कितना फर्क है।

मैंने देखा है कि ईस्टर्न यू०पी० के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अर्थात बस्ती, गोरखपुर, देवरिया आदि, दे आर काल्ड दि बाउल आफ इंडिया। इस तरह की वे डिक्ट्रिक्ट्स हैं जो कि कप की तरह पर हैं, जिनसे पानी निकलता नही। यह एक दो साल की बात नहीं है, हमेशा वहां पर बाढ़ की समस्या बनी रहती है। यहां पर सेमिनार के अन्दर कहा गया नुक्सान के बारे में। वहां जो कागज रक्खा गया उसमें था कि ७० करोड़ रुपये का नुक्सान हर साल होता है, लेकिन वहां इंजीनिअरों ने बतलाया कि यह नुक्सान करीब १०० करोड़ का डाइरेक्ट होता है, इनडाइरेक्ट शायद और ज्यादा होता होगा। इस तरह से देखा जाय तो यह बड़ी गम्भीर समस्या है कि हर साल १०० करोड़ रु० का नुक्सान होता है। लेकिन

इसके बावजूद हमारी सरकार ने क्या किया ? इस सम्बन्ध में बतलाया गया था कि यहां पर ३८०० मील लम्बे बांध बनाये गये, ६७ लाख एकड़ जमीन बचाई गई, ५७ शहर बचाये गये, ४३५२ गांव ऊंचे किये गये उत्तर प्रदेश में। इस सदन में, जब कभी यहां बिजली नहीं मिलती है, माननीय सदस्य हल्ला मचाते हैं, लेकिन जब किसानों को खाने को नहीं मिलता है, जब वे बाढ़ से मरते हैं, जब फसल खराब होती है, उस समय सरकार क्या करती है ? क्या इमिजिएट रिलीफ उनको दिया जा रहा है ? मैंने सुना कि यहां सजेशन दिया गया कि ऐफारेस्टेशन, स्वायल कंजर्वेशन, एम्बैंकमेंट, कंस्ट्रक्शन आफ डैम, ड्रेनेज,-सिल्टिंग इन बैड्स, इन सब का प्रबन्ध होना चाहिये। ठीक है। इसमें किसी की दो रायें नहीं हैं कि लांग टर्म स्कीम में ऐसा होना चाहिये, लेकिन शार्ट टर्म प्रबन्ध आप क्या करते हैं ? जिस समय कि उनको खाने पीने का जरूरत है। इस समस्या का क्या हल निकाला जा रहा है ? इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि गांवों को ऊंचा किया जा रहा है तो किया जाये, उनके पास नावें हों, उनको इस वक्त खाना पहुंचाया जाये, उनकी दवाओं का इन्तजाम हो, उनके लिये बोने के बीज का इतजाम किया जाये।

अब मैं एक दो बातें और कहूंगा। एम्बेंकमेंट के लिये तो रुपया खर्च किया जाता है लेकिन एम्बेंकमेंट बनाये जाते है कंट्रेक्टर्स के जरिये। एक तो वैसे ही उन पर आधा रुपया खर्च होता है, उसमें से भी आधा रुपया कण्ट्रैक्टर्स खा जाते है। मुझे याद है कि पिछले सालों बनारस में गडाई नदी पर एक एम्बेंकमेंट बना पचास लाख रुपये लगा कर, वह टूट गया और सारी चंदौली तहसील बह गई। इंजीनियर्स से जब पूछा गया तो कहा गया कि यह एक टेकनिकल मिस्टेक है। लेकिन इंजीनियर को ५० लाख की स्कीम से हटा कर ३ करोड़ की स्कीम पर लगा दिया गया।

इसके बाद बतलाया गया कि ४३५२ गांव ऊंचे किये गये। लेकिन ८०, ९० गांव ऐसे थे जो नक्शे में नहीं थे और ऊंचे किये गये। उनका रुपया ड्रा कर लिया गया लेकिन वे ऊंचे नहीं किये गये। कहते है वह कंट्रेक्टर मिनिस्टर साहब का कोई रिश्तेदार या सम्बन्धी था।

इसी तरह आप कपड़े और गल्ले को लीजिये। गल्ला जाता है लेकिन बीच में ही लोग खा जाते है। कम्बल दिये गये। उन में पांच रुपये, दस रुपये, पन्द्रह रुपये तक के कम्बल थे। उन कम्बलों को पिछले एलेक्शन में बांट बांट कर एलेक्शन प्रचार किया गया। (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : मैं घंटी बजाने वाला हूं, आप को जरूरी बात कहनी हो वह कह दें।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब हो गई है। वहां एक महीने तक सूखा पड़ा रहा, जहां १८ जून को पानी बरसना चाहिये था लेकिन १८ जुलाई को बरसा। बाद में आई बाढ़। एक साहब ने बतलाया कि वहां गरीबी देख कर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कांफिडेंशल लेटर भेजा डी० एम० के पास कि लोगों की गरीबी न दिखलाई जाये और लिखा कि उनको मजदूरी ज्यादा दी जाती है। चौथी बात यह है कि इस सब के बावजद यू० पी० में लेंड रेवेन्यू बढ़ाई जा रही है। मैं आप के जरिये प्रार्थना करूंगा कि उत्तर प्रदेश के इन जिलों में, बिहार और असम जहां भी बाढ़ आई है वहां जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके वह" पहुंचाना लाजिमी है।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, प्रकृति के प्रकोप के कारण आज जो परिस्थिति पूर्वोत्तर भारत में पैदा हो गई है उसने भारत भर के दिल को हिला दिया है। इस सारे इलाके में ऐसी अभतपूर्व वर्षा हुई है, ऐसी अभूतपूर्व बाढ़ आई है कि कोई भी व्यक्ति, जो उस इलाके में जाता है उसकी आंख ही नहीं रोतीं, उसका हृदय भी रोने लग जाता है। किसी भी व्यक्ति के पास ऐसे शब्द नहीं जो वहां की बातों को शब्दों में रख सके। आज उत्तर बिहार की हालत ऐसी दर्दनाक है। सन् १९३४ के भकम्प के बाद एक न एक आफत वहां आती रही है। मैं आप को गत ६० वर्षों की बात बतलाता हूं। इस समय के अन्दर केवल दरभंगा जिले में ३० बार बाढ़ आई, १० बार सूखा का दौरा हुआ। सन् १९६१ में मुंगेर जिले में ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि करीब पौने छः सौ आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठे। उनके घरों की दीवारें तो आज तक भी नहीं बन सकी हैं, हम लोग समझ रहे थे कि शायद प्रकृति इस बार चुप रहेगी, इस बार वह हम लोगों को माफ करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं सन् १९०० से लेकर १९६० की बात कह रहा हूं जिसमें दरभंगा जिले में ३० बार बाढ़ आई, और दस वर्षों तक सूखा पड़ा। सन् १९६२ में मंगेर में बाढ़ आई और सन् १९६२ में फिर वही हालत हुई। इस साल जहां पर आठ या नौ घंटों के अन्दर ४५ इंच वर्षा होनी चाहिये थी वहां १५ इंच वर्षा हुई, और सारन से ले करं उत्तरी हिस्से में पूर्णिया तक सारा भाग जलमग्न हो गया। यदि कोसी योजना अंशतः भी कार्यान्वित न हुई होती तो उत्तरी बिहार की हालत शायद बहुत ही बहतर होती।

इसलिये मैं इस सदन के सामने यह बात कहना चाहता हूं कि जिस ढंग पर कोसी योजना चलाई जाती है, जिस ढंग पर गंडक योजना चलाई जाती है, उसी तरह से "अधवारा" योजना को भी लिया जाये। इस योजना को लेने से वहां के लोगों की बड़ी रक्षा होगी। यह राज्य पापुलेशन के हिसाब से देश में दूसरा है, मगर बैकवर्ड होने से जितने "फैक्तटर्स" हैं, जितनी बातें इसके लिये रक्खी गई है, उनके अनुसार वह बहुत ही पिछड़ा हुआ है। शायद आठवां या दसवां हो।

अभी हनुमतैया साहब ने बताया कि "इक्विटी" का क्या अर्थ है। मैं कहता हूं कि "इक्विटी" के आधार पर करते समय उस इलाके की 'गरीबी' को, वहां के "उद्योगों" की कमी को, और सब से अधिक बाढ़ आदि दैवी प्रकोपों से जो मार उस पर पड़ती है उन्हें देखना चाहिए और तब उस इलाके की (बैकवर्डनैस) का सही अनुमान किया जा सकता है।

आपको दरभंगे की नदियों के नाम सुन कर आश्चर्य होगा। एक नदी का नाम लोगों ने भुतही बलान, रख दिया है जिसका अर्थ है : "आप भूत है और हानि पहुंचाती रही है" दूसरी एक नदी है जिसका नाम है "धौंस", जैसे वह प्रकृति के प्रकोप की धौंस दे रही हो।

आज कल हम लोग यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे है, लेकिन नदियों की बाढ़ रोकने की दिशा में जितनी उन्नति हमारी होनी चाहिए उतनी अभी नहीं हो पायी है। जो "पैसा" तीसरी योजना में रखा गया है उससे इस समस्या का ४ या ५ प्रतिशत प्रबन्ध हो सकेगा, केवल ४ प्रतिशत या ५ प्रतिशत नदियों के एम्बेंकमेंट ठीक किये जा सकेंगे। उस दिन जो सदन की वैज्ञानिक समिति बैठी थी और जिसका आपने समारम्भ किया था, उसमें बताया गया कि रिजरवायर्स की जरूरत है। बाढ़ का संकट एक बहुत बुड़ा संकट है, इसकी जल्दी रोकथाम होनी चाहिए।,

जिस क्षेत्र से में आता हूं वहां प्रति वर्ग मील ६०० व्यक्ति बसते हैं, वहां देश की सब से धनी आबादी है । ४७ या ४८ लाख की आबादी है। आज केवल उसी हिस्से में नहीं छपरा, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिलों में भी संकट है । मोतिहारी में तो एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है सिकरहब ; उसने इस इलाके को आठ आठ बार जलमग्न कर दिया है ; तो मैं चाहूंगा कि जब तक श्री राव का बताया हुआ वाष्पीकरण सम्भव नहीं, इस पीड़ित इलाके की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसा श्री त्यागी जी ने कहा यहां तुरत रिलीफ देने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

मैं तो चाहूंगा कि आप एक बार उस इलाके का एरियल निरीक्षण कर आएं तो आपको पता चल जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत का यह हिस्सा कितना पिछड़ा हुआ है । जैसा मैं ने कहा इस मिथिला इलाके में साठ साल में १० साल सूखा रहा और ३० बार बाढ़ आयी। सन् १९५४ में भी इस इलाके में बड़ी बाढ़ आयी थी लेकिन लोग कहते है कि इस बार की बाढ़ उससे भी अधिक भयंकर है और इसने इलाके को बहुत बरबाद कर दिया है।

स्वराज्य मिलने के पहले तो लोक समझते थे कि यह "पुलिस" स्टेट है, इसलिये दैवी विपत्तियां को सहन करते रहते थे । लेकिन आज तो हमारी वैलफेयर स्टेट है । अगर आज सरकार इन पीड़ित लोगों की जो इस प्रकार के कष्ट में पड़े है सहायता नहीं करेगी तो वह 'वेल-फेयर' स्टेट नहीं कहला सकती। इसलिए इस दैवी प्रकोप से जो हमको नुकसान हुआ है उसमें सरकार को हमारी मदैद का शीघ्र इन्तिजाम करना चाहिए। मेरे विचार में गृहस्थों के लिए जो सबसे उपयोगी स्कीम हो सकती है वह क्राप इंश्योरेंस की स्कीम है । इसमें एल० आई० सी० को मदद करनी चाहिए। यह स्कीम उन सब जिलों में लागू होनी चाहिए जहां बार बार बाढ़ और सूखा आता रहता है । इस मिथिला भूमि में ६० साल में ३० बार बाढ़ आ चुकी है और दस बार सूखा पड़ चुका है । इसका विशेष ख्याल किया जाना चाहिए। 'तीसरी' योजना में जो रुपया बाढ़ नियंत्रण के लिए रखा गया है। वह बहुत कम है । उसमें साइल कंजरवेशन, जंगल लगाने आदि की स्कीमें भी शामिल है इन पर रुपया खर्च होने के बाद 'बाढ़ नियंत्रण' के लिए बहुत कम बचेगा। इसलिए इस नैचुरल कैलिमिटस की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है ।

बिहार सरकार के पास जो पैसा इस मद में था वह खत्म हो चुका, उसके पास और पैसा नहीं है कि लोगों की मदद कर सके। पीड़ितों की हालत बहुत खराब है। एक बार की बाढ़ से तबाह होने के बाद गृहस्थ पांच साल तक उठ नहीं पाता । तो मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि बिहार सरकार को ऐसे वक्त पर और पूरी २ मदद करनी चाहिए। जैसा कि पहले भी विपत्ति के समय करती आयी है । धन्यवाद।

श्री रा० प्र० सिंह (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, कौनसा उपाय किया जाए ताकि आप मुझे भी देख सकें ।

अध्यक्ष महोदय : आप सब्र करें। श्री जियालाल मंडल ।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : श्री जियालाल तो उपस्थित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं तो उनकी जगह आप तो नहीं हो सकते। जितना वक्त था वह तो खत्म हो लिया ।

एक माननीय सदस्य : और वक्त दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो इसमें कोई तअम्मुल नहीं है। न मुझे कोई दिक्कत है। मैं तो चाहता हूं कि जितने मैम्बर बोल सकते हैं वोल लें और मैं उनको बुला सकूं। लेकिन हमको यह भी देखना है कि कल हमको एडजर्न करना है और जो काम है उसको खत्म करना है।

श्री शिवनारायण (बांसी) : जो आपके लिस्ट में हैं उनको बुला लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : लिस्ट से बाहर किसी को नहीं बुलाया है। लेकिन लिस्ट तो बहुत लम्बी है कि पूरी नहीं हो रही है। मैं क्या करूं।

अब इतनी दरखास्त है कि हर एक अपना अपना भाषण पांच मिनट में खत्म करे तो मैं ज्यादा मेम्बरान को बुला सकूंगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी :(गोपालगंज) : सात मिनट कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं पांच मिनट में खत्म करें।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : मनुष्यों का दुःख तो हर जगह एक ही प्रकार का होता है चाहे उत्तर हो, चाहे पूर्व या पश्चिम हो। यदि दक्षिण के लोगों को सहायता दी जाए तो उत्तर के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

इन बाढ़ों के कारण सारे बिहार की अर्थ व्यवस्था का ढांचा खराब हो गया है। इस वर्ष और भी अधिक हानि हुई है। हमारे मुख्य मंत्री ने कहा है कि वे तृतीय योजना में से कुछ एकक छोड़ देंगे और लोगों की सहायता करेंगे।

केन्द्रीय सरकार को बिहार राज्य की खूब सहायता करनी चाहिए ताकि बिहार की अर्थ व्यवस्था की बुनियाद ठीक हो जाए।

जहां तक बांधों के बनाने का सवाल है, जल के निकलने के लिए काफी मार्ग खुले रखने चाहिये ताकि पानी नदी में जा सके।

बाढ़ के दिनों में लोग मकान की छत पर, वृक्षों पर चढ़ जाते हैं। अतः जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा प्रत्येक बाढ़ग्रस्त ग्राम में ऊंचाई पर प्लेटफार्म बनाए जाएं ताकि लोग बाढ़ के दिनों में वहां पनाह ले सकें।

जब बाढ़ आते हैं तो बाढ़ग्रस्त ग्रामों में बाहर से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अतः बहुत अधिक संख्या में नांवें बनानी चाहिए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उचित संचार साधनों की व्यवस्था के विचार से सरकार को कम से कम १०,००० नावों की व्यवस्था करनी चाहिए। बिहार सरकार को संरक्षण नावों के बनाने के लिए सहायता दी जाए।

श्री विश्वनाथ राव : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की समस्या, उससे उत्पन्न विभीषिकाओं और उसकी रोकथाम सम्बन्धी प्रयासों की सफलताओं और असफलताओं के सम्बन्ध में हर साल इस सदन में बहस होती है। उसमें सरकार की कमजोरियों वगैरह की चर्चा होती है और बाढ़ पर काबू पाने और सहायता सम्बन्धी सुझाव यहां पर दिये जाते हैं। यहां उस चर्चा को सुनने और बाढ़ के बारे में अखबारों में पढ़ने से हर एक व्यक्ति को इस समस्या

---

†मूल अंग्रेजी में

की गम्भीरता का अनुमान हो जाता है तो भी मैं समझता हूं कि जो स्थिति इस देश के उत्तरी भाग में विशेषतः उत्तरप्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ के कारण उत्पन्न होती है उसकी गम्भीरता का अंदाजा आम आदमी के लिए लगाना जरा मुश्किल है। वहां बहुत ही भयंकर तबाही होती है। धन, जन और पशुधन की काफी हानि होती है। गांव के गांव बाढ़ की लपेट में बह जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कहां कौन गांव था। मैं इससे इंकार नहीं करता कि उस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ है, सदन का ध्यान हर साल उस समस्या की ओर जाता है लेकिन इस महान संकट पर काबू पाने के लिए जिस महान राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है, वहां के लोगों को इस बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर महान प्रयास करने की आवश्यकता है, खेद के साथ कहना पड़ता है कि वैसा अभी तक नहीं हो रहा है और यही कारण है कि अब तक हमें इस संकट पर काबू पाने में सफलता नहीं मिली है।

हो सकता है कि हजारों गांव ऊँचे किये गये हों। यह भी हो सकता है कि छोटे मोटे बांध बने हों। यह भी हो सकता है कि लाखों और करोड़ों रुपये पिछली दो पंच-वर्षीय योजनाओं में इसके लिए दिये गये हों। इस माने में सरकार उस में सक्रिय हुई है लेकिन स्थाई रूप में बाढ़ को रोकने के लिए जो जो कार्य हाथ में लिये गये उनमें अब तक वह सफल नहीं हो रही है।

मैं और जगहों की बात छोड़ कर पूर्वी उत्तरप्रदेश के उस हिस्से की चर्चा यहां सदन में करना चाहता हूं जहां एक नहीं बल्कि दो, तीन बड़ी बड़ी नदियां हैं और जहां साल में एक ही बार नहीं बल्कि कभी कभी दो, दो बार बाढ़ आती है। हिमालय पर्वत की तलहटी में उत्तरप्रदेश का वह तराई का हिस्सा पड़ता है जहां कि भूमि काफी मुलायम है और इससे बर्बादी भी वहां पर बहुत ज्यादा होती है। उसके बारे में पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार का ध्यान हम लोगों ने आकर्षित कराया था। उत्तरप्रदेश की सरकार ने कुछ काम शुरू भी किया। दितौनी बंध की चर्चा माननीय मंत्री के स्टेटमेंट में भी है। वह काम शुरू हुआ। उत्तरप्रदेश की सरकार ने इस काम को लिया लेकिन वहां नैपाल की भूमि में ८ मील बांध बनाने की बात थी वह कार्य ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आज पांच, छै साल खत्म होने को आये। जहां उत्तरप्रदेश की सरकार करीब १६–१७ मील बांध बांधने और बड़ी गंडक की धारा को रोकने में सफल हुई वहां हमारी केन्द्रीय सरकार नैपाल सरकार से बातचीत करके यह तय नहीं करा सकी कि उत्तरप्रदेश सरकार नैपाल में आठ मील और अधिक बांध बांध सके। यदि वह बांध पूरा बन गया होता तो आज देवरिया, गोरखपुर और आजमगढ़ में जो हालत हुई है, उतनी बुरी न होती और उस की भीषणता कम रहती। बड़ी गंडक का जो पानी राप्ती, रोहिन और छोटी गंडक में होकर गोरखपुर और देवरिया जिलों को बर्बाद कर रहा है वह बर्बादी न हुई होती।

इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार से भी मैं इस बात के लिए अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे छोटे मोटे कामों को भले ही वह आसान समझे लेकिन उन इलाकों के लिए जहां हर साल यह बाढ़ आती है उनके लिए यह एक बहुत बड़ा काम होगा। हो सकता है कि नैपाल से बातचीत करके तय करने के इस काम में विलम्ब लग जाये। उस कारण उस में कठिनाई और परेशानी महसूस हो सकती है।

लेकिन जो काम हमारी सरकार स्वयं कर सकती है और जो रेलवे, पी०डबलू०डी०, इरीगेशन ऐंड पावर मिनिस्टरीज़ के आपसी कोआर्डिनेशन से हो सकता है उसको तो योजना-बद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि आपके इन विभिन्न मंत्रालयों में परस्पर सहयोग हो। तीनों मिनिस्टरीज़ मिल कर बाढ़ की समस्या को यदि हल करने का प्रयास करें तो मुझे विश्वास है कि हमें इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। अगर इस तरह का कोआर्डिनेशन हुआ भी है तो कम से कम उसके बारे में सक्रिय कार्य शुरु नहीं किया गया है। माननीय सदस्यों ने यहां पर रेल, बांध सड़क आदि की चर्चा तो अवश्य की है लेकिन ऐसी कोई योजना जिससे कि बाढ़ को काबू किया जाय कम से कम हमारे उत्तरप्रदेश में या उत्तरी बिहार में, ऐसी किसी सम्मिलित योजना पर काम शुरु नहीं हुआ है।

जहां हमारी केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाती है वहां क्या इस तरह की कोई योजना भी उसके पास है जिससे हमारी राष्ट्रीय क्षति जो हर साल होती है रोकी जाय? सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए योजनाएं बनाती है और आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी करती है। लेकिन उसे इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में वास्तव में भयंकर तबाही होती है, लोगों के घरबार वगैरा बह जाते हैं और धन जन की अपार हानि होती है उनको सरकारी सहायता का पूरा लाभ मिले। यह सहायता कार्य बड़े बड़े शहरों और जिलों के हेडक्वाटर्स तक ही सीमित न होकर छोटे छोटे गांवों पक पहुंचे जहां कि भयंकरतम तवाही हुई है। सरकार की सहायता योजना और हाउसिंग योजना-उजड़े हुए लोगों को पुनः घरों में बसाने की योजना विशेष कर उन गांव के गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए जिनके हर साल झोंपड़े बाढ़ में बह जाया करते हैं और जिनको कच्चे मकान या झोंपड़े हर साल बनाने पड़ते हैं।

इस के साथ ही केन्द्रीय सरकार के द्वारा मैं उत्तरप्रदेश की सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भूमि कर का बिल वहां पास हो रहा है उसको कम है कम इस समय लागू न करें। योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए और भी कर लग सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार यदि चाहे तो जो करोड़ों रुपये मिलमालिकों से पाने है उसे वसूल कर सकती है। लेकिन उन बेचारे गरीब किसानों के ऊपर—जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, उनके ऊपर यह अतिरिक्त कर भार लगा कर यह क्या उनके साथ सहानुभति दिखला रहे हैं? कहां तक उन की सहायता हो रही है? जो कुछ उनका रह गया है, उसको भी समाप्त करने वाला कर लगने जा रहा है। धन्यवाद।

श्री रा० प्र० सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को थोड़ा सब्र करना चाहिए था। उनकी बारी भी आ जाती। इस तरह से रुकावट डालने से कोई फायदा नहीं होता।

श्री रा० प्र० सिंह : अध्यक्ष महोदय, पांच महीने सब्र के बाद यह अवसर मिला है।

अध्यक्ष महोदय : सौ माननीय सदस्यों को पिछली लोक सभा में पांच साल में भी अवसर नहीं मिला।

श्री श० प्रा० सिंह : तो फिर यहां आने की क्या जरूरत नहीं है ?

जैसा कि मैंने कहा है, मैं आप का आभारी हूं कि श्रीमान ने मुझे अवसर दिया है। इस समस्या पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने २७ तारीख को बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े इस सदन के सामने उपस्थित किये। उस के बाद काफी ब्यौरा इस सदन के सामने उपस्थित किया गया है। उस के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों की परफ़ से भी कुछ ब्यौरे आए हैं। माननीय सदस्यों ने भी बाढ़ के सम्बन्ध में काफ़ी जानकारी दी है और इसी प्रकार अखबारों में भी आंकड़े निकलते हैं। विभिन्न सोर्सिज से बाढ़ की इस भीषण विभीषिका के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम देखते हैं कि जो आंकड़े सामने उपस्थित किये गए हैं, उन में भिन्नता है, लेकिन सब सोर्सिज का यह कहना है कि बाढ़ की परिस्थिति बहुत भयंकार है और उस से बहुत भारी क्षति हुई है। इस में कोई सन्देह नहीं कि बाढ़ से सम्बन्ध रखने वाले आंकड़ों में बिल्कुल समानता नहीं हो सकती, क्योंकि बाढ़ का न कोई समय निश्चित है और न कोई स्थान। एक दिन में, और दिन क्यों, घंटे और मिनट में उस की स्थिति बदलती और बिगड़ती है। लेकिन इस प्रश्न पर सभी एक मत हैं कि यह एक भयंकार बाढ़ है और इस की परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है कि लाखों आदमी बर्बाद हो रहे हैं।

मैं अपने बुजुर्ग सदस्य, माननीय महावीर त्यागी जी की भावनाओं से बिल्कुल अक्षरश: सहमत हूं कि आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि सब कामों को रोक कर बाढ़ की स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया जाये। अभी तक हम लोगों को ज्ञात था कि केवल उत्तर और पूर्व भारत में ही बाढ़ की विभीषिका का प्रकोप हुआ है, लेकिन अभी दक्षिण के माननीय सदस्य, श्री हनुमन्तैया ने सदन के सामने दक्षिण का जो ब्यौरा उपस्थिति किया है, उस से मालूम होता है कि बाढ़ का प्रश्न केवल उत्तर और पूर्व भारत का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह तो सारे भारत का प्रश्न है। उन के भाषण से मालूम होता है कि उत्तर और पूर्व भारत में तो बाढ़ से केवल कृषि का नुक्सान होता है, लेकिन वहां तो उद्योग-धन्धों पर भी उस का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने मलबरी ट्रीज के बह जाने का जिक्र किया, जिन के पत्तों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। सिल्क हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन है। इस बाढ़ के कारण सिल्क के उद्योग की भी क्षति हो रही है। जैसा कि मैं अभी आप के समक्ष अर्ज कर रहा था, यह समस्या जटिल है और सर्वसम्मति से इस बात की स्वीकृति हुई है कि इस बाढ़ से बहुत बड़ी क्षति हुई है और इस के निराकरण का कोई उपाय किया जाना चाहिए।

निराकरण के बारे में तीन विषयों पर ज्यादा प्रकाश डाला गया है। एक तो इम्मीडिएट रिलीफ़ का प्रश्न है, अर्थात जो लोग आफत में पड़े हुए हैं, जिन को परेशानी उठानी पड़ रही है, जो लोग इस दर्द में हैं, उन को किन किन बातों की तुरन्त सहायता दी जाये। रोटी, कपड़ा, नमक, तेल और दवा-दारू आदि के लिए तो कहा ही गया है, लेकिन उन से भी ज्यादा उन लोगों को सान्त्वना और मदद देने की जरूरत है, क्योंकि आप देखते होंगे कि इस परिस्थिति में ऐसा होता है कि सारे के सारे परिवार बह जाते हैं और दो एक परिवार बच जाते हैं, जिन की स्थिति बहुत दयनीय होती है। जैसा माननीय सदस्य, श्री त्यागी, ने बताया है, हमारा असली मालिक जनता है, जिस पर आज आफ़त पड़ी है और उस आफ़त को कम करना तथा दूर करना और उस पर सहानुभूति प्रकट करना इस सदन और इस सरकार का पुण्य कर्तव्य है।

जहां तक फलड प्राटेक्शन अर्थात बचाव का प्रश्न है, फलड को रोकने के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है। इस सदन में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और एक्सपर्ट कमेटी जो उपस्थित की गई है। मैं उन बातों को दोहरा कर इस सदन का समय नहीं लेना चाहता, बल्कि यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब १९५४ में बाढ़ का प्रकोप इस से भी भयंकर हुआ था, उस समय केन्द्रीय सरकार की ओर से एलान किया गया था कि शीघ्र ही इस प्रश्न को हल करने का कोई जरिया निकाला जायेगा। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि छः वर्ष की इस अवधि में इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है, इस का ज्ञान अभी तक हम लोगों को नही हुआ है।

माननीय सिंचाई मंत्री ने जो कष्ट कर आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा किया, उस के लिए वह हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। इस के साथ ही राज्यों के मुख्य मंत्री और मंत्रीगण तथा राज्य सरकारों के अधिकारी भी उन के द्वारा किए गए बाढ़ सहायता कार्य के लिए प्रशन्सा के पात्र हैं, जिन्होंने इस सम्बन्ध में सहायता पहुंचाने का प्रयास किया।

अन्त में मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि १९५४ में केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी कि इस बाढ़ को रोकने की योजना बना कर उस को शीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा, उस पर सरकार को बहुत शीघ्र ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से वार-फुटिंग पर काम होता है, उसी तरह सब काम को बन्द कर के इस गम्भीर समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल उत्तर और पूर्व भारत का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सारे भारत का प्रश्न है।

मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया।

†**श्री दि० ना० सिंह** (मुजफ्फरपुर) : बाढ़ एक विनियमित क्रम में आते हैं।

बाढ़ों की समस्त समस्या पर विचार करने के लिए एक उच्च शक्ति आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समस्या पर विशुद्ध प्रविधिक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए।

बाढ़ों से जहां हानि होती है, लाभ भी होता है। बाढ़ों से भूमि अधिक उपजाऊ हो जाती है। अतः समस्या केवल बाढ़ों को सर्वथा रोक देने की नहीं वरन् पानी को तेज़ी से निकाल देने की है। इस प्रयोजन के लिए नदियों की मिट्टी को निकालने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। गंगा की मिट्टी भी निकाली जानी चाहिए। बाढ़ ग्रस्त गांवों में अनेक नलकूप खोदने के लिए किसी प्रकार का विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए।

जब बाढ़ हट जाते हैं तो बाढ़ग्रस्त लोगों को बीमारियों का सामान करना पड़ता है। बिहार सरकार की जो भी मांग हो उसे पूरा करना चाहिए और उन की शीघ्र सहायता करनी चाहिए।

†**श्र नि० रं० लास्कर** (करीमगंज) : आसाम में बाढ़ों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आसाम में ब्रह्मपुत्र और बड़क नदियों ने बहुत नुक्सान किया है।

१९५४ से हम सुन रहे हैं कि बड़क में बांढ़ों के नियन्त्रण के लिए बड़ी परियोजनाएं चालू हैं। उस पर क्या कार्यवाही हुई है, इस का पता नही है। आसाम में बड़क नदी

†मूल अंग्रेज़ी में

पर डैम कहां बनाए जाएं यह देखने के लिए प्रारम्भिक जांच के लिए एक परियोजना थी, उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है जिस के कारण लोगों को अभी कष्ट हो रहा है।

विज्ञान के प्रयोग से बाढ़ नियन्त्रण का काम असम्भव नही है।

चूंकि आसाम राज्य के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं इसलिए वहां बाढ़ नियन्त्रण कार्य केन्द्र को अपने हाथ में लेना चाहिये। केन्द्र को ब्रह्मपुत्र में बाढ़ नियन्त्रण के काम को शीघ्र आरम्भ करना चाहिए। दूसरे इस काम के लिए एक विशेषज्ञ समिति की तुरन्त स्थापना करनी चाहिए। उस समिति को सरकार को एक व्यापक योजना पेश करनी चाहिए और सरकार को उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए तरीके निकालने चाहिए।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि एक पिछड़े हुए इलाके से आने वाले मुझ जैसे सदस्य को आपने इस बाढ़ की समस्या पर बोलने का वक्त दिया है। मान्यवर, मैं उस इलाके से आता हूं जहां पर सात नदियां बहती हैं। वह इलाका बासी का है। वहां पर राप्ती अपना मुंह फैला कर चलती है। एक हमारे कम्यनिस्ट मैम्बर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि यह बाढ़ की समस्या हाल के कुछ वर्षों में पैदा हुई है। लेकिन मान्यवर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि १९३८ से ही यह समस्या बराबर पैदा होती आ रही है। जब मैं स्टूडेंट था, तब से मैं देखता आ रहा हूं कि बाढ़ें आती हैं और बरबादी मचा कर चली जातीं हैं। उस वक्त धोती चढ़ा कर नंगे पैरों मैं फिरा करता था और आज भी वही हालत लोगों की वहां पर है। हम अपने यहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री टंडन से कहते हैं कि वह हमारे घरों को जा कर देखें। करोड़ों रुपया आप फाइव यीअर प्लान पर खर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह जो रुपया आप खर्च कर रहे हैं, वह वेस्ट जा रहा है अगर आप इस समस्या को हल नहीं करते हैं। १९३५ में गोरखपुर में नेहरुजी आए थे और उनका भाषण वहां लालडीगी में हुआ था। उस वक्त गोरखपुर में लाखों आदमी बाढ़ से तबाह और बरदाद हुए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि कैसे निकम्मे यहां के इंजीनियर हैं जो कि कुछ करते ही नहीं हैं जबकि लाखों की तादाद में किसान तबाह और बरबाद हो रहे हैं। आज नेहरु जी भारत के प्रधान मंत्री हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी वह बात भूल गए हैं? मैं उनको पच्चीस बरस पहले जो बात उन्होंने कही थी, उसको रिमाइंड कराना चाहता हूं। आज आपके पास अच्छे से अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे से अच्छे डाक्टर हैं फिर क्या वजह है कि आप इन बाढ़ों पर काबू नहीं पर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको अपनी कही हुई बात को भूलना नहीं चाहिये।

जब भी बाढ़ आती है तब कहा जाता है कि प्लान बनाया जाए लेकिन कुछ बनता नहीं है। आपके पास एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। क्या वजह है कि आप इस समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं? १९२९ से मैं देखता आ रहा हूं इन बाढ़ों को और आज १९६२ है और यह समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। विद्यार्थी जीवन से मैं इसको देखता आ रहा हूं और आज मेरे बाल पक चुके हैं लेकिन यह समस्या हल नहीं हुई है। इसकी कोई चेष्टा नहीं की गई है। गरीब किसान हैं जो मर रहे हैं। मान्यवर मैं उस इलाके से आता हूं, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, बलिया से आता हूं जहां पर चौरा चौरी की घटना घाटत हुई थी और सन् १८५७ के आन्दोलन में जिसका प्रमुख भाग रहा था। वह

रिजन तब भी तबाह था और अब भी तबाह है? लोग आज भी वहां भुखे नंगे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है।

श्रीमान, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीस आदमी मर गए हैं। जिस प्लेन में इन्होंने यात्रा की और जो सैकड़ों हजारों गज ऊपर था, उससे क्या दिखाई दे सकता था कि कितनी तबाही हुई है और कितने आदमी मरे हैं। यह जो रिपोर्ट है यह कंट्राडिक्ट्री है.....

अध्यक्ष महोदय : यहां तो बहाव किनारों के अन्दर ही होना चाहिये, उसको उछलना नहीं चाहिये।

श्री शिव नारायण : मैं उन से निवेदन करुंगा क्योंकि उन को सूबे की वाकफियत है। वहां के सिंचाई मंत्री थे और यहां भी हैं। संयोग से पहले वे सूबे के थे और अब हिन्दुस्तान भर के हैं। वे यह नहीं कह सकते हैं कि मैं यू०पी० से वाकिफ नहीं हूं। उसके कोने कोने से वाकिफ़ हैं। जिस जिले को मैं रिप्रजेन्ट करता हूं वहां तो उन को लोग गुरु की तरह से मानते हैं। वहां की मुसीबत यह न टालेंगे तो कौन टालेगा? आज अगर मैं शिकवा शिकायत उन से न करुं तो किस से करुं? वे हमारे आका हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके सामने हम लोग लड़के थे। उन से कहना हमारा फर्ज है। **(हंसी)**

मैं उस सेन्स में नहीं कह रहा हूं जिस सेन्स में आप ले रहे हैं। मैं भारतीय एटिकेट को जानता हूं। वह हमारे बुजुर्ग हैं, हम उन से न कहें तो किस से कहें? आज मैं पंडित जी से न कहूं तो किस से कहूं। मैं पंडित नेहरु को उन बातों को रिमाइन्ड कराना चाहाता हूं। बस्ती जिला तबाहकुन हो रहा है।

मुझे एक खास बात बतलानी है। यहां पर इतने मेम्बर बोले हैं। मैं सब से दुखद घटना हाउस के सामने पुट करना चाहता हूं। हमारे इलाके में गोली चली है जिसमें कि दो आदमी मारे गये हैं बांध काटने के लिये। मैं इन्जीनियर्स से पूछना चाहता हूं कि गांव गांव में आप ने जो बांध बनाये हैं वह बिना एक्स्पीरिएन्स के क्यों बना दिये? जहां चाहा वहां बांध बना दिया, ऊंचे नीचे बांध बना दिये। जहां लोगों ने कहा बांध बना दो, वहीं बना दिये। कोई नाप नहीं, कोई तोल नहीं कि उतार चढ़ाव किस तरफ है पानी का, पानी किस तरफ जा रहा है। मैं ने जुगराफिया में पढ़ा था कि नदी की तीन अवस्थायें होती हैं। पहले पहाड़ी, फिर मैदानी और फिर डल्टाई। पहाड़ से पानी बड़ी तेजी से चलता है तो जंगल उसे रोकता है। जो जंगल हमारे इलाके में था वह कट गया। तराई का सारा जंगल काट दिया गया। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि वह वहां क्यों एक्विजीशन नहीं लागू करती है और जबर्दस्ती वहां बांध क्यों नहीं रखती? नेपाल राज्य ने अप्रैल महिने में जमीन दी थी। मैं यहां के इंजीनियर्स से पूछना चाहता हूं कि आखिर वह इतनी सुस्ती क्यों कर रहे हैं? अप्रैल, मई, जून और जुलाई के बाद बाढ़ आती है, अगस्त में बाढ़ आती है। इस बीच में वहां लाखों इन्सान पहुंच कर गड्ढे खोद कर पानी को रोक सकते थे। लेकिन सरकार सोती रही। मुझे याद है जब लखनऊ में पिछले साल बाढ़ आयी थी तो मैं यू० पी० कौसिल का मेम्बर था। मुझे एक जन संघ के मेम्बर ने बतलाया था जो वहां के एग्जिक्यूटिव ईजीनियर थे वह उस वक्त रेस्टोरां में चाय पी रहे थे। जब सीतापुर के कलेक्टर की वायरलेस इन्फारमेशन आई तो लखनऊ के कलेक्टर को इस का पता नहीं था। यदि इसी तरह से इन लोगों की कृपा होती रही तो हमारे देश का कल्याण हो चुका। हमें इस पर पूरा ध्यान रखना होगा। मैं तो दुखिया हूं और उस दुखी इलाके से आया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को ईमान्दारी के साथ मास्टर

प्लैन बनानी चाहिये। यह विपत्ति आज की नहीं है, वर्षों से यह विपत्ति है। अगर उस को हम ने नहीं टाला तो याद रखिये कि हमारे सामने बड़ा भारी खतरा है।

आज जैसा त्यागी जी ने कहा, आप यू० पी० में लेवी लगाने जा रहे हैं, लैंड पर आप ५० परसेंट का लेवी लेने जा रहे हैं। वहां हाहाकार मचा हुआ है : लोगों के पास खाने को नहीं है, जानवरों से भी बदतर वहां लोगों की हालत है। हमारे आदमी जानवरों के अन्दर से जो गेहूं निकलता है उस को पीस कर खाते हैं, जड़ें खोद कर खाते हैं। इस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, सारे इलाके में। हम सब दुखी हैं। यह सब यह कहते हुए मेरा सिर शर्म से झुक जाता है कि १४ वर्षों की आजादी के बाद भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में ढाई तीन करोड़ आदमी तवाहकुन हैं। मैं हिसाब लगा कर आया हूं कि वहां ८० लाख एकड़ भमि तबाह हो रही है। मान लीजिए कि एक एकड़ पर हो १०० रु० का नुक्सान होता है तो हमारा हर साल ८० करोड़ रु० का नुक्सान होता है। जब पंडित जी सन् १९५६ में लखनऊ गये थे तो मैं ने उन से कहा था हमारा ८० करोड़ रु० का नुक्सान हो रहा है। पंडित जी ने कहा था कि हम ने दिल्ली में बांध बनवाया, उस से नुक्सान हुआ। उन्होंने डा० सम्पूर्णानन्द से कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को सचेत हो जाना चाहिये। मैं यही इंजीनियरों से भी कहना चाहता हूं। मैं जरनल अयूब की तारीफ करना चाहता हूं कि जैसे ही पाकिस्तान में ५०० आदमी मर गये, उस आदमी ने कहा कि उन की मदद करने के लिये तैयार हूं मैं कहता हूं कि यहां भी नदियों पर बांध बांध जायें और हमारी मदद की जाय। जब दूसरे देश के लोग अपने यहां के लोगों की मदद करने को तैयार हैं तो हमारे देश वाले क्यों सो रहे हैं? मैं इन्जीनियरों से कहना चाहता हूं कि वे हमारे गांव के किसानों का सहयोग लें जो कि भूखे हैं, नंगे हैं। मैं उन की बात आप को बतलाता हूं। हमारे एक एक पार्लियामेंटरी सेकेक्टरी हैं जो कि हमारे साथ मेंबर हैं, उन्होंने कहा मुझ से कि एक गांव में एक बुडढा बैठा हुआ था। उस ने कहा कि जितने बांध आपने बनाये हैं उनको कटवा दीजिए और पानो को नैचुरल वे में बहने दीजिए लेकिन जो चना आप बांट रहे हैं उस को दे कर हम को भिखमंगा न बनाइये। माफ कीजिए, हम खुद कोशिश करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि शाहजहां ने करोड़ों रुपये लगवा कर एक ताजमहल बनवा दिया। आप अच्छी सड़कें बनवा सकते हैं, मीन्स आफ कम्यूनिकेशन्स ठीक कर सकते हैं। आज गरीबों का पैसा ठीक से खर्च किया जाये, हमको ब्लफ न किया जाये, हम को चना और दियासलाई के भुलावे में न डाला जाये।

इन शब्दों के साथ मैं पुन : अपने सिंचाई मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे हमारे सूबे के हैं, उन पर हमारा जोर है, व हमारे इलाके को ठीक करें।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं हाउस को एक बात बतलाना चाहता हूं। हमारा इरादा दो घंटे इस पर लेने का था, हम ने उस को एक्स्टेंड कर दिया। मैं चाहता था कि मिनिस्टर साहब को दो बजे बुला लूं। अभी मेरे पास पांच, छ : नाम और हैं। इन के बारे में जैसी हाउस की मर्जी हो मेरा ख्याल है कि अब इस बहस को खत्म करना चाहिये।

श्री गुलशन (भटिंडा) : अपोजीशन को तो मौका ही नहीं मिला, सामने वाले ग्रुप के लोग ही बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप को शायद मालूम नहीं कि अपोजीशन वालों ने जो नाम दिये थे उन को मैं ने पहले ही बुला लिया है। इसलिये इस तरह से कहना ठीक नहीं है।

श्री गुलशन : जब से यह चर्चा शुरू हुई है, मैं यहां बैठा हूं। एक ही मेम्बर यहां से बोले हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि हाउस चाहता है बहस को एक्सटेंड करना, तो मुझे एतराज नहीं है, मगर यहां गवर्नमेंट का कोई आदमी ऐसा नहीं है, जिस से मैं पूछ सकूं।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : (कुर्नूल) : यह कहना ठीक नहीं होगा कि सरकार की बाढ़ पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं है। मेरी शिकायत यह है कि सरकार ने इस विपत्ति को रोकने के लिये कोई दीर्घकालीन उपाय नहीं किये। इस विषय में हमारे आयोजन में त्रुटि है। इस समस्या के बारे में कोई एकरूपी दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है।

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय को योजना आयोग की सहायता से यह सुनिश्चित करना चाहिये कि बाढ़ की रोकथाम के लिये एक अधिक व्यापक तथा दूरदर्शी योजना बनाई जाये।

इस समस्या के तीन पहलुओं अर्थत् बाढ़, दुर्भिक्ष तथा उत्पादन पर एक साथ विचार किया जाना चाहिये।

†**श्री जो० ना० हजारिका** (डिब्रूगढ़) : बाढ़ की समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। पिछले साल संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, १४ राज्यों को बाढ़ से नुक्सान पहुंचा था। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल हैं। इस लिये यह राष्ट्र की समस्या है इस लिये इस समस्या का हल राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिये। तीसरी योजना में बाढ़ नियन्त्रण के लिये ६१.३ करोड़ रुपये की व्यवस्था है किन्तु १९६१ के लिये केवल ९ करोड़ रुपये रखे गये हैं। यह राशि बहुत कम है।

हाल की बाढ़ों में डिब्रूगढ़ नगर को फिर खतरा पैदा हो गयया है। माननीय मंत्री ने इस का दौरा भी किया है। मैं समझता हूं कि शहर को बचाने के लिये कुछ और रुपया खर्च किया जाना चाहिये। शहर के आस पास के क्षेत्रों को भी बाढ़ से बचाने का प्रयत्न करना चाहिये।

यह खेद की बात है कि योजना आयोग ने इस मामले की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। बाढ़ की रोक थाम के लिये आवंटित धन में वृद्धि की जाये तथा सारे मामले पर अधिक महत्व दिया जाये।

श्री गुलशन : स्पीकर साहब, यह जो बाढ़ का मामला है यह देश के लिये हर साल की समस्या है। आज बिहार, आसाम और भारत के और हिस्सों में इससे किसानों को नुक्सान पहुंचा है।

हमारे जो पंचवर्षीय योजनाओं के नक्शे हैं उनको सफल बनाने के लिये लोग पूरी तरह से सरकार का सहयोग करते हैं। अगर बरसाती नाले के निकालने की बात होती है तो किसान अपनी जमीन भी देता है और सरकार के साथ मोटे से मोटा काम भी करता है। फिर भी समझ नहीं पड़ती कि इन योजनाओं में सफलता क्यों नहीं मिलती। हमारे प्रधान मंत्री जी ने २० जुलाई को एक जलसे में कहा था कि योजनायें तो खूब सुन्दर हैं लेकिन उन पर अमल जो होता है वह सुन्दर नहीं है। बात ठीक है। आये साल यह बाढ़ की समस्या देश के सामने आती है। लाखों लोग इस के शिकार हो जाते हैं। करोड़ों का नहीं बल्कि

†मूल अंग्रेजी में

अरबों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है लेकिन इस के अमल में और जो इसका खास सुधार होना चाहिये वह नहीं हो रहा है । हम ने देखा है कि बरसाती नाले निकालने में सरकारी मशीनरी असफल रही है ।

खास तौर से मैंने पंजाब में देखा है कि जो पानी २२-७-६२ को बरसा था वह आज भी वहां पर बह रहा है । मिसाल के लिये मैं आपको बतलाऊं कि जुगरांव तहसील जिला लुधियाना, मोघा, डिस्ट्रिक फीरोजपुर और डिस्ट्रिक भटिंडा की सब-तहसील फल में अभी तक वह पानी बह रहा है । कई ऐसे गांव हैं जोकि एक टापू का दृश्य पेश कर रहे हैं । लोग पानी भरा होने के कारण कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं । मवेशी भी वहीं पानी में घिरे हुए हैं और वे बाहर नहीं जा सकते हैं । गरीब हरिजन, काश्तकारों के झोंपड़े मलियामेट हो गये हैं; सब कुछ उनका तबाह हो गया है लेकिन उनके वास्ते कोई इतजाम नहीं हो रहा है । नाला निकालने की जो बात है वह अब तक सन् १९५५ से उसी तरह पड़ी हुई है । उसके बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है ? इस के अलावा पंजाब में एक और मुसीबत है । उस के ऊपर इन्द्र महाराज की कोप दृष्टि मालूम पड़ती है । इसके अलावा टिड्डी दल के कोप का भी भाजन उन लोगों को बनना पड़ता है । इन प्राकृतिक कोपों के अलावा कुछ सियासी कोप भी वहां के लोगों पर है । हम ने देखा कि जिस इलाके के लोगों ने सरकारी पार्टी को वोट नहीं दिये और वह बाढ़ से पीड़ित हुए हैं उनकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है और उनकी ओर सरकार की कुछ कड़वी नजर ही रही है । कहीं कहीं तो देखा गया कि एक किसान की जमीन जो अच्छी है और जिसमें कभी पानी गया ही नहीं वह नाले के लिये नियत की जाती है लेकिन चूंकि वहां निकालने की गुंजाइश नहीं है तो वह काम वहीं पर रुक कर रह जाता है । मैं ने एक दो नहीं दसियों गांव ऐसे जाकर देखे हैं जोकि दो महीने से लेकर आज तक पानी से घिरे हुए हैं । इसलिय मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि खाली हवाई जहाज से ऊपर से उड़ान करने से मुसीबतजदा लोगों को कोई सहारा नहीं मिलता है । सहारा तो उन को तब मिलेगा जब हमारे चीफ इंजीनियर और जो हमारे वहां के अफसर हैं वह स्वयं जाकर उन झोंपड़ों को देखें उन किसानो की फसलों को देखें और उन किसानों के मवेशियों को देखें । जिनके पास खाने के लिये अनाज नहीं और पहनने के लिये कपड़ा और रहने के लिये मकान नहीं हैं उनको राहत पहुंचायी जाये । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी सहायता देने में भेदभाव किया जा रहा है । जिस इलाके के लोगों ने सरकारी पक्ष को वोट नहीं दिया उनके साथ इस बारे में भेदभाव किया जाता है और वह जो बरसाती नाला निकालना होता है वह उनके वहां से निकाला जा रहा है । ऐसा न होना चाहिये ।

जैसा मेंने पंजाब में देखा है एक तरफ तो किसानों काा नुकसान हो रहा है दूसरी तरफ सन् १९५५ की तकावी के लिये उनको नोटिसे मिल रहीं है । मैं चाहूंगा कि कर्जे के वसुल करने में जो सख्ती बर्ती जा रहीं है वह खतम की जाये । मैं तो यह मांग करूंगा कि उन इलाके के लोगों और खास तौर से गरीब हरिजन लोगों पर जिन पर कि बाढ़ से वह तवाही आई हुई है उन पर सरकार पिछले कर्जो को माफ कर दे और आयन्दा के लिये भी उनको बगैर सूद के दिये जांय । जिन लोगों के मकान गिर गये है, बस्तियां की बस्तियों खत्म हो गई हैं, उन लोगों को सरकार मआविज़ा दे रहीं हैं और बगैर किसी कर्जे के उन लोगों को मुफ्त मकान बना कर दे । इन अल्फाज़ के साथ में अपना भाषण खत्म करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री विभूति मिश्र.....

†**श्री श्याम लाल सर्राफा:** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं भी बोलना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब उधर तो बाढ़ आती नहीं है फिर आप क्यों बोलना चाह रहेहैं ?

†**श्री श्याम लाल सर्राफ:** मेरे राज्य में भी १९५० से बाढ़ें आई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य आगे से ३, ३ और ४, ४ मिनट लें तो मैं कई माननीय सदस्यों को बुला सकूंगा ।

†**श्री विभूति मिश्र** (मोतिहारी): अध्यक्ष महोदय कल माननीय सदस्य श्री बागड़ी ने बाढ़ सम्बन्धी बहस को शुरू करते हुए हमारे प्रधान मंत्री पर यह आरोप लगाया था कि उन्हें ने बाढ़ की रोकथाम और बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ कोई काम नहीं किया । मैं बागड़ी साहब को बतलाना चाहता हूं यक उनका प्रधान गंत्री पर एसा लांछन लगाना उचित नहीं है और न ही वह सही है । मैं बतलाना चाहता हूं कि ५० करोड़ रुपया रुपया लगा कर कोसी बांध उन्होंने बनवाया है जिस से कि ह्यूमन सर्फारग दूर हो गयी इस के अलावा गंडक का बराज लगवा रहे हैं और जिस के बन जाने का नतीजा यह होगा कि जो उसकी दो नहरें निकलेंगी उस से गंडक के पानी का कटाव जो होता है वह कटाव बंद हो जायगा और इस से जो लोग को इतना नुकसान होता है वह भी बंद हो जायेगा ।

डिब्रूगढ़ के बारे में यहां काफी चर्चा चली आज से कुछ दिन पहले इस सदन में बहस हुई थी कि डिब्रूगढ़ शहर बाढ़ से कट रहा है अब हमारे प्रधान मंत्री महोदय खुद वहां गय और डिब्रूगढ़ को बचाने के लिये जो भी आवश्यक था वह सब काम हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने किया । आज भी उनका ध्यान उस समस्या की ओर है और वह आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं हमारे बागड़ी साहब को उचित है कि वे इस तरह का आरोप लगाने से पेश्तर इस हाउस की कार्यवाही को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर उन्होंने उसको पढ़ा होता तो उनको मालूम हो गया होता कि हमारे प्र०ान मंत्री जी ने बाढ़ की रोकथाम और उस से पीड़ित जनता के लिए क्या क्या किया है अब इस तरह से बात कह देना कि कुछ नहीं किया आसान बात है लेकिन मेरा कहना है कि इस तरह से गलत बात नहीं कहनी चाहिए ।

अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारी बिहार सरकार ने सेंटर से ५ करोड़ रुपया बतौर लोन के ग्रान्ट के मांगा है । बिहार में जिस तरह की मुसीबत आई है और लोग तबाही के शिकार हुए हैं उस को देखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब ने जो यह सहायता मांगी है इस को अबिलम्ब दें ।

दूसरी बात उन्होंने कही कि मंत्री लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाते नहीं हैं लेकिन मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि यह भी बात उनकी दुरुस्त नहीं है । हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने स्वयं सारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण किया है ।

मेरे जिले चम्पारन में जहां कि यह बाढ़ आती है हर जगह घूमे और उन्होंने सहायता कार्य का बन्दोवस्त किया । बिहार सरकार ने और जिला अधिकारियों ने बाढ़ सहायता कार्य अच्छी तरह से किया है ।

श्री हनुमन्तैया ने मैसूर की बाढ़ की ओर सदन का ध्यान दिलाया और सहायता की मांग की है। मैं तो कहूंगा कि जो हमारे जिले को सहायता मिले उस सहायता को श्री हनुमन्तैया जी के यहां

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर में भेज दिया जाये। अगर कुछ आर्थिक सहायता देने से वहां बाढ़ का प्रकोप खत्म हो जाये तो हम लोग उस तकलीफ को सहने के लिए तैयार हैं और हमारे बदले उन को मदद की जाये। यहां सब से पहला सवाल यह है कि कौन वर्स्ट सफरर है और कौन ज्यादा भूखा है ? अब तीन रोज के भूख के मुकाबले में पहले जो चार रोज से भूखा है उस को सरकार को अन्न देना चाहिये। इसलिये जहां तक ह्युमन सफरिंग का ताल्लुक है और सहायता कार्य का सम्बन्ध है इस में कोई साउथ और नार्थ का प्रश्न पैदा नहीं होता है और न ही पैदा होना चाहिए। आज भी हम लोग जब संकल्प पढ़ते हैं तो यही कहते हैं कि जम्बू द्वीपे भारतखंडे। इसलिये यहां साउथ और नार्थ का कोई झगड़ा नहीं है। हमें जहां भी सहायता की जरूरत हो तत्काल सहायता पहुंचानी चाहिए ताकि वहां के लोगों का कष्ट दूर हो।

अब अध्यक्ष महोदय मुझे यह कहना है कि मेरे क्षेत्र में तीन सब से बड़ी नदियां हैं। एक तो बागमती है जिस के किनारे में जमुना बाबू ने कहा है कि बागमती को ट्रेनिंग देने की कोशिश होनी चाहिए। बागमती को ट्रेनिंग देने की कोशिश हो रही है बागमती नेपाल से निकलती है और काठमांडू के बगल से बहती हुई आगे जा कर गंगा में गिरती है। इसकी बाढ़ से हमारे जिले के ढ़ाका, पतीही और बैरगनिया थाने के अन्तर्गत पड़ने वाले इलाकों को नुकसान पहुंचा है। आज जरूरत इस बात की है कि उसको ट्रन किया जाय ताकि बाढ़ का संकट दूर हो। इस साल बागमती की बाढ़ ने हमारी काफी क्षति की है। बागमती गंडक और सिखरैना ने हमारा बहुत नुकसान किया है :

दूसरी नदी हमारे यहां गंडक है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि गंडक का वैराज जल्दी बना दें ताकि जो कटाव होता है और उस के फलस्वरूप जो नुकसान पहुंचता है वह बच जाय। गंडक नदी से गोविंद-गंज , हर्रासट्टी, और केसरिया थाने के अन्तर्गत आने वाले इलाकों को नुकसान हुआ है।

तीसरी नदी सिखरैना है जिसको कि हमारे यहां बूढ़ी गंडक कहते हैं और जो कि मेरे जिले से निकलती है उस से मोतिहारी थाने को नुकसान हुआ है। जितनी भी पहाड़ी नदियां हिमालय से आती हैं वे सब उस में मिल जाती हैं और उन के मिल जाने के कारण आगे बढ़ कर इस सिखरैना नदी का भयंकर रूप हो जाता है और वह भयंकर तबाही मचाती है। हमारे इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं। मेरी समझ में उन्होंने गलत काम किया है कि नदी में बांध नीचे से लगा कर मोतिहारी थाने के आधे क्षेत्र तक बांध बांधा और आग बांध नहीं बांधा जिसका कि नतीजा यह है कि ऊपर मसान नदी का पानी आकर पहले जिला को काफी क्षति पहुंचाता है। इसलिए ऊपर बांध बांधना भी जरूरी है। यह इंजीनियर लोगों की गलती है।

अध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी बात यह है कि आज तक किसी ने इस के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि यह जो बाढ़ हर साल आई तो रेलवे लाइन के बगल में लोगों ने अनाज पैदा करना शुरू इसकर दिया था और हुआ यह कि चूहे घुस घुस कर रेलवे लाइन को कमजोर करने लगे। रेलवे लाइन में चूहे लग गये और उस में छेद कर दिये और पानी जब आया तो रेलवे लाइन बह गयी इसी तरह से सिखरैना नदी जिसे कि बूढ़ी गंडक कहते हैं उस के बांध में चूहों ने अपने बिल बना लिये और जब पानी आया तो वह बांध टूट गया और बांध टूट जाने पर लोग उस में बह गये। इस चीज को चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि है और यह इंजीनियर्स के देखने की बात है कि काम ठीक तरह से किया जाये और इस तरह की गलती और गफलत न बर्ती जाये।

सब से बड़ी बात यह है कि असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक का यह सारा बाढ़ नियन्त्रण कार्य नेपाल पर ही निर्भर करता है क्योंकि सारी नदियां नैपाल से ही निकलती है। इसलिये बाढ़ सहायता कार्य की कुशलता कार्य की सफलता बहुत कुछ नेपाल राज्य पर भी निर्भर करती है इसलिए जब तक

नेपाल के साथ हर नदी के इतिहास को नहीं लिया जायेगा और उस की माकूल ट्रेनिंग का इंतजाम नहीं किया जायेगा तब तक यह बाढ़ रुकना संभव नहीं है।

लेकिन बाढ़ के बारे में एक बात यह है कि वह एक दम से बन्द नहीं हो सकती। मेरे ज़िले में साढ़े नौ इंच पानी हुआ। प्रश्न यह है कि उस पानी को कहां रक्खें। यह तो प्रकृति का प्रकोप है, लेकिन सरकार को, जो कि इस देश की राष्ट्रीय सरकार है, इस बारे में आवश्यक उपाय कर के अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिये।

बाढ़ के सम्बन्ध में ये शार्ट-टर्म मेज़र्ज़ लिए जाने चाहिए। पानी के निकास का इन्तजाम करना चाहिए, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि हैज़े की बीमारी न हो और अनाज बांटना चाहिये आदि। जहां तक लांग-टर्म मेज़र्ज़ का सवाल है बाहर के एक्सपर्ट्स मंगा कर इस बारे में उचित कदम उठाए जायें क्योंकि अपने इस एक्सपर्ट्स को हम ने देखा है और उनके द्वारा ठीक कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ का सवाल कोई नया सवाल नहीं है। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह प्रकृति का प्रकोप है, लेकिन मैं एक बात की ओर इस सदन का, और आप के द्वारा सरकार का, ध्यान खींचना चाहता हूं कि बाढ़ को रोकने के लिए जितने ही प्रयत्न किये जा रहे हैं, समस्या उतनी ही अधिक गम्भीर होती जा रही है।

मैं अभी अपने क्षेत्र से आया हूं, जहां पर एक डेढ़ महीने पहले एक बूंद भी पानी नहीं था, लेकिन आज वहां पर गांव-गाव में पानी फैला हुआ है और दस पन्द्रह फ़ीट पानी भरा हुआ है। इस बात की उम्मीद नहीं है कि एक डेढ़ महीने से पहले वह पानी वहां से हटे। मैंने एक लेमैन की हैसियत से इस समस्या पर विचार किया है और जहां तक मैं समझ पाया हूं, तटबंध एक तरफ़ तो समस्या का समाधान करते हैं और दूसरी तरफ समस्या को पैदा कर देते हैं। रेलवे लाइन और पी० डब्ल्यू० डी० की रोड्ज़ बनाते समय उन के नीचे पानी के निकलने के लिए जो पुल बनाए जाने चाहिए, ख़र्च कम करने के ख़याल से वे नहीं बनाए जाते हैं। इस का नतीजा यह होता है कि बांध बांध कर सारे का सारा पानी एक जगह ला कर छोड़ देता है। आज स्थिति यह है कि न तो रेलवे लाइन के नीचे और न पी० डब्ल्यू० डी० की रोड्ज़ के नीचे पानी के निकलने का रास्ता है, जिस से पानी इकट्ठा हो जाता है।

हमारे यहां कहावत थी कि "बाढ़ का पानी ढाई दिन", अर्थात् बाढ़ का पानी आता था, और चला जाता था और इस प्रकार फसलें भी नहीं बरबाद होती थीं, मकानों को भी कोई क्षति नहीं पहुंचती थी, और लोगों को कोई तक्लीफ़ नहीं होती थी। लेकिन जब से सभ्यता हुई है, रेलवे लाइन और रोड़ज़ के नीचे से पानी निकलने की व्यवस्था नहीं की जा रही है और एम्बैकमेंट्स बनाए जा रहे हैं, तब से बाढ़ की समस्या और भी गम्भीर हो गई है और बाढ़ का पानी एक डेढ़ महीने तक गांवों में पड़ा रहता है। अन्न खिला कर लोगों को डीमारेलाइज़ किया जाता है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं होता है।

मैं ने बिहार के इतिहास में पढ़ा है कि इंजीनियर्ज़ ने कहा था कि कोई एम्बैकमेंट्स, कोई बंध नहीं होने चाहिए। उस समय बाढ़ की समस्या इतनी गम्भीर नहीं थी, लेकिन जब से तटबंध बनने लगे हैं और रेलवे लाइन्ज़ के नीचे पुलों के द्वारा पानी का निकास नहीं हुआ, तब से बाढ़ एक गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। मैंने यहां पर एक सवाल उठाया था कि दरभंगा–समस्तीपुर रेलवे लाइन में पानी के निकास का इन्तज़ाम नहीं है, तो यह कहा गया है कि बिहार सरकार के इंजीनियर और रेलवे के इंजीनियर इस बारे में एन्क्वायरी कर रहे हैं। उस बात को आठ बरस हो गए हैं, लेकिन क्या कार्यवाही हुई है, यह पता नहीं है। इस लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में जल्द

से जल्द जांच होनी चाहिए और अगर रेलवे लाइन और रोड्ज़ के नीचे से काफ़ी पानी निकलने की गुंजायश रखी जाये, तो यह समस्या इतनी गम्भीर नहीं होगी।

इसके बाद में यह कहना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार, यू० पी० और पश्चिमी बंगाल की बाढ़ की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि नेपाल सरकार के साथ समझौता कर के नदियों का नियंत्रण नहीं किया जायेगा। केवल तटबंध से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इस समस्या का समाधान तब होगा, जब कि हिमालय की श्रेणियों में बांध बनाए जायेंगे। उस से अनावृष्टि और अतिवृष्टि इन दोनों समस्याओं का समाधान हो जायेगा। एम्बैंकमेंट्स की पालिसी बिल्कुल ख़तरनाक पालिसी है। वे एक तरफ़ तो लोगों की हिफाजत करते हैं और दूसरी तरफ लोगों को तंग करते हैं।

उत्तर प्रतेदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल की समस्याओं का समाधान करने के लिये एक कमीशन होना चाहिए, जिस का हैडक्वार्टर पटना में हो। वह कमीशन इन प्रदेशों की बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं को हल करने की कोशिश करे।

सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में जो सहायता दी जा रही है, वह नाकाफ़ी है। यद्यपि अफ़सर लोग काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, तात्कालिक सहायता की व्यवस्था समुचित रूप से और दक्षता से की जानी चाहिए। मालगुजारी की माफ़ी दी जानी चाहिए। विद्यार्थियों की फ़ीस की माफ़ी देनी चाहिए। खेती के लिए समय पर बीज दिये जायें। जानवरों के लिए चारे का इन्तज़ाम ठीक तरह से किया जाये। सस्ते गल्ले के लिये दुकानें खोली जायें। मकान बनाने के लिये जल्दी से जल्दी सहायता दी जाये। नावों का इन्तजाम ठीक न होने के कारण लोगों को तक्लीफ़ बढ़ जाती है, इसलिए नावों का इन्तज़ाम पहले से करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस में एक बात रह गई कि यहां पर माननीय सदस्यों को चर्चा करने के लिये वक्त भी दिया जाये।

श्री श्रीनारायण दास : यह बात तो मेरे कहने की तो नहीं है। इन सब बातों की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार को काफ़ी प्रयत्न करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, माननीय सदस्यों ने इस समस्या के समाधान के लिए जो सुझाव दिये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।

†**श्री राम रतन गुप्त** (गोंडा): मेरे निर्वाचन क्षेत्र का लगभग एक तिहाई भाग बाढ़ के कारण साल में तीन महीने से ६ महीने तक और भागों में बिलकुल कट जाता है।

यह बड़ी लज्जा की बात है कि आज़ादी के १५ वर्षबाद भी हम देश में बाढ़ की समस्या को हल नहीं कर सके। कोई साल भी ऐसा नहीं जाता जब कि १०० से २०० करोड़ रुपये के मूल्यों के खाद्यान्न का नुकसान न होता हो।

स्थिति यह है कि बाढ़ के मौसम में समाप्त होने के बाद राज्य सरकारें अपने प्रयत्न छोड़ देती हैं।

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार कद्वारा बाढ़ की समस्या को पृथक रूप से हल नहीं किया जा सकता। एक आयोजन की स्थापना की जाये जिसे बाढ़ नियन्त्रण उपायों का काम सौंपा जाये। उसे निश्चित समय के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाये। उस आयोग को अपनी सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में सरकारी फैसलों की अभिपूर्ति का काम भी सौंपा जाये।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री आ० प्र० शर्मा (बक्सर) : इस बहस में मैं इस वास्ते भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इस बाढ़ का प्रकोप विशेष तौर से मेरे प्रान्त बिहार पर पड़ा है। जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है उन्होंने आप को बतलाया है कि उन के प्रान्त में, बिहार में, असम में, उत्तर-प्रदेश में, कितनी बरबादी हुई है, कितनी तबाही हुई है और किस तरह से इस बाढ़ में वहां के लोगों को परेशानी में डाला है।। चूंकि मैं समझता हूं कि इस सदन के ज़रिये भारत सरकार पर जोर दिया जाना चाहिये कि वह इस समस्या को हल करे और स्थायी रूप से हल करे, इसवास्ते मैं ने यह अपना कर्तव्य समझा कि मैं भी बहस में भाग लूं।

मैं इस बात को मानता हूं कि बाढ़ें हर बरस आया करती हैं, और यह एक सालाना प्रकोप हो गया है। इस मौके पर सरकार से जहां तक हो सकता है, कुछ न कुछ मदद करती है। लेकिन अब इस तरह से कोशिश करने से मैं समझता हूं आगे हमारा काम चलने वाला नहीं है। यह सही है कि जब भी बाढ़ आती है, वह काफी लोगों को तवाह और बरबाद करती है। इसवास्ते जरूरत इस बात की है कि उन उपायों की खोज की जाए जिन से इन बाढ़ों को रोका जा सके। यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा कई सुझाव रख गये हैं और मैं भी आपके सामने सुझाव रखना चाहूंगा। जितने भी बड़े काम इस देश को करने हैं, उन सब से बड़ा काम बाढ़ों पर काबू पाने का काम है। ऐसे मौकों पर अगर दक्षिण का सवाल उठाया जाता है तो वह उचिप प्रतीत नहीं होता। जो लोग इस तरह का सवाल उठाते हैं उनको दक्षिण के लोग भी दक्षिण वाला मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह अलग सवाल है लेकिन में कहना चाहता हूं कि यह उत्तर और दक्षिण का सवाल नहीं है, यह तो सारे देश का सवाल है, और देश के लाखों और करोड़ों आदमी इस के कारण तबाह और बरबाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसी हालत में देश के सभी लोगों को एक हो कर के इस समस्या का सामना करना चाहिये। यह देश का सब से बड़ा सवाल है। इस सवाल को हल करने के लिए अगर बड़े बड़े कामों को भी बन्द करने की जरूरत हो तो उनको बन्द कर दिया जाना चाहिये, लेकिन इस सवाल को सब से पहते हल किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस समस्या को भी सुलझाने के लिये एक योजना बने, जिस में उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों और सभी के सहयोग से इस समस्या को हल करने की कोशिश की जाए। हमारे मिस्टर दास ने अभी कहा है कि गंगा नदी को बांधा जाए। मैं समझता हूं कि यह कोई मुश्किल काम नहीं है। आज बड़े बड़े काम किए जा र हैं। चन्द्रमा को पकड़ने के लिये लोग जा रहे हैं, आकाश पाताल एक कर रहे हैं। ऐसी हालत में नदियों को बांधने का जो सवाल है यह कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आगे के लिये बाढ़ों को किस तरह से रोका जाए। इस के उपाय किए जायें, इसकी व्यवस्था की जाए और जो लोग तबाह और बरबाद हो गये हैं, उनकी कैसे मदद की जाए। हमारे कुछ भाई हैं जो समझते हैं कि बहुत आसानी से यह समस्या हल हो सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितनी बड़ी संख्या में लोग इस से दुखग्रस्त हुए हैं, उनकी अगर लाखों और करोड़ों में भी मदद की जाए तो भी उन लोगों को कोई खास फायदा नहीं हो सकता है। बहुत से लोग हैं जो गंगा के किनारे रहते हैं और जो यह चाहते हैं कि नदी के किनारे से अलग जा कर वह बस जायें। ऐसे लोगों के निवास स्थान के लिये भी जगह सरकार को देनी चाहिए और उनका प्रबन्ध करना चाहिये। वे लोग हर बरस तबाह और बरबाद होना नहीं चाहते हैं।

मैं आपको धन्यबाद देता हूं कि आपने टाईम बढ़ाकर भी लोगों को इस बहस में भाग लेने का अवसर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो और कोई मदद नहीं दे सकता हूं। यही दे सकता हूं।

श्री बागड़ी : सर्वस्व दान हो गया आपका।

†**श्री शाम लाल सर्राफ:** बाढ़ आने का मुख्य कारण यह है कि स्रोतों के निकट जंगल साफ़ कर दिये गये हैं तथा वृक्षों को बिना विवेक काट दिया गया है। पहाड़ों की चोटियों पर चराई अधिक की जाती है और ढलानों पर फसलें उगाई जाती हैं। हाल में नई सड़कें भी बनाई गई हैं। इस से भूमि का कटाव भी शुरू हो गया है। बनों के साफ कर दिये जाने के कारण वर्षा का पानी पहाड़ों की ढलानों से धड़ाधड़ नीचे बहने लगता है। मेरा निवेदन है कि यह समस्या इंजीनियरों और वन विज्ञानियों द्वारा हल की जानी चाहिये। उन्हें ऐसी योजना बनानी चाहिये जोकि कई राज्यों के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकें।

भू-प्रबन्ध और वनारोपण के विशेषज्ञों को मिल कर अन्तर्राज्यीय योजनायें बनानी चाहियें। केवल एसा करने से ही समस्या का हल किया जा सकता है।

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से हमारे देश के कई हिस्से तबाह हो गय हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो तबाही हमारे अपने क्षेत्र में और अपने जिले में हुई है शायद वैसी तबाही और किसी दूसरी जगह नहीं हुई है। मैं अभी एक हफ्ते तक तबाहज़दा क्षेत्र का दौरा कर के आ रहा हूं। जो वहां हालत है, उस का जिक्र अगर मैं करूं तो काफी वक्त इस सदन का खर्च हो जायगा। मेरे सामने घर गिर रहे थे, लोगों को गांवों में रहने के लिये जगह नहीं मिल रही थी, पानी घुसा हुआ है, नेचर काल को एटेंड करने के लिये भी उन्हें कोई जगह नहीं मिलती है। जानवर चारे के लिए परेशान है . . . .

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक माननीय सदस्य : किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं ?

डा० महादेव प्रसाद : गोरखपुर की बात कर रहा हूं।

इस बाढ़ से ही वहां तबाही मची हो ऐसी बात नहीं है। ५ मार्च को वह इलाका ओले के कारण बुरी तरह से तबाह और बरबाद हुआ था। सारी की सारी फसल उस वक्त ऐसी नष्ट हुई जैसे जल गई हो, खत्म हो गई हो। यह सूरत वहां की हो गई थी जब वहां ओला पड़ा था।

इसी हिस्से में ३० जून को एक बार बाढ़ आई। वसुमतिया और पयास ये दो छोटी नदियां हैं जो हिमालय की तराई से निकलती हैं और उन में थोड़ा भी पानी आ जाने से वे काफ़ी बढ़ जाती हैं। और उस के बाद फिर जब नारायणी में बाढ़ आई तो हमारा उत्तर पूर्व का क्षेत्र उस से प्रभावित हो गया और महाराजगंज और फरेंदा तहसील का आधे से ज्यादा हिस्सा बाढ़ में आ गया। वहां पानी का एक समुद्र सा हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। यहां तक कि आठ रोज तक छतौनी से कप्तानगंज की रेल बन्द हो गयी। जगह जगह एसी हालत हो गयीं कि अभी सुना जाता था कि एक तरफ़ की रेल गाड़ी बन्द होने वाली है, तो दूसरे समय सुना जाता था कि दूसरे तरफ की गाड़ी बन्द होने वाली है।

माननीय सदस्यों ने जो इस समस्या को हल करने के लिय सुझाव दिये हैं उन को मैं ने सुना है। उन में से बहुत से सुझाव उपयोगी हैं। मैं उन को दुहराकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। अभी हम जो हालत देख कर आये हैं वह यह है कि गोरखपुर से सुनौली जाने वाली सड़क सात आठ जगह चार मील में कटी हुई है। रेलवे के पुल के पूर्वी हिस्से में पानी ज्यादा है, पश्चिमी हिस्से की तरफ पानी कम होता जाता है। यह हमें इशारा देता है कि क्या कार्रवाई करनी चाहिये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ की समस्या के और जो भी कारण हों, एक कारण तो रेलवे के वे पुल हैं जो बहुत पहले के बने हुए हैं और आज बिल्कुल नाकारा हो गय हैं। ये नई समस्या खड़ी

†मूल अंग्रजी में

कर रहे हैं । । इस के अलावा पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों के पुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं । नई नई सड़कें और बांध बने हैं उनके कारण पानी रुकता है और जो पुरानी सड़कों के पुल चले आ रहे हैं वे काम के नहीं हैं । इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि इस बाढ़ की समस्या को हल करने के लिये रेलवे मंत्रालय को और सड़क विभाग को भी इर्रीगशन मंत्रालय के साथ बैठ कर विचार करना चाहिये और इस प्रकार इस समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं । पारसाल लखनऊ में बाढ़ आई । उस समस्या का लोगों ने अध्ययन किया और गोमती पर जो पुल बने हैं उन में कुछ सुधार कर दिया गया और उस से समस्या हल हो गयी । तो मैं समझता हूं कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम पानी निकलने की समस्या को हल कर दिया जाये तो यह बाढ़ की समस्या थोड़ी कम हो सकती है । मेरा सुझाव है कि रोहित नदी पर रेल के पुल में और स्पेन बढ़ाये जायें ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि नदियों का ड्रेजिंग किया जाये क्योंकि बाढ़ का दूसरा बड़ा कारण नदियों के पाट का भर जाना है ।

कुछ गांवों को ऊंचा किया गया था जिस से लाभ हुआ है । और इसलिये आज लोगों की सब से बड़ी मांग यह है कि उन को ऊंची जगह पर बसाया जाय, जहां चाहे उन को खाना न मिले लेकिन व इन्सानों की तरह और सुरक्षित तो रह सकें । मेरा सुझाव है कि जहां आस पास ऊंची जमीन हो वहां गांवों को बसाया जाये । यह बहुत लाभदायक काम है । इस की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इस के अलावा एक समस्या की ओर मैं तत्काल ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह समस्या हमारे क्षेत्र रेलवे के छोटे कर्मचारियों की है । जो बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, के लोग रेलवे में काम करते हैं उन को जो तनखाह मिलती है वह बहुत कम है । इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार उन को जो अन्य सहायता दे उस के साथ साथ उन को तनख्वाह का एडवांस भी दिया जाये ताकि वे इस समस्या का मुकाबला कर सकें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि महात्मा जी ने बतलाया था कि जिन क्षत्रों में क्रानिक स्टारवेशन की अवस्था हो उन में चर्खा उपयोगी हो सकता है । हमें महात्मा जी की इस बात पर ध्यान देना चाहिये और इन क्षेत्रों में चर्खे का प्रचार किया जाना चाहिये । यह न केवल यहां के लोगों को इस वक्त राहत देगा बल्कि रोटी कमाने का एक बड़ा जरिया भी सिद्ध होगा ।

इन सुझावों के साथ में आप को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आप ने थाड़ा ही सही लेकिन समय तो दिया ।

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं . . . . . .

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, सारी बहस हिन्दी में हुई है, उत्तर भी हिन्दी में होना चाहिये ।

(अनेक माननीय सदस्य : हिन्दी, हिन्दी)

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बहुत आभारी हूं और मश्कूर हूं इस एवान के मेम्बरों का जिन्हों ने अपने देश के फ्लड के मसले में इस कदर दिलचस्पी का इजहार

†मूल अंग्रेजी में

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

किया है, जो मैं कल से महसूस करता रहा हूं। मैं उन का इस बात के लिये भी मश्कूर हूं कि उन्हों ने अपनी तरफ से कुछ मशविरे भी दिये हैं। मैं उस वक्त उन मशिविरों की बाबत यह तो अर्ज नहीं कर सकता कि उन में से कौन से किस हद तक मुफीद या मुजिर हैं, लेकिन इतना जरूर अर्ज कर सकता हूं कि मैं ने यह महसूस किया है कि हम उन को जांचें और देखें कि उन से कहां तक कोई फायदा हासिल किया जा सकता है।

मेम्बरान साहिबान ने जो अपनी तकरीरों में बहुत से प्वाइंट्स बयान किये हैं, जाहिर है कि जो वक्त मुझ को मिला है उस के अन्दर मैं उन में से हर एक का जवाब तो दे नहीं सकता। हां उन में से कुछ की बाबत अर्ज करता हूं। लेकिन उस से पहले मैं एक बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज मैं ने अपने दोस्त हनुमंतैया साहब से, जो हमारे मैसूर के मेम्बर हैं, यह सुना कि वहां पर कोई सख्त फ्लड आया है जिस के मुताल्लिक मुझ को जाती तौर पर मालूम नहीं हुआ।

जो कुछ मुझे मैसूर के बारे में कहना है, वह मैं अंग्रेजी में कहूंगा।

मुझे मैसूर के बारे में केरल समाचारपत्रों की जानकारी है। मैं ने राज्य से जानकारी मांगी है कि वहां क्या हुआ है। साथ ही मैं माननीय मित्र को आश्वासन देता हूं कि मेरी सेवायें मैसूर के लिए हाज़िर हैं और सत्र के समाप्त होने के बाद मैं मैसूर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करूंगा।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि उन प्वाएंट्स में से कुछ प्वाएंट्स की बाबत थोड़ा थोड़ा मैं अर्ज करना चाहता हूं। मसलन् एक साहब ने इर्शाद फरमाया कि मैं ने अपने बयान में जोकि मैं ने बाढ़ के मुताल्लिक हाउस की मेज पर रक्खा और उस बयान में जो मैं ने फीगर्स दिये, एदाद दिये, उनकी निस्बत उन्हों ने यह फरमाया कि वह फीगर्स गलत हैं और यह कि स्टेट्स की जो फीगर्स हैं उनसे वह मुख्तलिफ हैं। मुझे हैरत है कि आखिर माजरा क्या है क्योंकि सिवाय स्टेट से फीगर हासिल किये जायें इस के अलावा मेरे पास दूसरा कोई जरिया और सोर्स फीगर्स के हासिल करने का है नहीं। जो फीगर्स मैं ने सदन की मेज पर रक्खे हैं यह वही फीगर्स हैं जोकि स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे सप्लाई किये हैं। उन्हीं के भेजे हुए यह फीगर्स हैं। मैं ने इन को नहीं बनाया और न ही मैं ने इन को किसी से बनवाया है। मैं नहीं समझता कि जो फीगर्स मैं ने अपने इस स्टेटमेंट में दी हैं वह किसी वजह से उन से मुख्तलिफ हो सकती हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता स्टेट्स की फीगर्स मुख्तलिफ हों तो मैं कह नहीं सकता कि क्या वजह है क्योंकि मुझे यह फीगर्स स्टेट्स ने ही दी हैं और मैं ने उन को उस बयान में लिख कर मेज के ऊपर रख दिया जोकि मेरी तरफ से यहां पेश किया गया है। (**अन्तर्बाधा**)

श्री बागड़ी : अभी कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी सिलसिले में एक स्टेटमेंट दिया है जिस में कि उन्हों ने बतलाया है कि ११४ आदमियों की मौत हुई . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति : माननीय मंत्री भाषण जारी रखें।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अब मैं ने जैसे पहले बतलाया कि मेरे पास अलावा स्टेट्स के दूसरा सोर्स नहीं है और फीगर्स के लिये मुझे स्टेट्स के ऊपर ऐतबार करना होता है। उन का एक मुहकमा यह फीगर्स बनाता है। अब मसलन् मैं ही अगर किसी गलत फीगर को बयान कर दूं तो इस के यह मानी नहीं हो सकते हैं कि वह फीगर्स महज इस वजह से सही हैं कि हाफिज इब्राहीम ने उन को यहां पर रक्खा है। इस वक्त मैं फीगर्स पर बहस नहीं कर रहा हूं बल्कि हम सोर्स से बहस कर रहे

†भूल अंग्रेजी में

हैं। मेरे पास फीगर्स स्टेट्स से आती हैं। अगर स्टेट ने कहीं गलत बनाई हों वैसे मैं समझता तो नहीं कि वे गलत बनाते हैं लेकिन अगर गलती हो गई हो तो यह कोई एकदम नामुमकिन बात भी नहीं है क्योंकि आखिर इंसान से गलती हो सकती है। इंसान से सब कुछ गलती हो सकती है। वह दूसरी बात है लेकिन कहा यह गया कि मेरी फीगर्स में और स्टेट्स की फीगर्स में फर्क है। यह मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं ने यह फीगर्स उन्हीं से तो ली हैं।

दूसरी बात यह कही गई कि ड्रेजिंग की जाय। मैं भी इससे मुत्तफिक हूं। सही चीज है, जहां तक हो सकती है जरूर की जाय। यह और इसी तरह के जो भी काम इस सैलाब की बला से नजात पाने के लिए जरूरी हों उन सब को किया जाय।

एक फरमाइश यह हुई है कि बाढ़ की रोकथाम के मुताल्लिक एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाय। यह तो मैं मानता हूं कि यह मसला इतना अहम और इतना बड़ा है कि इस के लिए हाई पवर्ड कमेटी की जरूरत है लेकिन वह जरूरत हम पहले पूरी कर चुके हैं। आज उसकी जरूरत नहीं है। हम हाई पावर्ड कमेटी बैठा चुके हैं। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस ने हमको बतला दिया है कि क्या क्या करना चाहिए जिसको कि मैं थोड़ी देर बाद चल कर ऐवान की खिदमत में पेश करूंगा। इसलिये इस के मुताल्लिक अजसरे नौ किसी हाई पावर्ड कमेटी के बैठाने की जरूरत नहीं है। पहले ही उस हाई पावर्ड कमेटी ने इस मुल्क के लिए जो सैलाब का प्रोग्राम बना दिया है उस के ऊपर अमल होना चाहिए। हां, एक बात मैं मानता हूं कि इस बात की कोशिश जरूर और होनी चाहिए कि जितने कम से कम वक्त के अन्दर काम हो सकता है उतने कम से कम वक्त के अन्दर यह काम पूरा किया जाय। कम से कम समय में मैं बिल्कुल सहमत हूं। यह किया जाना चाहिये। मुझे और सब को इस के लिए प्रयत्न करना चाहिये। इसलिए कि इसके बगैर सदियां गुजर गईं कुछ काम नहीं होने वाला है। इसलिए हाई पावर्ड कमेटी बैठाने की जरूरत इस वक्त नहीं है।

एक सवाल यह था कि स्टेट्स को सैंटर ने क्या मदद दी। मैं आप से अर्ज करूं कि मैं कानूनी किस्से में नहीं जा रहा हूं। एक वाकया बयान करता हूं कि आपके इस संविधान की रू से सैलाब की प्राबलम स्टेट्स से सम्बन्ध रखती है और यह स्टेट्स के करने का काम है और इस बाढ़ के काम को स्टेट्स ही करती थीं लेकिन सन् १९५४ से खुद ब खुद केन्द्रीय सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लेना शुरू किया और इस के मुताल्लिक काम करना शुरू किया। इस में उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं है। यह मेरा या किसी और का उत्तरदायित्व हो सकता है। लेकिन एक मुश्तरका घर है। एक ज्वाएंट हाउस है। उस में सब रहते हैं और हर एक पर उस की खिदमत वाजिब है चाहे जिस तरीके से करे। इसी बिना पर हालांकि यह स्टेट्स का काम है तो भी सैंटर ने इस बाढ़ की समस्या को जिससे कि देश में इतनी तबाही और बर्बादी आती है उस सैलाब के काम को अपने हाथ में लेना शुरू किया।

एक बुजर्ग ने पैसे का सवाल उठाया। मैं उनको और हाउस को बतलाना चाहता हूं कि फर्स्ट प्लान के अन्दर स्टेट्स को १३ करोड़ रुपये दिये गये थे, सेकैंड प्लान में सैंटर ने स्टेट्स को ५६ करोड़ रुपये इस काम के लिए दिये और अब यह जो आपका थर्ड प्लान है इस में सैंटर ने ६१ करोड़ रुपया रखा है। इसलिए जहां तक रुपया रखने का ताल्लुक है रुपया तो रखा गया है। अब रुपया रखने के मुताल्लिक भी मैं आप के जरिये मेम्बर साहबान की खिदमत में अर्ज करूंगा कि यह बात सोचनी है कि क्या हम ऐसे हैं इस वक्त कि हम जिस जगह जितना चाहें रुपया खर्च कर सकते हैं? जाहिर है कि हमें अपनी जरूरतों के अन्दर मुकाबला करना पड़ेगा कि कौन सी जरूरत किस दर्जे की है और उस के लिए हम अपने प्लान में कितना रुपया प्रोवाइड करें, यह सब हमें देखना होगा।

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

अब जाहिर है कि हमारी आमदनी की लिमिटेशंस हैं और इसलिए हमें एक खास दायरे के अन्दर रह कर ही यह सब काम करने होंगे । उसके हिसाब से सैंटर जितना रुपया राज्यों को दे सकता था वह उसने दिया है । अब यह बात दूसरी है कि स्टेट्स आया पूरा खर्च करती हैं या उसका कुछ हिस्सा ही खर्च करती हैं । वह बात अलग है । लेकिन हम ने तो उन्हें उतना रुपया दिया । हमारी कोशिश यही है कि इसको बढ़ाया जाय और जैसे भी हो सके कम से कम समय में इस बला को अपने देश में से निकाल दिया जाय । अब अगर यह समझा जाय कि यह काम एक लाख करोड़ रुपये लगाने से पूरा हो सकता है, एक लाख करोड़ रुपया आप के पास लगाने के लिए नहीं है तो उससे क्या हुआ, हम थोड़ा थोड़ा करके इस काम को करेंगे और आगे बढ़ायेंगे और चंद साल के अन्दर यह काम पूरा हो जायगा । इसीलिए मैं ने अर्ज किया कि हमरी कोशिश है कि कम से कम मुमकिन समय में इस काम को पूरा किया जाय ।

मेरे एक दोस्त ने यहां यह कहा कि पन्द्रह वर्ष हो गये इस काम को यहां पर होते हुए लेकिन हिन्दुस्तान में पहले कोई कंसर्टेड ऐक्शन सैलाब के खिलाफ नहीं लिया गया । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि स्टेट्स अपने अपने यहां इस काम को पहले से करती आई हैं । सन् १९५४ से सैंटर ने भी इस काम को उठाया और इसके खिलाफ नेशनल बेसिस पर एक जंग शुरू हुई ताकि यह काम हो जाय और जल्दी से पूरा हो जाय । अब मेरे दोस्त जोकि बैठे हुए हैं उनको ताज्जुब इस बात का है कि पन्द्रह वर्ष से यह काम होने के बावजूद वह बला आज तक बाकी है । मैं अपने उन दोस्त को बतलाना चाहता हूं कि दुनिया का ज्यादा से ज्यादा मालदार मुल्क, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी काम करने वाला मुल्क जिसके कि पास सब जराये जोकि तसुव्वर में आ सकते हों, उसके पास हों ? वह क्या इसमें कामयाब हो गया ? वहां भी अभी यह प्राबलम हल होने को बाकी है । जैसा मैं पहले कह चुका हूं मैं इसके हक में नहीं हूं कि देर लगे । मैं तो चाहता हूं कि यह काम कम से कम समय में पूरा किया जाय लेकिन उसी के साथ साथ यह जरूर अर्ज करूंगा कि हम को अपने दिमाग के सामने सही बातें रखनी हैं, वह बातें रखनी हैं जोकि दुनिया में इंसान से होना मुमकिन हैं । फ्लड को फ्लड समझ कर आप सोचें कि हम इसको कितने दिनों में कर सकते हैं कितना वक्त हम इस में लगा सकते हैं ? अब १०० वर्ष लगते हों तो १०० के मैं ८० कर दूं यह तो मुमकिन हो भी सकता है लेकिन कोई यह कहे कि १०० वर्ष का काम मैं पांच वर्ष में कर दूं तो यह नामुमकिन है । यह बिल्कुल ऐबसर्ड बात है और मुझे कहने की इजाजत दी जाय कि इंसान के दिमाग में इस तरह की बात यदि आती है तो मैं उस बात को इंसानियत के खिलाफ समझता हूं और मैं उसको सही नहीं समझता हूं । . . . .

श्री बागड़ी : बाढ़ के काम में किस जिले में कामयाबी हुई है ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं आप के सामने अमरीका का जिक्र करना चाहता हूं । उन्होंने १९३० से १९५८ तक, यानी २८ बरस, फ्लड के मुताल्लिक काम किया और उस के ऊपर २,२०० करोड़ रुपया खर्च किया और उस का नतीजा यह हुआ कि १९५५ में वहां पर ऐसा सस्त फ्लड आया कि वे लोग बेचारे हैरान रह गये कि हम ने इतना सब कुछ किया और उस का नतीजा यह हुआ । मैं आप से बयान कर रहा हूं कि २८ बरस के जमाने में २,२०० करोड़ रुपये उस मुल्क ने खर्च किये, जिसको हमारे मुकाबले में हर किस्म की आसानी इस दुनिया में हासिल है ।

श्री हनुमन्तैया : वह बड़ा मुल्क है । (**अन्तर्बाधा**)

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : रकबे में बड़ा है ? रकबे से कुछ नहीं होता है । (**अन्तर्बाधा**) हम को इस सिलसिले में कोशिश करते हुए सिर्फ १५ बरस ही हुए हैं । हमारा छोटा सा मुल्क है ।

मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अगर हम या हमारे आदमी देर से काम करते हों और उस में नाजायज़ वक्त लगाते हों, तो हम उस को जस्टिफ़ाई करें। मैं इस को टालरेट नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, तनकीद करते हैं, उन की ख़िदमत में मैं यह ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूं कि उन के पास सही मालूमात होनी चाहिए, उन को दुनिया के सही वाकयात जानने चाहिए और उस की रोशनी में उन को क्रिटिसिज्म करनी चहिए, तनक़ीद करनी चाहिए ।

जैसा कि मैं ने अभी अर्ज़ किया है, सन् १९५५ में अमरीका में फिर सैलाब आ गया। उस के बाद यह हुआ कि उन्होंने ३,६०० करोड़ रुपये का प्लान तजवीज़ किया, जिस की ६८४ स्कीम्ज़ हैं और उन को वे बनायेंगे किसी वक्त।

मुझे इस हाउस की तवज्जह इस बात की तरफ़ दिलानी है कि मायसी नहीं लानी चाहिए। मायूसी बहुत बुरी चीज़ है। अगर आनरेबल मेम्बर तकरीरें कर के लोगों को यह तल्कीन करते फिरें कि पंद्रह बरस हो गये हम को इस काम को करते हुए और अभी तक हमारा मक़सद हासिल नहीं हुआ और उन के दिमाग़ों और तबियतों में इस तरह की ग़लत बातें डालते रहें, तो उन लोगों के दिमाग़ों में कितनी मायूसी होगी ? वह मायूसी कितनी बुरी होगी इस मुल्क के लिए, इस नेशन के लिए ? जिस नेशन के सामने मायूसी आ जाये, वह कितने दिन चल सकती है, कितने दिन ज़िन्दा रह सकती है ? मैं नहीं कहता कि यह होना चाहिए, लेकिन मेरे ख़याल में कुछ मुल्कों में एक मक़सद के लिए ग़लत कहने को भी जायज़ कर दिया गया है, इसलिए कि वह मक़सद हासिल हो। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि सही वाकयात को देख कर हम को अन्दाज़े करने चाहिए कि हम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।

मैं मानता हूं कि देर होती है, ग़लती भी होती है, कुसूर भी होता है। मैं इन्कार नहीं करता। लेकिन मैं यह जानता हूं कि मेरी जगह, या हमारे उस भाई इंजीनियर की जगह, मेम्बर साहबान में से कोई होते, तो वह क्या करते। (अन्तर्बाधा) कोई ग़लती उन से भी होती, कोई कुसूर उन से भी होता। हां, जान कर करना, नीयत से करना, इरादे से करना, यह बुरी बात है। वर्ना इंसान है, उस से कहीं न कहीं ग़लती होगी, कुसूर भी होगा और उस को हमें टालरेट करना है। उस को टालरेट करने की ज़रूरत है।

मेरा मतलब अर्ज़ करने का यह है कि मैं इस हाउस को बताऊं कि इन पंद्रह बरसों में क्या काम हुआ है। आनरेबल मेम्बर्ज़ उस को समझें, लेकिन वे दिल में मायूसी न लायें। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं मायूस नहीं हूं और मेरे दूसरे भाई भी न हों। लेकिन मैं इस ऐवान में, इस भरी सभा में, अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह दिन करीब है कि जिस वक्त यह हिन्दुस्तान दुनिया के सामने इज़्ज़त के साथ कहने के काबिल होगा कि हम ने अपने मुल्क को सैलाब की मुसीबत से निकाल दिया। (अन्तर्बाधा) यह सिर्फ़ मेरा काम नहीं है। यह काम मेम्बर साहबान करेंगे, यह मुल्क करेगा। हम तो सिर्फ़ रवायत कायम करते हैं। हम ने एक ट्रैडीशन कायम कर दी, लोगों के सामने मिसाल रख दी कि किसी नेशन को इस तरह से चलना चाहिए।

मास्टर प्लान का ज़िक्र आया। सही बात है, मास्टर प्लान तो होना चाहिए, और यहां मास्टर प्लान बन रहे हैं। कितनी ही स्टेट्स में बन गये हैं और कितनी ही स्टेट्स में बनने वाले हैं।

मैं शिकायत के तौर पर नहीं, ऐसे ही, अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं मौजूद हूं, कोई आ कर मुझ से पूछे तो सही कि हाफ़िज़ साहब, फ़लां काम क्यों नहीं हो रहा है ? वाकये में तो वह हो रहा है, लेकिन कुछ साहबान को ख़बर नहीं है। (अन्तर्बाधा) उन के ख़याल में

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

नहीं हो रहा है। अगर वे पूछें कि क्या फ़लां काम हो रहा है, तो मैं उन को बताऊं कि यह उन की आंखों के सामने मौजूद है, वे देख लें। (**अन्तर्बाधा**) मेरा मक़सद सिर्फ़ यह है कि हम सही रास्ते पर चलें और कोई ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। बिलख़सूस यहां पर जो बठे हुए हैं, इस मुल्क को सम्भालने का–सिर्फ़ पैसे के लिहाज़ से नहीं अख़लाक के लिहाज़ से, दिमाग़ के लिहाज़ से हर तरीके से सम्भालने का फ़र्ज़ उन पर है, हम पर है। हमें इस मामले को हमने सामने रखना चाहिये और ठीक लाइंस पर काम करना चाहिये।

अगर आनरेबल मेम्बर्ज़ यह करें कि खुद मायूस हो कर मुझ को भी मायूस कर दें, तो जिन चन्द हज़ार या लाख आदमियों ने हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम को मेम्बर बना कर भेजा है, जब वे सुनेंगे कि वह बहुत मायूस है, तो वे कमबख़्त क्या सोचेंगे ? (**अन्तर्बाधा**) उन की क्या हालत होगी (**अन्तर्बाधा**) वाक़ई अगर कोई ऐसा मामला हो, कोई ऐसी बात हो। लेकिन काम हो रहा है, किया जा रहा है। यह तो नहीं है कि कोई इस से इन्कार कर सकता है कि नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है।

जहां तक मालूमात न होने का सवाल है, हाल यहां तक है कि यहां पर कहा गया कि सायल कनज़रवेशन को एडाप्ट करना चाहिए था। मैं उन से कहना चाहता हूं कि वे मेरे साथ करीब ही पंजाब में चलें, तो मैं उन को दिखा दूं कि कितने हज़ार एकड़ ज़मीन में सायल कनज़रवेशन हो रहा है। फ्लड के सिलसिले में सायल कनज़रवेशन एक काम की चीज़ है। मैं इस वक्त उस की तफसील ब्यान नहीं करता कि उस का असर क्या होता है। लेकिन वह काम की चीज़ है। लेकिन मेम्बर साहबान उस को देखें तो सही। या तो आदमी चल कर उस को देखे और या किसी जानने वाले के पास जाए और उस से मालूम करे। लेकिन वह ये दोनों काम न करें (**अन्तर्बाधा**) और यहां खड़े हो कर तकरीर करें। (**अन्तर्बाधा**) मैं आनरेबल मेम्बर्ज़ से माफ़ी चाहता हूं।

एक आनरेबल मेम्बर ने यह सजेस्ट किया है कि यू० पी० के मश्रिक की तरफ के दरयाओं, बिहार वग़ैरह और आसाम के दरयाओं का एक अलग रिवर कमीशन बनाया जाये। यह तो ऐसी बात है कि मैं यकलख़्त कह दूं कि मैं बना दूंगा, यह मैं नहीं कह सकता और इन्कार भी नहीं करना चाहता हूं। मैं इस मामले को एग्ज़ामिन कराऊंगा कि यह कहां तक ठीक है और कहां तक होना चाहिए। अगर यह माकूलियत के साथ हो सकता है, तो ज़रुर ज़रुर इस को किया जायगा। (**अन्तर्बाधा**)।

श्री ज० ब० सिंह (घोसी) : माननीय मंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है ? (**अन्तर्बाधा**)

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : उत्तर प्रदेश का नम्बर आ रहा था और मैं उसका ज़िक्र करने जा रहा था। इस में, जनाब, थोड़ी सी दिक्कत है। वह दिक्कत यह है कि अगर पूरा जो किस्सा है उसको मैं जुबानी ब्यान करुं तो काफी वक्त लग जाएगा और कुछ बातें भी कहने से रह जायेंगी। मैं अंग्रेज़ी में बोलने वाला था। मैंने सोचा था कि इसको लिख लूं, जल्दी से पढ़ दूंगा। अब अंग्रेज़ी के बजाय हिन्दी में मैंने बोलना शुरु कर दिया है। इस वास्ते मैं माफ़ी चाहिता हूं अगर जो कुछ मैंने लिखा है, उसको अंग्रेज़ी में पढ़ूं। जो कुछ मैं पढ़ूगा उसका खुलासा मैं हन्दी में भी कर दूंगा।

जनाब, मैं आपकी इजाजत से इसको पढ़े देता हूं ।

श्री यशपाल सिंह :(कैराना) : चूंकि गैर-मुल्की जुबान में बोलते हैं, इस वास्तें बाढ़ें आती हैं।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, मैं देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य पटल पर रखता हूं । मेरे मंत्रालय ने एक मुख्य इंजीनियर (बाढ़) आसाम भेजा था । एक अधीक्षक इंजीनियर उत्तर प्रदेश भी भेजा गया था । मैं ने अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश , उत्तर बिहार और आसाम का दौरा किया है ।

मेरा गुनाह इतना जरूर है कि मैं ने हवाई जहाज से सफर किया है । जिन मेम्बर साहिबान ने यहां तकरीरें सुनी होंगी , उन को पता होगा कि एक मेम्बर साहब ने कहा है कि मैं हवाई जहाज में क्यों गया । हवाई जहाज में जाने से क्या पता चल सकता है । हुजूर यह गलती जरूर हो गई है । लेकिन हजारों मील का इलाका देखना था एक कोने से दूसरे कोने का इलाका देखना था । मैं ने इसका इस वास्ते जिक्र किया है कि क्योंकि एक मैम्बर साहब ने इसका जिक्र हाउस में किया था । मेरे माननीय मंत्रालय का सचिव और मुख्य इंजीनियर (बाढ़) मेरे साथ थे । इन तीन राज्यों में स्थिति इस प्रकार है : उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और देवरिया जिलों में सब से अधिक प्रभाव पड़ा है । पानी गंडक, रावती और रोहिन नदियों से बह कर आया था । कुल १६.४ लाख एकड़ भूमि जिस में ७००० ग्राम हैं प्रभाव पड़ा है । ३२,००० मकानों को नुक्सान पहुंचा है । २१ व्यक्ति और ९ पशु मारे गये । मैं ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रविधिक विशेषज्ञों और अपने विशेषज्ञों से स्थिति पर चर्चा की है । मेरे विचार में नेपाल में बांध बनाने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी होगी ।

इस जगह पर जहां का जिक्र आया है , एक बांध बांधना है । इसके सिलसिले में जो गोरखपुर के भाई हैं, वे जानते होंगे । जिस मुकाम पर बांध बांधना है , वह इलाका नेपाल का है । उसको हमें उन से लेना है । उन के साथ इस के बारे में हमारी काफी देर तक लिखा पढ़ी चलती रही और देर होती गई । अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ था । लेकिन अब हमने उसका भी इंतजाम सोच लिया है । खास कर के उस बांध को बना दिया जाय इस को तय कर लिया गया है । अब यह तय हो गया है कि एक्सपर्टस की एक टीम जाए और वह इसको देखे । मैं ने उत्तर प्रदेश सरकार के विशेषज्ञों से स्थिति पर चर्चा की थी और मेरे विचार में नेपाल में बांध बनाने की कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिये । नवीनतम स्थिति यह है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञ स्थान का निरीक्षण कर के एक संयुक्त प्रतिवेदन देंगे । मुझे आशा है कि नेपाल सरकार बांध बनाने के लिये हमें शीघ्र ही अधिकृत कर देगी । ज्यादा प्रभाव चम्पारन , दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंघेर और सारन पर पड़ा है । ७ लाख एकड़ भूमि पर प्रभाव पड़ा है ९ आदमी और १८ पशु मरे हैं । बिहार में भागमती नदी द्वारा अपना मार्ग बदलने की समस्या और भी बढ़ी है । मैं ने राज्यों और केन्द्र के मुख्य इंजीनियरों से सर्वेक्षण के बाद उपयुक्त उपाय करने के लिये कहा है ।

पटना में राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान में, मैं ने बिहार में बांधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है । इस समय राज्य सरकारें पर्याप्त रुपया नहीं खर्च कर रही हैं । मैं ने विकास कार्य पर भी बल दिया है, ताकि बाढ़ का पानी निकल जाये । कोसी तटबन्ध पक्के रहे हैं । नहीं तो नुक्सान और भी अधिक होता ।

आसाम में समस्या बहुत गम्भीर हो गई थी । किन्तु अब ब्रह्मपुत्र का पानी कम हो रहा है और स्थिति में दिनों दिन सुधार हो रहा है । ११ लाख एकड़ भूमि, २,००० गांवों और लगभग ४,००० मकानों पर प्रभाव पड़ा है । लगभग ४५ जानें चली गई हैं और बहुत से मवेशी मारे गये हैं । कुछ स्थानों पर विशेष कर गोहाटी खतरे के निशान से ७ फुट ऊंचा हो हो गया है था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

राज्य सरकार के प्राधिकारियों से बातचीत के दौरान मैं ने बांध बनाने, पुश्ते (डाइक) बनाने और उन के उचित संधारण पर ज़ोर दिया था। घाटी में निकासी की समस्याओं का सावधानी से विचार होना चाहिये। राज्य सरकार को बाढ़ से प्रभारित होने वाले धान के उगाने के बारे में अध्ययन करना चाहिये। एक समय डिब्रूगढ़ की स्थिति गम्भीर हो गई थी किन्तु ६ मील लम्बे पुश्ते के कारण, जो पांच वर्ष पहले बनाया गया था, शहर बच गया था। इस बांध का उचित संधारण और इसे दो मील और बढ़ाना आवश्यक है। मैं ने भविष्य में उस शहर को बाढ़ों से बचाने के लिए प्राविधिक विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया है। ये समिति उपाय बतायेंगी और खर्च के बारे में भी अनुदान देंगी। राज्य सरकार प्राधिकारों के साथ चर्चा के दौरान में मैं ने दीर्घकालीन उपायों अर्थात् जलाशय क्षेत्र में ऊपर बांध बनाने, भूमि संरक्षण और बनारोपण पर जोर दिया था। इन बांधों से बिजली भी पैदा होनी चाहिये। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने पहले ही अध्ययन तथा जांच शुरू कर दी है। इस तरह से आयोग में भूमि संरक्षण निदेशालय खोला गया है। इन उपायों का कुछ प्रभाव कुछ सालों के बाद ही पड़ेगा। इस बीच राज्य सरकारों को अल्पकालीन उपायों से बाढ़ों का प्रभाव कम करने का प्रयत्न करना चाहिये।

मैं जब असम पहुंचा तो मैं ने देखा कि डिब्रूगढ़ में जहां की कोई एक लाख की आबादी बतलाई जाती है, वाकई जैसा कहा गया, अगर यह काम न हुआ होता तो जो कि पहले हो चुका था तो शायद वह इस वक्त बचा हुआ न होता। और अब भी उस में इरोजन चल रहा है। इरोजन एक ऐसी गलत चीज है कि जो कि नहीं होनी चाहिये। समुद्र या दरिया के जो किनारे होते हैं, उन में जो इरोजन होता है वह वैसे ही होता है जैसे किसी आदमी का बदन फूट निकलता है। वह बेकार हो जाता है। इस तरीके का वह होता है कि इसका इलाज हो, उसकी दवा हो। उसका इलाज वहां होना जरूरी हो जाता है। इसलिये मैं आप के जरिये से इस हाउस को बतलाना चाहता हूं कि जहां पक असम, नेपाल और गोरखपुर में, यू० पी० में, इस बात का ताल्लुक है, उसके लिये पूरी-पूरी कोशिश की जायेगी कि दोनों मकसद हासिल हो जायें। जहां तक बिहार का ताल्लुक है, मैंने बिहार गवर्नमेंट से भी कहा था और यहां भी अर्ज करता हूं कि उन के लिये हमारी खिदमत हाजिर हैं। उन के यहां जरूरत इस बात की है कि वहां हम पिछले जमाने से ज्यादा तवज्जह इस बात पर क। जहां बांध बने हैं—और बांध बहुत से बने हैं—लेकिन उनका मेंटनेन्स जैसा मैं ने देखा और समझा, वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिये था। इन बांधों को सही तरीके से मेंटेन किया जाय और जो काम लोगों को महफूज करने का है उसको करने की कोशिश की की जाय।

यह तीन स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर बाढ़ें आई हैं। वैसे तो मैसूर में भी आई है, लेकिन इस वक्त तक जहां-जहां बाढ़ आई है, उनमें से यह तीन मुकाम ऐसे हैं जिन पर ज्यादा असर आया है और जहां पर बाढ़ की वजह से बहुत सी तकलीफ़ें और नुकसान हुआ है। चूंकि एक जगह पर सारे फिगर्स कलेक्टड हैं इसलिये उनको मैं बतला देता हूं कि कितना नुकसान हुआ है। इसको देखने की और उस नुकसान को समझने की हमें इसलिये जरूरत है कि हम अपने अन्दर एक अर्ज पैदा करें कि हमको कुछ काम करना है। मैं जिस वक्त यह कहता हूं कि उस वक्त गवर्नमेंट के लिये नहीं कहता। गवर्नमेंट को तो करना ही है, गवर्नमेंट तो एक नौकर है और उसे करना ही है, लेकिन मैं यहां की पब्लिक से कहता हूं कि यह गलत रास्ते पर न चलें। गलत बातें यहां न हो। सही बात हो। सही तरीके से गवर्नमेंट को चलाना है, सही तरीके से खुद चलना है ताकि मुल्क का भला हो। मैं इस से ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता। अब यू० पी० का यह मामला है। उसमें जिस रकबे पर फ्लड का जोर है.

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० म०श्री अणे** : कोसी नदी को काबू करने के लिये एक योजना बनाई गई थी । उस योजना को त्याग दिया और नई योजना बनाई जा रही है ? उसे क्यों छोड़ दिया गया ? इस पर पुनः नहीं विचार किया जा सकता ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : मुझे राज्य सरकार से पता करना पड़ेगा ?

श्री विश्राम प्रसाद : इस वक्त जो मौजूदा बाढ़ आई है, उसके लिये आपने क्या इमिजिएट रिलीफ दिया है ?

श्री ज० ब० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं . . . . . .

हाफ़िज मुहमम्मद इब्राहीम : मैं इसका जवाब दे रहा हूं । मैंने किसी से यह सुना नहीं, जितनी तकरीरें यहां हुई हैं फ्लड के ऊपर, मैं दावे से कह सकता हूं कि उनमें से किसी तकरीर से यह बात नहीं निकाली जा सकती है कि जिन लोगों के ऊपर वहां मुसीबत आई हुई है उनके लिये कुछ किया नहीं गया है । और अगर किसी ने यह कहा हो, तो मैं दावे से यह कहता हूं कि वह सरासर गलत है । मैं तारीफ करता हूं उन स्टेट्स की, जिनमें मैं गया हूं, कि उन्होंने बहुत किया, और खूब किया है, जितना उनसे बन सका । यह नहीं है कि कुछ किया नहीं गया । जरूर किया गया है । रही बात इन्सान की कमजोरी की । मान लीजिये मुझे ५,००० आदमियों को खाना खिलाना है, मेरी हिमाकत समझिये या यों कि इन्सान गलती भी करता है और सही भी करता है, अगर वहां एक दो आदमी भूखे रह गये हों तो क्या इसके यह माने हैं कि जो कुछ किया गया वह सब उलट जायेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा ? यह कोई जज करने का तरीका नहीं है ।

श्री ज० ब० सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि कितना रुपया दिया गया उस जगह की पापुलेशन के लिये । यह बतला दिया जाये तो हम समझें कि कुछ किया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शाक्ति, शान्ति ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं हुजूर से एक बात अर्ज करता हूं । जहां तक मुझ को थोड़ा बहुत मालूम है, इस ऐवान में ऐसा होता है कि जब कोई साहब खड़े होकर बोलना चाहें और जो बोल रहा हो वह उस पर तवज्जह न करता हो, तो खड़े होने वाले को फिर उस पर इसरार नहीं करना चाहिये, उन्हें चुपके से बैठ जाना चाहिये, इसलिये कि इस वक्त कब्जा दूसरे का है । बदकिस्मती से हो या खुश-किस्मती से, इस वक्त मेरा कब्जा है, आपकी इजाजत से मैं काबिज हूं, और आपको मेरे हक को प्रोटैक्ट करना है । इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं जब कुछ सुनता हूं तो अर्ज भी कर देता हूं । लेकिन इसमें इतने इम्पेशन्स की जरूरत नहीं है । इन फिगर्स को आप सुन लें जो मैं दे रहा हूं :

यू० पी० में रकबा जिस पर असर हुआ .	१४ . १८ लाख एकड़
जितनों पर इसका असर पहुंचा है (पीपल अफैक्टेड)	. ३६ . ९७ लाख
गांव जिन पर अफेक्ट हुआ है .	. ५,७५२
आदमी जो मरे हैं (पीपल डाइड)	२०
कैटल जो खो गये हैं या मर गये हैं	. ८

एक माननीय सदस्य: अष्टग्रह ।

†मूल अंग्रेजी में

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : यह तो यू० पी० का मामला है। अब बिहार में आइये।

टोटल एरिया अफेक्टेड . . .	१० लाख एकड़
जिन आदमियों पर असर हुआ (पीपल अफेक्टड) .	१५.१७ लाख
गांव जिन पर असर पड़ा (विलेजज अफेक्टड) .	१,८६२
हाउसेज डैमेज्ड आर डिस्ट्रायड . . .	७,११०

यू० पी० में हाउसेज थे २७,९१३ जो डिस्ट्राय या डैमेज हुए यानी तबाह हुए।

बिहार में :

आदमी जो जाया हुए . .	८
कैटल जो खो गये या जाया हुए . .	१८

यह वहां के फिगर्स हैं।

अब आप असम के बारे में सुनिये।

वह आसाम में ही एक समस्या है। इसकी ओर विशेष ध्यान देना है। केन्द्र को पूर्ण सहानुभूति होगी। जब हम किसी स्थान पर कष्ट को देख रहे हैं, हम कुछ अवश्य करेंगे। यदि हम कुछ कर सकते हैं, हम करेंग। इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए।

असम में :

एरिया अफेक्टड	११.३६ लाख एकड़
आदमी जिन पर असर हुआ	९.०६ लाख
गांव जिन पर असर हुआ	१९६६

और हाउसेज ३८००। कैटिल के फिगर्स जिस वक्त तक मैं चला था नहीं आए थे। यह हाल मैंने उन साथियों का सुनाया जिनके निस्बत मैंने अर्ज किया कि वे इस साल सैलाब से तकलीफ उठा रहे हैं। कोई यह न समझे कि उसको छोटा समझा जा रहा है। हम किसी को छोटा नहीं समझते। एक आदमी के चाकू लगता है तो उसका इलाज करते हैं और अगर ५० आदमियों को लगता है तो उनका भी इलाज करते हैं। यह तो मर्ज है। जहां होगा उसका इलाज किया जाएगा।

वैसे जहां भी सैलाब आया है वहां स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है और सेंटर भी कर रहा है। लेकिन इस साल के सैलाब में बड़ा खतरा है और जो मैंने अर्ज किया है अगर वह काम नहीं किया गया तो मैं नहीं समझता कि डिब्रूगढ़ का शहर कायम रहेगा। जो दरिया वहां है वह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इसलिये इस बात की जरूरत है कि उधर हमेशा नजर रहे। सेंटर भी उसकी देखभाल करे और स्टेट भी करे।

श्री ज० ब० सिंह (घोंसी) : प्वाइंट आफ आर्डर। प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि उत्तर प्रदेश की काउंसिल में श्री हुकुम सिंह ने यह बयान दिया है कि २७ आदमी मारे गए हैं और यहां कहा जा रहा है कि २१ मरे हैं। हम किसको सही मानें। यहां कहा गया है कि दो जिले एफेक्टड हुए हैं पर उत्तर प्रदेश की काउंसिल में बतलाया गया है कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और आजमगढ़ पर असर पड़ा है। हम किस को सही मानें।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैंने जैसा पहले अर्ज किया, मैंने जो फिगर दिए हैं वे मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने सप्लाई किए हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

†**श्री ज० ब० सिंह** : मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि दोनों वक्तव्य भिन्न हैं ।

†**श्री मोहन स्वरूप** (पीलीभीत) : मैं यह पूछना चाहता हूं.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री चर्चा का उत्तर दे रहे हैं । अब माननीय सदस्य क्या मामला उठा रहे हैं । इस प्रकार की अशान्ति नहीं होने दी जाएगी ।

†**श्री योगेन्द्र झा** (मधुबनी) : प्वाइंट आफ आर्डर । उस तरफ के मेम्बरों का यह कहना कि "सिट डाउन, सिट डाउन" उचित नहीं है ।

†**श्री मोहन स्वरूप** : मैं एक बात पूछना चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति ।

†**श्री मोहन स्वरूप** : मै यह जानना चाहता था कि....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री बैठ जाएं ।

†**श्री मनमोहन स्वरूप** : जानकारी के लिये जानना चाहता हूं ।

†**श्री त्यागी** : माननीय सदस्य अध्यक्ष पद पर पीठासीन व्यक्ति की आज्ञा का पालन करें ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं जो इस ऐवान के मुअज्जिज मेम्बरान के सामने अर्ज कर रहा हूं वह इसलिये कि वह इस पर तवज्जह फरमाएं और जो कुछ सही मशविरा उनके दिमाग में आवे दें । मैंने अर्ज किया था कि जितने मशविरे दिए गए हैं उनकी जांच की जाएगी । जो उधर से मैं सुन रहा हूं उनका इस चीज से वास्ता नहीं है, वह गलत गैर जरूरी और गैर मुताल्लिक बातें हैं ।

अब अगर आप चाहें तो मैं अर्ज कर दूं कि इस मुल्क में सैलाब के लिय हुआ क्या है । आप सुनना चाहें तो मैं सुना दूं ।

सन् १९५४ में सबसे पहले इस मुल्क की हिस्ट्री में केन्द्रीय सरकार ने सैलाब के मसले में दिलचस्पी लेना शुरू किया । जितना रुपया इस काम के लिय पहले और दूसरे प्लानों में रखा गया वह भी मैंने आपको बतला दिया, और तीसरे प्लान में जो रुपया रखा गया है वह भी बतला दिया । एक साहब फरमा रहे थे कि यह काम इम्मीजिएट होना चाहिये । लेकिन मैं अर्ज करूं कि फ्लड का बड़ा भारी काम है और इसके अलावा भी जो काम हैं उनकी तकसीम उनकी नेचर के लिहाज से की जाती है । कोई काम एम्मीजिएट होता है, कोई इम्मीजिएट नहीं होता । जो इम्मीजिएट नहीं होता उसको देर से किया जाता है । तो जो मेरे प्रिडिसेसर थे उन्होंने इस काम की तकसीम की कि कौन काम किस कैटेगरी का है और उसको उस कैटेगरी में रखा । उन्होंने जो कैटेगरीज बनायीं वे यह हैं :

एक तो इम्मीजिएट काम था फ्लड के बारे में, एक शार्ट टर्म काम था और एक लांग टर्म काम था । जो काम इम्मीजिएट है उसको फौरन किया जाता है । शार्ट टर्म का काम वह है जो थोड़े अर्से में बन जाता है और जो काम ज्यादा वक्त लेता है उसको लांग टर्म कहते हैं । मसलन कोई डैम बनाना है, तो उसके बनने में ज्यादा वक्त लगेगा और खर्च भी बहुत होगा । तो वह लांग टर्म काम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

तो उन्होंने इस फ्लड के काम को इस तरह तकसीम किया कि इम्मीजिएट भी हो, शार्ट टर्म भी हो। और लांग टर्म भी हो। तो ये तीनों तरह के काम चल रहे हैं। तो मैं अर्ज करता हूं कि काम करने वालों ने काम की तकसीम पहले ही कर रखी है। कल एक साहब फरमा रहे थे कि काम इम्मीजिएटली होना चाहिए। लेकिन इम्मीजिएट के साथ और भी काम हैं, इसको उन्होंने पूरी तरह नहीं बतलाया।

अब इसमें इम्मीजिएट क्या है? यह सुनिये आप। अगर आपको बुरा मालूम होता है तो मैं न सुनाऊं। लेकिन मैं अर्ज करुं कि यह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ताकि माननीय सदस्य अपने इलाकों में इसका प्रयोग कर सकें।

तो मैं अर्ज करुं कि डाटा कलेक्ट करना यह एक इम्मीजिएट काम होना चाहिए। और जिस काम को इमरजेंट समझा जाता हो उसको इस कैटेगरी में लाना चाहिए। और वे काम इस कैटेगरी में लाये गये हैं। मसलन टाउन्स का प्रोटेक्शन है, इरोजन का काम है। और इन कामों को कितने वक्त में किया जाए यह मीन्स को देख कर तय करना पड़ता है। अगर मीन्स नहीं होते हैं तो उनके लिए वक्त लगाना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन मीन्स हमको मिलते हैं और हम उस कैटेगरी के कामों को करते हैं।

शार्ट टर्म काम की मिसाल मैं आपको बतला दूं कि फर्स्ट प्लान में वह काम गांवों को ऊंचा करने का था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी से बाढ़ आ जाती थी और देवरिया में भी आ जाती थी और गांव तबाह हो जाते थे। तो उसके लिए तजवीज की गई कि वहां गांवों को ऊंची जमीन पर बसाया जाए और ऐसा किया गया यह देख कर कि उस ऊंचाई तक फ्लड का पानी नहीं पहुंच सकेगा। तो यह काम किया गया। वह ऐसा काम था जो थोड़े दिनों में हो सकता था, मिट्टी डाल दी, चबूतरे ऊंचे बना दिये और वहां मकान बना लिये गए। शौर्ट टर्म में एक यह काम किया गय। लौंग टर्म में वह स्कीमें आती हैं जिनको कि आप देखते हैं और जिनके कि बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि वह बन रही हैं। कहां से और कौन कौन सी आपको नहरें निकालनी हैं, दरिया में जो बाढ़ आती है और पानी ऊपर बह निकलता है वह न हो और पानी उसमें से घटने लगे इसके लिए दरिया को गहरा किया जाये उसमें से बालू वगैरह निकाला जाय यह सब स्कीमें बन रही हैं और इन पर काम भी शुरु हो रहा है। इसलिये लौंग टर्म प्लान भी हैं, इम्मीजिएट प्लान भी हैं और इनके बीच के प्लान भी हैं। सब स्कीमें उसके अन्दर मौजूद हैं। खुलासे के तौर पर मैं यह अर्ज करुंगा कि इंसान जो तसव्वुर कर सकता है और जैसा कि मेम्बर साहबान ने सुझाव दिये हैं, इंजीनियर्स के दिमाग में वह चीजें आई हैं, उस काम को करने वालों के ध्यान में भी यह बातें आई हैं और उन्होंने उस लाइन पर अपने प्रोग्राम को तैयार किया है।

एक बात यह है जिसकी तरफ कि थोड़ा सा इशारा मैंने अभी किया भी था कि काम जो कोई भी करता है उसमें उसको दूसरों की मदद की जरूरत होती है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहन पड़ता है कि यह जो सैलाब के मुताल्लिक काम होता है उसमें मुकामी रुकावटें आती है। लोगों का पर्सनल इंटरैस्ट बहुत आ जाता है। अब इस बात का सबको ध्यान रखना लाजिम है कि यह जो सैलाब का काम है यह एक राष्ट्रीय स्तर का काम है और अगर इसको अमल में लाने में कहीं किसी का कुछ पर्सनल इंटरैस्ट सफर भी करता है तो उसे इसके रास्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए बल्कि लार्जर इंटरैस्ट्स आफ दी कंट्री को देखते हुए उसे अगर थोड़ी दिक्कत और नुकसान भी होता है तो उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए। यह ईवान जिसमें कि मैं बोल रहा हूं शायद दुनिया में इससे बड़ा ईवान और कहीं नहीं है और मुझे यकीन है कि जो मेरी मंशा और मुराद इस चीज के अर्ज करने की

है उसको मेम्बर साहबान बखूबी सुमझते होंगे और मैं नहीं समझता कि मुझे इसको और ज्यादा समझाने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा मुकामी रुकावटें होती हैं और अक्सर देखा जाता है कि हम लोग उस आदमी के साथ हो जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि बाढ़ के सिलसिले में इंजीनियरिंग का काम करने में, लोगों से जमीनें लेने में और दूसरी चीजों के करने में रुकावट पेश आती है। इसलिये जहां तक मेम्बरान का ताल्लुक है मैं उनसे यह अपील करना चाहता हूं कि वह इस अहम मामले को उस सही नजर से देखें जिस सही नजर से कि किसी मामले को मुल्क के इंटरैस्ट में देखा जाना चाहिये। हर एक बाशिन्दे के लिये मुल्क का इंटरैस्ट अव्वल चीज होना चाहिए, और अगर जरूरी हो तो उसे अपना जाती इंटरैस्ट मुल्क के इंटरैस्ट में कुर्बान कर देना चाहिए। मैं जिन्दा रहूं यह मुल्क का इंटरैस्ट है लेकिन जिस वक्त मुल्क के इंटरैस्ट में मेरी जान की जरूरत हो तो मैं जिन्दा न रहूं और कुर्बान हो जाऊं। मेरी कोई चीज चली जाय, मकान चला जाय अथवा जायदाद चली जाय और अगर मुल्क को मेरी जान की भी जरूरत हो तो वह भी चली जाय, यह नुक्तानजर हम देशवासियों का होना चाहिए। इसलिये मेम्बर साहबान से में अर्ज करता हूं कि उनकी इमदाद की मुकामी तौर पर जरूरत है ताकि उन स्कीमों को कामयाबी के साथ पूरा किया जा सके और हम इस बला का मुकाबला कर सकें। आपका पूरा पूरा ताव्वुन उस चीज के इंटरैस्ट में हो और कोई बात ऐसी न की जाय जिससे कि बाढ़ से मुकाबला करने वाली स्कीमों को अमल में लाने में कोई रुकावट पड़े। अगर यह रवैया होगा तो मैं आप से कहता हूं और सही कहता हूं और बतौर पेशगोई के अर्ज करता हूं कि हालांकि यह सैलाब पर काबू पाना एक मुश्किल काम है, वक्त लगने वाला काम है, सदियों में होने वाला काम है लेकिन अगर हम ईमानदारी के साथ, हिम्मत के साथ हौसले के साथ और इस ईवान के हर एक मेम्बर की पूरी मदद के साथ उस काम को करना चाहेंगे तो हम उसको २५ या ५० वर्ष में पूरा करके दिखा सकेंगे। अलबत्ता यह तवक्को न की जाय कि कोई छमन्तर की तरह यह काम हो जायेगा और रात को सोकर जब सुबह उठेंगे तो हम यह काम खत्म हुआ देखेंगे। इस किस्म का खयाल आपको अपने मन में नहीं रखना चाहिए।

इस साल बाढ़ से जो मुख्तलिफ जगहों पर तबाही और मुसीमत आई है, जैसे कि बिहार का मामला है, आसम का मामला है, यू०पी० का मामला है और जैसा कि मेरे भाई श्री हनुमन्तैया ने मैसूर की बाढ़ के बारे में सदन का ध्यान दिलाया, खुदा करे ऐसा मंजर वहां न हो लेकिन अगर वहां भी यही तबाही की हालत निकले तो मैं उनको सैंटर की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मिनिस्टरी आफ इर्रीगशन को पूरी खिदमात उनके डिस्पोजल पर होंगी कि जैसे भी हो इस मुसीबत का सामना किया जाय और कामयाबी के साथ सामना किया जायेगा। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि एक-एक आदमी आपके लिये जान देने के वास्ते तैयार हो जायेगा। जहां भी जरूरत होगी सैंटर बाढ़ के काम में पूरी मस्तैदी से मुसीबतजदा लोगों की मदद करेगा। यह समझ कर कि यह उस स्टेट का काम है हम चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे बल्कि इसे हम पूरे देश का काम समझ कर करेंगे। कहीं भी मुसीबत आय और बाढ़ से तबाही आय हम उसे पूरे हिन्दुस्तान का काम समझ कर बतौर अपना फर्ज समझ कर करेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चर्चा समाप्त हुई।

श्री बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, औन ए प्वाइंट आफ आडर, मैंने यह मोशन रखा है ....

उपाध्यक्ष महोदय : यह मोशन नहीं है यह तो डिस्कशन है।

श्री बागड़ी : यह चर्चा का जो मैंने मोशन रखा उस पर मिनिस्टर साहब ने ठीक उसी तरह से अपना जवाब दिया है जैसे कि अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल हंसी के गोलगप्पे रखा करते थे। हमारे मिनिस्टर साहब ने भी उसी किस्म की एक मजाक की बात रक्खी है ... (*Interruption*)

---

†मूल अंग्रेजी में।

एक माननीय सदस्य : कौन हंस रहा था ?

श्री बागड़ी : सारे लोग हंस रहे थे आप क्या बात कर रहे हैं ? लेकिन मैं तो कहूंगा कि यह हंसने की बात नहीं है बल्कि रोने की बात है । सारा देश दुखी हो रहा है और आप मजाक उड़ा रहे है .....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : (गुना) यह बड़ी गलत बात है । हाउस बड़ी सीरियसली आनरेबल मेम्बर की बात को सुन रहा है । यह बिल्कुल गलत बात उनकी तरफ से कही जा रही है कि इसको हंसी मजाक में उड़ाया जा रह है ।

श्री बागड़ी : हंस आप लोग रहे थे मैं नहीं हंस रहा था । डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे इस पर जवाब का मौका मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह डिस्कशन है । जवाब देने का इस पर मौका नहीं है ।

चर्चा समाप्त हुई ।

अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अनुसूचित क्षत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवदन पर, जो २० नवम्बर, १९६१ को सभा पटल पर रखी गयी थी विचार करती है ।"

मैं श्री ढ़ेबर और उनके सहयोगियों को इस महत्वपूर्ण प्रतिवेदन के लिए धन्यवाद देता हूं । उन्होंने इस सम्बन्ध में देश के दूर दूर के भागों का दौरा करके अनुसूसित जातियों तथा आदिम जातियों की हालत देखने का प्रयत्न किया है । उन्होंने समस्या के सभी अंगों पर विचार करने का प्रयत्न किया है । कुछ समय हुआ प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ था और हमने उसे राज्य सरकारों के पास भेज दिया था । राज्य सरकारों ने उस पर विस्तृत रूप से विचार किया । उनके टिप्पण और प्रतिक्रियायें प्राप्त होने में कुछ समय लगा । हमने राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन बुलाय जो कि इस विषय से सम्बन्धित थे । कुछ एक राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी निमंत्रित किया गया । इस सम्मेलन में हमने कुछ सर्वसम्मति से निर्णय किये और इस बात की पूरी आशा है कि जो भी निर्णय किये गये है उन्हें राज्य सरकारें जहां तक सम्भव होगा शीघ्र ही कार्यान्वित कर देगी ।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

हमारे पिछड़े वर्गों के लोग बहुत बुरी अवस्था का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत बातों में बहुत पीछे हैं। ये लोग कई एक ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां न सड़कें हैं न स्कूल हैं न अस्पताल है । सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुविधाओं का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता । अतः हमें गम्भीरता से विचार करना है कि इस के लिये क्या करना है । इस बात की आवश्यकता है कि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां रहती हैं उन के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते

---

†मूल अंग्रेजी में

हुए यह बड़ा जरूरी है कि उन के उत्थान के लिये कदम उठाये जायें । मेरे विचार में जब तक इस दिशा में कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक उन की आर्थिक स्थिति में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं । उन के लिये सभी दिशाओं में कार्य करना होगा ।

जैसाकि मैं ने कहा है कि आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है । आयोग ने जिस कार्यक्रम की सिफारिश की है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है एक यह कि आदिवासी विकास खंड बनाये जाय । अर्थात् आदिवासियों की भूमि के मामले में एवं शोषण से रक्षा करने-के मामले में उन की सहायता की जाय । जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं उन का विकास आयोग ने आदिवासी विकास खंडों की स्थापना सम्बन्धी योजना का समर्थन किया और उन के विस्तार का सुझाव दिया ताकि वे सब क्षेत्र उनमें आ जायें, जिनमें आदिवासियों का कुछ जनसंख्या में ५० प्रतिशत भाग हो । तीसरी योजना के अन्तर्गत ३०० खंड बनाये जाने थे, हम ने इन्हें बढ़ा कर ३३० कर दिया । यह विचार किया गया कि खंडों का विस्तार वहां हो जहां कि जनसंख्या का ६६–२।३ प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों का हो । अब इन विकास खंडों की संख्या बढ़ा कर ३३० के स्थान पर ४५० कर दी गई है । १२० खंडों के लिये और वित्तीय व्यवस्था कर दी गई है । पहिले ३३० खंडों के लिये १६.३६ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी परन्तु अब १२० और खंडों के लिये ६.९५ करोड़ रुपये की और व्यवस्था की गई । इस तरह २३.३१ करोड़ रुपये की व्यवस्था हो गई । इस से अनुसूचित जाति के लोगों का ६६-२।३ प्रतिशत इस के अन्तर्गत आ गये हैं । ५० प्रतिशत जनसंख्या को इसके अन्तर्गत लाने के लिये हमें ५०० खंडों की और आवश्यकता होगी । ९०० विकास खंडों के अन्तर्गत वे सब क्षेत्र आ जायेंगे । इस के लिये ३० करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी । अतः मेरा निवेदन है कि हम इस दिशा में सभी अपेक्षित पग उठा रहे हैं । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि योजना आयोग का व्यवहार बहुत सहानुभूतिपूर्ण है । उन्हों ने इन विकास खंडों पर व्यय होने वाली राशि की स्वीकृति दे दी है ।

योजना आयोग इस पक्ष में है कि ये खंड ऐसे समस्त क्षेत्रों में खोले जायें जिन में ५० प्रतिशत आदिवासी रहते हों । आयोग ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तैयारी तुरन्त आरम्भ कर दी जाये और अक्तूबर १९६३ तक समस्त देश में साधारण सामुदायिक विकास खंड खोल दिये जायें । सरकार यह प्रयत्न करेगी कि चौथी योजना अवधि के अन्त तक ढेबर आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित कर लिया जाय । परन्तु एक विचित्र बात यह है कि इतना कुछ हो जाने पर भी ७५ लाख लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति लोगों के बाकी रह जायेंगे । इस दिशा में हमारी सब से बड़ी कठिनाई प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कमी है जोकि आदिवासी विकास खण्डों में कार्य कर सकें । आशा है कि तीसरी योजना में यह कमी दूर हो जायेगी ।

इस बारे में जो अन्य प्रश्न आयोग द्वारा उठाये गये थे वे हैं, भूमि सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा, भूमि अनुदानों, भूधृति और सुधार और सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त सम्बन्धी । उन्हों ने आदिवासियों के वन सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा की बात भी की है । इस के अतिरिक्त आदिवासियों की साहूकारों के शोषण से भी रक्षा की जानी है । इस के लिए उन का पिछला ऋण कम किया जाना चाहिये और वैकल्पिक ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई]

इस बात को राज्य के हरिजन कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन ने भी स्वीकार किया है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विधानों के समन्वय का भी सुझाव दिया गया है ।

अध्याय ११ में अनुसूचित आदिम जातियों की भूमि के सम्बन्ध में, अध्याय १२ में बनो तथा आदिम जातियों के बारे में, अध्याय १६ में ऋण की समस्या के बारे में आयोग ने जो भी सिफारिशें की हैं उन्हें पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया है । प्रत्येक राज्य के विधि विभाग में एक ऐसा विभाग कायम किया जायेगा जो आदिम जातियों के अधिकारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय तथा राज्य विधियों में रूपभेद करेगा । मंत्रियों की एक कांफ्रेंस में मैं ने इस विषय की ओर जोर दिया है कि पुराने कानूनों में यथासंभव शीघ्र संशोधन किये जायें । आयोग का विचार था कि इन कानूनों पर विचार करने, उन में संशोधन करने और इस के लिये विधान मंडल में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये लगभग १० वर्ष की अवधि चाहिये । अन्य मंत्रियों द्वारा भी इसी आशय का सुझाव पेश किया गया । मेरी राय में यह समय बहुत अधिक है और इस में कमी करने की आवश्यकता है । यदि संभव हो तो तीन वर्ष से अधिक समय इस कार्य में नहीं लगना चाहिये । कुछ भी हो हमें इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिये । आयोग ने यह भी सिफारिश की कि अनसूचित और अनसूचित क्षेत्रों के लिये सामान्य विधान वांछनीय होगा । क्योंकि इस से यह विचारधारा समाप्त हो जायेगी कि आदिमजाति वासियों को केवल अनुसूचित क्षेत्रों में ही सुरक्षा मिल सकती है । इस से एकीकरण में भी सहयोग मिलेगा और अन्त में अनुसूचित क्षत्रों के विकेन्द्रीयकरण में सहायता मिलेगी ।

इस कांफ्रेंस में पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ दो के उपबन्धों को प्रयुक्त करने का विचार किया गया । यह अनुभव किया गया कि कानून बनाने में शीघ्रता करना संभव नहीं है । आयोग का विचार था कि यह काम शीघ्र किया जाये । मंत्रियों की कांफ्रेंस की मीटिंग का ब्योरा सभा पटल पर रख दिया गया है और विस्तृत वर्णन के लिये माननीय सदस्य उस रिपोर्ट को देखने की कृपा करें । अनुसूचित जातियों के जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिय आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर उन्हें शीघ्र लागू करना आवश्यक है । इस कार्य में एक कठिनाई टेकनिकल कर्मचारियों का उपलब्ध न होना है । दूसरी कठिनाई है—राज्य, जिला और मंत्री के स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करना । जिले में जिला मैजिस्ट्रेट इन योजनाओं को लागू करने के लिये उत्तरदायी होना चाहिये । अन्य अधिकारी तो रहेंगे ही किन्तु आदिम जातियों के लिए एक अलग पदाधिकारी भी रहेगा । स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, गृह आदि के लिय विभिन्न विभाग रहेंगे । लेकिन एक और अधिकारी इस काम के लिय पृथक् रूप से उत्तरदायी रहेगा । यह अधिकारी जिला मैजिस्ट्रेट ही हो सकता है, वह परस्पर समायोजन कर सकता है, वह जिले का प्रमुख अधिकारी है । यह सच है कि जिला मैजिस्ट्रट व्यस्त होता है किन्तु उस के पास अधीनस्थ कर्मचारी हैं जिन से वह काम ले सकता है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिय राज्यों में सहायक आयुक्त भी हैं किन्तु वे पृथक् हैं जबकि जिले में एक ऐसे पदाधिकारी की आवश्यकता है जो यथार्थ रुचि ले कर विभिन्न कार्यों को लागू करे ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुई]

कुछ स्थानों में यह काम जिला परिषदों और पंचायतों को सौंपा गया है । यद्यपि यह महत्वपूर्ण संस्थायें हैं किन्तु सरकार वर्तमान स्थिति में इन्हें यह काम सम्पूर्ण रूप से नहीं दे सकती । अभी उन्हें

काफी अनुभव प्राप्त करना है । राज्यों के मंत्री अभी इस विषय में सन्तुष्ट नहीं हैं कि पंचायतों और जिला परिषदों को काम सौंप कर आगे किसी अन्य व्यक्ति को यह दायित्व न सौंपा जाये। इस काम का उत्तरदायित्व तो मुख्य रूप से जिले के अधिकारी पर ही छोड़ना पड़ेगा । हम ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रान्तीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये एक पृथक निदेशालय होना चाहिये । यह सचिवालय आंशिक रूप में सचिवालय संबंधी काम करेगा और आंशिक रूप में उसे लागू भी करेगा । इस का परिणाम यह भी होगा कि कार्यक्रमों को समुचित रूप से लागू किया जा सके । राज्य सरकारों ने यह सुझाव भी मान लिया है कि प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव के अधीन एक विभाग रहेगा जो आदिमजाति कल्याण कार्यक्रम का पुनर्मूल्यांकन करेगा । मुख्य सचिव विभिन्न विभागों के काम का समायोजन कर यह देखेगा कि कोई विभाग पीछे तो नहीं रह गया है। वे इस विषय में सन्तोषजनक प्रगति प्राप्त करने की दिशा का भी निरीक्षण करेंगे । हमारे सुझाव पर यह बात भी मान ली गई कि मुख्य मंत्रियों की त्रैमासिक मीटिंग होनी चाहिये । जिस में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग आदि मंत्री भी उपस्थित रहेंगे । इस मीटिंग में यथार्थ काम का लेखा-जोखा, कमियां आदि मालूम कर समस्यायों को हल करने का प्रयत्न किया जायेगा । मेरा मत है कि यह मीटिंग अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगी । मैं इस समय विस्तृत ब्योरे में न जा कर यही कहूंगा कि इस कार्यक्रम को तत्परतापूर्वक और प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिये उपरोक्त रूप रेखा सर्वथा उपयुक्त है । यह बात भी स्वीकार कर ली गई है कि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं वहां पर भी आदिमजाति मंत्रणा परिषदें स्थापित की जायें । नौकरियों में जहां भी संयुक्त रूप से पदों की संख्या रिजर्व की गई है । वहां अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये पृथक् पृथक् संख्या निर्धारित की जानी चाहिये ।

अनुसूचित आदिम जातियों के लिये खेती के योग्य पर्याप्त जमीन नहीं है । उन के लिये और धंधे भी नहीं हैं । आर्थिक दृष्टि से वे निर्धन हैं । सामाजिक दृष्टि से वे पिछड़े हुए हैं । उन के लिये स्कूल, कालिज तथा जीवन की अन्य सुख-सुविधायें नहीं हैं । यह मुख्य रूप से मानवीय समस्या है । हमें उनके प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । यदि हम स्वयं को उन से अलग समझते रहे तो इस सारे कार्यक्रन का कोई फल नहीं निकलेगा । आवश्यकता इस बात की है कि हम उनसे अधिक विचार विनिमय और सम्पर्क स्थापित करें और उन के साथ आत्मसात् हो जायें । मैं एक अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र गया था । मैं बड़ी कठिनाई से वहां रात को १२ बजे पहुंच सका । जीप के लिये वहां कोई रास्ता नहीं था । वे लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिये उत्सुक हैं । आदिम जातियों के जीवन में इतना कष्ट सहने पर भी कोई कटुता नहीं है । उन की प्रगति के लिये हमारी विचारधारा में एक मनोवैज्ञानिक और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । ऐसा करने पर ही हम उन की समस्याएं हल कर सकते हैं ।

ढेबर आयोग ने संक्षेप में यह बताया है कि यदि हम अनुसूचित क्षेत्रों की संख्या निर्धारित कर दें —उदाहरण के लिये ४५० या ६०० जो आगे बढ़ कर ११०० या १२०० हो सकती है—तो इसका अर्थ होगा कि हमारे और उनके बीच पृथकता की भावना आ गई है । इस दृष्टि से हमें जहां आदिम जाति संख्या ५० प्रतिशत से अधिक है वहां पर आदिम जाति खंडों की स्थापना कर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिये । श्री ढेबर ने यह सुझाव दिया है कि हमारा उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार न कर उन का स्तर ऊंचा उठा कर उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों की सीमा रेखा से अलग करने का प्रयत्न करना चाहिये । मैं इस दृष्टिकोण से सर्वथा सहमत हूं । किन्तु यह तभी संभव है जब हम निर्धारित अवधि में संबंधित कार्य को लागू कर उन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें । यह काम शीघ्र न हो कर १५ वर्षों में भी पूरा हो जाये तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी ।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे आयोग की सिफारिशों पर भली प्रकार विचार करें। मैं उन्हें यह विश्वास दे दूं कि हम इन सिफारिशों को लागू करने में पूरा प्रयत्न करेंगे। इस दिशा में उन के विचारों का मैं स्वागत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

***श्री सरकार मुरमू** (बुलूरघाट) : मुझे प्रसन्नता है कि हम आज अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रतिवेदन में यथार्थ दृष्टिकोण का अभाव है। इस में केवल प्रशासनिक मनोवृत्ति की ही झलक है। किन्तु इस में उनके सदियों से पिछड़ा होने के कारणों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। उन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने से वर्षों से उपेक्षित इन जातियों की उन्नति हो सकेगी।

विगत १५ वर्ष में कांग्रेस हुकूमत ने अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुछ नहीं किया है। उनकी जीवन यापन, बेरोज़गारी और अशिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के हल के लिये कुछ काम नहीं हुआ है। मैं बलपूर्वक यह कह सकता हूं कि सरकार ने इन समस्याओं को हल करने की दिशा में एकीकृत रूप में कुछ नहीं किया है। इने गिने कदम उठाने अथवा यदा कदा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने से यह काम नहीं हो सकता है। इस कार्य की असफलता का मूल कारण गलत योजनाएं हैं। सरकार ने अनुसूचित आदिम जातियों के जीवन की यथार्थ स्थितियों पर ध्यान न देकर अयथार्थ नीतियां बनाई हैं। न उन्होंने इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये उन जातियों का सहयोग प्राप्त किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले १५ वर्षों में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुछ नहीं किया है। उनकी भूमि सम्बन्धी समस्या आज भी ज्यों की त्यों है। अन्य राज्यों में उन्हें जमीन देने की व्यवस्था है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में १५,६७,००० अनुसूचित आदिम जातियों के लोग रहते हैं किन्तु अभी तक उस राज्य में एक भी आदिम जाति विकास परियोजना स्थापित नहीं की गई है। सन् १९५४ में पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि सुधार कानून पास किया था। जिसके अनुसार १ जनवरी, १९५० से ३० दिसम्बर, १९५३ के बीच गैर आदिम जातियों को बेची गई अथवा हस्तांतरित की गई जमीन उन्हें वापस दिलाने की व्यवस्था की गई थी किन्तु अभी तक वह कानून लागू नहीं किया गया है। वहां जमीनें जोतदारों और साहूकारों ने ले रखी हैं और अनुसूचित आदिम जातियों के पास जमीनें नहीं रही हैं। यदि सरकारी कानून की यह स्थिति है तो फिर आयोग की सिफारिशों की भी कल्पना की जा सकती है।

पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में अनुचचित आदिम जातियों की पर्याप्त आबादी है। इन क्षेत्रों को सर्वथा उनके लिये ही सुरक्षित रखना चाहिये। आदिम जाति विकास परियोजनाएं स्थापित करनी चाहिये। आदिम जातियों के पुनर्वास के लिये जमीनें दी जानी चाहियें। खण्डों की स्थापना आदिम जातियों के पूर्ण और सक्रिय सहयोग पर आधारित होनी चाहिये।

जमीन की सिंचाई के लिये पर्याप्त नहरें आवश्यक हैं। इन गांवों में पीने के पानी का अभाव है। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। शिक्षा प्रसार के लिये काफी संख्या में स्कूल खोलने चाहियें तथा उच्च शिक्षा के लिये इन लोगों को आर्थिक सहायता देनी चाहिये।

---

*मूल बंगाली के अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित।

श्री उईके (मंडला): उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट पर बोलते समय सब से पहले मैं संविधान बनाने के समय नियुक्त अल्पसंख्यक जनता से सम्बन्धित कमेटी के चेयरमैन, स्वर्गीय ठक्कर बापा, और सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। संविधान में एक जांच कमीशन मुकर्रर करने के बारे में जो धारा रखी गई थी, उस के अनुसार दस साल के बाद ढेबर कमीशन मुकर्रर हुआ।

आज तक इस सदन में आदिवासियों के सम्बन्ध में बहुत सी चर्चायें होती रही हैं, किन्तु इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य आदिवासियों की असली समस्या को नहीं समझ सके। ढेबर कमीशन की रिपोर्ट ने आदिवासियों का सच्चा चित्र माननीय सदस्यों के समक्ष और सारे देश के समक्ष सही रूप में रख दिया है। इस लिए मैं श्री ढेबर भाई को तथा उन के कमीशन के सदस्यों को शतशः हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत में २,२५ लाख ऐसे आदिवासी हैं, जो कि आदिवासी माने गये हैं। उन के अतिरिक्त पौन करोड़ ऐसे आदिवासी भी हैं, जो आदिवासी नहीं माने गये हैं। इन तीन करोड़ आदिवासियों के लिए और आगे जाने वाली उन की सन्तानों के लिए यह रिपोर्ट वेद या गीता के समान है।

अभी गृह मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि प्रदेशों के मंत्रियों ने यहां आ कर इस कमीशन की काफ़ी सिफ़ारिशों को कबूल किया है और उस के बाद कोई विशेष समस्या शेष नहीं रह जाती है। कुछ बातें स्टेट्स के द्वारा कबूल नहीं की गई हैं, लेकिन गृह मंत्री महोदय के कहने से मालूम होता है कि वह समस्या भी हल हो जायगी।

इस रिपोर्ट को लिखते समय कमीशन को जिन ५३ किताबों का सहारा लेना पड़ा, उन में से ३९ किताबें तो मिशनरी कार्यकर्ताओं के द्वारा लिखी हुई हैं, जो कि सौ साल से यहां आये हुए हैं, और सिर्फ़ १४ किताबें ऐसी हैं, जो कि कुछ समय पहले भारतीयों के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण किताब का हवाला इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया है और वह है नियोगी कमेटी अर्थात् मध्य प्रदेश में क्रिस्टियन मिशनरीज़ एक्टीविटीज़ एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट। एक रेगे कमेटी भी एप्वाइंट हुई थी। इन कमेटियों की रिपोर्ट्स में भी हमारी समस्यायें बहुत अच्छी तरह से दी हुई हैं। कमीशन को उन में काफ़ी मसाला मिलता। इस रिपोर्ट में मिशनरियों के सम्बन्ध में कुछ बातें आई हैं, लेकिन वे बातें कमीशन के देवता-स्वरूप चेयरमैन के सौम्य स्वभाव के अनुरूप ही आई हुई हैं, हालांकि आदिवासी लोग अन्य समस्याओं की अपेक्षा इस समस्या से अधिक दुखी हैं।

इस रिपोर्ट में बहुत से क्वोटेशन्ज़ दिये हुए हैं। महात्मा गांधी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मंत्री जी और सरदार वल्लभभाई पटेल के क्वोटेशन्ज़ मैं पढ़ कर सुनाना चाहता था, लेकिन चूंकि उस में समय लगेगा, इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं उन को पढ़ लेंगे।

शिड्यूल्ड कास्ट्स एंडा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के कमिश्नर की दस रिपोर्ट्स में से हम ने नौ रिपोर्टस पर चर्चा की है। उन चर्चाओं में हमारी जो भी तकलीफें और समस्यायें पेश की गईं, विभिन्न स्टडी ग्रुप्स ने जो भी रिपोर्ट्स दीं और हम लोगों ने पिछले दस सालों में जो भाषण दिये, उन सब का सार इस रिपोर्ट में आ गया है। उन बातों को दोहराने की कोई विशेष आवश्यकता मालूम नहीं होती है।

आदिवासियों के सम्बन्ध में दो सवाल हैं—एक शोषण और दूसरा विकास। इस समय मेरा विशेष ज़ोर शोषण पर रहेगा। विकास तो सारे भारतवर्ष का हो रहा है। उस के साथ साथ हमारा भी विकास हो जायेगा। लेकिन जहां तक शोषण का सम्बन्ध है, आदिवासियों का शोषण

[श्री उइके]

बाकी भारतवर्ष की अपेक्षा निराले तरीके से होता है। एक विशेष शोषण है भूमि और जंगल के सम्बन्ध में, जिस की तरफ़ सरकार को ध्यान देने और जिस के सम्बन्ध में कमीशन की सिफारिश को पहले इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जंगल और आदिवासियों का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। जंगल में हम लोग फल-फूल खा कर अपना निर्वाह तो करते ही हैं, हमारे देवता भी जंगल में झाड़ पर रहते हैं। जब हमारे बुजुर्ग मरते हैं, तो उन की पूजा झाड़ लगा कर की जाती है। हम जंगलों की पूजा करते हैं, उन के त्यौहार मनाते हैं। कुछ झाड़ों और बेलों को हम देवता मान कर काटते नहीं हैं। इस तरह जंगल और आदिवासियों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। लेकिन जंगलों के सम्बन्ध में १८९४ की जो पुरानी नीति थी, उस को भारत की प्रजातंत्रीय सरकार ने १९५२ में बदल दिया, जिस से हमारा बहुत नुक्सान हुआ।

आदिवासियों के लिए खर्च किये जाने वाले करोड़ों रुपयों की बात से शायद कुछ माननीय सदस्यों को प्रतीत हो कि आदिवासियों के लिए इतना पैसा क्यों ख़र्च किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में जितना पैसा दिखाया गया है, उस का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। जहां तक काम का सम्बन्ध है, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पहले २९ पैराग्राफ्स में किसी भी काम पर संतोष प्रकट नहीं किया है और उस ने कहा है कि कोई भी काम संतोषजनक नहीं हुआ है। हर एक पैरा में तो आदिवासियों के लिए काम किया जाना है या जो किया जा रहा है, उस पर कमिशन ने असन्तोष प्रकट किया है। करोड़ों रुपया खर्च करके हमारा जो कल्याण किया है या करना है, उससे कई गुना ज्यादा नुक्सान जो जंगलों के बारे में नीति है और भूमि सुधार के बारे में नीति है, उससे हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब खत्म करें।

श्री उइके : इतना कम समय ?

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट और।

श्री उइके : इतने समय में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इस वास्ते जल्दी खत्म कीजिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : इनको ज्यादा समय दे दिया जाये, ये आदिवासी क्षेत्र के हैं।

श्री उइके : जंगलों के बारे में जो आपका १८९४ का कानून था उसमें लिखा हुआ था "राइट्स एंड प्रिविलेजिज़"। इसके अनुसार ही आपकी नीति चलती थी, उन के बारे में जो कि जंगलों में रहते थे। लेकिन १९५२ में हमारे स्वतंत्र जनता की सरकार हो जाने के बाद उस नीति को बदल दिया गया और उसकी जगह पर "राइट्स और कंसैशंज़" कर दिया गया। यह कंसैशन हो जाने से जो जंगलों के अन्दर समस्या आज उत्पन्न हो रही है, उसको वही लोग जानते हैं जो कि जंगलों में रहने वाले होते हैं, दूसरे नहीं जान सकते हैं और न ही कोई

उसकी कल्पना कर सकता है । जंगलों के ऊपर ही इन लोगों का जीवन निर्भर करता था और आज भी करता है। वह खत्म हो गया है । आप यहां से करोड़ों रुपयों की सहायता दे करके उन लोगों का उत्थान करना चाहते हैं । लेकिन मैं कहता हूं कि यह एक प्रकार से घटोतक्ची माया है, पुराना दे और नया ले और न रहा पुराना और न कुछ समय के बाद रहा नया । यही उनकी आज हालत हो रही है । आदिवासियों के लिए जो विकास का, जो कल्याण का कार्य किया जाता है, उसका कोई लाभ नहीं हो सकता है जब तक कि आप जंगलों के बारे में और भू-सुधार के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करते हैं ।

अब आप देखें कि भू सुधारों का क्या नतीजा हुआ है । जो ज़मीनों के मालिक थे उनको आज जोतने के लिए भी ज़मीनें नहीं मिलती हैं, इस वजह से कि कह दिया जाता है कि किताबों में, खसरों में पटवारियों के रिकार्डों में वे लिखी हुई नहीं है और अगर किसी के पास यह चीज़ लिखित रूप में भी मौजूद है तो भी इसको उन किताबों में लिखा नहीं जाता है । दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं जिन की ज़मीनें गैर-आदिवासियों के पास चली गई है तब वे लोग अब अधिया में अपना काम करते थे । लेकिन अब भू-सुधार होने से अधिया में भी ज़मीनें नहीं मिलती हैं । इस कारण से वहां पर भूमि के लिए हंगर शुरू हो गया है, मेरे प्रदेश में हर जिले में कुछ न कुछ, थोड़ी बहुत बगावत हर जगह पर हो गई हैं । आपने पिछले दस साल तक जो कल्याण कार्य किया है उसका नतीजा यह होना चाहिये था कि हम खुशहाल होते लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत है । हुआ क्या है ? एक एक जिले की बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं । भंडारा जिले में ग्राम पंचायतों के चुनाव का एक लाख आदिवासियों ने बहिष्कार किया । निमाड़ और बेतूल में इस फारेस्ट पालिसी के खिलाफ बगावत हुई है और कुछ लोगों को जेल में डाल दिय गया है । बालाघाट जिले में लगभग पचास आदमी भूमि के कारण जेल गए हैं । सरगुजा जिले में भूमि के बारे में एक मूवमेंट चलाई है, जिधर उधर मिनरल्ज़ निकल रहे हैं । इस में कितने आदिवासी अपने मकानों से अलग हो गए हैं, कितने बेचारे शरणार्थी बन गए हैं, यह सब इस रिपोर्ट के अन्दर दिया हुआ है । हज़ारों आदमी बेघर-बार हो गए हैं । एक तरफ तो आप हाउसिग स्कीम चलाते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, लोगों को मकान बनवा कर देते हैं और दूसरी तरफ जितने आपने मकान बनाये नहीं, उससे कई गुना अधिक मकानों में से, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आदिवासियों को निकाल दिया गया है, उनको सैटल नहीं किया गया है । कहीं दूसरी जगह वे चले गए हैं । यह सब आपकी रिपोर्ट में है ।

एक बात जो कि रिपोर्ट में नहीं आई है वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं । आदिवासियों की नौजवान लड़कियां, बहुंएं या औरतें, जिस जिस जगह पर इंडस्ट्रीज़ हुई हैं, उस उस जगह पर जो बुभुक्षित लोग हैं, उन्होंने रख छोड़ी हैं और उनको एक्सपोर्ट करते हैं । कहां एक्सपोर्ट करते हैं, इसको परमात्मा ही जाने । सरगुजा जिले में नई कोयले की खदानें लगी हैं, वहां के बारे में कुछ शिकायतें आईं और मैं वहां देखने के लिए गया । वहां पर मैंने पाया कि मास्टर प्लान बना था और आदिवासियों को उसका कुछ भी पता नहीं चला । उनकी ज़मीनें बीस बीस, पचास पचास रुपये एकड़ में ले ली गई हैं और उन ज़मीनों की कीमतें प्लान के कारण हज़ार हज़ार और दो दो हज़ार रुपये एकड़ है । जमीन का कचहरी में रजिस्ट्रेशन तो नहीं होता है पर दूसरे लोग कुछ न कुछ अपने मकान बना लेते हैं और ये जो आदिवासी लोग हैं, वे उन पर अपना कब्ज़ा कर नहीं सकते हैं ।

बस्तर की बात भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं । वहां पर एक तरफ दंडकारण है जिसकी बहुत लम्बी कहानी है और अगर मैं उसको सुनाने लगूं तो पता नहीं कितना समय लग

[श्री उइके]

जाएगा। दूसरी तरफ वेलाडीला है और तीसरी तरफ बस्तर के इंडस्ट्रीज़ हैं। इन सबसे वहां के आदिवासीयों को बहुत ही परेशानी है अभी जून महीने में वहां पर १८ आदमियों को सज़ा हुई छः छः महीने की इसलिए कि उन्होंने तालाब की मछलियां क्यों मारीं, उनका शिकार क्यों किया। शिकार उनके जीवन का एक अंग है। अब आपने उनको मछलियों को मारने से भी मना कर दिया, उस पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया तो इनका गुज़ारा कैसे चल सकता है। बस्तर के ये आदिवासी लंगोटी बांधते हैं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर भारत के किसी भाग में आपको अर्द्धनग्न तथा पूर्ण नग्न लोगों को देखना हो तो यहां जा कर इन लोगों को देख लीजिये, बस्तर के इधर उधर आपको ये मिलेंगे, अबुजमार के पहाड़ों के ऊपर आपको ये मिलेंगे। आज ये लोग मछलियों को नहीं मार सकते हैं, और उन से मुहताज हैं। मछलियां मारीं, इसलिए छः छः महीने की सज़ा हो गई अठारह आदमियों को। अभी कुछ दिन हुए आपको याद ही होगा कि बस्तर के अंदर गोली कांड हुआ था। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप उनका कल्याण करना चाहते हैं तो इस तरह से उनका कल्याण नहीं होगा। इस बात को मैं इतना ही निवेदन करके समाप्त करता हूं कि जो अफसर शिकारी बचे हैं और जो जानवरों का नहीं बल्कि इन आदिवासियों का शिकार करते हैं, उन को आप सही रास्ते पर लायें और उन पर नज़र रखें।

ग्राम पंचायतें आपने चारों तरफ शुरू की हैं। गृह मंत्री जी ने भी थोड़ा सा इसका अपने भाषण में जिक्र किया है। ग्राम पंचायतों पर चाहे आप करोड़ों रुपया खर्च कर लें, जितने चाहे आप डिवेलेपमेंट ब्लाक्स बनायें मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सब आपका पैसा व्यर्थ ही जाने वाला है। उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इन ग्राम पंचायतों से जो आप आदिवासियों का भला करना चाहते हैं, वह भला नहीं होगा। आदिवासी आदिवासी नहीं रह जायेंगे और कहां रहेंगे, क्या होगा, भगवान जाने।

चारों तरफ आज हाहाकार मचा हुआ है और जितने भी आदिवासी जिले हैं भंडारा, निमाड़, बैतूल, बालाघाट, सरगुजा, शाडोल, दुग, बस्तर इत्यादि, सभी में तहलका मचा हुआ है और सभी में सौ सौ, पचास पचास या दो दो सौ आदिवासी जेल गए हैं, उनके ऊपर मुकदमे चलाये गये हैं, जंगलों के लिए या ज़मीन के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस रिपोर्ट में जितने भी सुझाव दिये गये हैं, इन पर कोई इम्प्लेमेंटेशन होने वाला नहीं है। मैं आपको एक नमूना बतलाना चाहता हूं। अगर यह बात कही जाती है तो केन्द्रीय सरकार उसके बारे में यह कहती है कि यह हमारा काम नहीं है, हम तो खाली राज्य सरकार को डायरेकशन ही दे सकते हैं और जब स्टेट गवर्नमेंट को कहा जाता है तो वह कहती है, हम क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट समय पर हमें पैसा नहीं देती है, हम क्या कर सकते हैं। सैंट्रल गवर्नमेंट जो ब्लेम है, उसको उन पर फेंकती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वह उस ब्लेम को सेंटर पर फैंकती है, यह मेरा अपना अनुभव है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं, वे इम्प्लेमेंट होने वाले नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप हमारा विकास नहीं कर सकते हैं, अगर आप हमें प्रगति की राह पर नहीं ला सकते हैं तो कम से कम जो शोषण हमारा हो रहा है, उसको तो आप बन्द करें। हमारी भूमि न जाए, जंगलों के अन्दर हमारे जो राइट्स और प्रिविलेजिज़ हैं, वे तो कायम रहें। अगर आप हमारे वे राइट्स नहीं देते हैं तो कम से कम जो आपने पालिसी बनाई है, उस पालिसी के खिलाफ जो अफसर चलते हैं, उनके ऊपर तो आप नज़र रखें, आदिवासियों को परेशान तो न करने दें। जिन

आदिवासी भाइयों पर जंगलों को ले कर या भूमि को ले कर मुकदमे चलाये जाते हैं और जेल भेज दिया जाता है वह तो बन्द हो ।

अन्त में मैं कुछ सुझाव दे कर अपना भाषण समाप्त करता हूं । मेरे सुझाव इस प्रकार हैं । पहला सुझाव मेरा यह है कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का काम, दवाइयों इत्यादि का काम किसी भी दूसरी संस्थाओं के हाथ में नहीं रहना चाहियें, सरकार को इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिये । इस समय चूंकि ऐसा नहीं है इस वास्ते हज़ारों की तादाद में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हो गया है । हमारे पास और कुछ तो बचा नहीं है, यह धर्म, यह संस्कृति और यह आचार विचार ही तो बचा है । हमारी ज़ात ही खत्म हो गई तब आगे हमारा क्या होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है । जो लोग पैसों में हमें तौलना चाहते हैं, वह बन्द हो । लाखों भाइयों का पहले ही धर्म परिवर्तन हो गया है । यह शिक्षा और दवाइयों का कारोबार आप किसी संस्था के हाथ में रहने देंगे तो आदिवासियों का धर्म परिवर्तन बराबर होता रहेगा और हज़ारों की संख्या में आदिवासी ईसाई होते रहेंगे । इस वास्ते इस ओर आपका तत्काल ध्यान जाना चाहिये । मुझे पता नहीं कि जांच समिति की जो रिपोर्ट है, उस पर सरकार चुपचाप क्यों बैठी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में सरकार शिशु कल्याण केन्द्र खोले । तीसरा सुझाव यह है कि धीरे धीरे सरकार आदिवासियों में शराब-बन्दी करे । चौथा सुझाव यह है कि उनको वह कर्ज़ से मुक्ति दिलाए । पांचवां सुझाव यह है कि उनके लिए भमि का बन्दोबस्त करे । कम से कम उनकी भूमि उनको दिला दीजिये जिसकी जो भूमि है उसको अगर आप वह नहीं देते हैं तो बहुत सी जो शमि आपके पास परती पड़ी हुई है, हर एक प्रदेश में कई करोड़ एकड़ परती पड़ी हुई है, वह भमि उनको दे दी जाए ।

छटा सुझाव मेरा यह है कि सरकार की जो नीति जंगलों के बारे में है, उसको वह बदले । सातवां सुझाव यह है कि पीने के पानी का सब से पहले वह प्रबन्ध करे । आठवां सुझाव यह है कि केन्द्रीय गृह मंत्री के दस्तखतों से यहां से चीफ़ मिनिस्टर्ज़ को चिट्ठियां जानी चाहियें जिसमें आवश्यक निर्देश दिये जाने चाहियें । अगर माननीय उप-गृह मंत्री महोदया की तरफ से चिट्ठी जाएगी तो उसका राज्य के मुख्य मंत्रियों पर कोई असर नहीं होगा । स्टेट्स के अन्दर जो आदिवासी विकास कल्याण मंत्री हैं वे सदा दौरा करते रहें और जिस जगह आदिवासियों का एक्सप्लायटेशन होता है, उसको वह रोकें । राज्यों के अन्दर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खोले जायें और जो सेफगार्ड उनको दिए गए हैं, उन सेफगार्डज़ की पब्लिसिटी की जाए, वाइड पब्लिसिटी की जाए । मैं यह भी चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय एक परिषद करें, जिस में हम लोग भाग लें, स्टेट्स के मिनिस्टर भाग लें, अफसर भाग लें, वे लोग भाग लें जो कि नान-ट्राइबल्ज़ हैं और जो आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वे भाग लें, जो कि आदिवासियों से हमदर्दी रखते हैं और दो तीन दिन तक इस षर चर्चा चले और जो कोई सुझाव वहां दिये जायें, उनको अमल में लाने की कोशिश की जाए । यहां पर इस सदन में इतना समय नहीं होता है कि माननीय सदस्य अपनी पूरी बात कह सकें । एक सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि जो पैसा आदिवासियों की भलाई के कामों के लिए जितना मांगा गया है, उसको प्लानिंग कमिशन कम न करे । यह सवा दो करोड़ जनता का सवाल है । अन्तिम सुझाव जो मैं देना चाहता हूं, वह यह है कि दस साल के बाद, कांस्टीट्यूशन को एमेंड करके, एक और कमिशन बिठाने की व्यवस्था की जाए जो अपनी रिपोर्ट दे और बताये कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने को बाकी पड़ा है । इससे राज्य सरकार को एक प्रकार का भय होगा और अच्छी तरह से काम हो सकेगा ।

मैं आशा करता हूं कि इन सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि जो गलती एक दफा कर ली जाय वह हम हमेशा करते रहें, अगर हमने एक दफा जहर खा लिया तो उस जहर को खाते रहें, या अगर एक दफा आग में हाथ जल गया तो उसे हमेशा जलाते रहें। देश को ट्राइब्ज के नाम पर, शेड्यूल्ड कास्ट्स के नाम पर अलग अलग स्थानों में बांट कर हमने बड़ी गलती की है, खास तौर से लैंग्वेज के नाम पर देश की तकसीम करके तो हमने सबसे बड़ी गलती की है। आज जरूरत इस बात की है कि हिन्दुस्तान के ४५ करोड़ बाशिन्दों को एक भारत के नाम पर, हिन्दुस्तान की डेफिनिशन के ऊपर, एक सूत्र में पिरोया जाय। हम देखते हैं कि जो चालाक लोग हैं वे हाथ मारते जाते हैं और जो कमजोर लोग हैं वे पिसते जाते हैं। गूजर कम्युनिटी के छः करोड़ मेम्बर हैं जो कि इस देश में रहते हैं। लेकिन छः करोड़ गूजरों में से एक भी नुमाइन्दा एम० पी० होकर नहीं आया है, एक भी गूजर इस पार्लियामेंट हाउस में नहीं है। सारे देश में एक भी कलेक्टर गूजरों का नहीं है, सारे देश में एक भी कमिश्नर उनका नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन कहीं पर गूजर एस० डी० ओ० भी मैंने किसी तादाद में नहीं देखा। तो कब तक यह शोषित जातियां पिसती रहेंगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि सारा देश एक सूत्र में बांधा जाय। यह कह कर कि यह शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का है, शेड्यूल्ड कास्ट्स का है, यह बैकवर्ड है अगर हम अपने देश को टुकड़ों में बांटते जायेंगे तो हमें और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।

महात्मा गांधी जी का विजन बहुत साफ था, उनका दृष्टिबिन्दु बहुत क्लिअर था, उनका दृष्टिबिन्दु आइने और चांद की तरह से रोशन था, इसलिये उन्होंने कह दिया था कि मैं किसी भी कीमत पर देश का विभाजन स्वीकार नहीं करूंगा।

महात्मा गांधी ने यह वायदा किया था कि चाहे देश का चप्पा चप्पा जल जाय, लेकिन मैं देश को किसी जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म या सम्प्रदाय के नाम पर तकसीम नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं देखता हूं कि नागालैण्ड बन रहा है, आज आन्ध्र प्रदेश बन रहा है, अलग अलग स्तान बन रहे हैं और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तो नारा लगाता है कि वह इस देश की तकसीम को चाहता है,वह यह कहता है कि अब जब तक हिन्दुस्तान की तकसीम नहीं होगी तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। इसलिये आज मेरी सलाह है, मैं आप के जरिये से गवर्नमेंट को सलाह देता हूं कि हम हिन्दुस्तान के अन्दर एक जातीयता की भावना पैदा करें, राष्ट्रीयता की भावना पैदा करें। और आज देश के अन्दर ऐसी भावना पैदा करने की जरूरत है कि ४५ करोड़ इन्सान एक सूत्र में बंध जायें।

†**श्री छ० म० केदरिया** : माननीय सदस्य विषय से बाहर की बातों पर बोल रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह : मैं इस बात को मानता हूं कि जो गिरे हुए हैं उनको उठाया जाय, मैं इस बात को मानता हूं कि जो दलित हैं उनको उठाया जाय, मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं कि जो दलित और शोषित जनता है उसे उठाया जाय, उसके लिये इमदाद दी जाय, उसके लिये तालीम का और यहां आने का पूरा इन्तजाम हो। उनका रिप्रजेन्टेशन हो, उनके कलेक्टर्स हों, मिलिटरी में, पुलिस में उनका रिप्रेजेन्टशन हो, यह मैं मानता हूं। यदि कास्ट और क्रीड के नाम पर, जाति पांति के नाम पर, आप देश में नुमाइन्दगी देंगे और देश में अलग अलग सीट्स करेंगे, तो यह सबसे

†मूल अंग्रेजी में

ज्यादा शर्म की बात है । अगर हजरत ईशू मसीह पर ईमान लाकर एक करोड़ इन्सान ईसाई हो जाते तो मुझ कोई एतराज़ नहीं था, अगर बाइबल पढ़ कर एक करोड़ इंसान ईसाई हो जाते तो मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं था, लेकिन सरकार रोटी और कपड़े का इंतजाम न कर सके और रोटी और कपड़े के नाम पर लोगों को ईसाई बनाया जाय, यह बहुत बुरी बात है । अमरीका और इंग्लैण्ड से करोड़ों रुपया इसके नाम पर आये, यह हमारी सरकार के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है । आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक राष्ट्र धर्म पैदा किया जाय, जातीयता पैदा की जाय, एक नैशनलिज्म पैदा किया जाय और ४५ करोड़ हिन्दुस्तानी अपने आपको पहले हिन्दुस्तानी समझें, लेकिन इन पन्द्रह सालों में वह एटमास्फिअर क्रिएट नहीं किया जा सका है । इन पन्द्रह सालों में हम जिसको राष्ट्रीयता कहते हैं, जातीयता कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं, पैट्रियाटिज्म कहते हैं, वह क्रिएट नहीं किया जा सका है । वह बादशाह खां भी हमारे साथी हैं जो कि अकेले आज तक एक जातीयता के लिये और हिन्दुस्तान की अखण्डता के लिये पाकिस्तान में नारा लगाते हैं, लेकिन हम लोग इस नारे को छोड़ते चले जाते हैं । पन्द्रह सालों में अपनी अपनी जातीयता के लिये, अपने देश के लिये, अपने धर्म के लिये, अपने राष्ट्र के लिये, हमने कोई सेंटिमेंट पैदा नहीं किया । हम वह वातावरण पैदा नहीं कर सके हैं जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाता ।

आज अगर एक नौजवान को पता लग जाये कि वह सरकार के खर्चे से इंग्लैण्ड में पढ़ने जा रहा है तो आज ही उसके चेहरे पर रौनक आ जायेगी, आज ही उसका पिता ५०,०००/रु० दहेज में मांगने लगेगा, क्योंकि यहां हिन्दुस्तानियत पैदा नहीं की गई है । अगर हिन्दुस्तानियत पैदा की जाती तो विदेशों के लिये किसी तरह का प्रेम पैदा नहीं हो सकता था । आज जरूरत इस बात की है कि सारे देश को एक सूत्र में बांधा जाये ।

†**श्री देशपाण्डे** : इस बात का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : सारे देश को एक सूत्र में बांधा जाय और ४५ करोड़ इन्सानों में जो शोषित जनता है, जो एक्सप्लायटेड जनता है, जिस जनता को पतित और पददलित किया गया है, उसे बराबर के स्तर पर लाया जाय और जाति पांति के नाम पर, ट्राइब्ज के नाम पर या किसी ऐसी चीज के नाम पर जिससे अलग रिप्रेजेन्टेशन होता हो, कोई काम करना हमारे देश के लिये बड़ा घातक होगा ।

महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि जिस तरह से पाप करने वाले को सजा दी जाती है उसी तरह से अस्पृश्यता मानने वाले को, अछूतपन मानने वाले को, अनटचेबिलिटी मानने वाले को, सजा दी जाय। आज हमने कानून तो बनाया लेकिन समाज की जड़ों के अन्दर अछूतपन और अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है । जरूरत इस बात की है कि कानूनन इसको रोका जाय । हमारा इतिहास साक्षी है इस बात का कि जब हमने किसी को एक अलग शेड्यूल्ड कास्ट्स का समझा, जब किसी को अछूत समझा, किसी को पतित समझा, जब हम में इस तरह की तकसीमें हुईं, उसी वक्त से हम गुलाम होते चले गये, हमारी आजादी छिनती चली गई । चाहे आप काश्मीर के अन्दर चले जायें या किसी और जगह चले जायें, हर जगह जाति पांति का मसला है । मैं दरख्वास्त करता हूं कि अलग अलग ट्राइब्ज के नाम पर नहीं, हिन्दुस्तान के ४५ करोड़ इन्सानों के नाम पर देश को एक किया जाय, और जो लोग अछूतपन को आज भी मानते हैं, अस्पृश्यता को आज भी मानते हैं, उन्हें कानूनन सजा दी जाय, उनके हाथ कटवा लिये जायें, उनको जेलखानों में डाला जाय, और एक ऐसी हालत पैदा की जाय कि ४५ करोड़ इन्सानों को जाति पांति का, बिरादरी का, कास्ट या ट्राइब का ख्याल छोड़ कर जातीयता के एक सूत्र में पिरोया जा सके ।

"हम मवाहिद हैं, हमारा तर्ज है तर्के रसूम,
मिल्लतें जब मिट गईं, अजज़ाए ईमां हो गईं ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशपाल सिंह]

यह काम हमारे करने का है। अगर यह काम आज नहीं हुआ और आज एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का नारा भी जबर्दस्त होगा और कोई राजपूतिस्तान मांगेगा, कोई सिखिस्तान मांगेगा और कोई अकाली सूबा मांगेगा। आज हम को यह तय करना है कि हम देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, एक हो जायें और अलग अलग ट्राइब्ज को छोड़ कर जो आदिवासी भाई हैं दो या ढाई करोड़ की संख्या में उनको गारण्टी दें। सिर्फ इसलिये नहीं कि वे आदिवासी हैं हम उनके लिये स्कालर्शिप्स का इन्तजाम करें, बल्कि इसलिये कि वह ढाई करोड़ इन्सान बहादुर इन्सान हैं, इस देश के स्तम्भ हैं और उन्होंने अपनी जान पर खेल कर इस जाति और धर्म को जिन्दा रक्खा है, यहां की नैशनलिज्म को जिन्दा रक्खा है। उन्होंने हमारी जातीयता के लिये, धर्म के लिये, राष्ट्र के लिये, हमारी अपनी संस्कृति के लिये, तहजीब के लिये आज तक कुर्बानियां की हैं। खुद भूखे रहे हैं लेकिन हमारी संस्कृति पर आंच नहीं आने दी है। उन ४५ करोड़ इन्सानों को एक जगह पर लाया जाय, और जो यहां नहीं आ सके हैं अपनी इग्नोरेंस की वजह से या इस वजह से कि उनकी आवाज नहीं है, उनको लाया जाय।

हमारे यहां चुहुड़पुर में हमारे प्रधान मन्त्री गूजर कांफरेंस का उद्घाटन करने गये थे। चार लाख से ज्यादा गूजर वहां इकट्ठे हुए थे। वह इस बात पर मुतमईन हो गये थे कि उनको रिप्रेजेन्टेशन मिलेगा, लेकिन वह नहीं मिल सका। इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, शेड्यूल्ड कास्ट्स, आदिवासी भाई या दूसरे लोग जो पतित और पददलित हैं उनको एक स्तर पर लाया जाय, उनके स्टैण्डर्ड आफ लिविंग को ऊंचा किया जाय और देश में से जाति पांति की बुनियादों को दूर करके ४५ करोड़ इन्सानों के लिये एक नैशनलिज्म कायम किया जाये।

†**श्री छ० म० केदरिया** (मांडवी) : सब से पहले मैं श्री ढेबरभाई के प्रति अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी यह रिपोर्ट तैयार करने के लिये कृतज्ञता प्रकट करता हूं। उस रिपोर्ट में अनुसूचित आदिम जातियों के प्रति लग्न और निष्ठापूर्वक काम करने की भावना स्पष्ट है। आयोग ने जमीनों पर उन जातियों के अधिकार तथा सिंचाई, बिजली, खानें और उद्योगों के लिये जमीन प्राप्त करने से उनके विस्थापित होने पर प्रकाश डाला है। इन पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं के लिये विशेष काम नहीं हुआ है। सिंचाई का अखिल भारत प्रतिशत १७ प्रतिशत है जबकि डोंग्ज जिले में यह शून्य प्रतिशत है। कृषि पर निर्भर आदिवासियों को पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं से कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं। आदिवासियों के कल्याण के लिये शीघ्र कदम उठाये जाने चाहियें। इस सम्बन्ध में नर्मदा और उइके परियोजनाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये क्योंकि ये आदिम जाति क्षेत्रों में स्थित हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अनुसूचित आदिम जाति परिवारों से ६२,२३८ एकड़ भूमि अधिगृहीत कर १४,११३ आदिवासी परिवारों को विस्थापित कर दिया है। हमारा विश्वास है कि भूमि अधिग्रहण की अवस्था में जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान दिये जाने चाहिये किन्तु १४,११३ परिवारों में से केवल ३,४७७ परिवारों को ही पुनर्वास किया जा सका है। स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद ४६ के अधीन अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक हितों की रक्षा नहीं की गई है। गवर्नरों ने भी उनके जमीन सम्बन्धी हितों की रक्षा नहीं की है। आयोग ने यह सिफारिश ठीक ही की है कि विस्थापित व्यक्तियों को असुविधा, हानि और चिन्ता से परित्राण दिया जाना चाहिये। जैसा माननीय गृह मंत्री ने बताया मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस में आयोग के सुझावों को लागू करने के लिये सहमति प्रकट की गई है।

†मूल अंग्रेजी में

आदिम जातियां अधिकांश वनीय क्षेत्रों में रहती हैं । मुझे यह कहते हुए दुःख है कि खेती के लिये जमीन देने के उनके प्रार्थनापत्र वन विभाग द्वारा समय पर मंजूर नहीं किये जाते हैं तथा इस कारण उन्हें मुकदमेबाजी में ग्रस्त रहना पड़ता है । इस कारण वन वासी आदिम जातियों ने वनों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया । और वनों में अवैध लकड़ी काटना आरम्भ हो गया । मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा । 'चुनाव' पदों में पदोन्नति के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद १६ के निर्वचन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जना चाहिये ।

आदिवासी खंडों में गैर-सरकारी अभिकरणों को भी कुछ शक्ति दी जानी चाहिये, क्योंकि सरकारी प्रतिनिधि कभी कभी ऐसा काम करते हैं कि आदिमजातियों के हितों की उपेक्षा होती है । जिला परिषदों को भी कुछ शक्तियां दी जानी चाहियें । हमें केवल सरकारी पदाधिकारियों पर निर्भर नहीं करना चाहिये । ढेबर आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

श्री मरंडी (राजहमल) : उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड ऐरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशन की जो रिपोर्ट आई है उस का मैं स्वागत करता हूं परन्तु साथ ही साथ मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी जोरदार सिफारिशें होने के बावजूद आदिवासियों की अपलिफ्ट के लिए उतना काम नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए था ।

पहली पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के वास्ते करीब २४ करोड़ रुपया रखा गया था लेकिन मुश्किल से १९ करोड़ रुपया खर्च किया गया और ५ करोड़ रुपया वापिस कर दिया गया ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में १० करोड़ रुपया वापिस कर दिया गया । यह कितने दुःख का विषय है कि रुपया रहते हुए भी आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को ऊपर उठाने और उनकी सहायता करने का काम नहीं हो सका है। इससे ज्यादा दुःख की बात आदिवासियों के लिए और क्या हो सकती है ? जो भी रुपया खर्च हुआ है वह सही रूप में खर्च नहीं हुआ है क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जितने भी सरकारी अफसर या कर्मचारी हैं वे आदिवासियों के बीच में दिलचस्पी के साथ काम नहीं कर रहे हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बिहार में जनसंख्या के हिसाब से १,०२७.५७३ रुपये खर्च होने थे लेकिन ६०१.४४ रुपये मुश्किल से खर्च किये गये हैं । अब आदिवासियों को यदि ऊपर उठाना है, आगे बढ़ाना है और उनको उन्नति के पथ पर अग्रसर करना है तो इससे ज्यादा आर्थिक सहायता की उनको जरूरत है और साथ ही इसको भी देखा जाय कि जो रुपया उनके वास्ते रखा जाय वह पूरा पूरा और सही तौर से खर्च हो । जिस प्रकार से पथरीली जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए काफी मेहनत और काफी रुपये की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार इन गरीब आदिवासियों को भी ऊपर उठाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए काफी रुपये और काफी मेहनत की जरूरत है ।

आजादी मिलने से पूर्व हम आदिवासी लोग भी यह आशा करते थे कि भारतवर्ष के आजाद हो जाने पर हमारे दिन भी फिरेंगे और हम लोग भी सुख के साथ अपनी जिन्दगी बसर करने के काबिल हो जायेंगे और हमारी रोजी, रोटी, कपड़े और मकान की समस्या हल हो जायगी । इंसान की तरह हम भी जिन्दगी बसर कर सकेंगे । लेकिन आज हमारी वह आशा निराशा में बदलती जा रही है ।

[श्री मरंडी]

आज देश में बड़े बड़े कल, कारखाने खुल रहे हैं और अनेकों बांध बन रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ता है और उन में आदिवासियों और हरिजनों की संख्या ज्यादा है। अब सरकार को इस के लिए सोचना चाहिए कि जिन गरीब आदिवासियों ने अपना खून, पसीना एक कर के और जंगल काट कर भूमि साफ की और उस पर परिश्रम करके उसे खेती योग्य बनाया, ऐसी जमीनों से उन गरीब लोगों को थोड़ा पैसा देकर जो वंचित किया जा रहा है यह कहां तक उचित है ? यह बड़े दुःख और अफसोस की बात है कि उनको इस तरह से खेती योग्य जमीनों से थोड़ा पैसा देकर बेदखल किया जा रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आदिवासियों को किसी भी हालत में जमीन से वंचित न किया जाय। उनको परती जमीन देने का भी बंदोबस्त किया जाय ताकि उनको कृषि योग्य बनाया जा सके।

आदिवासी क्षेत्रों में यह देखा जाता है कि सेठ और महाजन आदि मनमाने तौर पर अपना काम करते हैं और गरीब आदिवासियों से कर्जे के ऐवज में बहुत अधिक ब्याज वसूल करते हैं। कमिशन की रिपोर्ट में भी यह चीज़ दी हुई है कि वहां सूद की दर बहुत ज्यादा है। वहां पर संथाल परगना टेनेंसी ऐक्ट लागू है और उसके अनुसार जितने भी महाजन लोग हैं उनके पास इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि वहां पर काफी तादाद में ऐसे महाजन काम करते हैं जिनके कि पास लाइसेंस नहीं होता है। हजार, दो हजार रुपये का कारोबार करते हैं। सरकार जानती है और सरकार के कर्मचारी भी इस को जानते हैं लेकिन इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। आदिवासियों के लिए कितना ही सुन्दर से सुन्दर कानून क्यों न बनाया जाय जब तक इन को उन सूदखोर महाजनों के चंगुल से बचाया नहीं जायगा तब तक इन आदिवासियों की उन्नति न हो सकेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि जितने भी पुराने उन पर कर्जे हों वे माफ कर दिये जायें। सदियों से जो आदिवासी पुराने ऋणों के नीचे दबे हुए हैं उन पुराने कर्जों को माफ कर दिया जाय। उन को ऋण से बचाने के लिए एक समिति बनाई जाय और उस की देखरेख में जितने भी आदिवासी क्षेत्र में महाजन लोग हैं वह लाइसेंस लेकर ठीक से काम करें। सरकार को अच्छी तरह से देखना चाहिए ताकि कोई नाजायज काम न होने पाये।

आदिवासियों को पृथक् पृथक् न रख कर उनको एक साथ में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। संथाल परगना जहां कि काफी आदिवासी रहते हैं उस क्षेत्र को दो जिलों में विभक्त करने की सोची जा रही है। आज चूंकि जनता के एक प्रतिनिधि की हैसियत से इस संसद में बोलने का मौका मिला है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से उनको विभक्त न किया जाय और हमारे संथाल परगना को दो हिस्सों में न बांटा जाय।

हमारे आदिवासी क्षेत्र में जितने भी सरकारी अफसर आदि होते हैं वे वहां की स्थानीय बोली, लोकल भाषा, को नहीं जानते हैं। अब वहां की बोली न जानने के कारण जितने भी विकास वगैरह के काम वहां पर होने के लिए होते हैं वह ठीक तरीके से नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां जितने भी अफसर भेजे जायें वे वहां की भाषा को जानने वाले और वहां के रीति रिवाजों को जानने वाले होने चाहियें।

शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जहां आदिवासियों की संख्या लाखों में है वहां उनको अपनी मातृभाषा को पढ़ने की सुविधा दी जाय। प्राथमिक स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वे बच्चे शिक्षकों की बोली नहीं समझते हैं और शिक्षक महोदय उन बच्चों

की बोली नहीं समझते हैं । इसलिए जरूरत इस बात की है कि वहां जो शिक्षक भेजे जाय वे वहां की लोकल भाषा को जानने वाले हों ताकि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जा सके । प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को उनकी मातृभाषा सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

आदिवासी जिन क्षेत्रों में बसते हैं वहां पर काफी खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं । कोयला, लोहा, अबरक आदि खनिज पदार्थों के निकलने से वहां काफी रुपये की आमदनी है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन इलाकों में, जहां से कि इतनी अधिक आमदनी होती है, उस हिसाब से विकास नहीं हो रहा है । हमारे संथाल परगना के आदिवासी इलाके में रास्तों की बुरी हालत है । बैलगाड़ी के चलने लायक रास्ता भी वहां पर नहीं है । रास्ते ऐसे खराब हैं कि उन पर बैलगाड़ी का चलना भी मुश्किल हैं । एक सड़क सिमरा टु बुआरीजोर—बुआरीजोर टु बोरियो और बुआरीजोर टु मिरजा चौकी बननी थी । बिहार सरकार ने इस सड़क को बनाने के लिये अपने अफसरान को लिखा हुआ है लेकिन अभी तक वह सड़क नहीं बन पाई है । सड़क निर्माण का वहां पर यह हालत है । संबंधित और मौके के अधिकारी गफलत बर्त्तते हैं जिस से कि यह काम नहीं हो पाता है ।

इर्रीगेशन वहां नहीं के बराबर है । आदिवासियों के लिये सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये कागज पर कलम से करोड़ों रुपये रक्खे जाते हैं लेकिन हकीकत में वह बस कागज तक ही सीमित रह जाते हैं और दरअसल काम जो होना चाहिये वह नहीं होता है । वजह इस की यह है कि वहां के सरकारी कर्मचारी उतनी दिलचस्पी के साथ अपना काम नहीं करते हैं जैसाकि उन को करना चाहिये । कागज पत्तर पर इर्रीगेशन की योजनाएं बनी अवश्य हैं लेकिन अमल उन पर कुछ भी नहीं है । आदिवासियों का जीवन सिंचाई की उत्तम व्यवस्था पर निर्भर करता है, इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि वहां पर सिचाई की अच्छी व्यवस्था की जाय ।

आदिवासी और हरिजनों को नौकरियां देने के लिये हर प्रकार की योजना है लेकिन वह योजनाएं महज़ कांगजों तक ही सीमित हैं क्योंकि हम देखते हैं कि आदिवासियों को नौकरियां नहीं मिलती हैं । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जितने भी पढ़े-लिखे आदिवासी हैं, जिन आदिवासियों ने शिक्षा पाई है, उन को नौकरी में लिया जाना चाहिये और नौकरी के सम्बन्ध में इन्टरव्यू के लिये उन को भत्ता दिया जाना चाहिये ।

†**श्रीमती अकम्मा देवी** (नीलगिरि) : यद्यपि आदिवासियों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के लिये अनेक योजनायें प्रारम्भ की गई हैं, परन्तु उन में से अधिकांश का सफल क्रियान्वयन नहीं हुआ है । यह आवश्यक है कि उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये केवल प्रशिक्षण प्राप्त एवं अनुभवी कर्मचारी रखे जायें जिन की इस कार्य में रुचि हो । ऐसे कर्मचारियों का चुनाव आदिवासियों में से ही किया जाना चाहिये ।

आदिवासी कल्याण एवं सामान्य विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों के बीच प्रभावपूर्ण समन्वय होना चाहिये ।

आदिवासियों के लिये रचनात्मक कार्य करने वाले ऐच्छिक संगठनों को पर्याप्त अनुदान दे कर सरकार को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये ।

आदिवासियों के आवास की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये । इस मामले को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

सरकार को अपने औद्योगिक संगठनों का आदिवासियों में विस्तार कर के उन को अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक काम देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्रीमती अकम्मादेवी]

साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज लिये जाने को रोकने के लिये भी कदम उठाय जाने चाहिये । सरकार को स्वयं आदिवासियों को ऋण देना चाहिये ।

श्री संजी रूपजी (नामनिर्देशित--दादरा तथा नगर हवेली) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यहां लोक सभा में आये हुए लगभग छः सात महीने हो गये हैं, लेकिन आज तक मुझे यहां बोलने का मौका नहीं मिला था । आज आप ने मुझे बोलने का मौका दिया, जिस के लिये मैं आप का बड़ा आभारी हूं ।

मैं दादरा, नगर हवली से आता हूं । यह विभाग बरसों से फ़रंगी हुकमत के नीचे था । वहां पर करीब करीब ८८ टका लोग आदिवासी हैं । हमारे देश के पूज्य राष्ट्रपति जी ने वहां आदिवासी लोग ज्यादा होने की वजह से यहां लोक सभा में एक आदिवासी को नामीनेट किया, जिस के लिये मैं और दादरा, नगर हवली की आदिवासी प्रजा पूज्य राष्ट्रपति जी और इस सरकार की बड़ी आभारी है ।

अध्यक्ष जी, जैसाकि मैं ने पहले बताया है, वहां पर फ़िरंगी शासन था, जिस की वजह से वहां पर कोई किसी किस्म की प्रगति नहीं हो सकी थी, लेकिन वहां की प्रजा १९५४ में आज़ाद हुई । उस के बाद हमारी सरकार ने हमारा वह विभाग भारत के साथ मिला दिया । यह हमारा सौभाग्य है ।

आज यहां पर शैड्यूल्ड एरियाज़ और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कमिशन की रिपोर्ट पर बहस चल रही है । मैं भी अपने यहां के आदिवासियों की मुसीबतों के बारे में कुछ बातें, आप के द्वारा, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने रखना चाहता हूं । जब इस कमिशन की रिपोर्ट तैयार हो रही थी उस वक्त दादरा और नगर हवेली भारत के साथ नहीं थे, उन को भारत में मिलाया नहीं गया था । इस वजह से दादरा नगर हवेली की कोई बात इस रिपोर्ट में दिखाई नहीं देती है । आदिवासियों की प्रगति के लिये हमारी सरकार को क्या कुछ करना चाहिये, इस के बारे में जो भी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, उन के साथ मैं पूर्णतः सहमत हूं । हमारी माननीय सरकार को इस रिपोर्ट में लिखी हुई बातों को तुरन्त अमल में लाना चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां की आदिवासी प्रजा तथा दूसरे लोगों में इतनी ताकत नहीं है, उन की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे पहनने के लिये पूरा कपड़ा भी ले सकें, उस को खरीद सकें । वे आज भी आधे नंगे और भूखे हैं । यह हमारे देश में सब के लिए एक नामूसी की बात है । इस देश में से गरीबी को निकालना हो तो वह कोई सहल बात नहीं है । इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता और समझता हूं । मैं अपने यहां की आदिवासी प्रजा में से गरीबी को निकालने के लिये और उन को प्रगति के पथ पर लाने के लिए एक महत्व की बात इस सदन के सामने रखना चाहता हूं । हमारे यहां आदिवासी प्रजा की प्रगति नहीं हुई है, उस का मुख्य कारण यह है कि जब फिरंगी शासन था उस वक्त से वहां ज्यादा तौर पर दारू और ताड़ी मिलती रहती थी और आज भी वहां दारू ताड़ी काफी मिलती है । जो आदिवासी प्रजा वहां की है जिस तरह से वह फिरंगी शासन में दारू और ताड़ी में फंसी हुई थी, उसी तरह से आज भी फंसी हुई है । आज हालत यह है कि दादरा नगर हवेली के चारों तरफ जो प्रदेश लगा हुआ है, गुजरात और महाराष्ट्र का प्रदेश लगा हुआ है, वहां पर हमारी सरकार ने दारुबंदी कानून लागू कर रखा है, केवल दादरा नगर हवेली में वह लागू नहीं है । इस का नतीजा यह हो रहा है कि वहां के लोग दादरा नगर हवेली में आ कर के जहां पर दारू बंदी नहीं

की गई है, काफी मात्रा में दारू और ताड़ी का इस्तेमाल करते हैं । जिस तरह से दादरा नगर हवेली में आदिवासी काफी संख्या में हैं, उसी तरह से उस के चारों बाजू के जो प्रदेश हैं, उस के साथ लगने वाले जो अन्य प्रदेश हैं, वहां भी आदिवासी काफी संख्या में रहते हैं । अब होता है कि दादरा और नगर हवेली में दारू ताड़ी की बन्दी नहीं होने के कारण हर रोज़ हज़ारों आदिवासी आते हैं और इस दारू ताड़ी का भोग करते हैं । इस के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारी सरकार सचमुच आदिवासियों की प्रगति करना चाहती है तो दादरा और नगर हवेली में भी वह जल्दी से जल्दी दारू बंदी का कानून लागू कर दे ।

इस के साथ ही साथ मैं कुछ और भी सुझाव अपनी सरकार को देना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था कर दी जानी चाहिये और नये स्कूल बनाये जाने चाहियें । साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के बच्चों के लिये, कपड़ा, किताबों और कम से कम एक टाइम के भोजन की व्यवस्था भी सरकार द्वारा कर दी जानी चाहिये । तीसरे, जहां तक भूमि सुधारों का सम्बन्ध है, जो भूमि आदिवासियों के पास है उस भूमि में सुधार के लिये और उस भूमि में कुएं खोदने के लिये और इंजन लगाने के लिये तथा गाय और बैल लेने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी तकावी लोन्ज़ देने का प्रबन्ध कर देना चाहिये ।

चौथा सुझाव मेरा यह है कि जिन लोगों के पास रहने के लिये मकान नहीं है उन लोगों के लिए सोसाइटीज़ बना कर के या तो लोन्ज़ या फिर सबसिडीज़ का प्रबन्ध सरकार को कर देना चाहिये ताकि उन लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था हो सके ।

पांचवां सुझाव मेरा यह है कि हमारे यहां जो बड़ा भारी फारेस्ट है, उस फारेस्ट की लकड़ी का जो आकशन किया जाता है, उस को बन्द कर देना चाहिये और वहां रहने वाले आदिवासियों की जंगली मंडली बना कर उन लोगों को इस फारेस्ट की लकड़ी का सब काम दे देना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं ।

श्री गणपति राम (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं इस कमिशन के चेयरमैन महोदय, श्री ढेबर भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्हों ने इस रिपोर्ट को लिख कर के इस बात की हमें याद दिलाई है कि उन के दिल में इस देश की और इस राष्ट्र की पिछड़ी हुई जातियों, इस देश के पिछड़े हुए वर्गों और लोगों के प्रति, दलित लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है ।

मुझे आश्चर्य होता है कि जहां पर देश के कोने कोने में दूसरी राज्य सरकारों ने शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ को अपने अपने प्रदेशों में माना है, वहां पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां पर कि लाखों की संख्या में शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ रहते हैं, उन को मान्यता नहीं दे रखी है। इस कमिशन के चेयरमन ने भी फोरवर्ड में लिखा है :—

> "देहरादून और उत्तर काशी के जौनसार बवार और मिर्जापुर के गोंड, चेरू और अन्य आदिमजातियों को सूची में नहीं रखा गया । इसलिये उन्हें पांचवीं अनुसूची के लाभों से वंचित कर दिया गया है ।"

[श्री गणपति राम]

१९५५ में बैकवर्ड क्लासिस कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट में चेप्टर ९, पेज १५५ में इन शब्दों में इसको लिखा था :—

"उत्तर प्रदेश ने किसी श्रेणी को आदिम जाति घोषित करने से इन्कार कर दिया है। उसने यह कारण दिया हैं कि इस से और समस्याएं उत्पन्न होंगी . . . ."

इसके अलावा और भी चीजें हैं। बैकवर्ड क्लासेज कमिशन ने सन् १९५५ में उत्तर प्रदेश में १३ जातियों के बारे में, जिन में यह भी सम्मिलित थीं :

"भील, भोक्सा, मुइया, भूटिया, बोरा, चेरू, गोंड/धूरिया, नायक, ओझा, जौनसारा खरवार, कोल कोरवा, बनमानुस, थारू"

रिकमेन्ड किया था कि उन को शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट में लिया जाय और उन के लिये संविधान द्वारा दिये गये जो स्पेशल अधिकार हैं, उन्हें उन को दिया जाये। मुझे आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि आज इतने दिनों के बाद भी, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिशन के बैठने के बाद भी, बैकवर्ड क्लासेज कमिशन के बैठने के बाद भी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन जातियों को मान्यता नहीं दी कहीं इस से वहां एक नई समस्या न खड़ी हो जाये। मैं समझता हूं कि आज की स्टेट सरकारें भी ऐसी समस्याओं पर पर्दा डाल कर उन को टालना चाहती हैं। आज एक तरफ तो केन्द्रीय सरकार इतनी सचेष्ट है, पढ़ा लिखा समाज इतना सचेष्ट है, देश के नेता लोग इतने सचेष्ट हैं कि देश का जो पिछड़ा हुआ तबका है, दलित तबका हैं वह ऊपर उठे और दूसरी तरफ हमारी स्टेट की सरकारें इस तरह का व्यवहार करती हैं। जहां तक मैं समझता हूं हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट हर साल सदन में आती है . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भाषण जारी रखना चाहेंगे ?

श्री गणपति राम : जी हां, जरूर रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक बात सदन के सामने रखनी है कि जो कार्यक्रम गवर्नमेंट ने रखा है उस में इस के बाद अगला आइटम है :

"दिल्ली में अपराधों की संख्या में वृद्धि और शान्ति और व्यवस्था स्थिति के बिगड़ने पर चर्चा"

इसके लिये दो घंटे रखे गये थे। आज सुबह सदन की मर्जी से हम ने वह दो घंटे जो फ्लड सिचुएशन थी उस पर खर्च कर दिये, जो कि अगले आइटम पर लेने थे। अब दो सूरतें हो सकती हैं। या तो जो डिस्चेकशन चल रहा है उस को हम अगले सेशन तक चलता रखें और जो क्राइम की क्राइम सिचुएशन है उसे कल ले लें या फिर क्राइम सिचुएशन को अगले सेशन में रखें और उसके समय को इस मोशन में लगा कर इस को कल खत्म कर दें। जैसा हाउस चाहे वैसा किया जा सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): दिल्ली के मामले को इसी सेशन में लिया जाये।

एक माननीय सदस्य : एक दिन के लिये सेशन बढ़ा दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : एक दिन तो और नहीं बढ़ाया जा सकता । इस वक्त सब माननीय सदस्यों ने अपना अपना इन्तजाम किया हुआ है इसलिये एक दिन बढ़ाना तो मुश्किल है । इन दो सूरतों में से हाउस जो चाहे चुनले, उस को अख्त्यार है । एक चीज चल सकेगी, जो आप चाहें वह चीज रख लें । एक को अगले सेशन तक मुल्तवी करना पड़ेगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं बड़ी नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस कमिशन की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, रिपोर्ट आ चुकी है । रिपोर्ट आने के पश्चात् सदन में उस पर कुछ चर्चा भी हो चुकी है । लेकिन दिल्ली में अपराधों की स्थिति इतनी भयंकर हो गई है कि आय दिन कुछ न कुछ होता है । आप स्वयं समाचारपत्रों को देखते होंगे, कत्ल, डाके, अपहरण इस प्रकार की भयंकर स्थिति होती चली जा रही है । इसलिये मैं आप से अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस को प्रिफरेंस दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, मेरी राय यह है कि जो कमिशन की रिपोर्ट है उस को यहां सेशन के आखीर में रखा जाता है, यह ठीक नहीं है । उस को यहां पहले रखा जाना चाहिये था और इस से पहले समय दिया जाना चाहिये था । अब जब यह चर्चा में आ ही गई है तो उस को पूरा समय मिलना चाहिये और कल मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : कल तो कुल दो ही घंटे मिल सकेंगे क्योंकि जो ढाई घंटे हैं उन में से कुछ वक्त चला जायेगा बाकी चीजों में । दो या सवा दो घंटे बाकी रह जायेंगे : तो अगर आप उस को कल खत्म करना चाहें . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : बारह से साढ़े तीन बजे तक साढ़ तीन घंटे होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कल हम पांच बजे तक ही बैठेंगे । इस तरह से दो ही घंटे हैं । या तो हाउस यह ले सकता है या वह ले सकता है । जो आप चाहते हों उसे ले लिया जाय ।

श्री उइके : मैं समझता हूं कि जो विषय चल रहा है उस को लेने की अधिक आवश्यकता है क्योंकि इस में दो या ढाई सौ आदिवासियों का सवाल है । यहां पर विचार के बाद इस का इम्प्लिमेंटेशन हो सकेगा । यह देहातों की समस्या है अगर यह इस सेशन में पूरी नहीं होगी तो ठीक नहीं रहेगा ।

†**श्री बसुमतारी** (गोलपाड़ा) : यदि इसे अगले सत्र पर छोड़ दिया गया, तो बाहर अच्छा असर नहीं पड़ेगा ।

श्री दाजी (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कमिशन की रिपोर्ट आ चुकी है । अगर किसी माननीय सदस्य को यह गलतफ़हमी हो कि चर्चा हो जाने से उस का इम्प्लिमेंटेशन शुरू हो जायेगा तो ऐसी बात नहीं है । मेरी राय है कि दो घंटे इस के लिये अपर्याप्त हैं क्योंकि थोड़ी सी ही बहस हुई है । इसलिये इस को अगले सेशन में लिया जाये और कल का समय ला ऐंड आर्डर सिचुएशन पर लगाया जाये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि अनुसूचित आदिम जाति और क्षेत्र के आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा अगले सत्र तक उठा रखी जाये और दिल्ली में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कल शुरू की जाये ।"

---

†मूल अंग्रजी में

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के भाई हैं उन के जजबात को देखना है, इसलिये हमें इस की तरफ भी ध्यान देना है । उन को नाराज नहीं करना है । अगर वह इसे चाहते हों और जोर दें कि नहीं, यह जरूर चले, तो मैं चलाऊंगा इसे ।

श्री मा० ला० वर्मा (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, अगर इस पर अमल नहीं होगा तो बहुत नुक्सान होगा ।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा-पूर्व) : मैं श्री कामत के प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

> "कि यह चर्चा अगले सत्र तक उठा रखी जाये किन्तु इसे अगले सत्र के पहले सप्ताह में अवश्य लिया जाये ।"

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर इस पर हाउस में इत्तफाक हो कि वह पहले हफ्ते के अन्दर हो जाय और दूसरों को एतराज न हो तो ठीक है, इस को अगले सेशन के पहले हफ्ते में रखा जा सकता है ।

एक माननीय सदस्य : इस पर समय भी ज्यादा रखा जाये उस समय ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी यही कहना था कि बढ़ा देंगे आधा या एक घंटा, यह मुझे मंजूर है ।

एक माननीय सदस्य : यह चीज आगे के लिये नहीं बढ़नी चाहिये । मैं चाहता हूं कि इसी सेशन में इस पर विचार हो ।

अध्यक्ष महोदय : इसी सेशन में ? अच्छा तो मैं एक फार्मल मोशन आपके सामने रखता हूं । जैसा चाहें आप फैसला करें । मैं अपनी जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं हूं । मैं उस पर इसको छोड़ता हूं, जो मर्जी हो वह कर दे, मुझे मंजूर है ।

एक माननीय सदस्य : आप वोट ले लें ।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप एतराज करेंगे वोटिंग पर ।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है ।

श्री गणपति राम : मेरा एक सुझाव है । देश की जनता को यह शुबहा कहीं न हो कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के मामले को हम पीछे ढकेलते जाते हैं । इसिलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जब इतने दिनों के बाद यह चीज हमारे सामने आई है तो फिर इसको टाला न जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसी अपील वह करते हैं तो फिर शास्त्री जी ही मान जायें ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अगर यह आशा हो कि कल रिपोर्ट पर चर्चा होने के पश्चात् ही हमारे आदिवासी भाइयों का भला होने वाला हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं नम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सोच लीजिये । कल का समय भी सीमित है क्योंकि नान-आफिशल बिजिनेस भी होगा । अगर अगले अधिवेशन में आप इस को पहले सप्ताह में ले लेंगे

---

†मूल अंग्रेजी में

तो, जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा, चर्चा अधिक हो सकेगी । अभी तो जल्दबाजी में निर्णय होने की सम्भावना है और वह ठीक नहीं है ।

श्री उडकें : मैं कहना चाहूंगा कि शास्त्री जी सोच लें । स्टेट गवर्नमेंट्स को बहाना इस से मिल जायेगा । आप भले ही आधा घंटा हमारे टाइम में से ले लीजिये, इसमें कोई हर्ज नहीं है । शहर के लिये हम देहात के लोग अपने टाइम का दान कर देंगे, लेकिन इस को अभी ही लिया जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत: मेरा नम्र निवेदन है कि यदि अगले सेशन में पूरा दिन इस कमिशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिये दे देंगे तो हमारे सहयोगी उस को मंजूर कर लेंगे कि कल ढाई घंटे देने के बजाय उस को पूरा दिन मिले ।

अध्यक्ष महोदय : यह लालच तो आप दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता ।

श्री धुलेश्वर मीना (उदयपुर) : मेरा सुझाव यह है कि आज भी इसे कंटिन्यू रक्खा जाये और अगले सेशन में भी इस रिपोर्ट पर डिस्कशन चलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप यह बर्दाश्त कर रहे हैं कि कल के बाद भी वह अगले सेशन में आये तो उन का केस मजबूत हो जायेगा ।

श्री मू० भू० वैश्य (साबरमती) : बात ऐसी कि शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज कमिशन की रिपोर्ट जो थी वह आप ने अगले सेशन में रख दी है, अगर इस पर भी विचार स्थगित किया जायेगा तो जो हिन्दुस्तान की पिछड़ी हुई जातियां हैं वह इस का यह अर्थ निकालेंगी कि चूंकि हम लोग पिछड़े हुए हैं इस लिये पार्लियामेंट हमें और भी पीछे डालना चाहती है । इस लिए यह चर्चा चालू रखनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मंजूर नहीं करेंगे कि यह रिपोर्ट अगले सेशन में चले तो इस पर चर्चा जारी रहेगी । दूसरी चीज, उन साहबों के लिये जो कि इस विषय में चिन्तित हैं, यह है कि वह नानआफिशल बिजिनेस के लिये मनवा सकें तो मनवा लें ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि नान आफिशल बिजिनेस की जगह ला ऐंड आर्डर सिचुएशन को ले लिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आर्डर नहीं दे सकता, आप मनवा सकें तो अच्छा है ।

---

*औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

†**श्री वारियर** : यह चर्चा २२ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर से उत्पन्न होती है ।

जनता में यह धारणा बढ़ रही है कि औद्योगिक और आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में केन्द्रित हो रही है । लाइसेंसिंग अवधि के बाद यह डर बढ़ जाता है, कम नहीं होता ।

सरकार की नीति यह जान पड़ती है कि औद्योगिक नीति संकलप की उपेक्षा कर दी जाये जिस में यह उल्लिखित है कि अर्थ व्यवस्था को इस प्रकार न चलने दिया जाय, जिससे जनसाधारण

---

*आधे घंटे की चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

को हानि पहुंचा कर आर्थिक समृद्धि तथा उत्पादन के संसाधनों का संग्रह कुछ व्यक्तियों के हाथों में हो ।

कम्पनियों के संचालकों का जमाव कुछ इने गिने व्यापारिक व्यवसायों के हाथों में हो गया है । इन समवायों के हाथों में कई अरबों रुपये की आस्तियां है । इस लिए जब भी नये लाइसेंस दिये जाते हैं, हमें भय होता है कि वे फिर पुराने लोगों के पास जा रहे हैं ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिविदनों में बताया गया है कि एकस्व प्राप्त समवाय किस तरह इस प्रकार के लाईसेंस सरकार से प्राप्त कर लेते हैं । लाईसेंस देने की प्रणाली ऐसी है कि अधिक शक्तिशाली लोग कमज़ोरों के लाइसेंस भी अपने कब्जे में कर रहे हैं ।

जमाव का उत्तरदायित्व लाईसेंस देने की पद्धति पर है तथा उसमें सुधार करने की आवश्यकता है । शक्तिशाली व्यापार व्यवसाय अधिकांश लाइसेंसों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं तथा नवागन्तुकों को कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं हो पाते । यदि उन्हें वे मिल भी जाते हैं तो अन्तिम रूप से वे लाइसेंस शक्तिशाली व्यापारियों के समुदाय की हाथों में चले जाते हैं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इन लाइसेंसों के एकाधिकारों को प्राप्त होने की समस्या का अध्ययन नहीं किया तथा इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिशों की उपेक्षा कर दी गई है । सरकार को बताना चाहिये कि क्या उसने विभिन्न औद्योगिक सर्वेक्षणों को करने के लिए कोई उपाय किये हैं जैसा अि उक्त समिति का सुझाव था ।

ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय छोटे चालकों के लाईसेंसों के प्रार्थनापत्रों की उपेक्षा कर देती है तथा सशक्त हितों को अधिक लाइसेंस प्राप्त हो जाते हैं । सरकार अवश्य सुनिश्चित करे कि औद्योगिक नीति संकल्प में विहित नीति का अक्षरशः क्रियान्वित किया जाये तथा देश में किसी प्रकार के एकाधिकार को स्थापित न होने दिया जाये ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : क्या सरकार ने विभिन्न व्यापारिक समुदायों को जारी किये गये लाइसेंसों के बारे में आंकड़े प्राप्त किये हैं? क्या एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के इनके दे देने पर कोई रोक लगी है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या यह सत्य है कि १९६१ में जारी किये गये ६० प्रतिशत लाइसेंस बिरला गुट को दिय गये हैं ? क्या उन लोगों से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी जिन्होंने लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया था ?

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : क्या इस समय की लाइसेंस देने की पद्धति से विलम्ब होता है यदि हां तो उसे दूर करने के क्या उपाय किये गये हैं ?

†**श्री प्र० चं० बरूआ** (शिवसागर) : क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में सारी योजना काल के लिए व्यवस्थित ४५० करोड़ रुपये की राशि की तुलना में २०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को जारी किया गया है जिससे नये उपक्रिमयों के लिए गुंजाइश रखी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : मुझे हर्ष है कि एक भ्रम इस चर्चा के दौरान में दूर हो गया है। आर्थिक समृद्धि तथा उत्पादन क्षमता के जमाव में अन्तर है। हो सकता है कि उत्पादन क्षमता के केन्द्रीयकरण से एकाधिकार प्राप्त हो जाये किन्तु इससे आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण जरूरी नहीं है। जहां तक आर्थिक शक्ति का सम्बन्ध है एक समिति प्रो० महातदोबिस के अधीन इस समस्या की जांच कर रही है। इसका प्रतिवेदन बहुत कीमती होगा, जिसकी कि प्रतीक्षा की जा रही है।

मैंने स्पष्ट कर दिया है कि औद्योगिक नीति संकल्प में उल्लिखित उद्देश्यों का कठोरता से अनुसरण किया जा रहा है। एकाधिकारों की प्रवृत्ति १९५१ से पहले थी और इसी कारण उद्योग (विकास और अधिनियम) अधिनियम लागू किया गया था, जिसके कार्य का निरन्तर पुनर्विलोकन होता है। उक्त संकल्प में उल्लिखित किसी नीति का उल्लंघन नहीं किया गया। प्रार्थनापत्र मांगते समय पूरा विवरण मांगा जाता है। यदि प्रार्थी पूरी जानकारी न दे, तो इसमें विलम्ब के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होता है। विकास शाखा इस सम्बन्ध में उनकी मदद भी करती है। दूसरा कदम यह है कि उनके दिये गये बयानों की जांच की जाती है। हम इस सम्बन्ध में इस बात पर आग्रह करते हैं कि यदि कोई पुरानी कम्पनी अपना उत्पादन बढ़ा नहीं रही या सम्बन्धित चीजें तैयार नहीं कर रही तो नई परियोजना के लिये नई कम्पनी होनी चाहिये।

श्री वारियर ने १९५७ में निदेशक पदों के गठजोड़ के बारे में किये गये अध्ययन का उल्लेख किया है ऐसे अध्ययन भारत के रक्षित बैंक के बुलेटिनों द्वारा मिल सकते हैं। ऐसे अध्ययन अन्य संस्थाओं ने भी किये हैं। यह गठजोड़ इसलिये होते थे क्योंकि उस समय विधायिनी शक्ति नहीं थी। अब १९५६ के कम्पनी अधिनियम के लागू होने के बाद ऐसा नहीं हो सकता। इस अधिनियम को १९६० में काफी संशोधित किया गया था। कोई कम्पनी अपने धन का एक निश्चित प्रतिशत किसी दूसरी कम्पनी के हिस्सों में विनियोजित नहीं कर सकती। इसलिये १९५० के समय की जानकरी पुरानी हो चुकी है। आज कोई १० कम्पनियों से अधिक कम्पनियों में निदेश पद धारण नहीं कर साकता। ऐसा करना एक अपराध है। अब कम्पनियों का गठजोड़ और विनियोग द्वारा गठजोड़ सम्भव नहीं है।

जहां तक लाइसेंस देने का सम्बन्ध है। इसको देते सभय यह देखा जाता है कि प्रार्थी कम्पनी का किसी विशेष गुट से सम्बन्ध तो नहीं है।

श्री वारियर ने प्राक्कलन समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया है। जैसा कि प्रथा है। इस की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और विकास शाखा के कार्य की जांच के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की गई है। नये उद्योग स्थापित करने के रास्ते में पंजी वस्तुओं के लिये विदेशी मुद्रा की कमी ही सबसे बड़ी बाधा है। बुनियादी उद्योग जो सरकारी क्षेत्र में है, पूंजी वस्तुओं की मांग पूरा करते हैं ताकि उन्हें खरीदने में विदेशी मुद्रा खर्च न करनी पड़े। सारी आवश्यकताएं पूरा करने में कुछ समय अवश्य लगेगा।

लाइसेंसिंग समिति से किसी तरह लाइसेंसों को किसी तरह हथिया लेना सम्भव नहीं है। इस बात को सुनिश्चित करने की पर्याप्त व्यवस्था है। क्योंकि पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद समिति प्रार्थना पत्रों पर विचार करती है। वह स्थिति के अनुसार या तो उनको स्वीकार या अस्वीकार करती है। यदि किसी पक्ष को असन्तोष हो, तो एक पुनर्विलोकन समिति, जिसके सभापति बहुत समय तक श्री हृदयनाथ कुंजरू थे, उसकी अपील पर पुनर्विचार करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

जहां तक दिये गये लाइसेंसों को प्रकाशित करने का सम्बन्ध है, ये समय समय पर प्रकाशित किये जाते हैं, ताकि सम्बन्धित पक्षों को तुरन्त जानकारी मिल सके। यदि उनको आपत्ति हो, तो वे बताई जा सकती हैं। यह प्रकाशन साप्ताहिक प्रकाशन है। इसको प्रतिवर्ष प्रकाशित करने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि लाइसेंस उन उद्योगों के सम्बन्ध में दिये जाते हैं जिनकी पूंजी १० लाख रुपये से अधिक हो।

श्री दाजी ने कहा है कि एक वक्तव्य तैयार किया जाये और सभा पटल पर रखा जाये। ऐसा वक्तव्य तैयार करने में दो महीने लगेंगे उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा। इस चर्चा की सूचना प्राप्त होने के बाद मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किये हैं। उनके अनुसार सीमेंट उद्योग में कोई एकाधिकार नहीं है और न ही एका धकार पैदा होने की सम्भावना है। ए० सी० सी० की क्षमता जो पहले सबसे अधिक थी, ४३ प्रतिशत से ३१.९ प्रतिशत हो गई है। साहू जैन की क्षमता १७ से घट कर १४ प्रतिशत हो गई है। बिड़ला की केवल ४ प्रतिशत है इण्डिया सीमेंट की भी केवल ४ प्रतिशत है। अधिकारियों का कहना है कि ५० से ५५ प्रतिशत तक उत्पादन से एकाधिकार नहीं बन सकता। उद्योगों के बिखेरने का काम जारी है। प्रवृत्ति एकाधिकारों की स्थापना की ओर नहीं, बल्कि उनके तोड़ने की ओर है।

इस के पश्चात् लोक-सभा की बैठक गुरुवार, ७ सितम्बर, १९६२। भाद्र, १८८४ (शक) के ११ म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६२
१५ भाद्र, १८८४ (शक)

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९७७–९९

तारांकित
प्रश्न संख्या

८२० इस्पात उत्पादकों पर बकाया रकम . २९७७–७८
८२२ दिल्ली के लिए बृहद् योजना . . . . २९७८—८०
८२३ ऋषिकेश बद्रीनाथ सड़क २९८०–८१
८२४ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अधिकारी रूस में २९८१–८२
८२५ कोयले की ढुलाई . . . . . २९८२—८४
८२६ जीविका साधन जांच . . २९८४–८५
८२७ मोटरों के पुर्जों का निर्माण . . २९८५–८६
८२८ रूई की गांठे बांधने की पत्ती . . . २९८६–८७
८३० घड़ियों का निर्माण . . . . . २९८७—९०
८३१ मोटर साइकिलों और स्कूटरों के मूल्य में कमी २९९०—९२
८३२ काश्मीर की स्थिति . . . २९९२—९५
८३३ विद्यार्थियों से अप्राधिकृत फीस की वसूली . २९९५–९६
८३४ गोहाटी तेल शोधक कारखाना . . . २९९६
८३५ बैंक आफ गोआ . . २९९६–९७
८३६ आटो रिक्शा . . . २९९७–९८
८३७ भारत चीन मैत्री संस्था २९९८–९९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९९९—३०४६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८२१ खनिज संसाधनों सम्बन्धी जानकार लोग . . . २९९९–३०००
८२९ उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाना . . . ३०००
८३८ दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम . . . ३०००
८३९ नूनमती तेल शोधक कारखाना ३००१

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

८४०	रुपये नये पैसे के सिक्कों का गलाया जाना	३००१
८४१	पत्रों का हिन्दी में भेजा जाना	३००१–०२
८४२	लद्दाख को संसद् सदस्यों का शिष्टमंडल	३००२–०३
८४३	एवरो-७४८	३००३
८४४	हिन्दी साहित्य सम्मेलन	३००३
८४५	तिहाड़ सैंट्रल जेल, दिल्ली में मृत्यु	३००३–०४
८४६	पुंच में पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना	३००४–०५
८४७	'स्वाधीनता' में छापा गया आपत्तिजनक कार्टून	३००५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३७२	अप्रतिबन्धित लाइसेंस	३००५–०६
२३७३	शस्त्रों के लिए लाइसेंस	३००६
२३७४	सेना के अफसरों और कर्मचारियों में ऋणग्रस्तता	३००६–०७
२३७५	अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियां	३००७
२३७६	कृष्णगिरि के भतपूर्व सैनिक	३००७
२३७७	तामिल नाटक	३००७–०८
२३७८	खेलों के अनुदान	३००८
२३७९	मद्रास के बच्चों के लिये दोपहर का भोजन	३००८
२३८०	मध्य प्रदेश के औषधि जड़ी बूटियां	३००९
२३८१	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सह-कारी मकान निर्माण संस्थायें	३००९
२३८२	अन्दमान द्वीपों को भेजे गये लेखापरीक्षण कर्मचारी	३००९–१०
२३८३	उड़ीसा में ग्राम्य संस्थाएं	३०१०
२३८४	बिड़ला इंजीनियरिंग कालेज को सहायता	३०१०
२३८५	उड़ीसा में निर्वाचन परिणाम	३०११
२३८६	निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	३०११
२३८७	अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों का कल्याण	३०११–१२
२३८८	विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा	३०१२–१३
२३८९	प्रादेशिक परिषदें	३०१३–१४

विषय पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या		
२३९०	शारीरिक शिक्षा	३०१४
२३९१	भारतीय नागरिकों से विवाहित विदेशी स्त्रियां	३०१४–१५
२३९२	कर्मचारियों की सेवा शर्तें	३०१५
२३९३	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही	३०१५
२३९४	टीटागढ़ महिला शिविर, २४ परगना	३०१६
२३९५	दिल्ली के स्कूलों के विकास के लिए अंशदान	३०१६
२३९६	नेशनल इंश्योरेस कम्पनी लिमिटेड	३०१७
२३९७	मेहरोत्रा आयोग का प्रतिवेदन	३०१७
२३९८	मनीपुर और त्रिपुरा में कर्मचारियों के वेतनक्रम	३०१७
२३९९	रूपकुण्ड में पाये गये मानव अस्थिपंजर	३०१८
२४००	ट्रकों के उत्पादन के लिये संयंत्र की स्थापना	३०१८
२४०१	स्वतन्त्र विमान सेवा चालक	३०१८–१९
२४०२	मद्रास की जनसंख्या	३०१९
२४०३	मैसूर के लिये सीमेंट और इस्पात	३०१९–२०
२४०४	हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कर्मचारी	३०२०
२४०५	चीड़ की पत्तियों से ऊन का उत्पादन	३०२१
२४०६	सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधान	३०२१
२४०७	एवरो-७४८	३०२१–२२
२४०८	उड़ीसा में तेल	३०२२
२४०९	वयस्क बहरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	३०२२
२४१०	विदेशों में विदेशी भाषायें सीखने के लिये छात्रवृत्तियां	३०२२
२४११	अंगहीन व्यक्तियों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर	३०२२
२४१२	विकलांग बालकों के लिये संस्थायें	३०२२
२४१३	सोल्जर्स बोर्ड अनुरक्षण अनुदान	३०२३
२४१४	चीनी द्वारा रोके गये भारतीय सीमान्त पुलिस के सदस्य	३०२३
२४१५	राजस्थान के बैंकों को स्टेट बैंक आफ राजस्थान में मिलाना	३०२३
२४१६	चमौली में एस्बेस्टस के पत्थर	३०२३–२४
२४१७	हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ता	३०२४–२५

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
२४१८	भारत कमर्शियल कम्पनी लिमिटेड	३०२५
२४१९	मैंगनीज अयस्क के निर्यात में बीजक में कम मूल्य दिखाना	३०२५
२४२०	कैम्पस परियोजनाएं	३०२६
	नयादी शिक्षा	३०२६–२७
२४२२	अनुसंधान-कर्ताओं को छात्रवृत्तियां	३०२७
२४२३	दिल्ली में अवैध शराब	३०२७–२८
२४२४	खनिज उत्पादान	३०२८
२४२५	गुजरात तेल कर्मचारी संघ	३०२८–२९
२४२६	अम्बाला शहर में स्टेट बैंक की शाखा	३०२९
२४२७	सीमेन्ट कम्पनियां	३०३०
२४२८	कोयले का वितरण	३०३०
२४२९	हिमाचल प्रदेश के नाहन जिला में डिग्री कालेज	२०३०
२४३०	भारतीय विमान बल के लिये स्वीडन के विमान	३०३१
२४३१	दिल्ली छावनी कर्मचारियों के निवास स्थान	३०३१
२४३२	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	३०३२
२४३३	हवाई अड्डे	३०३२
२४३४	मध्य प्रदेश के उर्वरक संयंत्र	३०३२–३३
२४३५	इस्पात बेलन मिल, मद्रास	३९३३
२४३६	दिल्ली नगर निगम	३०३३–३४
२४३८	नूनमती और बरौनी में तेल की पाइपलाइन	३०३४
२४३९	कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय मैं चोरी	३०३४
२४४०	स्नेहन तेल संयंत्र	३०३५
२४४१	उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल	३०३५
२४४२	सीमावर्ती जिलों में संचार साधन	३०३५–३६
२४४३	दिल्ली में विष द्वारा हत्या	३०३६–३७
२४४४	विदेशों में पोलो खेलने वाले भारतीय सेना के अफसर	३०३७
२४४५	रांची हवाई अड्डा	३०३७
२४४६	मदुरई में विश्वविद्यालय	३०३८
२४४७	दिल्ली पुलिस कर्मचारी	३०३८

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४४८	पलाई सेन्ट्रल बैंक के खातेदारों को भुगतान	३०३८–३९
२४४९	कारों का तस्कर व्यापार	३०३९
२४५०	मिर्जापुर जिला (उत्तर प्रदेश) में अग्नि मिट्टी (फायर क्ले)	३०३९
२४५१	कलकत्ता नेशनल बैंक	३०३९–४०
२४५२	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा ट्रांसफार्मरों का निर्माण	३०४०
२४५३	स्कूटर	३०४०–४१
२४५४	केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड	३०४१
२४५५	केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड	३०४१–४२
२४५६	संघ राज्य क्षेत्रों में अस्पृश्यता सम्बन्धी समितियां	३०४२
२४५७	सहायक वायु सेना के अधिकारियों के लिये स्थायी कमीशन	३०४२
२४५८	सहायक वायु सेना के विमान चालक	४०४२–४३
२४५९	राष्ट्रीय सेना छात्र दल के कुछ कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान न किया जाना	३०४३
२४६०	टेक्निकल संस्थान	३०४३–४४
२४६१	श्रम कल्याण निधि	३०४४
२४६२	अपंग व्यक्तियों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर	३०४४
२४६३	छपाई की मशीनों का निर्माण	३०४४–४६
२४६३-क	विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामलों की जांच	३०४६

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय ने श्री वी० के० विद्यालंकार के, जो दूसरी लोक-सभा के सदस्य थ, निधन का उल्लेख किया ।

इसके पश्चात् सदस्य उनके सम्मान में कुछ समय तक मौन खड़ रहे८।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३०४७–४८

श्री बागड़ी ने मध्य रेलव के जुनारदेव रेलव स्टशन के निकट १ सितम्बर, १९६२ कोई हुई रेल दुर्घटना की ओर, जिसमें ४ व्यक्ति मारे गये और अन्य जख्मी हुये, रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०४८–५१

वर्ष १९६०–६१ के लिय केन्द्रीय सरकार के वित्त लेख की एक प्रति ।

(२) लोक ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना जी० एस० आर० १०९५ में प्रकाशित लोक ऋण (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२

(ख) दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९६ में प्रकाशित लोक ऋण (प्रतिकर बाण्ड) दूसरा संशोधन नियम १९६२ ।

(ग) दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९७ में प्रकाशित लोक ऋण (वार्षिकी प्रमाण-पत्र) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ ।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनीज अधिनियम १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर की वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षा की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(४) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा २३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, वर्ष १९६१–६२ के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वार्षिक प्रतिवदन की एक प्रति ।

(५) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद ३५०ख(२) के अन्तर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का चौथा प्रतिवदन ।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९४ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) संशोधन नियम, १९६२ ।

(६) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११०१ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम, १९६२ ।

(दो) बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २६१४ में प्रकाशित यूनिटी बैंक लिमिटेड, मद्रास के पुनर्गठन और इसे स्टेट बैंक आफ इंडिया में मिलाने की योजना ।

(७) उन उपक्रमों की एक सूची जिन्हें आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा ५६क के अधीन रियायतें दी गई हैं ।

(८) प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के उत्तर बताने वाले निम्नलिखित विवरण, जो सम्बन्धित प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये जाने के लिये सरकार द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं किय गये :—

(एक) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की चौंतीसवें प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(दो) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) क बावनवीं प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(तीन) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के तिरेपनवें प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(चार) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के छप्पनवें प्रतिवदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(पांच) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के इकसठवें प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(छै) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के बासठवें प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(सात) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के पैंसठवें प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(आठ) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के सड़सठवें प्रतिवेदन के अध्याय ५ में सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(नौ) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के अड़सठवीं प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(दस) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के सत्तरवें प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(ग्यारह) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के बयास्सीवां प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(बारह) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के एकसौनौवीं प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(तेरह) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के एक सौसत्तरहवीं प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(चौदह) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के एकसौ-इक्यावनवीं प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(१) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की के दूसरे अधिवेशन में हुई बैठकों (चौथी से आठवीं) के कार्यवाही सारांश सारोश सभा पटल पर रखे गये ।

(२) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की दूसरे अधिवेशन में हुई दूसरी बैठक के कार्यवाही सारांश पटल पर रखे गये ।

(३) याचिका समिति की दूसरे अधिवेशन में हुई पहली बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा ३०५२—९२

श्री बागड़ी द्वारा ५ सितम्बर, १९६२ को आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में, जो २७ अगस्त, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में बतायी गयी थी, पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) ने चर्चा का उत्तर दिया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३०९२—३११

गृहकार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन, के बारे में, जो २० नवम्बर, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था, प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . ३११३—१६

श्री वारियर ने औद्योगिक लाइसेंसों के दिये जाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५२९ के २२ अगस्त, १९६२ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आध घंटे की चर्चा उठायी ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो) ने चर्चा का उत्तर दिया ।

शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२, १६ भाद्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा । गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा ।

GIPND—LSIII—1813(Ai)LSD—1-1-63—140.